SBI

भारतीय स्टेट बैंक

नई सोच - नए इरादों के साथ

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

विषय सूची

1 सूचना

2 आपका एसबीआई

3 भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा

4 नई सोच - नए इरादों के साथ

18 एसबीआई समूह संरचना

20 पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

21 रेटिंग्स

22 केंद्रीय निदेशक बोर्ड

24 बोर्ड की समितियां/केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य/ स्थानीय बोर्ड के सदस्य/ बैंक के लेखा-परीक्षक

28 अध्यक्ष का संदेश

34 **निदेशकों की रिपोर्ट**

34 **(I) आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश**

36 **(II) वित्तीय निष्पादन**

37 **(III) प्रमुख परिचालन**

37 रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग समूह

37 वैयक्तिक बैंकिंग

40 सर्वसमय चैनल

44 लघु एवं मध्यम उद्यम

47 ग्रामीण बैंकिंग

49 एनबीएफसी गठजोड़

49 अन्य नए व्यवसाय पहलकदमियां

50 सरकारी व्यवसाय

51 ट्रांजैक्शन बैंकिंग यूनिट

51 **ग्लोबल बैंकिंग**

51 कॉरपोरेट लेखा समूह

52 ट्रेजरी कारोबार

54 अंतरराष्ट्रीय परिचालन

58 वाणिज्यिक ग्राहक समूह (सीसीजी)

58 वाणिज्यिक ग्राहक

59 परियोजना वित्त एवं पट्टा व्यवसाय

59 तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

62 **(IV) सहायक एवं नियंत्रण परिचालन**

62 मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण

66 सूचना प्रौद्योगिकी

69 जोखिम प्रबंधन

73 राजभाषा

74 विपणन तथा सम्प्रेषण

75 सतर्कता तंत्र

75 आस्ति और देयता प्रबंधन

75 सदाचार एवं व्यवसाय आचरण

76 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

77 **(V) अनुषंगियां**

87 **कॉरपोरेट अभिशासन**

111 **व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के बारे में**

112 **वित्तीय विवरण**

तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

112 भारतीय स्टेट बैंक (एकल)

178 भारतीय स्टेट बैंक (समेकित)

223 **स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)**

249 ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण

251 **प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची**

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 64 वीं वार्षिक महासभा "एसबीआई सभागार", स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में गुरुवार, 20 जून, 2019 को अपराह्न 3.00 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

"भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च 2019 तक के तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा भारतीय स्टेट बैंक के कार्य और कार्यकलाप पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना"।

कॉरपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड
मुंबई - 400 021
दिनांकः 10 मई 2019

(रजनीश कुमार)
अध्यक्ष

लक्ष्य
अग्रसर भारत का सर्वप्रिय बैंक बनना

ध्येय
सरल, उत्तरदायी और अभिनव वित्तीय समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध

मूल्य
सेवा
पारदर्शिता
सदाचार
शिष्टता
निरंतरता

आपका एसबीआई

भारतीय स्टेट बैंक 200 वर्षों से अधिक की गौरवशाली परंपरा वाला एक विराट संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। यह भारतीय उप-महाद्वीप का सबसे पहला वाणिज्यिक बैंक है। एसबीआई भारत का एक बहुराष्ट्रीय, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंकिंग और वित्तीय सेवा संगठन है, जिसका गठन भारत के संविधान के तहत किया गया है। यह देश की 2.6 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और इसकी विशाल जनसंख्या की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शताब्दियों से अपनी सेवाएं देता आ रहा है।

जन जन का हित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कारोबार का अभिन्न अंग रहा है। बैंक का हर संभव प्रयास रहा है कि ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अपनी सुनियोजित योजनाएं और सेवाएं जन जन के लिए प्रस्तुत की जाएं, जिससे औसत से औसत भारतीय की वित्तीय आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर बदलते परिदृश्य के अनुरूप बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अपने डिजिटल आधार का विस्तार किया है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को साकार करने में इसकी प्रमुख भूमिका रही है।

भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जहाँ बैंक की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को रूपाकार मिलता है। इनकी परिकल्पना व्यक्तिगत ग्राहकों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, बड़े कॉरपोरेटों, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों सभी को ध्यान में रखकर की जाती है। इन्हें ये सेवाएं देने का काम करती हैं बैंक की देश-विदेश में फैली हजारों शाखाएं, ग्राहक सेवा केंद्र, संयुक्त उद्यम और सहायक तथा सहयोगी कंपनियां। बैंक परिवर्तनों को अंगीकार करने में सदैव सबसे आगे रहा है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, निरंतरता, सामाजिक उत्तरदायित्व और ग्राहक सेवा के उसके मूल्यों ने सदैव इसका पथ प्रशस्त किया है।

yono by SBI

भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा

भारत का सबसे बड़ा बैंक (जमाराशियाँ, अग्रिम, ग्राहकों की संख्या और बैंकिंग सेवा केंद्र)

ग्राहक — सं. (करोड़ में) **43.51**

बाजार अंश — %
जमाराशियाँ **22.38**
अग्रिम **20.09**

कुल शाखाएं — सं. **22,010**

देश भर में एटीएम सीडीएम और रीसाइकलर — सं. **58,415**

व्यवसाय प्रतिनिधि सेवा केंद्र — सं. **57,467**

वैकल्पिक चैनल लेनदेन का हिस्सा — % **88.1**

पीओएस की संख्या में बाजार में हिस्सा — % **15.93**

डेबिट कार्ड खर्च में बाजार में हिस्सा — % **29.89**

वित्तीय समावेशन खाते — सं. (करोड़ में) **14.25**

वित्तीय समावेशन — राशि (₹ करोड़ में) **31,235**

वित्तीय समावेशन लेनदेन बीसी चैनल के माध्यम से — सं. (करोड़ में) **39.75**

होम लोन्स
(₹ करोड़ में)

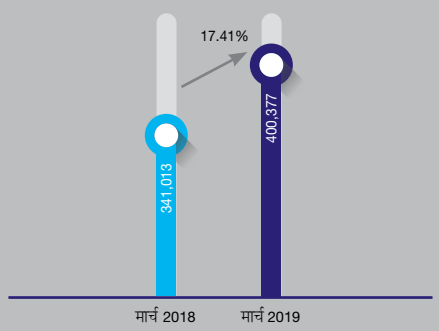

ऑटो लोन्स
(₹ करोड़ में)

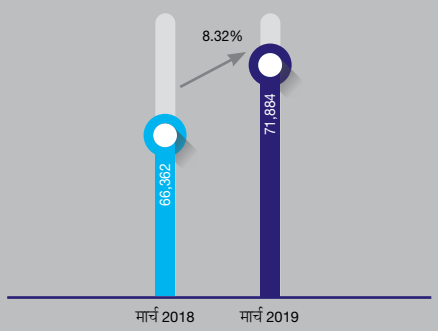

अन्य पी सेगमेंट लोन्स
(₹ करोड़ में)

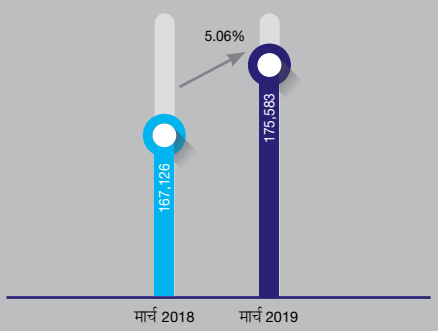

नई सोच - नए इरादों के साथ

पिछले कुछ वर्षों में हमने अपनी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ के साथ-साथ इक्विटी पर प्रतिलाभ पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। हर मोड़ पर हमने कठिन चुनौतियों के समाधान दिए हैं और सदैव बैंकिंग व्यवस्था के उत्कृष्ट मानदंडों से आगे बढ़कर कार्य किया है, जिससे सभी मापदंडों पर बैंक के प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके और इस प्रक्रिया में पूँजी-सृजन में हम पूर्णतया आत्म-निर्भर बन सकें।

वित्त वर्ष 2019 बैंक के सभी व्यवसाय समूहों में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि देने की हमारी शानदार यात्रा के तौर पर याद किया जाएगा। गुणवत्ता के मामले में हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच चुके हैं। पिछले 3-4 वर्षों की कड़ी मेहनत ने हमें 'अग्रसर भारत का सर्वप्रिय बैंक बनने' की नई दृष्टि दी है। यही कारण है कि हम बेहतर कार्य-प्रणालियों एवं कार्य-व्यवहारों के साथ एक बार फिर से विश्व स्तरीय बैंकिंग संस्था के रूप में वही गौरव प्राप्त कर रहे हैं। हमारे मूल्यों से हमारी पहचान है और इनकी सहायता से हम निरंतर बाजार अंश में मजबूती, अपनी विशाल बैलेंस शीट और अपने शेयरधारकों को उनके निवेश का निश्चित रूप से बेहतर मूल्य देने के लिए कृतसंकल्प हैं। हम बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में नई पहल करने में अग्रणी रहने की अपनी अंतहीन यात्रा में एक बार फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में हमारे बैंक को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनसे निपटने के लिए हमने बहुत से उपाय किए और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हुए। इनमें प्रमुख हैं- ऋण प्रक्रियाओं को सख्त करना और अच्छी गुणवत्ता वाला ऋण कारोबार स्वीकृत करने के लिए जोखिम आकलन व्यवस्था का पुनर्निर्धारण करना; मजबूत हामीदारी प्रणालियां लागू करना औक कॉरपोरेट ऋण बही में उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसाय को जोड़ना; मजबूत और वृद्धिशील रिटेल बिजनेस जुटाना; अपने दबावग्रस्त ऋणों के सकारात्मक समाधान के लिए युक्तिपूर्ण उपाय करना जिनमें से अनेक मामले समाधान के अंतिम चरण में हैं, अपने शाखा अनुभव को बेहतर करना और भारत की विशाल जनसंख्या तक अपनी पहुंच बढ़ानाः आईटी आधारित कई प्रकार की नई टेक्नोलोजी लगाना और इसके प्रयोक्ताओं से सीधे कारोबार करने के लिए नवोनेमेषी प्लेटफॉर्म शुरू करना, अत्यंत विकसित ट्रेजरी परिचालन बनाए रखना, बड़ी मात्रा में जमा राशियों को अपने पास बनाए रखना जिससे इस विश्वसनीय जमाराशि आधार से बैंक के ऋण कारोबार में पर्याप्त वृद्धि हो सके, अपने मानव संसाधन को अपने काम में और अधिक दक्ष बनाने के लिए प्रणालीगत सुधार व नवोन्मेषन लागू करना।

देश में अपने जबरदस्त कारोबार के अलावा, हम पूरी जिम्मेदारी और सुनियोजित ढंग से अपने अतंरराष्ट्रीय कारोबार को भी चला रहे हैं जिससे हम अपने उन ग्राहकों को भी अपनी सेवाएं दे पाएं जो विश्व स्तर पर अपना कारोबार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी सहायक कंपनियां भी अपने कारोबार क्षेत्र में अग्रणी बनी हुई और हमारे कारोबार को बढ़ाने में भी योगदान कर रही हैं। हमारा लक्ष्य उनके द्वारा ग्राहकों को निवेश में निरंतर बेहतर मूल्य देना है।

हमारी समस्त बहुआयामी कार्यनीतियों के पूरे संगठन के स्तर पर बेहतर नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं जैसा कि वित्त वर्ष 2019 के उत्तरार्ध के बेहतर प्रदर्शन से पता चलता है। आज हमारे पास व्यवसाय में मजबूत वृद्धि दर, मजबूत पूँजी और चलनिधि आधार है। बैंकिंग क्षेत्र में हमारा अग्रणी स्थान है। हमारी इस भविष्योन्मुखी यात्रा में ईक्विटी पर हमारा प्रतिलाभ निरंतर बढ़कर 15% के ऊपर पहुँच गया है तथा परिसंपत्तियों पर हमारा प्रतिलाभ निरंतर 1% बढ़ रहा है।

हमारी समस्त बहुआयामी कार्यनीतियों के पूरे संगठन के स्तर पर बेहतर नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं जैसा कि वित्त वर्ष 2019 के उत्तरार्ध के बेहतर प्रदर्शन से पता चलता है। आज हमारे पास व्यवसाय में मजबूत वृद्धि दर, मजबूत पूँजी और चलनिधि आधार है। बैंकिंग क्षेत्र में हमारा अग्रणी स्थान है। हमारी इस भविष्योन्मुखी यात्रा में इक्विटी पर हमारा प्रतिलाभ निरंतर बढ़कर 15% के ऊपर पहुँच गया है तथा परिसंपत्तियों पर हमारा प्रतिलाभ निरंतर 1% बढ़ रहा है।

नई सोच - नए इरादों के साथ

अपनी मानव शक्ति की क्षमताओं का उपयोग

हम अपने कर्मचारियों को अपना सहभागी मानते हैं। बैंक के ध्येय के प्रति उनके समर्पण का ही यह परिणाम है कि हम अपने हितधारकों यथा - अपने ग्राहकों, शेयरधारकों व समाज को दक्षतापूर्ण सेवाएं दे पा रहे हैं। हम उन पर लगातार निवेश कर रहे हैं, ताकि उनका भी विकास हो और वे भी उन्नति करें। हम उनके लिए वैविध्यपूर्ण और समावेशी परिवेश सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे उनमें और निखार लाया जा सके।

"हमारा विश्वास है कि बैंककर्मियों के निरंतर योगदान से ही संस्था का विकास संभव है। हमारा संकल्प है कि हम उन पर निरंतर निवेश करते रहेंगे और भारतीय स्टेट बैंक को सर्वोत्कृष्ट कार्य-स्थल बनाएंगे।"

हमारे मानव संसाधन विभाग की भूमिका बैंक की व्यवसाय कार्यनीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण रही है। वर्ष के दौरान, हमने अपने मानव संसाधन विभाग को और भी ज्यादा केंद्रीकृत किया है जिससे बेहतर नियंत्रण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, हमने मानव शक्ति योजना बनाने के लिए डेटा आधारित आवश्यकता आकलन मॉडल अपनाया है जिससे बैंक के मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किया जा सके। अपने कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने कई पहल की हैं।

हमारी मजबूत करियर विकास प्रणाली के कारण बैंककर्मियों के कामकाज का बेहतर प्रबंध करने में अत्यधिक पारदर्शिता, समावेशिता, जवाबदेही एवं प्रभावकारिता आ गई है। सांस्कृतिक परिवर्तन ले आने के लिए एक व्यवस्थित फीडबैक प्रणाली भी शुरू की गई है। इसके अलावा, हमने भविष्य में महत्वपूर्ण कार्यपालकों के पदों पर अधिकारियों की नियमित नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तराधिकारी नियोजन नीति बनाई है। हमने अन्य क्षेत्रों के अलावा वेल्थ मैनेजमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना सुरक्षा, जोखिम एवं ऋण कारोबार में नए प्रतिभाशाली बैंककर्मियों की भरती भी की है।

हम सदाचार एवं वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ व्यवसाय पद्धतियों पर विकसित निष्पादन उन्मुख संस्कृति को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। हमने प्रभावशाली प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की है जिससे हम अपने विज़न को साकार कर पाएं। इसके लिए हमारा प्रयास रहा है कि हम अपने प्रत्येक कर्मचारी की क्षमताओं और दक्षताओं को बढ़ाएं तथा उनमें जो संभावनाएं हैं उनका अधिकाधिक उपयोग किया जाए। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष हमारी प्रशिक्षण प्रणाली से विभिन्न पीढ़ियों एवं सांस्कृतिक रूप से भिन्न पृष्ठभूमि वाले बैंककर्मियों के बहुमुखी कौशल विकास की जरूरतों की पूर्ति होती है। साथ ही हमने अपने कर्मचारियों की कार्य-कुशलता बढ़ाने और उन्हें तेजी से बदलते कारोबारी परिवेश के लिए तैयार करने हेतु कई नए कार्यों की संकल्पना भी कर ली है। यही कारण है कि हमें 'ज्ञानार्जन एवं विकास में उत्कृष्टता' के लिए बिजनेस वर्ल्ड का पुरस्कार मिला है।

लिंग संवेदनशीलता और समावेशिता हमेशा आपके बैंक की मानव संसाधन नीति की आधारशिला रही है। आज लगभग हमारे कुल बैंककमियों में से महिलाओं का प्रतिशत 24.34% है। हमें प्रतिबद्धता के लिए प्रेरणा शीर्ष नेतृत्व से मिलती है, जो विविधता एवं समावेशन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

"हम सदाचार एवं वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ व्यवसाय पद्धतियों पर विकसित निष्पादन उन्मुख संस्कृति को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं।"

24.34% हमारे कुल बैंक कर्मियों में महिलाओं का प्रतिशत

वित्त वर्ष 2019 में लगभग **690** विशेषज्ञों की सेवाएं ली गईं।

प्रशिक्षण संस्कृति **90** वर्षों से अधिक की

नई सोच - नए इरादों के साथ

रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग व्यवसाय समूह बैंक के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध

भारतीय स्टेट बैंक में हमारा सदैव प्रयास रहता है कि हम अपने ग्राहकों का शुभचिंतक और कार्यसाधक बैंक बनें और वे अपना बैंकिंग कार्य हमारे साथ ही करना चाहें। रिटेल, कृषि और एसएमई बाजार में अपने अग्रणी स्थान के साथ हम बेहतर ग्राहक सेवा एवं अनुभव देने के लिए निरंतर निवेश और नवोन्मेषन कर करे हैं।

> "योनो के माध्यम से अपने उत्पाद ग्राहकों तक पहुँचाने और ग्राहक को और अधिक सुविधा देने में हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारा मानना है कि आधुनिकीकरण और टेक्नोलोजी का समुचित उपयोग करके हम अपने ग्राहकों की बेहतरी में भागीदार बन सकते हैं और अपने बैंक के प्रति उनके विश्वास को मजबूत कर सकते हैं।"

वित्त वर्ष 2019 में भारतीय स्टेट बैंक का प्रदर्शन जोरदार रहा। रिटेल एवं पर्सनल बैंकिंग में ₹6.50 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार के साथ, हम बाजार में सबसे आगे बने हुए हैं। रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग समूह में बैंकिंग कारोबार की दृष्टि से आठ महत्वपूर्ण व्यवसाय इकाइयां हैं। शाखा नेटवर्क एवं मानव संसाधन की दृष्टि से भी यह भारत की सबसे बड़ी इकाई है। रिटेल बैंकिंग व्यवसाय समूह हमारा सबसे महत्वपूर्ण समूह है। चाहे बात कासा जमाराशियों में वृद्धि की हो या ग्राहकों की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण देने की हो। देश भर में ग्राहक लगातार तेजी से हमारे बैंक के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और रिटेल जमाराशियों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। साथ ही, इस बढ़ते ग्राहक आधार की आकांक्षाओं को पूरा करने के चलते बैंक के कुल अग्रिमों में खुदरा ऋणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

देश में बढ़ते डिजिटलीकरण के चलते ग्राहक भी अधिकाधिक इसी माध्यम से अपने बैंकों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। लगातार हो रहे टेक्नोलोजी आधारित नवोन्मेषनों से ग्राहकों की पसंद भी बदल रही है जिस कारण रिटेल बैंकिंग परिदृश्य भी बदल रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक में हमने मल्टी चैनल डिलिवरी मॉडल अपनाया है। इससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार किसी भी चैनल से किसी भी समय अथवा किसी भी स्थान पर लेनदेन कर सकते हैं। विशेषकर हमने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने में बहुत ही अच्छी प्रगति की है। ग्राहकों की सुविधा के लिए आपके बैंक और हमारी अनुषंगियों के उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। इस दिशा में अपने ग्राहकों की और अधिक सुविधा के लिए हमने अपने युगांतरकारी ऐप योनो को बाजार में सुस्थापित करने के मामले में जबरदस्त प्रगति की है और यह भारत का सबसे तेजी से बढ़ता एक ऐसा चैनल हो गया है जिसमें ग्राहक को एक में सब सुविधाएं मिलती हैं। इस चैनल से एक ही ऐप में बैंकिंग, बीमा एवं निवेश उत्पादों के साथ-साथ लाजवाब सेवा एवं शॉपिंग अनुभव मिलता है।

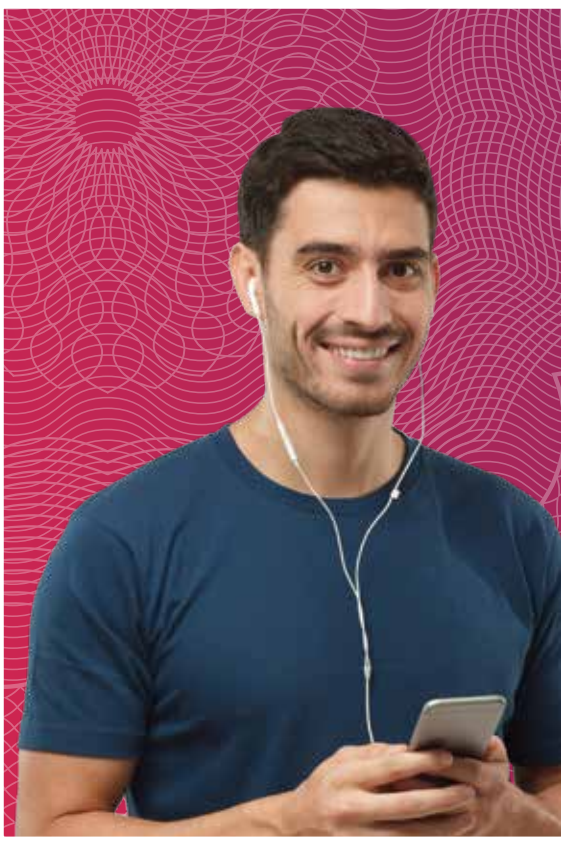

नवम्बर 2017 में शुरू किया गया **योनो** अब डिजिटल बैंक, ऑनलाइन बाजार एवं वित्तीय सुपर स्टोर बन चुका है। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल प्लानिंग, टैक्सी बुकिंग, ऑनलाइन शिक्षा एवं ऑफलाइन रिटेल के साथ साथ ई-वाणिज्य कंपनियों की सेवाएँ भी उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2019 में **योनो** ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जिससे 2 करोड़ से भी अधिक डाउनलोड और 73.49 लाख से भी अधिक रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लगभग 27.50 लाख बचत बैंक खाते भी खोले गए।

ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर के पाँच शीर्ष फिनैंस ऐप्लिकेशन में **योनो** भी शामिल है। **योनो** की शुरुआत के बाद से भारतीय स्टेट बैंक ने आईआरसीटीसी, बुक माई शो, एसओटीसी, एक्सपीडिया, किंडल, बुकिंग डॉट कॉम एवं मोज़ार्टो, टाटा मोटर्स, हुंडाई एवं फोर्ड जैसी प्रमुख ऑटो कंपनियों के साथ साथ 25 नए मर्चेन्टों को **योनो** ऑनलाइन मार्केटप्लेस से जोड़ा है। इससे इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध मर्चेन्टों की कुल संख्या 89 हो गई है।

अपने सभी ग्राहकों को विशेष कनेक्टिविटी एवं डिवाइस समाधान उपलब्ध कराने के लिए आपके बैंक ने रिलायंस जियो के साथ गठजोड़ किया है। इसके अलावा, देश में वित्तीय एवं लाइफ स्टाइल सेवाओं का डिजिटलीकरण बढ़ाने की दिशा में भी **योनो** एसबीआई एक युगांतरकारी कदम है।

आपका बैंक देश का सबसे विश्वसनीय बैंक होने के नाते वित्तीय सेवाओं से विगत में वंचित रहे लोगों की सेवा करने में भी अग्रणी है। इसके अलावा, 57,467 बैंकिंग सेवा केंद्रों के साथ हमारा बिजनेस करेस्पांडेंट चैनल अब लाभ-अलाभ की स्थिति को पार कर चुका है और आपके बैंक की उम्मीदों से अधिक बिजनेस दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक अपने व्यापक ग्राहक आधार और मजबूती के साथ उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अत्यंत किफायती दरों पर चुनिंदा कर्जदारी सेवाएं देने पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है।

आपके बैंक का डिजिटल चैनलों में बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा है। मामले में आपके बैंक का बाज़ार अंश सबसे अधिक है। हमारे वैकल्पिक व्यवसाय चैनलों के माध्यम से लेन-देन 88.1% है, जिसमें से लगभग 31.7% एटीएम और सीडीएम के माध्यम से होता है। हमारे रिटेल कारोबार में होम और ऑटो लोन्स का एक बड़ा भाग रहता है। हम अपने उन ग्राहकों की मदद करना चाहते हैं,

नई सोच - नए इरादों के साथ

रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग व्यवसाय समूह बैंक के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध (जारी...)

भारतीय स्टेट बैंक डिजिटलीकृत संगठन के रूप में अपनी नई सोच और नए इरादों के साथ प्रयोक्ता से सीधे न जुड़े कामकाज में भी टेक्नोलोजी के सहारे आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

"हमारे ऑनलाइन ऐप **योनो** पर होम लोन्स - डिजिटलीकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। इसकी सेवा हमारे पंजीकृत प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को चौबीसों घंटे और सातों दिन पूरा करने के लिए उपलब्ध हैं।"

जो भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से घर खरीदना चाहते हैं, ताकि उन्हें यह सुविधा आसानी से और जल्दी मिल जाए। इसलिए, हमारे ऑनलाइन ऐप **योनो** पर होम लोन-डिजिटलीकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है, जो हमारे पंजीकृत प्रयोक्ताओं की जरूरतों को 24 x 7 पूरा करता है। हमारा होम लोन पोर्टफोलियो (टॉप अप ऋण सहित) ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और यह किसी बैंक एनबीएफसी के पोर्टफोलियो से बड़ा है।

जैसा कि हम वित्त वर्ष 2020 में काम कर रहे हैं, आपका बैंक शिक्षा ऋणों का सबसे बड़ा ऋणप्रदाता बना हुआ है, जो बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एग्री फिनैंसिंग कारोबार में तो अग्रणी हैं ही, इस बाजार में भी सबसे आगे हैं। हमारी सेवाएं कम ब्याज दरों, कोई बिचौलिया नहीं, कोई छिपी लागत नहीं, त्वरित ऋण मंजूरी और ऋण संवितरण जैसी कुछ अनूठी विशेषताओं के साथ कृषि और इससे जुड़ी समस्त गतिविधियों के लिए उपलब्ध हैं। हमारे यह ऋण सुविधा खेत से उपभोक्ता तक समस्त कृषि गतिविधियों के लिए दी जा रही है। इसके अलावा, हमारे एसएमई और एमएसएमई व्यवसाय में, हम अपनी संपत्ति और ईक्विटी से बेहतर रिटर्न उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की हमेशा से एसएमई में महत्वपूर्ण भूमिका रही है विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन में एसएमई के योगदान को देखते हुए नवोन्मेषी फिनैंशियल सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण, एसएमई ग्रोथ बढ़ाने में आपका बैंक तीन स्तंभों, ग्राहक सुविधा, जोखिम कम करने और प्रौद्योगिकी आधारित बेहतर डिजिटल उत्पाद और प्रक्रियाएं देने में संलग्न है।

समीक्षाधीन वर्ष में, हमने बेहतर ग्राहक संबंध बनाए रखने के लिए समर्पित संपूर्ण एसेट मैनेजमेंट टीमों के माध्यम से बाजार में अपनी गहरी पहुंच सुनिश्चित की है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी से व्यापार में पारदर्शिता आई है और इसके माध्यम से जोखिम आकलन और इसे कम करने में व्यापक मदद मिल रही है। इसके अलावा, हमारे क्रेडिट अंडरराइटिंग इंजन कैश फ्लो फिनैंसिंग, बेहतर अंडरराइटिंग के लिए एनालिटिक्स और टीएटी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हमारा एसएमई पोर्टफोलियो ₹2,88,583 करोड़ का है जिसमें एमएसएमई का हिस्सा ₹2,33,294 करोड़ का है।

नई सोच - नए इरादों के साथ

उपलब्ध अवसरों से बेहतर मूल्य देने के लिए मजबूत बुनियाद वाली अनेक सहायक कंपनियां

भारत भर में सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के अपने मिशन में, भारतीय स्टेट बैंक समूह, अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों के माध्यम से अन्य सेवाओं के साथ जीवन बीमा और साधारण बीमा, मर्चेंट बैंकिंग, ट्रस्टी बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ विभिन्न वित्तीय सेवाएं दे रहा है।

"अनेक सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों वाले पूरे समूह में, हम अपने आकार और विविधता के कारण उपलब्ध अवसरों का लाभ लेकर अपनी संस्थाओं का सफल संचालन करते हुए बेहतर मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके बैंक में सभी स्तरों पर हमारे उपक्रम हमारे हितधारकों के लिए निरंतर और दूरगामी सफलताओं के द्वार खोल रहे हैं।"

हमारी सहायक कंपनियां बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने में हर तरह से तैयार हैं। प्रत्येक ने अपनी तैयारी इस विश्वास पर की है कि ग्राहक अनुभव सर्वोपरि है। हम हरेक संस्था के सहयोगियों का उपयोग करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं ताकि अपने कारोबार में उनकी भी पूरी पूरी सहायता ली जा सके। इसके लिए, हम आधुनिकतम टेक्नोलोजी और अन्य प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं जिससे हमारे विभिन्न उत्पादों का व्यापक प्रसार हो सके। हमारे सीआरएम प्लेटफॉर्म, IMPACT में कारोबार के अवसरों का पता लगाने के लिए स्मार्ट डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हमारे कई सर्वश्रेष्ठ संयुक्त उद्यम भागीदार भी हैं, जिनके साथ हमारा विभिन्न व्यवसायों, कारगर कार्य प्रणालियों, दीर्घकालिक व्यापकता और उच्च गुणवत्ता वाली कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए गठजोड़ हैं। अपने ग्राहकों के साथ तालमेल के अच्छे परिणाम मिलने से हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में हमारी क्रॉस-सेलिंग आय बढ़कर 50% तक हो जाएगी।

हमारी सबसे सफल सहायक कंपनी में से एक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष 2018 में पूंजी बाजारों में प्रवेश किया जो भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी पारिबास कॉर्डिफ एसए के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस इकाई का सफल आईपीओ आपके बैंक द्वारा ऐसे व्यवसायों को आरंभ करने और उनका पोषण करने की अच्छी क्षमता का प्रमाण है जो अपने अपने व्यवसाय क्षेत्र में प्रमुख हैं। वर्तमान में, कंपनी का बाजार पूंजीकरण ₹58,300 करोड़ से अधिक है और इसे गैर सरकारी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों में नए व्यवसाय प्रीमियम (NBP) के मामले में नंबर 2 स्थान दिया गया है। वित्त वर्ष 2019 तक, कंपनी के एयूएम में 21% की वृद्धि दर्ज की गई और यह कारोबार बढ़कर ₹1,41,024 करोड़ पर पहुंच गया। अपने 908 कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से संपूर्ण भारत में पहुंच बनाकर, एसबीआई लाइफ ने भारत के कम बीमा सुविधा वाले ग्रामीण इलाकों में बीमा सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं।

एक अन्य चमकता सितारा एसबीआई कार्ड भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके 82 लाख कार्डधारक हैं। वित्त वर्ष 2019 तक, कंपनी के कार्ड बेस में वर्ष-दर-वर्ष 32% की वृद्धि हुई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने "अपोलो एसबीआई" नामक एक सह-ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड में धारक को स्वास्थ्य और आरोग्य सेवाओं का लाभ मिलता है। डॉक्टरों के लिए, विशेष रूप से इसने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर "एसबीआई डॉक्टर्स कार्ड" लॉन्च किया। हमें इस बात की खुशी है कि निकट भविष्य में बाजार सूचीकरण के लिए एसबीआई कार्ड हमारी अगली कंपनी होगी।

एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी भारत में नंबर 3 रैंकिंग के साथ एयूएम में 11.59% बाजार हिस्सेदारी का समूह के भीतर बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। वित्त वर्ष 2019 में, इसमें उद्योग की 3.66% वृद्धि दर की तुलना में 7.36% वृद्धि हुई।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भारतीय स्टेट बैंक और आईएजी ऑस्ट्रेलिया के बीच एक कार्यनीतिक संयुक्त उद्यम है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की 70% हिस्सेदारी है। इस कंपनी की विकास आकांक्षा बैंकाइंश्योरेंस चैनल पर केंद्रित है। इसके साथ साथ यह अन्य चैनलों और उत्पादों को भी विकसित करना चाहती है जिससे यह लाभप्रदता और वृद्धि दर बढ़ाने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए। वित्त वर्ष 2019 में, कंपनी की बाजार रैंकिंग उद्योग में नंबर 13 और निजी कंपनियों के बीच नंबर 8 पर रही।

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों में भारत के प्रमुख घरेलू निवेश बैंकों में गिनती होती है। यह सहायक कंपनी सभी प्रकार की निवेश बैंकिंग और कॉरपोरेट परामर्शी सेवाएं दे रही है। इसके ग्राहक समूह में इन्फ्रास्ट्रक्चर, ईक्विटी कैपिटल मार्केट्स और डैट कैपिटल मार्केट्स के विभिन्न क्लाइंट शामिल हैं।

नई सोच - नए इरादों के साथ

दबाव वाले ऋणों के समाधान में एनपीए चक्र समाप्ति की ओर

आपके बैंक ने अपनी अंडरराइटिंग और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रणाली का परिष्कार किया है। इससे यह बदलते आर्थिक परिवेश की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा। देश में सबसे बड़ा बैंक होने के नाते हमारा मानना है कि हमें सुरक्षित जोखिम व्यवस्था के दायरे में रहकर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है।

"वर्ष 2019 में हमारी मुख्य प्राथमिकता, अपनी ऋण नीतियों का दृढ़ता के साथ अनुपालन करना है। इससे हम अपने सभी कारोबारी जोखिमों का व्यवस्थित ढंग से आकलन, मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण कर पाएंगे।"

पिछले कुछ वर्षों में, हमने बैंकिंग उद्योग के भीतर सकल एनपीए (GNPA) में बड़े पैमाने पर वृद्धि देखी है। हालांकि, समीक्षाधीन वित्त वर्ष की पहली छमाही में, भारतीय अर्थव्यवस्था में जोरदार आर्थिक वृद्धि के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों SCBs के सकल एनपीए GNPA में गिरावट आई; विमुद्रीकरण के अल्पकालिक प्रभावों के बाद नई करेंसी सुस्थापित हो गई; जीएसटी का ठीक से कार्यान्वयन हुआ; सम्यक तत्परता बरतने की अचूक व्यवस्था लागू की गई, ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी प्रणाली आदि भी सुस्थापित हो पाई।

वित्त वर्ष 2019 में स्लिपेज रेशो 1.60% के साथ बेहतर हुई (वर्षानुवर्ष 325 आधार अंक की कमी आई) और क्रेडिट कॉस्ट 2.66% के साथ बेहतर हुई (वर्षानुवर्ष 96 आधार अंक की कमी आई)। आपके बैंक की प्रोविजन कवरेज रेशो (पीसीआर) मार्च 2018 के स्तर 66.17% से वर्षानुवर्ष 1256 आधार अंकों की भारी भरकम वृद्धि के साथ मार्च 2019 में 78.73% पर पहुंच गई।

आपके बैंक में, भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार एनसीएलटी में दायर पहली और दूसरी सूची के खातों में से बड़े खातों का अब समाधान हो चुका है। इनमें कुछ अभी भी शेष हैं और इनका भी समाधान होने की उम्मीद है। इससे हमें आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों में वसूल धन का निवेश करने और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने में मदद मिली है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने एक स्ट्रेस्ड असेट्स मैनेजमेंट वर्टिकल (एसएएमवी) के गठन का निर्देश दिया है। हमें गर्व है कि लगभग डेढ़ दशक पहले हमने इसके लिए एक समर्पित वर्टिकल स्ट्रेस्ड असेट्स मैनेजडमेंट ग्रुप (एसएएमजी) की स्थापना की। स्ट्रेस्ड खातों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, एसएएमजी को स्ट्रेस्ड असेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप (एसएआरजी) के रूप में नामित किया गया है, जो कि उच्च मूल्य वाले एनपीए के कारगर रेज़ोल्यूशन के लिए एक विशेष वर्टिकल के रूप में निरंतर कार्य कर रहा है। एसएआरजी द्वारा एनपीए रेज़ोल्यूशन और वसूली का बहुत महत्व है, क्योंकि इसका असर सीधे आपके बैंक के प्रदर्शन पर पड़ता है। अब, एसएआरजी एनपीए और स्ट्रेस्ड असेट्स के समाधान का एक उत्कृष्ट केंद्र बन चुका है। 31 मार्च, 2019 को एसएआरजी की देश भर में 20 स्ट्रेस्ड असेट्स मैनेजमेंट ब्रांचिज (एसएएमबी) और 56 स्ट्रेस्ड असेट्स रिकवरी ब्रांचिज (एसएआरबी) थीं, जो आपके बैंक की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और वसूली अधीन अग्रिम खाता (एयूसीए) के 70.62% और 83.71% समाधान का काम देखती हैं। आज, एसएआरजी आपके बैंक में सबसे महत्वपूर्ण वर्टिकल में से एक है।

आज, एसएआरजी आपके बैंक के भीतर एक महत्वपूर्ण वर्टिकल है। आईबीसी के लागू होने, और बड़ी संख्या में मामले इसे संदर्भित किए जाने एवं उनका समाधान काफी आगे बढ़ चुके होने को देखते हुए तथा एनपीए में पार्क किए गए पैसे के पुनर्निवेश व बैंक की लाभप्रदता में प्रोविजन प्रतिलेखन के बड़े हिस्से से तुलन-पत्र मजबूत होने के साथ-साथ पूंजी अनुपात भी काफी बढ़ने की संभावना है।

आपके बैंक में, हम मानते हैं कि हमारी कारगर क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रणाली हमें गुणवत्तापूर्ण खातों में वृद्धि करने और शेयरधारकों को सम्मानजनक रिटर्न प्राप्त करने में मदद करेगी। हमने बैंकिंग प्रणाली को कारगर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में लगातार काम किया है जिससे यह अग्रसर और आकांक्षाशील भारत को बेहतर ढंग से सेवा दे सके।

76 एसएआरजी के अधीन शाखाएं

70.62% एनपीए का समाधान

एसएआरजी समूह का कुल कारोबार

2,36,687 करोड़

नई सोच - नए इरादों के साथ

कॉरपोरेट बैंकिंग बिजनेस नई सोच के साथ, जिसमें कम ऋण जोखिम वाले कारोबार पर फोकस

आपका बैंक कॉरपोरेट इंडिया का एक मूल्यवान भागीदार है। हम अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग रिलेशनशिप टीम नेटवर्क के माध्यम से उन्हें व्यापक बैंकिंग समाधान देते हैं। इसके साथ साथ हम उन्हें उनके ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञता भी प्रदान करते हैं।

"आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग व्यवसाय का यह वर्ष एक और सफल वर्ष रहा है, जिसमें अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स और गुणवत्तापूर्ण कारोबार पर फोकस करके इसमें अपनी अंशधारिता बढ़ाई गई है और बेहतर प्रतिमान भी लागू किए गए हैं।"

हमारे थोक बैंकिंग व्यवसाय का फोकस कॉरपोरेट ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय समाधान और सेवाएं देना है। इस समूह में कई टीमें काम करती हैं जो ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर फोकस करती हैं। इससे उन्हें हमारी विशेषज्ञता का लाभ मिल पाता है। हमारे अन्य ग्राहकों को उपलब्ध उत्पादों की उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पेशकश भी की जाती हैं।

बदलते बैंकिंग परिदृश्य के अनुरूप, हमने अपनी कॉरपोरेट बैंकिंग संरचना और ऋण वितरण प्रक्रिया में नए प्रतिमान लागू किए हैं। इससे कॉरपोरेट अकाउंट्स ग्रुप (सीएजी) द्वारा टॉप रेटिंग वाले खातों अकाउंट्स) की देखरेख की जाती है, जबकि अन्य कॉरपोरेट अकाउंट्स की कॉरपोरेट क्लाइंट्स ग्रुप (सीसीजी) वर्टिकल द्वारा देखरेख की जाती है। क्रेडिट संबंधों के अलावा, हम अपने नए स्थापित क्रेडिट लाइट ग्रुप (सीएलजी) के माध्यम से अन्य क्रेडिट लाइट सेक्टर, जैसे कि फार्मास्युटिकल, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के गैर ब्याज आय के साथ साथ कम लागत वाली

जमाराशियों के कार्य को देख रहे हैं। सीएजी का लक्ष्य फंड-आधारित, गैर-फंड-आधारित और शुल्क-आधारित गैर-क्रेडिट उत्पादों में पैठ बढ़ाकर अपने कॉरपोरेट संबंधों को बढ़ाना है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए, सीएजी में ग्राहकों को गैर-फंड आधारित उत्पादों वाले कुल बकाया ऋण ₹4,06,645 करोड़ और ₹1,75,185 करोड़ थे। इसके अलावा, सीएजी सरकार की विकास योजनाओं में सहायक और सह-भागीदार रहा है जैसे कि सड़क और बंदरगाहों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग करता है, पूरे भारत में कनेक्टिविटी में सुधार करना और व्यापार सुविधा में भी योगदान करता है; मार्च 2019 तक सभी घरों को बिजली प्रदान करने की सरकार की सौभाग्य योजना के अनुरूप बिजली; संवहनीयता के लिए पवन ऊर्जा, छत पर सौर ऊर्जा और पनबिजली परियोजनाओं सहित अक्षय ऊर्जा और विभिन्न ईपीसी परियोजनाएं (सरकारी परियोजनाओं में सहयोग करने के लिए), जिसका उद्देश्य संवहनीय विकास के माध्यम से देश को अग्रसर भारत में बदलना है। बैंक अन्य चुनिंदा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे एअरपोर्ट और मेट्रो रेल के लिए पैसा उपलब्ध कराने में भी सक्रिय है।

हमारी कार्यनीति निवेश ग्रेड कंपनियों और जारीकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी टेलरमेड खाता प्रबंधन योजनाओं के साथ हम इस वर्टिकल में उच्च विकास दर और बढ़ती हुई बाजार हिस्सेदारी की भी उम्मीद करते हैं।

बैंकिंग परिदृश्य बदल रहा है और टेक्नोलोजी ग्राहकों को अपने वित्तप्रदाताओं के साथ जुड़ने के तरीके में युगांतरकारी परिवर्तन ला रही है। हम अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को तकनीकी उत्पादों की पेशकश करते हैं और ग्राहक प्रबंधन के लिए एक परिपूर्ण ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) ऐप्लिकेशन का उपयोग करते हैं जो तेजी से बदलते ग्राहक-बैंक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में काफी उपयोगी है।

एसबीआई समूह संरचना
31 मार्च, 2019 को

गैर- बैंकिंग अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम

- 100% एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
  - एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.
  - एसबीआई कैप वेंचर्स लि.
  - एसबीआई कैप (यू के) लि.
  - एसबीआई कैप ट्रस्टीज कंपनी लि.
  - एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.
- 69.04% एसबीआई डीएफएचआई लि.
- 100% एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- 86.18% एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
- 60% एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
- 63% एसबीआई फंड्स मैनेजमैंट प्रा. लि.
  - एसबीआई फंडस मैनेजमैंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि .
- 74% एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
- 62.04% एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
- 65% एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.
- 74% एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
- 70% एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि .
- 49% सी-एज टेक्नोलोजीज लि.
- 45% मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
  - मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
- 45% एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
- 45% एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
- 50% ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्ट्मेंट फंड मैनेजमैंट कंपनी प्रा. लि
- 50% ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- 99.72% एसबीआई फाउंडेशन
- 100% एसबीआई इंफ्रा मैनेजमैंट सॉलूशन्स प्रा. लि.
- 30% जियो पेमेंट्स बैंक लि.
- 74% एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम / निवेश

- 100% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलिफोर्निया)
- 100% एसबीआई कनाडा बैंक
- 100% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
- 60% सीआईबीएल - मास्को
- 99% बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
- 55.37% नेपाल एसबीआई बैंक लि.
  - नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लि.
- 100% बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.
- 20% बैंक ऑफ भूटान लि.
- 96.60% एसबीआई माँरिशस लि.
- 8.86% स्टर्लिंग बैंक पीएलसी
- 19.50% कुकुज परियोजना विकास कंपनी

विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगी

- 99.99% एसबीआई सर्विकोस लिमिटाडा, ब्राज़ील

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-2019
देयताएं										
पूंजी (करोड़ ₹)	635	635	671	684	747	747	776	797	892	892
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष (करोड़ ₹)	65,314	64,351	83,280	98,200	1,17,536	1,27,692	1,43,498	187,489	2,18,236	2,20,021
जमाराशियां (करोड़ ₹)	8,04,116	9,33,933	10,43,647	12,02,740	13,94,409	15,76,793	17,30,722	20,44,751	27,06,344	29,11,386
उधारियां (करोड़ ₹)	1,03,012	1,19,569	1,27,006	1,69,183	1,83,131	2,05,150	3,23,345	3,17,694	3,62,142	4,03,017
अन्य (करोड़ ₹)	80,337	1,05,248	80,915	95,404	96,927	1,37,698	1,59,276	1,55,235	1,67,138	1,45,597
कुल (करोड़ ₹)	10,53,414	12,23,736	13,35,519	15,66,211	17,92,748	20,48,080	23,57,617	27,05,966	34,54,752	36,80,914
आस्तियां										
निवेश (करोड़ ₹)	2,85,790	2,95,601	3,12,198	3,50,878	3,98,800	4,81,759	5,75,652	7,65,990	10,60,987	9,67,022
अग्रिम (करोड़ ₹)	6,31,914	7,56,719	8,67,579	10,45,617	12,09,829	13,00,026	14,63,700	15,71,078	19,34,880	21,85,877
अन्य आस्तियां (करोड़ ₹)	1,35,710	1,71,416	1,55,742	1,69,716	1,84,119	2,66,295	3,18,265	3,68,898	4,58,885	5,28,015
कुल (करोड़ ₹)	10,53,414	12,23,736	13,35,519	15,66,211	17,92,748	20,48,080	23,57,617	27,05,966	34,54,752	36,80,914
निवल ब्याज आय (करोड़ ₹)	23,671	32,526	43,291	44,329	49,282	55,015	57,195	61,860	74,854	88,349
एनपीए के लिए प्रावधान (करोड़ ₹)	5,148	8,792	11,546	11,368	14,224	17,908	26,984	32,247	70,680	54,529
परिचालन परिणाम (करोड़ ₹)	18,321	25,336	31,574	31,082	32,109	39,537	43,258	50,848	59,511	55,436
कर-पूर्व निवल लाभ (करोड़ ₹)	13,926	14,954	18,483	19,951	16,174	19,314	13,774	14,855	-15,528	1,607
निवल लाभ (करोड़ ₹)	9,166	8,265	11,707	14,105	10,891	13,102	9,951	10,484	-6,547	862
औसत आस्तियों से आय (%)	0.88	0.71	0.88	0.97	0.65	0.68	0.46	0.41	-0.19	0.02
ईक्विटी से आय (%)	14.04	12.84	14.36	15.94	10.49	11.17	7.74	7.25	-3.78	0.48
आय की तुलना में व्यय (%) (निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	52.59	47.6	45.23	48.51	52.67	49.04	49.13	47.75	50.18	55.70
प्रति कर्मचारी लाभ (000 ₹)	446	385	531	645	485	602	470	511	-243	33
प्रति शेयर आय (₹)	144.37	130.16	184.31	210.06	156.76	17.55	12.98	13.43	-7.67	0.97
प्रति शेयर लाभांश (₹)	30	30	35	41.5	30	3.5	2.60	2.60	निरंक	Nil
एसबीआई शेयर (एनएसई में मूल्य) (₹)	2,078.20	2,765.30	2,096.35	2,072.75	1,917.70	267.05	194.25	293.40	249.90	320.75
लाभांश भुगतान अनुपात %(₹)	20.78	23.05	20.06	20.12	20.56	20.21	20.28	20.11	लागू नहीं	NA
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)										
बासेल-II (₹करोड़ में)	90,975	98,530	1,16,325	1,29,362	1,45,845	1,54,491	1,81,800	2,06,685	2,34,056	2,41,073
बासेल-II (%)	13.39	11.98	13.86	12.92	12.96	12.79	13.94	13.56	12.74	12.85
टियर I (₹करोड़ में)	64,177	63,901	82,125	94,947	1,12,333	1,22,025	1,35,757	1,56,506	1,84,146	1,94,655
टियर I (%)	9.45	7.77	9.79	9.49	9.98	10.1	10.41	10.27	10.02	10.38
टियर II (₹करोड़ में)	26,798	34,629	34,200	34,415	33,512	32,466	46,043	50,179	49,910	46,418
टियर II (%)	3.94	4.21	4.07	3.43	2.98	2.69	3.53	3.29	2.72	2.47
बासेल-III (₹करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,40,151	1,46,519	1,75,903	2,04,731	2,38,154	2,45,225
बासेल-III (%)					12.44	12	13.12	13.11	12.60	12.72
टियर I (₹करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,09,547	1,17,157	1,33,035	1,61,644	1,95,820	2,05,238
टियर I (%)					9.72	9.6	9.92	10.35	10.36	10.65
टियर II (₹करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	30,604	29,362	42,868	43,087	42,334	39,987
टियर II (%)					2.72	2.4	3.20	2.76	2.24	2.07
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	1.72	1.63	1.82	2.1	2.57	2.12	3.81	3.71	5.73	3.01
देश में शाखाओं की संख्या	12,496	13,542	14,097	14,816	15,869	16,333	16,784	17,170	22,414	22,010
विदेश-स्थित शाखाओं/कार्यालयों की संख्या	142	156	173	186	190	191	198	195	206	208

* 22 नवंबर 2014 से बैंक के शेयर के अंकित मूल्य को ₹1 प्रति शेयर किया गया। वर्ष 2014-15 से आँकड़े ₹1 और शेष पिछले वर्ष के लिए ₹10 प्रति शेयर के अनुसार हैं।

रेटिंग्स

31 मार्च 2019 को

	रेटिंग	रेटिंग एजेंसी
बैंक रेटिंग	बीएए 2/पी-2/स्टेबल बीबीबी-/ स्टेबल/ए-3 बीबीबी-/एफ़ 3/ स्टेबल	मूडीस एस एण्ड पी फिच
	₹ मूल्यवर्ग में लिखत	
नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत	'एएए/ स्टेबल' "केयर एएए / स्टेबल"	क्रिसिल केयर
उच्चतर टियर II गौण ऋण	'एएए/ स्टेबल' "केयर एएए / स्टेबल"	क्रिसिल केयर
निम्नतर टियर II गौण ऋण	'एएए/ स्टेबल' "केयर एएए/ स्टेबल" '(आईसीआरए) एएए (स्टेबल)'	क्रिसिल केयर आईसीआरए
बेसल III टियर II ऋण	'एएए/ स्टेबल' "केयर एएए/ स्टेबल" '(आईसीआरए) एएए (एचवाईबी) (स्टेबल)'	क्रिसिल केयर आईसीआरए
बेसल III एटी 1 बेमियादी ऋण	'एए +/स्टेबल' "केयर एए+ / स्टेबल" '(आईसीआरए) एएए (एचवाईबी) (स्टेबल)'	क्रिसिल केयर आईसीआरए

केयर : क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड
आईसीआरए : आईसीआरए लिमिटेड
क्रिसिल : क्रिसिल लिमिटेड
एस एंड पी : स्टेंडर्ड एण्ड पुअर

केंद्रीय निदेशक बोर्ड

31 मार्च 2019 को

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

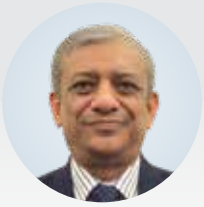

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक

श्रीमती अंशुला कान्त
प्रबंध निदेशक

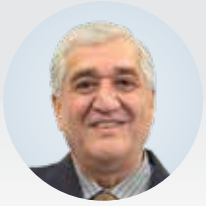

श्री संजीव मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

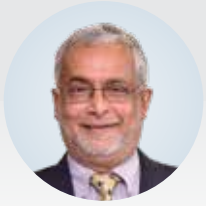

श्री भास्कर प्रामाणिक
शेयरधारक निदेशक

श्री बसंत सेठ
शेयरधारक निदेशक

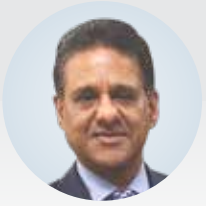

श्री बी वेणुगोपाल
शेयरधारक निदेशक

डॉ. गिरीश के. आहूजा
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. पुष्पेंद्र रॉय
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजीव कुमार
सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री चंदन सिन्हा
अपर निदेशक, सीएएफआरएएल
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

अध्यक्ष
श्री रजनीश कुमार

प्रबंध निदेशक
श्री पी. के. गुप्ता
श्री दिनेश कुमार खारा
श्री अरिजित बसु
श्रीमती अंशुला कान्त

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री भास्कर प्रामाणिक
श्री बसंत सेठ
श्री बी वेणुगोपाल

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(घ) के अंतर्गत निदेशक
डॉ. गिरीश के. आहूजा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ङ) के अंतर्गत निदेशक
श्री राजीव कुमार

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत निदेशक
श्री चंदन सिन्हा

बोर्ड की समितियां
(31 मार्च 2019 को)

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)
अध्यक्ष, **श्री रजनीश कुमार**

प्रबंध निदेशक
श्री पी. के. गुप्ता , श्री दिनेश कुमार खारा,
श्री अरिजित बसु एवं श्रीमती अंशुला कान्त

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती), अर्थात **श्री चन्दन सिन्हा और सभी या अन्य कोई निदेशक जो सामान्यत**: भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी या बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित रहे।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी)
डॉ गिरीश के. आहूजा, स्वतंत्र निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री राजीव कुमार, भारत सरकार के नामित निदेशक-सदस्य
श्री चन्दन सिन्हा, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक-सदस्य
श्री पी. के. गुप्ता , प्रबंध निदेशक-आर एंड डीबी-सदस्य (पदेन)
श्रीमती अंशुला कान्त, प्रबंध निदेशक-एसएआरसी-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-समिति के अध्यक्ष
डॉ. पुष्पेंद्र राय, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री पी. के. गुप्ता , प्रबंध निदेशक-आर एंड डीबी-सदस्य (पदेन)
श्रीमती अंशुला कान्त, प्रबंध निदेशक-एसएआरसी-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक-सीसीजी एंड आईटी-सदस्य (पदेन)
श्रीमती अंशुला कान्त, प्रबंध निदेशक-एसएआरसी-सदस्य (पदेन)

बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य-समिति के अध्यक्ष
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. गिरीश के. आहूजा- स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री बी. वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र राय, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-आर एंड डीबी-सदस्य (पदेन)
श्रीमती अंशुला कान्त, प्रबंध निदेशक-एसएआरसी-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)
डॉ. पुष्पेंद्र राय, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. गिरीश के. आहूजा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री पी. के. गुप्ता , प्रबंध निदेशक-आर एंड डीबी-सदस्य (पदेन)
श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक-सीसीजी एंड आईटी-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
डॉ. पुष्पेंद्र राय, स्वतंत्र निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. गिरीश के. आहूजा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-आर एंड डीबी-सदस्य (पदेन)
श्रीमती अंशुला कान्त, प्रबंध निदेशक-एसएआरसी-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)
श्री राजीव कुमार, भारत सरकार के नामिती निदेशक-सदस्य (पदेन)
श्री चन्दन सिन्हा, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक-सदस्य (पदेन)
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. गिरीश के. आहूजा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

बोर्ड की नामांकन समिति
डॉ. गिरीश के. आहूजा, स्वतंत्र निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र राय, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति (बीसीएमआर)
श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-आर एंड डीबी-सदस्य (पदेन)
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक-जीबीएंडएस-सदस्य (पदेन)
श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक-सीसीजी एंड आईटी-सदस्य (पदेन)
श्रीमती अंशुला कान्त, प्रबंध निदेशक-एसएआरसी-सदस्य (पदेन)
श्री राजीव कुमार, भारत सरकार के नामिती निदेशक-सदस्य

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर)
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-आर एंड डीबी-समिति के अध्यक्ष
श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक-जीबी एंड एस-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र राय, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री भास्कर प्रामाणिक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बसंत सेठ, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों की पहचान हेतु समीक्षा समिति
श्रीमती अंशुला कान्त, प्रबंध निदेशक-एसएआरसी-सदस्य (पदेन)
बैंक के अन्य दो स्वतंत्र निदेशक

केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य
दिनांक 31 मार्च 2019 को

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं सब्सिडरीज)

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(वाणिज्यिक ग्राहक समूह एवं सू. प्रौ.)

श्रीमती अंशुला कान्त
प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्ति, जोखिम एवं अनुपालन)

श्री सी. वेंकट नागेश्वर
उप प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्रीमती अनुराधा राव
उप प्रबंध निदेशक
कार्यनीति एवं मुख्य डिजिटल अधिकारी

श्री बी. सी. दास
उप प्रबंध निदेशक
(आंतरिक लेखापरीक्षा)

श्री प्रशान्त कुमार
उप प्रबंध निदेशक एवं सीएफओ
साथ में उप्रनि (मानव संसाधन) एवं
कॉरपोरेट विकास अधिकारी का
अतिरिक्त कार्यभार भी

श्री के. वी हरिदास
उप प्रबंध निदेशक
(रिटेल व्यवसाय)

श्री अनिल किशोरा
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य जोखिम अधिकारी

श्री बी. रमेश बाबू
उप प्रबंध निदेशक
(मुख्य परिचालन अधिकारी)

श्री पी.एन. प्रसाद
उप प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह-I)
साथ में उप्रनि (वाणिज्यिक ग्राहक समूह-II)
का अतिरिक्त कार्यभार भी

श्री एस. के. वर्मा
उप प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट लेखा समूह)

श्री डी. ए. ताम्बे
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य सूचना अधिकारी

श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
उप प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य ऋण अधिकारी .

श्री सी. एस. सेट्टी
उप प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21 (1) (क) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नामित स्थानीय बोर्डों के सदस्य, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग) से भिन्न

31.03.2019 को

अहमदाबाद
श्री दुखबंधु रथ
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

अमरावती
श्री मनि पल्वेसन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बेंगलूरु
श्री अभिजित मजूमदार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भोपाल
श्री राजेश कुमार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भुवनेश्वर
श्रीमती प्रवीणा काला
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चंडीगढ़
श्री राणा आशुतोष सिंह
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चेन्नई
श्री विनय एम टोंसे
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

गुवाहाटी
श्री सुनील कुमार टंडन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

हैदराबाद
श्री स्वामीनाथन जे.
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

जयपुर
श्री विजय रंजन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

कोलकाता
श्री रंजन कुमार मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

लखनऊ
श्रीमती सलोनी नारायण
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री बसंत सेठ*

मुंबई
श्री अजय कुमार व्यास
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन),
श्री संजीव मल्होत्रा*,
श्री बी. वेणुगोपाल

नई दिल्ली
श्री आलोक कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री भास्कर प्रामाणिक*
डॉ. गिरीश के आहूजा*
डॉ. पुष्पेंद्र राय*
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता*

पटना
श्री संदीप तिवारी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

तिरुवनंतपुरम
श्री एस. वेंकटरामन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

*भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21 (1) (ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक

बैंक के लेखा-परीक्षक

मेसर्स जे सी भल्ला एंड कं.
नई दिल्ली

मेसर्स राव एंड कुमार
विशाखापटनम

मेसर्स ब्रहम्य्या एंड कं.
चेन्नई

मेसर्स चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी
मुंबई

मेसर्स एस के मित्तल एंड कं.
नई दिल्ली

मेसर्स रे एंड रे
कोलकाता

मेसर्स ओ पी तोतला एंड कं.
इंदौर

मेसर्स एन सी राजगोपाल एंड कं.
चेन्नई

मेसर्स के वेंकटाचलम अय्यर एंड कं.
कोच्चि

मेसर्स एस के कपूर एंड कं.
कानपुर

मेसर्स करनावट एंड कं.
मुंबई

मेसर्स जी पी अग्रवाल एंड कं.
कोलकाता

मेसर्स डे चक्रवर्ती एंड सेन
कोलकाता

मेसर्स कलनी एंड कं.
जयपुर

अध्यक्ष का संदेश

हमारी नई सोच और नई कार्यनीति में इन पांच क्षेत्रों पर अधिकाधिक ध्यान रहेगा: ग्राहक सेवा, कॉरपोरेट ऋण सुधार, बैंकिंग कारोबार का डिजिटलीकरण, सहयोगियों और मानव संसाधन के बीच बेहतर तालमेल।

प्रिय शेयरधारको,

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक के प्रदर्शन के उल्लेखनीय तथ्य मैं सहर्ष आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके बैंक द्वारा की गई पहलों तथा उपलब्धियों का विवरण संलग्न वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 में उपलब्ध है।

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2017 में गति पकड़ने के पश्चात, वर्ष 2018 में विश्व की वृद्धि दर मामूली सी कम होकर 3.6% पर आ गई। विकसित और उभर रहे दोनों बाजारों में वृद्धि दर धीमी रही। अमेरिकी डॉलर 1.5 ट्रिलियन कर कटौतियों और सरकार द्वारा अपने खर्च में वृद्धि के रूप में वित्तीय समर्थन से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ी। फिर भी, अमेरिका की बचाववादी नीतियों, ब्रेक्सिट की अनिश्चितता तथा यूरो ज़ोन, जापान यूके, कनाडा सहित अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की धीमी हो रही जीडीपी की वृद्धि ने वृद्धि दर को और अधिक धीमा कर दिया है। इस बीच चीन की जीडीपी की वृद्धि में निरंतर सुस्ती भी विकासशील देशों की समग्र वृद्धि दर को और नीचे ले आई है।

वित्तीय बाजारों में भी वर्ष 2018 में पहले से अधिक उतार चढ़ाव देखा गया। तेल की कीमतें भी वर्ष भर घटती बढ़ती रही। फिर भी, ओपेक देशों द्वारा तेल की आपूर्ति में कटौती और अमेरिका द्वारा वेनजुएला और ईरान के तेल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अब वृद्धि का रुझान दिखाई दे रहा है। फेड रिजर्व द्वारा अपने रुख में कुछ नरमी लाए जाने के कारण जो वित्तीय उथल पुथल कुछ हल्की हुई थी वह अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने के चलते हाल ही में फिर से तेज हो गई। आगे वर्ष 2019 में विश्व की आर्थिक वृद्धि दर घटकर लगभग 3% के आसपास रहने की संभावना है।

इस पृष्ठभूमि में भी, भारत में वृद्धि दर के बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ढांचागत परिवर्तनों जैसे आईबीसी और जीएसटी के सुस्थापित होने से उम्मीद है कि आर्थिक कार्यकलाप को गति मिलेगी। कम मुद्रास्फीति, नरम मुद्रा नीति, सरकार द्वारा किसानों को आमदनी में मदद से देश के आर्थिक कार्यकलाप को बल मिलने की संभावना है। फिर भी, अमेरिका और चीन के बीच लंबे व्यापार युद्ध और तेल की कीमतों में वृद्धि विकास की गति में सबसे बड़े जोखिम हैं।

आपके बैंक का प्रदर्शन

जमाराशियों में वृद्धि

वित्त वर्ष 2019 में, आपके बैंक की कुल जमाराशियां 7.58% बढ़कर ₹29,11,386 करोड़ पर पहुंच गईं जो पिछले वर्ष ₹27,06,343 करोड़ थीं। देशीय जमराशियों में 8.27% की वृद्धि हुई जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड सब्सिडरी के गठन और बैंक के मौजूदा कारोबार उसे ट्रांस्फर किए जाने के कारण विदेशी कार्यालयों की जमाराशियों में 9.17% का संकुचन हुआ। देशीय जमाराशियों में वृद्धि मुख्यतया कासा जमाराशियों में अच्छी बढ़ोतरी होने के कारण हुई, जिनकी वृद्धि दर 8.42% रही। बैंक के समग्र कासा अनुपात में भी और वृद्धि हुई और यह वित्त वर्ष 18 के स्तर 45.68% से बढ़कर वित्त वर्ष 19 में 45.74% पर पहुंच गई।

ऋण वृद्धि

पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत सुस्त ऋण वृद्धि के पश्चात बैंकिंग उद्योग की ऋण वृद्धि ने वित्त वर्ष 19 में गति पकड़ी। यह तेजी काफी हद तक सरकारी निवेश के कारण कॉरपोरेट सेक्टर को ऋणों में जोरदार सुधार होने तथा पर्सनल लोन बिजनेस सेग्मेंट्स में निरंतर मांग बने रहने के चलते आई। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की दो अंकों में हुई ऋण वृद्धि के अनुरूप आपके बैंक के देशीय अग्रिमों में 13.99% की वृद्धि हुई और ये ₹19,90,746 करोड़ पर जबकि विदेशी कार्यालयों के अग्रिम 0.23% बढ़कर ₹3,02,708 करोड़ पर पहुंच गए। इसलिए आपके बैंक के सकल अग्रिमों में 11.96% की वृद्धि हुई और ये मार्च 19 में ₹22,93,454 करोड़ के स्तर पर पहुंच गए जो पिछले वर्ष ₹20,48,387 करोड़ थे। कॉरपोरेट्स को ऋणों में वित्त वर्ष 2019 में 14.83% की वृद्धि हुई और ये ₹8,51,638 करोड़ के हो गए। इन ऋणों में मुख्य हिस्सेदारी इन्फ्रास्ट्रक्चर (बिजली, सड़क व बंदरगाह) और सेवा क्षेत्र विशेषकर एनबीएफसी की रही। कॉरपोरेट और एनबीएफसी की ऋण वृद्धि अधिकतर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और भारत सरकार के उपक्रमों के कारण हुई।

कॉरपोरेट्स को ऋणों में सुधार होने से देश की लोन बुक में रिटेल सेग्मेंट (पर्सनल, एसएमई व कृषि) की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के स्तर 57.53% से मामूली सी गिरकर 57.22% पर आ गई। देश में अग्रिमों में अधिकांश वृद्धि होम लोन्स के साथ साथ पर्सनल रिटेल सेग्मेंट्स से हुई। कुल मिलाकर, पर्सनल लोन्स में वित्त वर्ष 2019 में 18.52% की अच्छी वृद्धि हुई, जो बैंक की इस सेग्मेंट में वृद्धि की रणनीति के अनुरूप है। रिटेल के भीतर भी, होम लोन्स और एक्सप्रेस क्रेडिट में वर्ष 2019 में क्रमशः 17.41% और 40.79% की अच्छी खासी वृद्धि हुई और इनकी राशि क्रमशः ₹4,00,377 करोड़ और ₹1,04,906 करोड़ पर पहुंच गई। एक्सप्रेस क्रेडिट में वृद्धि मुख्यतया हमारे योनो और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्मों के कारण हुई।

आपके बैंक का होम लोन्स पार्टफोलिओ अब पर्सनल लोन्स का लगभग 62% है। इसके अतिरिक्त, आपका बैंक बैंकिंग सेक्टर में निरंतर सबसे बड़ा होम लोन प्रदाता बना हुआ है और 31 मार्च 2019 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में इसका मार्केट शेयर 34.51% से ऊपर रहा।

निवेश

आपके बैंक का निवेश पोर्टफोलिओ वित्त वर्ष 19 में घटकर ₹9,78,124 करोड़ रह गया (देशीय पोर्टफोलिओ ₹9,26,651 करोड़ और विदेशी पोर्टफोलिओ ₹51,473 करोड़ था) जबकि कॉरपोरेट ऋणों में वृद्धि और बेहतर आस्ति देयता संरचना सुनिश्चित करने की उम्मीद में सावधि जमा दरों में आंशिक वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 18 में यह ₹10,73,097 करोड़ था।

ग्राहक सुविधा

सभी स्थितियों में ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधाओं का विकास और उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, बैंक द्वारा व्यापक टच प्वाइंट्स नेटवर्क तैयार किया गया। बैंक के 57,467 ऑपरेटिंग बीसी, 22,000 से अधिक शाखाएं और 58,415 एटीएम हैं जिनमें 7,658 ऑटोमेटिड डिपोजिट व विदड्राअल मशीनें (ADWMs) हैं। आपके बैंक के 36% से अधिक वित्तीय लेनदेन ATMs/ADWMs के माध्यम से होते हैं। औसतन प्रति दिन 1.4 करोड़ से अधिक लेनदेन आपके बैंक के ATM नेटवर्क के माध्यम से हो रहे हैं।

आपके बैंक ने विदेश में अपना पहला कदम (भारतीय बैंकों में पहला) जुलाई 1864 में बैंक ऑफ मद्रास की कोलंबो, श्रीलंका में अपनी शाखा खोल कर रखा था। 34 देशों में 208 कार्यालयों के माध्यम से सभी समय क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति के साथ भारतीय स्टेट बैंक लगातार सारे भूमंडल में अपने पंख फैलाकर आज भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग में सबसे आगे है। वित्त वर्ष 2019 के दौरान, आपके बैंक का प्रयास रहा है कि वह अपने विदेशी कारोबार को मजबूत और सशक्त बनाए। सार्क क्षेत्र में अपने विस्तार की कार्यनीति के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक की एक सब्सिडरी नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड के 10 कार्यालय खोले गए। इसके अलावा, यूके की 12 रिटेल शाखाएं आपके बैंक के यूके के कारोबार में से बाहर निकालकर विदेशी सब्सिडरी- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड स्थापित की गई है।

टेक्नोलोजी और नवोन्मेषन

ग्राहकों की बदलती पसंद के कारण निरंतर कई प्रकार के टेक्नोलोजी संचालित नवोन्मेषन आवश्यक हो गए थे। इनसे रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक के अनेक चैनल वाले सेवा मॉडल हैं जिनसे इसके ग्राहकों के लिए किसी भी समय और कहीं पर भी अपनी सुविधानुसार लेनदेन करना आसान हो गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में, आपके बैंक ने विभिन्न चैनलों - डिजिटल, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया में अपने अनेक उत्पाद उतारे हैं। शाखाओं, एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्रों पर तो ये हमेशा की तरह मुहैया कराए ही जाते हैं।

डिजिटल पेशकश **योनो** से ग्राहक सुविधा के क्षेत्र में बैंक द्वारा कम लागत पर अधिक कारगर सेवाओं और बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयास से युगातरकारी परिवर्तन होने की उम्मीद है। यह डिजिटल ऐप्लीकेशन पहुँच और मूल्य के कारण लगातार मजबूत होता जा रहा है। **योनो** विभिन्न प्रकार की बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं, लाइफस्टाइल जरूरतों को पूरा करता है और एक में सब चैनल के रूप में ग्राहकों को निरंतर विश्व स्तरीय अनुभव देता है। **योनो** से 2 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं और इसके लगभग 73.49 लाख रजिस्टर्ड प्रयोक्ता है। रोजाना 10 लाख से अधिक प्रयोक्ता लॉग इन करते हैं। लगभग 25,000 डिजिटल खाते प्रतिदिन खोले जाते हैं जो बैंक द्वारा खोले जा रहे पात्र सभी खातों के 75% से अधिक हैं और इनमें साधारण खातों से 30-40% अधिक राशि जमा रहती है।

मार्च 2019 में 29.67 करोड़ सक्रिय डेबिट कार्डों के साथ आपका बैंक देश में डेबिट कार्ड जारी करने में लगातार आगे बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने डेबिट कार्ड में बहुत सी नई सुविधाएं जैसे कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, भारत क्यू आर. सैमसंग पे, वीज़ा चेकआउट और पर्सनलाइज्ड इमेज डेबिट कार्ड "माई कार्ड" शुरू की हैं।

आपके बैंक द्वारा 2,200 से अधिक ई-कॉर्नर्स देश भर में स्थापित किए गए हैं जिनमें ग्राहक सभी प्रकार की सेवाए-एटीएम, एडीडब्ल्यएमू, स्वयम्, चेक डिपोजिट किओस्क और ऑनलाइन बैंकिंग किओस्क के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

एटीएम और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी बढ़ाई जा रही है। आपके बैंक द्वारा 31 मार्च 2019 को लगभग 13,000 एटीएम को ई-निगरानी में लाया गया है जबकि अगली 15,000 एटीएम साइट पर यह शीघ्र ही शुरू होने वाली है।

आपके बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2019 के दौरान लगभग 3,200 स्वयम् (बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग किओस्क) लगाई गईं। इसके साथ स्वयम् मशीनों की संख्या 17,400 हो गई है। आपके बैंक द्वारा "थ्रू द वाल" स्वयम् मशीनें भी लगाई गई हैं जिन पर ज्यादा समय के लिए प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन किओस्क पर हर महीने 3.45 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं।

सभी रिटेल शाखाओं में ग्रीन चैनल काउंटर (GCC) लगाए गए हैं जिन पर नकद पैसा निकालने, नकद पैसा जमा करने, भारतीय स्टेट बैंक के भीतर पैसा ट्रांस्फर करने, बैलेंस की जानकारी लेने और मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने जैसी सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। औसतन जीसीसी के माध्यम से प्रतिदिन 8.20 लाख लेनदेन हो रहे हैं।

आपका बैंक यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधारित ऐप उपलब्ध करा रहा है जिसका प्रयोग विभिन्न पेमेंट माध्यमों पर किया जा सकता है और इसमें विभिन्न बैंकों के खातों में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए), बैंक खाता संख्या+ आईएफएससी और क्यू आर कोड के स्कैन करके पैसा ट्रांस्फर किया जा सकता है। 553 लाख से अधिक प्रयोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और ये यूपीआई सेवाएं ले रहे हैं। एसबीआई यूपीआई चैनल के माध्यम से इस पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹2.96 लाख करोड़ से अधिक राशि के 129 करोड़ से अधिक लेनदेन प्रोसेस किए जा चुके हैं।

ग्राहक को ज्यादा सुविधा और बेहतर अनुभव देने के लिए 'ऑनलाइन एसबीआई' में कई नए फीचर्स और ऐड ऑन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर पिछले वर्ष लगभग ₹127.78 लाख करोड़ मूल्य से अधिक के 162 करोड़ से अधिक लेनदेन हो चुके हैं जो जबरदस्त बढ़ोतरी है। इससे हमारे उत्पादों और सेवाओं में ग्राहकों के बढ़ते विश्वास का पता चलता है।

एक नई सुविधा 'योनो-कैश' हमारे प्रतिष्ठित खातों के लिए उपलब्ध है जिसमें **योनो** ऐप का प्रयोग करके एटीएम के माध्यम से कार्ड-लेस कैश निकाला जा सकता है।

लाभप्रदता

वित्त वर्ष 2019 ने नकारात्मक रुझान को पलट दिया और यह असेट क्वालिटी में व्यापक सुधारों, प्रावधान कवरेज में सुधार, एनआईएम में सुधार, अग्रिमों से प्रतिलाभ में सुधार का वर्ष रहा। जमाराशियों की लागत में कमी तथा समग्र उपरिखर्चों के मामले में पिछले वर्षों की तुलना में बड़े सुधार हुए। बैंक का लाभ पहले से काफी अधिक हुआ पर प्रावधानों, सरकारी प्रतिभूतियों में बाजारगत हानियों के कारण व्यापार आय तथा पेन्शन एवं कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान की बड़ी राशि के कारण गिरावट दर्ज की गई।

बैंक की शुद्ध आय ₹88,349 करोड़ रही और इसमें 18.03% की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि रिटेल ऋणों, कॉरपोरेट ऋणों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके, ऋणों के नीचे की श्रेणी में आने पर नियंत्रण करके ब्याज आय में अच्छी वृद्धि के साथ साथ कासा जमाराशियों में वृद्धि होने से दिए जाने वाले ब्याज को नियंत्रित किए जाने के कारण हुई। बैंक को ₹55,436 करोड़ का परिचालन लाभ हुआ। बैंक द्वारा ₹862 करोड़ का एकल लाभ और पूरे समूह को ₹2,300 करोड़ का लाभ हुआ।

वर्ष के दौरान, कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता, यूएस डॉलर में घट-बढ़, यूएस और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और अन्य भू-राजनीतिक जोखिम के कारण देशीय बॉण्ड प्रतिफलों में उतार-चढ़ाव आता रहा जिस कारण वर्ष के दौरान यह अधिकतर सुर्खियों में बना रहा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में देश में ब्याज दरें अपेक्षाकृत ऊंची रहने के कारण भी सरकारी प्रतिभूतियों में तेजी बढ़ी। इन सभी कारणों से व्यापार आय और गैर ब्याज आय प्रभावित होने से अंततः एमटीएम हानियाँ हुईं। तथापि, बट्टे खाते डाले गए ऋणों में वसूली होने के कारण 57% की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई और वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बेहतर वसूलियों के चलते इस रुझान के जारी रहने की उम्मीद है।

जहाँ तक खर्च का संबंध है बैंक उपरिखर्चों को नियंत्रित करने में अत्यंत जागरूक रहा और बैंक की शाखाओं और कार्यालयों में भी इसके प्रति जोरदार जागरूकता विकसित की गई। लागत इष्टतमकरण के उपायों के जारी रहने के चलते उपरिखर्चों में वृद्धि को 7% के नीचे रखा जा सका। स्टाफ खर्च एक अन्य बड़ा खाता शीर्ष है जिसमें वित्त वर्ष 19 के दौरान 23.74% वृद्धि दर्ज की गई जो मुख्यतया कर्मचारियों के लिए पहले से अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई।

एसेट क्वालिटी

वित्त वर्ष 18 में स्ट्रेस्ड असेट्स में वृद्धि के कारण प्रावधानों में भी तेजी से वृद्धि किए जाने के कारण बैंक की लाभप्रदता ऋणात्मक हो गई थी। तथापि, वित्त वर्ष 19 में स्ट्रेस्ड असेट्स की वसूली के लिए अथक प्रयास किए गए और सख्त निगरानी रखी गई। इससे मार्च 2019 में बैंक का सकल एनपीए का औसत गिरकर 7.53% पर आ गया जो पिछले वर्ष 10.91% था। बैंक के शुद्ध एनपीए मार्च 2019 में 272 आधार अंक गिरकर 3.01% रह गए।

वित्त वर्ष 19 में दबाव वाले खातों में वसूली के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने के कारण नए दबाव वाले खाते न बन पाएं इसके लिए सख्त निगरानी रखकर इनमें पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में 65.5% की कमी लाई गई और इनकी राशि ₹32,738 करोड़ पर नियंत्रित रखी गई। वित्त वर्ष 19 के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले दुगुनी वसूलियाँ की गईं जिस कारण इनकी राशि मार्च 2019 में ₹14,530 करोड़ से बढ़कर ₹31,512 करोड़ पर पहुंच गईं। एनपीए के अनुपात में सभी सेग्मेंट में कमी लाए जाने की मुहीम के चलते कॉरपोरेट सेग्मेंट में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गईं। कॉरपोरेट सेग्मेंट में एनपीए का स्तर वित्त वर्ष 18 में 21.92% था जिसमें कमी लाए जाने के जोरदार प्रयास किए जाने से ये वित्त वर्ष 19 में 13.62% के स्तर पर आ गए।

उतार-चढ़ाव के बावजूद, एनसीएलटी मार्ग से स्ट्रेस्ड खातों में औसत वसूली दर 60% के ऊपर रही।

पूँजी संरचना

वित्त वर्ष के दौरान बैंक की पूँजी संरचना में सुधार हुआ। यह सुधार बेहतर योजना बनाने और अतिरिक्त टियरः I के साथ साथ टियरः II पूँजी आंतरिक संसाधन जुटाने, ट्रेडिंग और बैंकिंग बहियों में कम जोखिम सुनिश्चित करने से हुआ। तदनुसार, बैंक की सकल अग्रिम औसत में ऋण जोखिम भारित असेट्स की औसत मार्च 2019 में गिरकर 56.60% पर आ गई जो पिछले वर्ष 60.66% थी। कुल असेट औसत में कुल जोखिम भारित असेट्स यानी RWA 2.34% गिरकर मार्च 2019 में 52.37% रह गई। एएफएस पोर्टफोलिओ की संशोधित अवधि भी पूँजी संरक्षण में बढ़ते जोखिम के अनुरूप घटकर 2.62 वर्ष रह गई।

बैंक द्वारा वित्त वर्ष 19 में ₹7,317 करोड़ राशि के AT1 बॉण्ड जारी किए गए। इन आंतरिक समायोजनों के अतिरिक्त, बैंक द्वारा ₹4,116 करोड़ के और Tier II बॉण्ड भी जारी किए गए।

उपर्युक्त प्रयासों का मिलाजुला असर यह हुआ कि बैंक की पूँजी पर्याप्तता की स्थिति में समग्र सुधार हुआ और यह पिछले वर्ष के मार्च के स्तर 12.60% से बढ़कर मार्च 2019 में 12.72% पर आ गई। टियर I पूँजी और AT1 पूँजी अनुपात संयुक्त रूप से 29 आधार अंक बढ़कर 10.65% पर पहुँच गया। संतोषजनक वसूली और नए एनपीए के मामलों में कमी आने, आंतरिक उपचयों से वित्त वर्ष 20 के दौरान सामान्य ऋण वृद्धि को बल मिलेगा। तथापि, बैंक के पास यह विकल्प बना हुआ है कि आशातीत ऋण वृद्धि और जोखिम सहन करने की क्षमता से अधिक वृद्धि के लिए सही अवसर पर पूँजी जुटाकर अपने पूँजी आधार को और मजबूत कर ले।

रणनीतिक पहल

वित्त वर्ष 19 के दौरान, आपके बैंक द्वारा बैंक के प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ रणनीतिक पहल भी की गईं। कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार हैं:

- आपके बैंक द्वारा सामूहिक संवाद कार्यक्रम नई दिशा का पहला चरण शुरू करना, जिससे बैंक में सभी कर्मचारियों में ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण को और बल मिले। बैंक द्वारा ग्राहक संतुष्टि आकलन व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है जिसके तहत 'ग्राहक सेवा सूचकांक' का पुनर्निर्धारण किया गया है जिसमें महत्वपूर्ण मापदंडों को अधिक महत्व दिया गया है।
- कॉरपोरेट ऋण संरचना व प्रणालियों में सुधार लाने के लिए बैंक द्वारा मूल्यांकन/मंजूरी प्रक्रिया के अलावा ऋण जोखिम आकलन और ऋण जोखिम समीक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। ऋण जोखिम कार्य के लिए सेक्टर विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है और इस कार्य में बेहतर तत्परता सुनिश्चित की जा रही है।
- एचआर में, बैंक द्वारा बहुत सी पहल की गई हैं। इनमें भविष्य के लिए नेतृत्वकर्ताओं की पहचान करना और आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा आने वाले समय के लिए नेतृत्व क्षमता विकसित करने के बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके साथ आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष पर पहुंच गया है और इसे ब्रांड पीएसबी के रूप में बैंककर्मियों के विकास में EASE इंडेक्स में स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक के परफॉरमेंस मैनेजमेंट सिस्टम, करियर डिवेल्पमेंट सिस्टम (CDS) में 95% रोल्स के निष्पादन का आकलन करने की व्यवस्था कर ली गई है।
- अपनी सब्सिडरीज़ की पहुँच बढ़ाने में और आपके बैंक का अपनी सब्सिडरीज़ के क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स बेचने में एक अग्रणी नाम है। बैंक को उम्मीद है कि मध्यावधि में बैंक की क्रॉस सेल आमदनी 50% से अधिक बढ़ सकती है। इसके लिए आपके बैंक द्वारा स्टेट बैंक ग्रुप इकाइयों के लिए एक सीआरएम प्लेटफॉर्म (Project IMPACT) शुरू किया गया है जिसके जरिये बैंक की टेक्नोलोजी का उपयोग करके व्यवसाय संभावनाओं का पता लगाने के लिए डेटा एनेलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बैंक अधिकाधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दे रहा है और उन्हें प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जिससे प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग का जा सके।
- आपके बैंक द्वारा अपने प्रमुख प्रोडक्ट जैसे मौजूदा होम लोन ग्राहकों के लिए 'SBI स्मार्ट होम टॉप -अप'; समृद्ध और संपन्न ग्राहकों के लिए SBI 'वेल्थ'; तथा जमीन जायदाद विकसित करने वालों के लिए फ्लेक्सिबल मार्जिन स्कीम्स की शुरुआत की गई है।
- आपके बैंक द्वारा IFSC बैंकिंग यूनिट (IBU) इंटरनेशनल फिनैंशियल सर्विसेज सेन्टर (IFSC) की भी शुरुआत की गई है जो GIFT-SEZ, गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। इस सेन्टर को उपयुक्त नियामक तंत्र और प्रतिभाशाली युवाओं और पूँजी को आकर्षित करने वाले एक केंद्र के रूप में सुस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- एक जिम्मेदार कॉरपोरेट संस्था के रूप में आपके बैंक द्वारा बेहतर और स्वच्छ वातावरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। धरती को हरा भरा बनाए रखने की अपनी पहल के तहत स्वच्छता अभियान चलाने के लिए आपके बैंक द्वारा 43 प्रकार के असफल लेनदेनों की पर्चियां देना बंद कर दिया गया है। करीब 2,400 एटीएम केंद्रों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। आपका बैंक आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रदूषणमुक्त पर्यावरण की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्लास्टिक मुक्त संगठन बनना चाहता है। आपके बैंक की यह प्रमुख पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान और वर्ष 2022 तक एकबारगी उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के राष्ट्रीय संकल्प का ही एक हिस्सा है।

सब्सिडरीज़

एसबीआई अपनी सब्सिडरीज़ के माध्यम से अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराता है। इन सब्सिडरीज़ की ग्रोथ वर्ष-दर-वर्ष बढ़िया रही है।

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने अकेले वित्त वर्ष 2019 में ₹168.19 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2018 में इसे ₹236.26 करोड़ का लाभ हुआ था। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड समूह ने वित्त वर्ष 2019 में ₹236.73 करोड़ का लाभ दर्ज किया जबकि पिछले वर्ष इस समूह को ₹323.53 करोड़ का लाभ हुआ था। SBICAP सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। इसे वित्त वर्ष 2019 के दौरान ₹408.36 करोड़ की सकल आमदनी हुई थी जबकि वित्त वर्ष 2018 में इसे ₹357.56 करोड़ की आमदनी हुई थी।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जारी पॉलिसियों की संख्या के मामले में गैर सरकारी कंपनियों में लगातार अपना अग्रणी स्थान बरकरार रखे हुए है, जिससे पता चलता है कि जीवन बीमा करवाने वालों में इसका व्यापक विस्तार है और बाजार में इसकी जोरदार स्वीकृति भी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में ₹1,327 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2018 में इसे ₹1,150 करोड़ का लाभ हुआ था।

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड को वित्त वर्ष 2019 में ₹788 करोड़ का कर पश्चात लाभ हुआ जबकि वित्त वर्ष 2018 में इसे ₹581 करोड़ का लाभ हुआ था। कंपनी दूसरे नंबर पर है और इसके कार्डों का कुल खरीदारी में 17.2% और कार्ड आधार में 17.4% हिस्सा है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एसबीआई म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) है जो असेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) में सबसे तेजी से बढ़ रही कंपनी है, वित्त वर्ष 19 में इसकी वृद्धि दर 7.36% रही जबकि पूरे उद्योग की वृद्धि दर 3.66% रही। इसने वित्त वर्ष 2019 के दौरान ₹428 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2018 में इसे ₹336 करोड़ का लाभ हुआ था।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBIGC) द्वारा वर्ष दर वर्ष सकल लिखित प्रीमियम में 32.83% वृद्धि दर्ज की गई जबकि पूरे उद्योग की वृद्धि दर 12.95% रही थी। वित्त वर्ष 2019 में कर पश्चात लाभ बढ़कर ₹334 करोड़ पर पहुंच गया जो वित्त वर्ष 2018 में ₹265 करोड़ (अग्नि के प्रति बीमा सुरक्षा कारोबार से एकबारगी पुनर्बीमा आमदनी को छोड़कर) था। कंपनी का बाजार अंश की दृष्टि से वित्त वर्ष 2019 में पूरे उद्योग में 13वां और प्राइवेट बीमा कंपनियों में 8वां स्थान रहा।

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड देश -विदेश में व्यापार में प्रमुख फैक्टरिंग सेवा प्रदाता है जिसका वित्त वर्ष 2019 में टर्नओवर ₹4,387 करोड़ रहा जबकि वित्त वर्ष 2018 में टर्नओवर ₹3,555 करोड़ था। एसबीआई पेन्शन फंड्स प्राइवेट लि., जो एक पेन्शन फंड मैनेजर्स (PFM) कंपनी है और पेन्शन सामूहिक फंडों का प्रबंध संभालती है, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों के असेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) के मामले में अपना अग्रणी स्थान बरकरार रखा है। कंपनी का कुल असेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) कारोबार 31 मार्च 2019 को ₹1,21,959 करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 37%) रहा जबकि 31 मार्च 2018 को ₹89,283 करोड़ का था।

सम्मान एवं पुरस्कार

आपके बैंक को वर्षों से अनेक अवार्ड और सम्मान मिलते रहे हैं, और इस वर्ष भी इनकी झड़ी लगी रही। आपके बैंक को 'दि एशियन बैंकर' पत्रिका द्वारा लगातार दूसरी बार भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रांजैक्शन बैंक घोषित किया गया। ग्लोबल फिनैंस पत्रिका द्वारा आपके बैंक को लगातार आठवीं बार 'द बेस्ट ट्रेड फिनैंस बैंक (इंडिया)-2019' अवार्ड दिया गया। क्लाइमेट बॉण्ड अभियान के तहत आपके बैंक को वर्ष 2018 का सबसे बड़ा नया उभरता मार्केट्स सर्टिफाइड क्लाइमेट बॉण्ड इशुअर रहने के कारण ग्रीन बॉण्ड पॉयनियर अवार्ड मिला। आपके बैंक को सीआईएमएस द्वारा 'बेस्ट एमएसएमई बैंक अवार्ड-लार्ज बैंक' दिया गया। योनो, हमारी डिजिटल पहल को एशियन बैंकिंग और फिनैंस रिटेल अवार्ड, सिंगापुर में मोबाइल बैंकिंग इनीशिएटिव ऑफ दि इयर-इंडिया और कई अन्य अवार्डों में ET BFSI इनोवेशन अवार्ड जीता। एशियन बैंकर फिनैंशियल टेक्नोलोजी इनोवेशन अवार्ड्स 2018 में एसबीआई को कई श्रेणियों में अवार्ड दिए गए, इनमें प्रमुख हैं- दि रिस्क डेट एंड एनेलिटिक्स टेक्नोलोजी इम्लीमेंटेशन ऑफ दि इयर फॉर OFASSA।

सब्सिडरीज में, एसबीआई कार्ड ने प्रतिष्ठित कम्प्लायंस 10/10 अवार्ड्स में 'उत्कृष्ट कम्प्लायंस परफॉर्मर अवार्ड 2018' जीता। एसबीआई जनरल को इंडिया इंश्योरेंस सम्मिट और अवार्ड्स 2019 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ दि इयर के अवार्ड से नवाज़ा गया। यह सम्मिट भारत में समस्त इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक बिजनेस सम्मिट होती है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

सामाजिक दायित्व आपके बैंक की संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुका है। यह सीएसआर की अवधारणा की परिकल्पना किए जाने से बहुत पहले से समाज कल्याण अभियान चलाता आ रहा है। बैंक का मानना है कि समाज के वंचित और दबे कुचले लोगों के जीवन में सामाजिक परिवर्तन लाना उसका सबसे बड़ा दायित्व है। भारतीय स्टेट बैंक हमेशा से जन जन विशेषकर अत्यंत हाशिये पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के हित को सर्वोपरि मानता रहा है। इसके अलावा बैंक पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ में से 1% राशि सीएसआर बजट के रूप में अलग रखता है। इसकी सीएसआर गतिविधियां देश के कोने कोने में तहे दिल से चलाई जाती हैं, जिसने समाज के वंचित लाखों लोगों के जीवन में वास्तव में बदलाव लाया है। बैंक दबे कुचले लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है।

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा केरल के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए केरल के मुख्य मंत्री संकट राहत कोष में ₹5 करोड़ की राशि दान की गई। इसके अलावा बैंक ने सीएसआर के तहत मुख्यतया स्वास्थ्य रक्षा और स्वच्छता के लिए भी ₹1.24 करोड़ की राशि दान में दी गई।

पर्यावरण एवं अस्तित्व संरक्षण

भारतीय स्टेट बैंक पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए आपका बैंक पर्यावरण के प्रति दायित्व बोध को अपनी एक बड़ी प्राथमिकता मानता है जिससे वह धरती पर जीवन को लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अवक्षय और अपकर्ष रोकने के लिए कार्यरत है।

कचरे से सोना: कमजोर युवाओं को शहरों में कचरा प्रबंधन की समस्या को दूर करने और छोटे कारोबारों द्वारा अपनी आजीविका का निर्वाह करने के लिए प्रेरित और उनके कौशल विकास पर ध्यान दे रहा है।

एसबीआई कॉर्बेट: गांव में एक निरंतर कचरा प्रबंधन व्यवस्था लागू करने के एक अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे आसपास के स्कूलों और होटलों में जागरूकता विकसित की जा सके।

स्वच्छ बेलूर मठ: एसबीआई फाउंडेशन ने रामकृष्ण मिशन के नए बेलूर मठ धार्मिक स्थल पर 201 शौचालय बनाने के लिए ₹1.67 करोड़ का योगदान किया है। इस धार्मिक स्थल की यात्रा पर हर साल 13 लाख लोग आते हैं।

प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण: भारतीय स्टेट बैंक के मुंबई स्थानीय प्रधान कार्यालय द्वारा "विश्व पर्यावरण दिवस" के अवसर पर दादर बीच पर 'प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण' के तहत स्वछता अभियान चलाया गया। 125 से अधिक स्टाफ सदस्यों ने 2 ट्रैक्टर कचरा इकट्ठा करने में सक्रिय योगदान किया।

भावी योजना

वित्त वर्ष 20, हर तरह से, आपके बैंक के लिए युगांतरकारी होगा। भविष्य में न केवल वित्तीय परिणाम बेहतर होंगे बल्कि हम प्रयास करेंगे कि देश-विदेश में कई प्रकार का टिकाऊ कारोबार अर्जित करें।

पिछले वर्ष के निष्पादन को देखते हुए, बैंक ने वर्ष 2020 के लिए 10-20% की अच्छी ऋण वृद्धि का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 19 के ऋण सुधार और वसूलियों को ध्यान में रखकर हम अपने लिए यह लक्ष्य रख पाए हैं। बैंक को विश्वास है कि वित्त वर्ष 20 में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष हमने विचार किया था कि कारोबार में वृद्धि का लक्ष्य ऋण कारोबार को पुनर्व्यवस्थित करके प्राप्त किया जाएगा क्योंकि इसी से हम कुल ऋण कारोबार अनुपात में ऋण जोखिम वाली परिसंपत्तियों को कम और कॉरपोरेट बैंकिंग को आंतरिक रूप से पुनर्व्यवस्थित कर पाएंगे। मैंने इस वर्ष के अपने संदेश में सुधार की रणनीति में हुई प्रगति का समावेश किया है।

परंतु, टिकाऊ सुधार कोई सिर्फ गुणा-भाग की प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए व्यापक व्यवस्थागत परिवर्तन और पोर्टफोलिओ में रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक होते हैं। इस उपक्रम से अंततः ऋणों से बेहतर आमदनी, आस्ति-देयता की स्थिति में असंतुलन कम होगा और हमारे निवेशों से जल्दी लाभ मिल पाएगा। तदनुसार, हमारी भविष्य के कायाकल्प की कार्यनीति में अधिकतर इन पांच क्षेत्रों पर फोकस रहेगाः ग्राहक सेवा, कॉरपोरेट ऋण सुधार, बैंकिंग कारोबार का डिजिटलीकरण, सब्सिडरीज़ और हमारे मानव संसाधन विकास के बीच बेहतर तालमेल।

बैंक का प्रत्येक कारोबार में पहले से ही व्यापक ग्राहक आधार रहा है। मौजूदा ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने पर नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने से कम लागत आएगी। तदनुसार, आने वाले वर्ष में बैंक ग्राहक संतुष्टि के स्तर में सुधार लाने पर फिर से विचार करके नए उपाय लागू करेगा जिससे ग्राहक को बेहतर संतुष्टि प्राप्त हो। हमारा विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम - 'नई दिशा- फेज़ 2' में, कर्मचारियों में ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने पर फोकस किया जाएगा, इसलिए हम अपने मानव संसाधन के प्रशिक्षण को ग्राहक सेवा से जोड़ेंगे।

कॉरपोरेट ऋण व्यवस्था पर पिछले दो वर्षों में बहुत ध्यान दिया गया था। बैंक के भीतर कॉरपोरेट ऋण व्यवस्था और प्रणाली में सुधार और विभिन्न प्रकार के ग्राहकों व नए सेग्मेंट्स पर ध्यान केंद्रित करने जैसे उपाय पहले से ही शुरू किए गए हैं और परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में ऋण प्रणालियों को मजबूत बनाना और उच्च प्राथमिकता वाले संबंधों के लिए बेहतर उत्पाद लाने से हमें विगत में मदद मिलती रही है और आगे की दिशा भी हमें इसी से मिलेगी। मानव संसाधन कमी, यदि कोई हुई, तो उसे दूर किया जाएगा और मानव संसाधन को हम सेक्टर विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़कर और मजबूत बनाएंगे।

बैंकिंग सेवाएं देने में टेक्नोलोजी का प्रयोग अब ज्यादा व्यापक हो गया है। बैंक का पहले से ही डिजिटल चैनलों, एटीएम और मोबाइल बैंकिंग में अग्रणी स्थान रहा है। आस्ति और देयता दोनों तरह के उत्पादों की पेशकश योनो प्लेटफॉर्म पर बढ़ाई जाएगी। अपनी डीलर फिनैंस स्कीम ईडीएफएस को सफलतापूर्वक लागू करने से उत्साहित होकर हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने सुप्रतिष्ठित कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए और अधिक टेक्नोलोजी आधारित उत्पाद शुरू करें।

हमारी सब्सिडरीज़ का भी अपने अपने उत्पादों और सेवाओं में बाजार में कारोबार का एक बड़ा हिस्सा उनके पास है। आने वाले समय में आपका बैंक जीवन बीमा और साधारण बीमा, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड एवं डीमैट खातों के लिए अपनी सेवाएं देने में सब्सिडरीज़ के साथ अपने गठजोड़ में टेक्नोलोजी विकल्पों का लाभ उठाने का प्रयास करेगा जिससे ग्राहकों की इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी तुरंत पूरा किया जा सके।

मैं हमारे सभी शेयरधारकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी शक्ति और क्षमताओं पर लगातार विश्वास किया। ग्राहकों का भी धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुमूल्य सहयोग दिया और हममें भरोसा किया। बैंककर्मियों का भी आभार जिन्होंने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किए।

"अकेले हम कितना कम हासिल कर सकते हैं; साथ में कितना ज्यादा". -हेलन केलर

आपका शुभचिंतक,

(रजनीश कुमार)

निदेशकों की रिपोर्ट

I. आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश

विश्व का आर्थिक परिदृश्य

विश्व की आर्थिक प्रगति वर्ष 2018 में मामूली सी हल्की रही। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार जीडीपी की वृद्धि दर 3.6% रह सकती है। अविनियमित बैंकिंग और स्थानीय सरकारी ऋण के बीच वित्तीय तंगी के कारण चीन में निरंतर नरमी के हालात बने हुए हैं। ऊपर से यूएस के साथ लगातार व्यापार संघर्ष के चलते उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन भी उतना उत्साहजनक नहीं रहा।

जहाँ तक विकसित अर्थव्यवस्थाओं का संबंध है, यूएस की आर्थिक गतिविधियों में वित्तीय प्रोत्साहन के कारण उछाल देखा गया। परंतु, अब इसके जारी रहने पर प्रश्न चिह्न लगा प्रतीत होता है। यूरो क्षेत्र की वृद्धि दर अनुमान से कम रही। ब्रेक्सिट पर अनिश्चितता और यूरोपियन यूनियन ऑटोमोबाइल पर यूएस द्वारा टैरिफ लगाए जाने के खतरे का उनके विनिर्माण क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव दिख रहा है।

ब्रिक्स देश भी इस रुझान से बच नहीं पाए। उदाहरण के लिए खनन, निर्माण और कृषि की धीमी गति के कारण दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि दर गिरकर मात्र 0.8% पर आ गई। ब्राजील में आर्थिक कार्यकलाप ट्रक चालकों की हड़ताल और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा खपत पर सीमित खर्च के कारण मंद बने रहे।

विश्व में वाणिज्यिक वस्तुओं का व्यापार भी जैसा अनुमान था काफी धीमा रहा, और यह वर्ष 2017 के 4.7% से गिरकर वर्ष 2018 में 3.9% रह गया। इसके अतिरिक्त, विश्व व्यापार संभावना संकेतक जो हालिया रुझानों के अनुरूप विश्व व्यापार की प्रगति के बारे में साथ साथ जानकारी देता है, उसके 96.3 (मार्च 2010 के बाद से न्यूनतम) के हाल ही के स्तर से पता चलता है कि आने वाले महीनों में व्यापार की वृद्धि दर रुझान से भी नीचे रहेगी।

इस बीच, वित्तीय स्थितियां वर्ष 2018 में मामूली सी मजबूत हुईं जैसा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक स्थिति सामान्य रही। यूएस फेडरल बैंक द्वारा पिछले वर्ष चार बार ब्याज दरों में वृद्धि की गई। इस कारण विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से पूँजी बहिर्गमन बढ़ा। परंतु यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ब्याज दरों में वृद्धि न किए जाने के संकेतों के चलते वित्तीय अनिश्चितता कम हुई है।

भविष्य में यूएस में वित्तीय प्रोत्साहनों में कमी और यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पहले से कमजोर होने को देखते हुए वैश्विक वृद्धि दर के वर्ष 2019 में धीमी रहने की उम्मीद है जिसके चलते इसके लगभग 3% के आसपास रहने का अनुमान है। ब्रेक्सिट के साथ कोई लेनदेन न किया जाना युएस एवं चीन के बीच व्यापार में तनाव तथा वैश्विक वित्तपोषण की स्थितियों में अनुमानित तंगी संवृद्धि की संभावनाओं के लिए प्रमुख जोखिम बनी रहेंगी।

भारत का आर्थिक परिदृश्य

वित्त वर्ष 17 में 8.2% से अचानक घटकर वित्त वर्ष 18 में 7.2% और वित्त वर्ष 19 में 7.0% पर आ जाने के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि दर के वित्त वर्ष 20 में (भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमान के अनुसार) 7.2% बढ़ने की उम्मीद है। भविष्य में आर्थिक वृद्धि दर के बढ़ने के अनेक कारण महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहे हैं। पहला, निजी क्षेत्र में खपत बढ़ने की आशा है, विशेषकर पिछले दिनों जो उपाय किए गए हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा खर्च बढ़ाए जाने के निर्णय, आयकर में छूट की घोषणा के कारण घर-परिवारों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक पैसा आ गया है। दूसरा, फंसे हुए कर्जों के समाधान और बैंक की बैलेंस शीट में एनपीए के स्तर में कमी दिखने से बेहतर कर्ज वितरण की उम्मीद जगती है। ये सभी आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के अच्छे संकेत हैं। तीसरा, क्षमता उपयोग में सुधार, कच्चे तेल की कीमतों के नीची रहने और ब्याज दरों में कटौती से आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलेगा। चौथा, इस वर्ष कमजोर एल नीनो की स्थिति बनने से मानसून के लगभग सामान्य रहने के अनुमान से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी जिसके बाद खाद्यान्न मुद्रास्फीति नीचे रह सकती है।

इसके बावजूद भी गिरावट के कुछ कारण निरंतर बने हुए हैं। यह गिरावट देश-विदेश दोनों में रह सकती है: (i) विश्व अर्थव्यवस्था की धीमी गति का प्रभाव भारत की निर्यात संभावनाओं पर पड़ सकता है और यदि व्यापार तनाव दूर नहीं किए जाते तो जोखिम और भी बढ़ जाएगा और (ii) निवेश में सुधार मुख्यतया सरकार द्वारा प्रेरित खर्च के कारण होगा और विभिन्न क्षेत्रों में अब निजी क्षेत्र निवेश बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है।

कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों की वृद्धि दर अन्य बातों के साथ साथ अनेक कारणों से वित्त वर्ष 19 की दूसरी छमाही में घटी। इन कारणों में प्रमुख हैं- दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून का खराब प्रदर्शन, पूर्वी और पश्चिम क्षेत्रों में पानी भंडार का नीचे चले जाना, लगातार दो बार भरपूर पैदावार होने के कारण आपूर्ति के लिए पर्याप्त अनाज भंडार की उपलब्धता के चलते कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी होना और बड़े पैमाने पर अतिरिक्त आपूर्ति से निपटने के लिए कृषि बाजारों की अनुपलब्धता। जैसे कि एल नीनो के कमजोर होते जाने से लगभग सामान्य मानसून रहने का अनुमान जताया जा रहा है, इसका भविष्य में कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र में, जीवीए वित्त वर्ष 19 की दूसरी छमाही में घटकर 6.4% रह गया जो पहली छमाही में 8.1% और एक वर्ष पहले 8.3% था। यह गिरावट मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर में कमी के कारण आई। मांग में कमी के कारण सेल्स ग्रोथ नरम रहने के चलते मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र गतिविधियों में वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 19 की दूसरी छमाही में वैविध्यपूर्ण गतिविधियां देखने को मिली। निर्माण गतिविधियों में पलटाव और वित्त, रियल इस्टेट तथा प्रोफेशनल सेवाओं एवं लोक प्रशासन, डिफेंस व अन्य सेवाओं में तेजी के कारण यह बढ़ोतरी हुई।

हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में 2018 के मध्य से अचानक गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट खाद्य पदार्थों की कीमतों में निरंतर कमी के कारण परिलक्षित हुई। इसके अन्य कारण भी रहे जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आवास किराया भत्तों का इस वर्ष सीधा प्रभाव खत्म होना और हाल ही में ईंधन की कीमतों में अचानक गिरावट आना। इस कारण औसत सीपीआई मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 19 में 3.43% रही जो वित्त वर्ष 18 में 3.58% थी।

भविष्य में मुद्रास्फीति पर विभिन्न उर्ध्वगामी और अधोगामी जोखिमों का असर हो सकता है। बड़े उर्ध्वगामी जोखिमों में भू-राजनीतिक तनाव और विश्व स्तर पर कच्चे तेल के बाजार में आपूर्ति बाधित होना, अंतरराष्ट्रीय और देशीय वित्तीय बाजारों में उथल पुथल, जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में अचानक पलटाव की स्थिति उत्पन्न होने का जोखिम, वित्तीय गिरावट और इस वर्ष मानसून के सामान्य से नीचे रहना शामिल हैं। अधोगामी जोखिमों में विश्व वृद्धि दर में अचानक अनुमान से ज्यादा गिरावट और इस कारण कच्चे तेल और अन्य जिन्स की कीमतों में नरमी और खाद्य पदार्थों की भरपूर आपूर्ति शामिल हैं। वित्त वर्ष 20 के लिए हमें उम्मीद है कि औसत मुद्रास्फीति 4% के नीचे रहेगी।

विश्व व्यापार में धीमेपन, वाणिज्य से जुड़े व्यापारिक तनाव के बावजूद भारत की वाणिज्यिक वस्तुओं (वर्ष-दर-वर्ष) में वित्त वर्ष 19 में 9.1% की वृद्धि हुई जबकि वित्त वर्ष 18 में 10.0% की वृद्धि हुई थी। हाल के वर्षों में भारत के निर्यातों की एक बड़ी बात यह रही कि प्राथमिक और पारंपरिक कम मूल्य वाले निर्यातों के स्थान पर उच्च मूल्य वाले मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलोजी संचालित मदों पर ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है। इस परिवर्तन के चलते विपरीत अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिवेश बनने के कारण निर्यात मांग में लचीलापन रहा। चालू खाता घाटा अप्रैल-दिसंबर 18 के दौरान बढ़कर जीडीपी का 2.6% हो गया जो अप्रैल-दिसंबर 17 के दौरान 1.8% था। ऐसा तेल की ऊंची कीमतों के चलते व्यापार घाटा बढ़ने के कारण हुआ। जैसे ही नवंबर 18 में तेल की कीमतों में कमी आई वित्त वर्ष 19 की दूसरी तिमाही में यह 2.9% से घटकर वित्त वर्ष 19 की तीसरी तिमाही में 2.1% रह गया।

बैंकिंग परिवेश

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बैलेंस शीट में दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2017-18 में आस्तियों की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट के चलते बारंबार अधिक प्रावधान करना जरूरी हो गया और वर्ष 1993-94 के बाद पहली बार संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था में विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने घाटे दर्ज किए।

इस संकट से निपटने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षक भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयास शुरू किए। इनमें उसने तीन तरह के सुधारों की शुरुआत कीः (i) आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा करके दबावग्रस्त आस्तियों का पता लगाने का कार्य लगभग पूरा होने को है और नीति के तहत प्रावधान किए जा रहे हैं; (ii) इसके अनुरूप इनसाल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) व्यवस्था के तहत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए लागू किए गए एक नए ढांचे से बैलेंस शीटों को दबावमुक्त करने में तेजी आई है और (iii) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं जिससे बेहतर वित्तीय नतीजे मिल सकें। इन समाधानकारी प्रयासों के कारण वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता सुधार की ओर अग्रसर प्रतीत हो रही है जैसे जैसे फंसी आस्तियों पर दबाव कम होता जा रहा है; सितंबर 2015 के बाद से सकल एनपीए में पहली छमाही में गिरावट और प्रोविजन कवरेज अनुपात में सुधार सकारात्मक संकेत हैं। दबाव परीक्षण के परिणामों से एनपीए के अनुपात में और सुधार होने का पता चलता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में फंसी आस्तियों की बड़े पैमाने पर पहचान करने की भले ही बड़ी लागत क्यों न चुकानी पड़ी हो, इससे ऋण मूल्यांकन में और अधिक अनुशासन तथा बाजार जोखिम के प्रति अधिक जागरूकता और परिचालन जोखिम के प्रति बेहतर समझ दिखाई दे रही है। इस बीच, इनसॉल्वेन्सी और बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के लागू होने से एक बड़ी संस्थागत कमी दूर हुई जिससे चिरप्रतीक्षित ऋण अनुशासन व्यवस्था को बल मिलेगा। हालांकि कुछ समाधानों में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लग रहा है। फंसे कर्जों का समयबद्ध समाधान होने से अवरुद्ध ऋण कारोबार को गति मिलेगी जिससे अर्थव्यवस्था में बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे।

बैंकों के स्थान पर गैर-बैंकों से ऋण लेने के चलन से कॉरपोरेट सेक्टर को विभिन्न वित्तीय लिखतों से पैसा जुटाने का विकल्प उपलब्ध हुआ है। इस प्रकार से बाजार से ऋण उपलब्धता के लिए एक मजबूत इनफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी जिसमें समुचित मूल्यांकन व्यवस्था के साथ साथ सूचना और तत्काल क्रेडिट रेटिंग की व्यवस्था भी हो। परंतु, एनबीएफसी सेक्टर पर दबाव के चलते जोखिम आकलन में और अधिक विवेकसम्मत निर्णय लिए जाने की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। भारत जैसी अग्रसर अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर बढ़ाने की आवश्यकता को अब भलीभांति समझा जा रहा है। अब और अधिक सावधानी के साथ विवेकपूर्ण तथा सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ अपनाने पर निरंतर ध्यान देना होगा।

इन अविरत प्रयासों से, वर्ष 2018-19 में बैंक ऋणों में जोरदार वृद्धि हुई, जो लगभग पिछले दो वर्षों से नरम चल रही थी। यह 11.96% की दर से बढ़ी। यह पिछले पांच वर्षों में उच्चतम स्तर है। पिछले वर्ष की वृद्धि दर 10% रही थी। सकल जमाराशियों में वर्ष 2018-19 में 7.58% वृद्धि हुई जो वर्ष 2017-18 में 6.2% रही थी। वार्षिक ऋण वितरण भी उत्तरोत्तर वैविध्यपूर्ण होते जा रहे हैं। इसमें सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई जबकि एक वर्ष पहले वैयक्तिक ऋणों का हिस्सा सबसे अधिक रहा था। उद्योगों को पहले से अधिक ऋण वितरण का कार्य एक वर्ष की सुस्ती के बाद नवंबर 2017 से आशाजनक दिखने लगे विशेषकर इन्फ्रास्ट्रक्चर, रसायन और रासायनिक उत्पादों, इंजीनियरी और पेट्रोलियम, कोयला उत्पादों और न्यूक्लियर ईंधनों में वृद्धि परिलक्षित हुई। हालांकि कृषि क्षेत्र ऋणों का हिस्सा मामूली सा कम रहा।

ऋण संवृद्धि में उछाल आईबीसी के तहत अच्छी प्रगति होने के कारण आया। आईबीसी से कॉरपोरेट और बैंकों दोनों की बैलेंस शीटों पर दबाव कम करने और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से सहायता मिली है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति भविष्य में उत्साहजनक रहने की उम्मीद है। भले ही जीडीपी में ऋणों की हिस्सेदारी वर्तमान में उतनी उत्साहजनक नहीं दिख रही है, पर यह इस बात का संकेत है कि बैंक के ऋण कारोबार में निरंतर वृद्धि और विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

भावी परिदृश्य

पिछला वित्त वर्ष भारत में बैंकों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहा। परिचालन जोखिम बढ़ा, बाजार में भी काफी उथल-पुथल रही, जिसका ट्रेजरी कारोबार पर बुरा असर हुआ। यद्यपि फँसे कर्जों के समाधान का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है, पर प्रतिपक्षीय कानूनी कार्यवाही के कारण समाधान प्रक्रिया के आखिरी चरण में वसूली में काफी लंबा समय लग रहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के चलते बैंकों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिदृश्य में परिवर्तन आया है और अगले वित्त वर्ष में यह प्रक्रिया और तेज होगी।

विगत पांच वर्षों के नीतिगत निर्णयों का कुल मिलाकर वित्त वर्ष 19 में आशावादी प्रभाव रहा। सुधार के उपाय जैसे जीएसटी, आईबीसी, सड़क एवं अंतःदेशीय जलमार्ग आदि सुस्थापित हो चुके हैं। इस बात को अधिकांश लोग अब समझ गए हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलोजी का उपयोग और बढ़ेगा। कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) पर गठित कार्यबल की रिपोर्ट में वित्तीय सेवाओं में उन्नत डेटा और एआई तकनीकों के उपयोग के बारे में भी बताया गया है। वित्त वर्ष 19 में ऋण वृद्धि दर बेहतर हुई। यह पहली द्विमासिक मुद्रा नीति की घोषणाओं के कारण इस वित्त वर्ष में भी मजबूत बनी रहेगी।

बाहरी परिवेश निरंतर चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आईएमएफ की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती वित्तीय संवेदनशीलता को देखते हुए वित्तीय स्थिरता की तुलना में मध्यावधि जोखिम बढ़ने की संभावना है। तदनुसार, नई नई चुनौतियों और नए अवसरों जैसे क्षेत्रीय व्यापार करारों को देखते हुए विदेश व्यवसाय को पुनर्व्यवस्थित करके आने वाले समय के लिए तैयारी की जा सकेगी। आपके बैंक ने इस दिशा में कई पहल की हैं जैसे अपने यूके आपरेशंस को पुनर्व्यवस्थित किया है। सभी विदेशी परिचालनों में जोखिम पर नजर रखी जाएगी।

कुल मिलाकर, वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही आम चुनावों के नतीजों पर निर्भर रहेगी। जैसे ही कुछ समय की यह अनिश्चितता समाप्त होगी, तो नए नीतिगत दिशानिर्देश देखने को मिलेंगे। मौद्रिक नीति पहले से ही उदार रही है, मुद्रास्फीति की दर भी नीची है और वित्तीय स्थिति भी काबू में है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में वृद्धि दर उत्साहजनक रहेगी। बैंकिंग सेक्टर में जोखिम बड़े आईबीसी मामलों के समाधान से कम होते जाएंगे। इससे बैंकों में व्यवसाय विस्तार और ढांचागत कायाकल्प की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

II. वित्तीय निष्पादन

आस्तियाँ एवं देयताएं

आपके बैंक की कुल आस्तियां मार्च 2018 के अंत में ₹34,54,752.00 करोड़ थीं जो मार्च 2019 के अंत में 6.55% बढ़कर ₹36,80,914.25 करोड़ हो गईं। इस अवधि में ऋण संविभाग 12.97% की वृद्धि के साथ ₹19,34,880.19 करोड़ से बढ़कर ₹21,85,876.92 करोड़ हो गया। निवेश ₹10,60,986.71 करोड़ से 8.86% घटकर मार्च 2019 के अंत में ₹9,67,021.95 करोड़ पर आ गए। अधिकतर निवेश घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए हैं।

आपके बैंक की कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों को छोड़कर) 6.93% बढ़ीं। ये 31 मार्च 2018 को ₹32,35,623.44 करोड़ थीं जो 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹34,60,000.42 करोड़ हो गईं। जमाराशियाँ 31 मार्च 2018 की स्थिति ₹27,06,343.28 करोड़ से 7.58% बढ़कर 31 मार्च 2019 को ₹29,11,386.01 करोड़ हो गईं। उधारियां 31 मार्च 2018 के अंत के स्तर ₹3,62,142.07 करोड़ में 11.29% वृद्धि के साथ ₹4,03,017.12 करोड़ हो गईं।

शुद्ध ब्याज आय

शुद्ध ब्याज आय 18.03% वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2018 के स्तर ₹74,853.71 करोड़ से वित्त वर्ष 2019 में ₹88,348.87 करोड़ पर जा पहुँची। कुल ब्याज आय वित्त वर्ष 2018 के ₹2,20,499.31 करोड़ से वित्त वर्ष 2019 में ₹2,42,868.65 करोड़ हो गईं, इस प्रकार इसमें 10.14% वृद्धि दर्ज हुई।

कुल ब्याज व्यय वित्त वर्ष 2018 में ₹1,45,645.60 करोड़ था जो वित्त वर्ष 2019 में ₹1,54,519.78 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2019 में जमाराशियों पर ब्याज व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 3.35% वृद्धि दर्ज हुई।

ब्याज इतर आय एवं व्यय

वित्त वर्ष 2018 में ब्याज-इतर आय में 17.55% की कमी आई। वित्त वर्ष 2018 में यह ₹44,600.69 करोड़ थीं और वित्त वर्ष 2019 में यह ₹36,774.89 करोड़ रह गईं। वर्ष के दौरान, आपके बैंक को भारत में और विदेश में अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश के रूप में ₹348.01 करोड़ (वित्त वर्ष 2018 में ₹448.52 करोड़) और निवेशों की बिक्री से लाभ के रूप में ₹3,146.86 करोड़ (वित्त वर्ष 2018 में ₹13,423.35 करोड़) की आय हुई।

परिचालन लाभ

आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2019 में ₹55,436.03 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2018 में ₹59,510.95 करोड़ (इसमें वित्त वर्ष 2019 की ₹1560.55 करोड़ एवं वित्त वर्ष 2018 की ₹5,436.17 करोड़ की असाधारण मद शामिल है) था। आपके बैंक को वित्त वर्ष 2018 को ₹6,547.45 करोड़ की निवल हानि की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में ₹862.23 करोड़ का लाभ हुआ।

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

वित्त वर्ष 2019 में किए गए प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों के लिए ₹54,529.06 करोड़ (वित्त वर्ष 2018 में ₹70,680.24 करोड़), का प्रावधान और निवेश मूल्यह्रास के संबध में ₹762.09 करोड़ के अपलेखन (वित्त वर्ष 2018 में ₹8087.57 करोड़ के प्रावधान की तुलना में) किए गए।

आरक्षित निधियां एवं अधिशेष

सांविधिक आरक्षित निधियों में ₹258.67 करोड़ (वित्त वर्ष 2018 में शून्य की तुलना में) में अंतरित किए गए। पूंजीगत आरक्षित निधियों में ₹379.21 करोड़ (वित्त वर्ष 2018 के ₹3,288.88 करोड़ की तुलना में) अंतरित किए गए। निवेश आरक्षित राशियों से ₹371.84 करोड़ (वित्त वर्ष 2018 में ₹1,165.14 करोड़ के आहरण की तुलना में) तथा ₹194.05 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधियों से (वित्त वर्ष 2018 में ₹192.32 करोड़ की तुलना में) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित किए गए।

भारतीय लेखा मानकों (IND AS) को लागू करने में प्रगति

प्रबंध निदेशक (दबावग्रस्त आस्तियां, जोखिम एवं अनुपालन) की अध्यक्षता में गठित स्टीरिंग समिति बैंक में भारतीय लेखा मानकों को लागू करने की निगरानी कर रही है। आपका बैंक भारतीय लेखा मानकों को लागू करने के लिए पहले से ही तैयार है। पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगली सूचना तक बैंकों में भारतीय लेखा मानकों को लागू करना रोक रखा है।

III.प्रमुख परिचालन

1. रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग समूह

रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग समूह आपके बैंक का सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है। 31 मार्च 2019 को देश की कुल जमाराशियों में 97.05% एवं देश के कुल अग्रिमों में 54.89% इस समूह के पास थे। इस समूह में आठ कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयां हैं, जो देश के सबसे बड़े शाखा नेटवर्क एवं विशाल मानव संसाधन को संचालित करती हैं।

आपके बैंक का ग्राहक आधार देश भर में निरंतर बढ़ रहा है जिस कारण रिटेल बैंकिंग जमाराशि जुटाने एवं रिटेल ग्राहकों की सभी मूल जरूरतों के लिए ऋण देने की दृष्टि से भी यह आपके बैंक का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। इस बढ़ते हुए ग्राहक आधार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रिटेल ऋणों की वृद्धि पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है जिससे कुल अग्रिमों में इसका एक बड़ा हिस्सा हो। रिटेल क्षेत्र में होम और ऑटो लोन की बड़ी हिस्सेदारी रही है। आपका बैंक सबसे बड़ा होम लोन एवं शिक्षा ऋण प्रदाता भी है। इससे समाज सेवा में इसकी निरंतर प्रतिबद्धता का पता चलता है।

ग्राहकों की उत्तरोत्तर बदलती हुई प्राथमिकताएं, विशेषकर युवा जनसंख्या की रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव ला रही हैं। आपका बैंक डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में अग्रणी है और तकनीकी नवोन्मेष में लगातार प्रगति कर रहा है। आपके बैंक के पास सेवाएं प्रदान करने के लिए कई प्रकार के चैनल हैं। इनसे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार किसी भी चैनल पर कहीं भी, किसी भी समय अपने लेनदेन कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2019 में आपके बैंक ने शाखाओं, एटीएम योनो कैश पॉइंट और ग्राहक सेवा केंद्रों के अलावा विभिन्न चैनलों जैसे डिजिटल, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर अपनी पेशकशों में वृद्धि की है। आपके बैंक के बैंकिंग और लाइफ स्टाइल ऐप योनो का आधार निरंतर मजबूत होता जा रहा है।

ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के उद्देश्य से आपका बैंक अपनी सभी शाखाओं में शिष्टतापूर्ण आचरण वाले एवं अच्छी पोशाक वाले स्टाफ और बैठने की उचित व्यवस्था, साफ-सुथरे एवं सुव्यवस्थित परिसर और ग्राहकों के मन को भाने वाली सेवा देने का निरंतर भरसक प्रयास कर रहा है।

क. वैयक्तिक बैंकिंग

1. होम लोन

आपके बैंक के पास देश का सबसे बड़ा होम लोन पोर्टफोलियो है और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) में इसका बाजार अंश 31 मार्च 2019 को 34.51% है। संपूर्ण बैंक अग्रिमों में होम लोन का अंश 20.11% है। कुल होम लोन ऋण पोर्टफोलियो ₹4,00,377 करोड़ है।

अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ते हुए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के मानदंडों में छूट, भारत में मकानों की मांग और आपूर्ति के बीच के भारी अंतर को दूर करने पर सरकार के जोर के कारण सस्ते आवास उपलब्ध कराना समग्र आवास क्षेत्र की संवृद्धि का प्रमुख उत्प्रेरक रहा है। सरकार ने पीएमएवाई एमआईजी योजना को भी 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2019 को सस्ता आवास के अंतर्गत आपके बैंक का होम लोन पोर्टफोलियो 64.46% रहा। पीएमएवाई एमआईजी श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बोर्ड (एनएचबी) द्वारा आपके बैंक को वित्त वर्ष 2017-18 के देश के सर्वश्रेष्ठ होम लोन प्रदाता माना गया।

वित्त वर्ष 2019 के दौरान आवास ऋण पोर्टफोलियो को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक द्वारा विभिन्न उपाय किए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

वैयक्तिक बंधक व्यवसाय स्तर (करोड़ में)

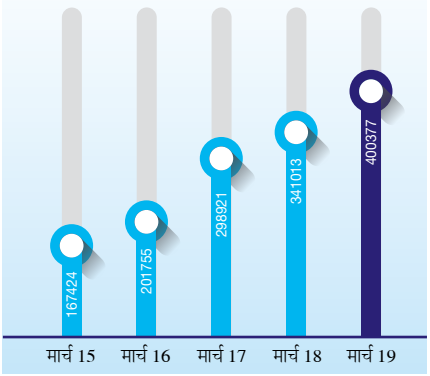

(मार्च 2017 के आंकड़ों में विलय किए गए सहयोगी बैंकों के आंकड़े भी हैं)

- योनो पर होम लोन, डिजिटलीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे पंजीकृत योनो ग्राहकों को एसबीआई होम लोन उत्पादों की जानकारी प्राप्त करने, पात्रता की गणना करने एवं तुरंत सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त करने जैसी होम लोन जरूरतों की पूर्ति की 24 घंटों और सातों दिन सुविधा मिलती है। वर्तमान होम लोन ग्राहकों की वैयक्तिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए योनो पर इंस्टा होम टॉप अप शुरू किया गया है।

- केंद्रीकृत ग्रामीण आस्ति ऋण केंद्रों (आरएसीसी) एवं ऋण प्रक्रिया कक्षों (एलपीसी) के जरिए गैर-बीपीआर केंद्र की शाखाओं से होम लोन एवं होम संबंधी उत्पाद संस्वीकृत करने से प्रक्रिया में एकसमानता और हामीदारी की बेहतर गुणवत्ता आई है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण आस्तियों में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 के दौरान समग्र नई अलाभकारी आस्तियां घटकर कुल होम लोन पोर्टफोलियो के 1% से भी कम रहीं।
- केरल के बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए आपके बैंक ने आपदा घटित होने के एक महीने के भीतर आसान शर्तों पर केरल मंडल में मरम्मत एवं नवीकरण हेतु सभी के लिए आवास ऋण योजना शुरू की, भले ही उनकी श्रेणी, लिंग, एलटीवी अनुपात एवं ग्राहकों का जोखिम स्कोर कितना भी क्यों न हो।
- आवास ऋण के वर्तमान ग्राहकों के लिए एसबीआई स्मार्ट होम टॉप अप, उच्च निवल मालियत/हाई एंड ग्राहकों के लिए एसबीआई वेल्थ तथा बिल्डरों के लिए फ्लेक्सिबल मार्जिन योजना जैसे उत्कृष्ट उत्पाद शुरू किए गए हैं।
- आवास ऋण की संस्वीकृति प्रक्रिया को और अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं आसान बनाकर आपका बैंक ग्राहकों की होम लोन की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए अपने विशाल शाखा नेटवर्क, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ प्रतिबद्ध अपनी स्टाफ संख्या का लाभ उठा रहा है तथा ग्राहकों की पहली पसंद के होम लोन प्रदाता के रूप में लगातार कार्य कर रहा है।

2. ऑटो ऋण

आपका बैंक अपने ग्राहकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए प्रतिस्पर्धी और किफायती दरों पर कार खरीदने के लिए ऑटो ऋण उपलब्ध करा रहा है। आपके बैंक के ये कई प्रकार के ऑटो ऋण उत्पाद विभिन्न ग्राहक वर्ग - वेतनभोगी, व्यवसायी, स्व-नियोजित पेशेवरों, वरिष्ठ नागरिकों, एनआरआई, कृषकों तथा विद्यमान ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध हैं। विभिन्न चैनलों से ऋण प्रस्ताव प्राप्त करने की सुविधा तथा कम समय में ऑटो ऋण उत्पादों की उपलब्धता ने इसे बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया है। इससे विभिन्न नामी निर्माताओं जैसे मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स द्वारा बेची जा रही कारों के वित्तपोषण कारोबार में अपनी पैठ बढ़ाने में सहायता मिली है। वित्त वर्ष 2019 में ऑटो ऋण पोर्टफोलियो ₹71,884 करोड़ तक जा पहुंचा। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से ऑटो ऋणों के मामले में आपके बैंक का बाजार अंश वित्त वर्ष 2018 के 34.97% से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 को 35.45% हो गया है। आपका बैंक उच्च मूल्य वाली सुपर बाइकों के लिए भी वित्तपोषण करने जा रहा है जो कि नया और तेजी से उभरता क्षेत्र है।

3. शिक्षा ऋण

शिक्षा मानव पूंजी के सृजन का प्रमुख घटक है, क्योंकि इससे कुशल एवं उत्पादक मानव संसाधन सृजित करने में सहायता मिलती है। इस उद्देश्य हेतु दिए गए ऋण राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं और आर्थिक विकास दर को गति देने में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहती है। इसीलिए शिक्षा ऋणों के अंतर्गत ₹10 लाख तक के ऋण को प्राथमिकताप्राप्त ऋण माना जाता है। आपके बैंक को गर्व है कि वह 30 प्रतिशत बाजार अंश के साथ देश का सबसे बड़ा शिक्षा ऋण प्रदाता है। इसने वित्त वर्ष 2019 के दौरान 66,947 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ₹6,635 करोड़ की वित्तीय सहायता करके (जिसमें 35 प्रतिशत ऋण बालिकाओं को) उनके सपने साकार करने में सहायता प्रदान की। गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय हासिल करने हेतु शिक्षा ऋण क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने तथा ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- बैंक द्वारा उदारीकृत मानकों और रियायती ब्याज दरों पर स्कॉलर ऋण योजना के तहत शिक्षा ऋण देने के लिए 158 उच्च स्तरीय, प्रीमियर तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों का चयन किया गया।
- चयनित केंद्रों पर उच्च मूल्य के शिक्षा ऋण जुटाने के लिए घर पर सेवाएं प्रदान की गईं।
- बैंक की ऋण संगठन प्रणाली को भारत सरकार के विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) के साथ जोड़ा गया, ताकि ऋण आवेदनों की बेहतर ट्रैकिंग तथा ऋणों की संस्वीकृति में तेजी सुनिश्चित की जा सके।

4. वैयक्तिक ऋण

वैयक्तिक ऋण आपके बैंक का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है और इस क्षेत्र में आपका बैंक सबसे अग्रणी है। आपका बैंक वेतनभोगी (सरकारी एवं निजी दोनों), पेंशनरों और स्व-नियोजित अन्य ग्राहकों की आवश्यकताओं की भरपूर पूर्ति कर रहा है। वित्त वर्ष 2019 आपके बैंक ने 30 प्रतिशत बाजार अंश के साथ ₹56,873 करोड़ की राशि के वैयक्तिक ऋण 15 लाख ग्राहकों को दिए। आरओए व आरओआरडब्ल्यूए जैसे मापदंडों में उच्च दर के प्रतिलाभ के साथ इस खंड में आपके बैंक में ऋण चुकौती में चूक में मामले, उद्योग में सबसे कम हैं। शाखा, इंटरनेट बैंकिंग एवं योनो जैसे बहुविध चैनलों के जरिए उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। ऋणियों के चयन में बहुत सावधानी बरतने और ध्यान से किए गए यथोचित परिश्रम के कारण कम चूक के साथ उच्चतर ऋण वृद्धि प्राप्त हुई है।

ई-कॉमर्स खरीदारी के लिए वैयक्तिक ऋण

आपका बैंक पूर्व चयनित गुणवत्तापूर्ण ग्राहकों को फ्लिपकार्ट एवं अमेजॉन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलों से ₹1,00,000 तक की उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ईएमआई आधारित ऋण देता है। फ्लिपकार्ट के साथ गठजोड़ में ऑनलाइन ई-कॉमर्स वित्तपोषण की सुविधा मई 2018 में और अमेजॉन के साथ अक्तूबर 2018 में शुरू की गई थी। यह पोर्टफोलिओ मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 19,974 खातों और ₹19 करोड़ बकाया राशि वाला है।

अनुमोदित शॉप/मॉल/दुकान/शो रूम से ₹1 लाख तक की उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए चयनित एसबीआई डेबिट कार्ड धारकों को ईएमआई सुविधा के साथ ऋण, जिसे वे प्वाइंट ऑफ सेल्स सुविधा वाली स्वाइप मशीनों से खरीद सकें। यह सुविधा वित्त वर्ष 2019 के उत्तरार्ध से शुरू की गई है।

5. देयता एवं निवेश उत्पाद

आपके बैंक की समग्र वैयक्तिक देशीय कासा जमाराशियां वित वर्ष 2018 की ₹8,36,294 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में ₹9,16,442 करोड़ हो गई हैं, जो ₹80,148 करोड़ (9.58 प्रतिशत वार्षिक) वृद्धि है। कासा के मामले में वित्त वर्ष 2018 की 48.23 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में 48.49 प्रतिशत वृद्धि रही।

6. सैलरी पैकेज के लिए टाई-अप कॉरपोरेट एवं संस्थागत

कॉरपोरेट, केंद्र/राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों, रक्षा, पैरा मिलिटरी एवं पुलिस कर्मचारियों आदि के वेतन खाते की एकाउंट मैनेजर (केएएम) के जरिए खाते खोले जाते हैं, जो कॉरपोरेट सैलरी पैकेज (सीएसपी) के अंतर्गत ग्राहक के घर पर विभिन्न उत्पाद वैयक्तिकृत सेवा के साथ उपलब्ध कराते हैं। कुल वेतन खाता ग्राहक आधार वित्त वर्ष 2018 की तुलना में 22 प्रतिशत के साथ वित्त वर्ष 2019 को 145.93 लाख पहुंच गया है।

7. डिजिटल वैयक्तिक ऋण

उच्चतर लाभ मार्जिन के साथ ऋण वृद्धि हेतु बहुविध चैनलों पर उत्पाद उपलब्ध कराते समय आपके बैंक ने इस बात को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित डिजिटल उत्पाद शुरू किए हैं कि हमारे ग्राहकों को बैंकिंग लेनदेन के समय आसानी हो:

- योनो प्लेटफार्म पर आपका बैंक 4 उत्पाद श्रेणियों के जरिए पूर्व चयनित ग्राहकों को पूर्व अनुमोदित वैयक्तिक ऋण देता है। इनमें ₹5 लाख तक के पूर्व-अनुमोदित एक्सप्रेस ऋण, ₹2.5 लाख तक के पूर्व-अनुमोदित पेंशन ऋण, ₹3 लाख तक के एक्सप्रेस क्रेडिट इंस्टा टॉप अप एवं ₹2 लाख तक के पूर्व-अनुमोदित वैयक्तिक ऋण सीएसपी एवं गैर-सीएसपी ग्राहकों के ऋण शामिल हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्म पर एक्सप्रेस क्रेडिट इंस्टा टॉप अप ऋण : इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्म के जरिए पूर्व अनुमोदित एक्सप्रेस क्रेडिट ग्राहकों को ₹3 लाख तक के टॉप अप ऋण दिए जाते हैं।
- तत्काल ई-वैयक्तिक ऋण : असेवित और कम सेवित अवैतनिक ग्राहकों को चुनिंदा मापदंडों के आधर पर उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए ₹1 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। यह उत्पाद मई 2018 में शुरू किया गया और मार्च 2019 तक ₹ 122 करोड़ मूल्य के 27,853 खातों का इसका संविभाग रहा।
- भारत सरकार के सार्वजनिक स्वर्ण बाँडों (सॉवरिन गोल्ड बांडों) की प्रतिभूति पर वैयक्तिक ऋण।

8. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) व्यवसाय

31 मार्च 2019 को आपके बैंक के पास 37 लाख एनआरआई ग्राहक रहे, जिनको भारत की 93 समर्पित एनआरआई शाखाओं एवं विदेश स्थित कार्यालयों के नेटवर्क के जरिए सेवाएं दी जा रही हैं। हमारे 234 वैश्विक बैंकों के साथ संपर्की संबंध भी हैं और 55 एक्सचेंज हाउस एवं छह बैंकों (मध्य पूर्व) के साथ गठजोड़ भी हैं, ताकि धन-प्रेषण की सुविधा दी जा सके। विश्व में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने हम पर हमेशा भरोसा किया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी एक तिहाई जमाराशियां (भारतीय बैंकिंग प्रणाली की) हमारे पास हैं।

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2019 में अपने अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लाभ के लिए निम्नलिखित उत्पाद/सेवाएं शुरू की हैं:

- अनिवासी भारतीयों के लिए एसबीआई टैक्स सेविंग्स स्कीम (एनआरओ डिपॉजिट) शुरू की गई है, जिसमें ग्राहक आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं (जमा की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष है और कर राहत प्रति वित्त वर्ष ₹1,50,000 तक उपलब्ध होगी।)।
- मिस्ड कॉल एवं एसएमएस बैंकिंग सुविधा अनिवासी भारतीयों के लिए शुरू की गई है, जहां ग्राहक अपने मोबाइल से पहले से ही निर्धारित नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपने खातों की नवीनतम शेष, मिनी स्टेटमेंट अपने सेल फोन पर एसएमएस के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा विशेषकर उन ग्राहकों के लिए उपयोगी है, जो इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते। ग्राहक इस सुविधा के जरिए अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक अथवा कार्ड के उपयोग को सीमित कर सकते हैं।
- अनिवासी भारतीय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना (एनपीएस) के साथ अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाकर उसे सुरक्षित कर सकते हैं। यह उत्पाद इस समय सभी एसबीआई एनआरआई ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और वे इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर भी एनपीएस खाता खोल सकते हैं/चला सकते हैं।
- एसबीआई वेल्थ, आपके बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट पहल है, जो वेल्थ को सृजित करने, संरक्षित करने और बढ़ाने की सुविधा देती है। अब यह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज के एनआरआई ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है।

9. वेल्थ मैनेजमेंट व्यवसाय

आपके बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं अब 44 केंद्रों पर 121 वेल्थ हब्स, 4 ई-वेल्थ सेंटर एवं एक ग्लोबल ई-वेल्थ सेंटर के साथ उपलब्ध हैं जिसमें 31 नए केंद्र एवं 45 नए वेल्थ हब्स वर्ष के दौरान जोड़े गए हैं। वेल्थ हब्स का प्रबंध रिलेशनशिप मैनेजर्स और इनवेस्टमेंट काउंसिलर्स की एक अलग टीम द्वारा किया जाता है। इन्हें उत्पादों एवं बाज़ार का अच्छा ज्ञान रहता है। इस टीम में आपरेशनल रोल्स के लिए विभाग के अपने वरिष्ठ अधिकारी भी उपलब्ध कराए गए हैं।

ब्रांडिंग के लिए बेहतर संपर्क और जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आपके बैंक ने वेल्थ मैनेजमेंट व्यवसाय की री-ब्रांडिंग कर 'एसबीआई एक्सक्लूसिफ' का नाम बदलकर 'एसबीआई वेल्थ' कर दिया है।

यह एक ओपन इनवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो आधुनिकतम टेक्नोलोजी से काम करता है। इसके तहत बैंक के ग्राहकों को उनकी जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बेहतरीन अनुभव के साथ विशेष रूप से उन्हीं के लिए अलग तरह की सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान कोलकाता में एक नया ई-वेल्थ सेंटर खोला है। इसमें सामान्य से अधिक समय तक लेनदेन करने की सुविधा मुहैया कराई गई है। इन ई-वेल्थ सेंटर में आवाज़ एवं वीडियो कॉल पर लेनदेन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके बैंक का सदैव से प्रयास रहा है कि ग्राहकों को एक स्थान पर ही सर्वांगीण अनुभव प्रदान किया जाए। आपके बैंक ने निवेश लेनदेन हेतु ₹एसबीआई वेल्थ मोबाइल ऐप का नया वर्जन भी शुरू किया है।

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अबू धाबी, बहरीन एवं दुबई में रिलेशनशिप मैनेजर्स (एनआरआई वेल्थ) की नियुक्ति की है। बहरीन, कुवैत, कतर, सल्तनत ऑफ अमन, यूएई में रहने वाले एनआरआई ग्राहक भी वेल्थ ग्राहक बन सकते हैं। वे अपनी इच्छानुसार भारत प्रवास के दौरान ई-वेल्थ सेंटर या वेल्थ हब्स से वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं ले सकते हैं। आपके बैंक ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को सेवाएं देने के उद्देश्य से कोच्चि में भी आधुनिक टेक्नोलोजी से सुसज्जित एक ग्लोबल ई-वेल्थ सेंटर खोला है।

आपके बैंक ने शेयर बाज़ार की स्थितियों एवं निवेश अवसरों पर उच्च स्तरीय निवेश कॉन्क्लेव आयोजित किए जिनमें वित्त एवं प्रमुख शेयर बाज़ारों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। इन कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में वर्तमान एवं संभावित एसबीआई वेल्थ ग्राहकों ने सहभागिता की।

एसबीआई वेल्थ की तीसरी वर्षगांठ को यादगार बनाने एवं वेल्थ ग्राहकों के साथ मज़बूत एवं प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए आपके बैंक ने मुंबई में विशिष्ट ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इसने कोयंबतूर में 100 वें वेल्थ हब का शुभारंभ करते समय वित्तीय योजना संदर्भ प्रकाशन के दूसरे संस्करण का विमोचन भी किया।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आपके बैंक के वेल्थ मैनेजमेंट व्यवसाय ने ग्राहक जोड़ने एवं प्रबंधाधीन असेट्स के संबंध में शानदार वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2018 में ग्राहकों की संख्या 24,168 थी जो मार्च 2019 में बढ़कर 55,502 हो गई एवं उक्त अवधि में प्रबंधाधीन असेट्स (एयूएम) की राशि ₹14,284 करोड़ से बढ़कर ₹30,270 करोड़ हो गई।

क. सर्वसमय चैनल

वित्त वर्ष	एटीएम	कियोस्क	एडीडब्ल्यूएम	योग
31 मार्च 2016	42,733	1,231	5,760	49,724
31 मार्च 2017	42,222	986	6,980	50,188
31 मार्च 2018*	51,616	#	7,925	59,541
31 मार्च 2019*	50,757	#	7,658	58,415

#कियोस्क बंद किए गए हैं, उपयोग में नहीं हैं। *विलय पश्चात

1. एटीएम/एडीडब्ल्यूएम

आपके बैंक का विश्व में सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है। इसमें 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ऑटोमेटेड डिपॉजिट एंड विदड्राअल मशीनों (एडीडब्ल्यूएम) सहित 58,415 एटीएम हैं। आपके बैंक ने ग्राहकों को 24x7 कैश डिपॉजिट और विदड्राअल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 7,658 ऑटोमेटेड डिपॉजिट एंड विदड्राअल मशीनें और कैश डिपॉजिट मशीनें लगाई हैं।

आपके बैंक के लगभग 36% वित्तीय लेनदेन एटीएम/ऑटोमेटेड डिपॉजिट एंड विदड्राअल मशीनों के माध्यम से होते हैं। आपके बैंक की भारत में एटीएम नेटवर्क में 28.73% बाजार हिस्सेदारी (आरबीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार) है। देश के कुल एटीएम लेनदेन में से 50.81 प्रतिशत लेनदेन एसबीआई एटीएम नेटवर्क से होते हैं। औसतन प्रतिदिन 1.40 करोड़ से अधिक लेनदेन हमारे एटीएम नेटवर्क के माध्यम से किए जाते हैं।

धरती को हरा-भरा रखने की और स्वच्छता अभियान पहल के तहत आपके बैंक ने 43 प्रकार के असफल लेनदेनों के लिए लेनदेन पर्चियाँ छापनी बंद कर दी हैं। इसने लगभग 2,400 एटीएम साइटों पर सोलर पैनल भी लगाए हैं।

आपके बैंक द्वारा देशभर में 2,200 से अधिक ई-कॉर्नर लगाए गए हैं, जहां ग्राहक एटीएम, एडीडब्ल्यूएम, स्वयम्, चेक डिपॉजिट किओस्क एवं ऑनलाइन बैंकिंग किओस्क के जरिए कई प्रकार की सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

एटीएम और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी बढ़ायी जा रही है। आपके बैंक द्वारा 31 मार्च 2019 को लगभग 13,000 एटीएम मशीनों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी रखी जा रही है और 15,000 एटीएम साइटों पर यह शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

2. स्वयम्:बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग किओस्क

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान लगभग 3,200 स्वयम् मशीनें (बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग किओस्क) स्थापित की हैं और इसके साथ कुल स्वयम् मशीनों की संख्या 17,400 हो गई है। इन किओस्क में ग्राहक बारकोड तकनीक का उपयोग करते हुए स्वयं अपनी पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। आपके बैंक ने थ्रू द वॉल स्वयम् मशीनें भी लगाई हैं, जिनमें अतिरिक्त कार्य समय के लिए प्रिंटिंग की सुविधा मिलती है। इन किओस्कों पर प्रति माह 3.45 करोड़ से अधिक लेनदेन होते हैं।

3. ग्रीन चैनल काउंटर (जीसीसी)

जीसीसी सभी रिटेल शाखाओं में स्थापित की गई हैं। जीसीसी के जरिए एसबीआई के अंदर कैश विदड्राअल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, शेष पूछताछ एवं मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। जीसीसी के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 8.20 लाख लेनदेन किए जाते हैं।

4. ग्रीन रेमिट कार्ड (जीआरसी)

जीआरसी प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेषकर उपयोगी है। एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से कोई भी एसबीआई के विनिर्दिष्ट खाते में जीसीसी/सीडीएम/एडीडब्ल्यूएम का उपयोग करके पैसा भेज सकता है। जीआरसी पर प्रतिदिन औसतन 1.50 लाख से अधिक लेनदेन हो रहे हैं।

5. मोबाइल पर बैंकिंग :

योनो लाइट - आपके बैंक का रिटेल ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप अब 'योनो लाइट' के नाम से जाना जाता है। इसमें अंतः एवं अंतर बैंक फंड्स ट्रांसफर करने (एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस/यूपीआई के माध्यम से), सावधि जमा खाते, ई-मोड खाते खोलने और बेनेफिशियरी ऐड/मैनेज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐप पर उपलब्ध अतिरिक्त मूल्यवर्धित सेवाओं में आधार लिंकिंग, आवाज सहायता संचालित बैंकिंग, ई-स्टेटमेंट सबस्क्रिप्शन/डाउनलोड, स्टॉप/रिवोक चेक इंस्ट्रक्शंस और टीडीएस में छूट प्राप्त करने के लिए फॉर्म 15जी/15एच प्रस्तुत करने की और अन्य बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

एसबीआई एनीवेयर कॉरपोरेट - आपके बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप बड़ी कॉरपोरेट फर्मों के लिए बैंकों के बीच पैसा ट्रांस्फर करने, सावधि जमा खाते खोलने एवं संचालित करने, ईपीएफओ को भुगतान करने, खाता विवरण देखने, लेनदेन करने और रीचॉर्ज/बिल भुगतान आदि करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, यह बड़ी कॉरपोरेट फर्मों के लिए एकाधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, व्यवसाय घरानों को खाते संचालित करने, एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने, बिलों का भुगतान/आपूर्तिकर्ता को भुगतान, ई-चेकों/ई-एसटीडीआर को अधिकृत करने, सावधि जमा खाते खोलने/संचालित करने की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल बैंकिंग चैनल के पास अब 141 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और इसने ₹2,74,029 करोड़ राशि के लेनदेन किए हैं।

मोबाइल बैंकिंग:
लेनदेनों की संख्या में बाजार अंश (% में)

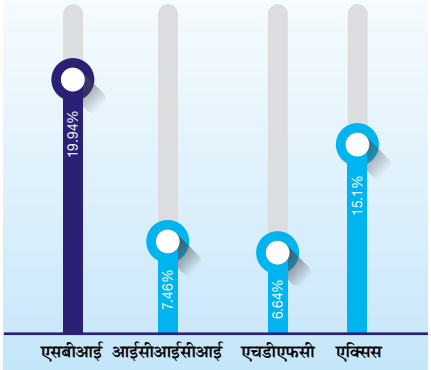

6. एसबीआई पे (भीम)

बैंक का एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित ऐप के माध्यम से अलग अलग बैंकों के खातों में एकाधिक मोड्स यथा वर्चुअल भुगतान एड्रेस, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी, क्यूआर कोड की स्कैनिंग से पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करते हुए इसे वास्तव में अंतर-संचालित बना रहा है। 553 लाख से भी अधिक से उपयोगकर्ताओं ने एसबीआई यूपीआई प्रणाली पर पंजीकृत करवा रखा है और वित्त वर्ष 2019 के दौरान एसबीआई यूपीआई चैनल के माध्यम से ₹2.96 लाख करोड़ से अधिक राशि के 129 करोड़ लेनदेन सफलतापूर्वक किए गए। भीम एसबीआई पे के जरिए अब प्रयोक्ताओं को बिल भुगतान, ट्रैवेल बुकिंग एवं भोजन ऑर्डर करने की सुविधा होगी, जिससे यह ऑल-इन-वन यूपीआई ऐप बनेगा। कई अच्छे कार्यों जैसे कि क्लीन गंगा फंड एवं विभिन्न मुख्यमंत्री राहत कोषों के दान देने की सुविधा इस ऐप में दी गई है, जिससे जरूरतमंदों के लिए तुरंत अंशदान किया जा सके।

भारत को लेस कैश अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बड़ी-बड़ी बहुदेशीय कंपनियों ने डिजिटल भुगतान बैंडवैगन को अपना लिया है। आपका बैंक अपने यूपीआई मल्टी बैंक इंटेग्रेशन मॉडल के अंतर्गत गूगल इंडिया के साथ भी भागीदारी करते हुए उनके पे ऐप के प्रयोक्ताओं को यूपीआई सेवाएं दे रहा है। 31.03.2019 तक इस ऐप पर लेनदेन करने के लिए 312 लाख से भी अधिक गूगल पे प्रयोक्ताओं ने 31 मार्च 2019 तक एसबीआई के @OKSBI हैंडल पर अपने बैंक खातों को लिंक किया है।

प्रेषक बैंक के रूप में बाजार अंश (%)

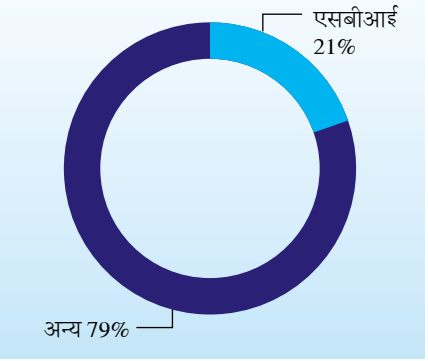

लाभार्थी बैंक के रूप में बाजार अंश (%)

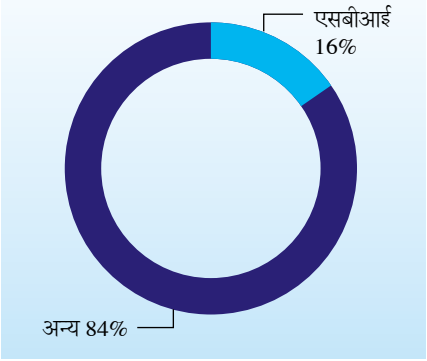

भुगतानकर्ता पीएसपी के रूप में बाजार अंश (%)

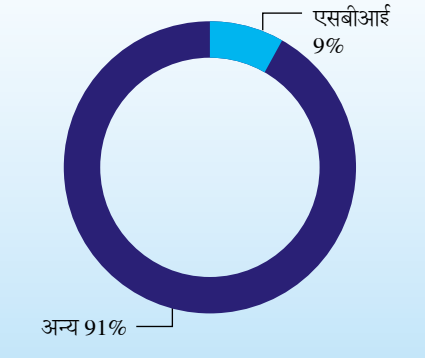

आदाता पीएसपी के रूप में बाजार अंश (%)

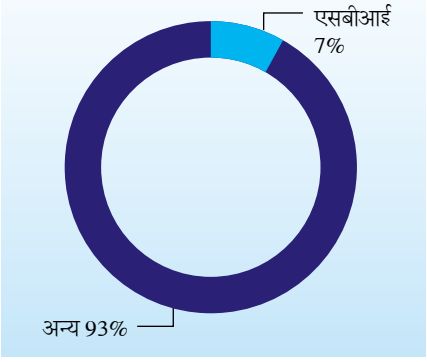

एसबीआई ई-पे- बैंक का अपना भुगतान एग्रिगेटर

एसबीआई ई-पे भारत का सबसे पहला एवं एकमात्र बैंक आधारित भुगतान एग्रिगेटर है, जिसे मार्च 2014 में शुरू किया गया। एसबीआई ई-पे बैंक एग्नॉस्टिक बड़ा ग्राहक आधार प्राप्त करने के लिए मर्चेंटस हेतु प्लेटफार्म है, जो मर्चेंट के ऑनलाइन ग्राहकों को विभिन्न ऑनलाइन भुगतान विकल्प देता है। पिछले वर्ष के दौरान एसबीआइ ई-पे में असाधारण वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि आपके बैंक के साथ लाए गए मर्चेंटों की संख्या वित्त वर्ष 2018 के 125 से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में 225 हो गई। आपके बैंक ने ऑनलाइन भुगतान पेशकश की श्रृंखला में चार नए चैनल यथा- एनईएफटी, प्री-पेड कार्ड, यूपीआई, और एसबीआई ई-पे-पीओएस जोड़ लिए हैं और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि जैसे अन्य बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग के साथ सीधा जोड़ लिया है। इससे लेनदेन की संख्या में 115% की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई। निपटान किए गए लेनदेन का मूल्य वित्त वर्ष 2018 के ₹24,487 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में ₹38,207 करोड़ रहा, जिसके कारण बैंक द्वारा अर्जित कमीशन/शुल्क आय बढ़ी। एसबीआई ई-पे को वित्त वर्ष 2019 के दौरान ₹49.68 करोड़ की आय हुई, जो वित्त वर्ष 2018 की तुलना में 54% अधिक है।

7. डिजिटल बैंकिंग

भारत में डिजिटल भुगतान क्षेत्र तेजी से विकसित होता जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करके नए भारत के निर्माण को गति देने में जोरदार योगदान कर रहा है। भारत सरकार भी देश को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दे रही है। इसे देखते हुए आपका बैंक भी देश के कोने कोने में अपने बैंकिंग कारोबार में डिजिटलीकरण का विस्तार कर रहा है।

योनो - योनो, हमारा ध्वजवाहक ग्राहक-उन्मुख डिजिटल बैंक है जो विभिन्न बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, जीवनशैली आवश्यकताओं का पूर्ति करता है। एक ही चैनल पर ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की निर्बाध सेवाएं देने वाले इस ऐप में ग्राहक को विश्व स्तरीय अनुभव प्राप्त होता है। योनो कर्मचारी निर्भर प्लेटफार्म भी है, जिसमें उन्हें नेमी बैंकिंग सेवाओं का संपूर्ण डिजिटलीकरण करना होता है।

योनो के माध्यम से हमारा ग्राहक आज निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त कर सकता है:

- डिजिटल खाता खोल सकता है और मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर सभी बैंकिंग लेनदेन कर सकता है।
- परामर्श ले सकता है विभिन्न प्रकार के गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाएं उत्पाद जैसे म्यूचुअल फंड्स, जीवन/साधारण बीमा, क्रेडिट कार्ड आदि ले सकता है।
- 89 मर्चेंट पार्टनरों से और 21 प्रकार के प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग उत्पादों के अलावा विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पाद सबसे कम कीमतों पर ले सकता है।
- इसके साथ-साथ हमारे कर्मचारी हमारे ग्राहकों को वही सेवाएं उनकी सहायता से भी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रक्रियाओं को भी डिजिटलीकृत किया गया है और अब 60% शाखा कार्य डिजिटलीकृत किए जा चुके हैं। इससे प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद मिली है। ग्राहकों को बेहतर शाखा अनुभव मिलने लगा है। उनकी सेवाओं को अब अन्य बेहतर गतिविधियों में लगाया जा सकता है।

योनो का प्रभाव:

अपनी शुरुआत के एक वर्ष में ही योनो के माध्यम से बैंक का व्यवसाय बढ़ाने, नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने और मौजूदा ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने में बेहतर नतीजे हासिल किए गए हैं।

योनो से अब तक 2 करोड़ डाउनलोड तथा लगभग 73.49 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रोजाना 10 लाख से अधिक यूजर लॉगइन करते हैं।

ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने में भी काफी तेजी देखी गई है। प्रतिदिन लगभग 25,000 से अधिक डिजिटल खाते खुल रहे हैं जो बैंक द्वारा खोले जा रहे सभी पात्र खातों के 75% से अधिक है। इनमें सामान्य खातों की तुलना में 30-40% अधिक बैलेंस रहता है।

योनो के जरिये वैयक्तिक ऋण लेने वालों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है और यह एक प्रमुख चैनल के रूप में उभरा है। योनो पर प्रतिमास लेनदेन की राशि ₹300 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है और ये सभी पूर्णतया कागजरहित हो रहे हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा उत्पाद जैसे बीमा, म्यूचुअल फंड एवं अन्यों में भी अब तक का सर्वाधिक कारोबार हुआ है।

हमारे ग्राहकों द्वारा इसका उपयोग किए जाने से बाजार में कारोबार कर रही संस्थाओं को भी अपना व्यवसाय बढ़ाने में भारी सफलता मिल रही है। हर महीने लॉगइन करने वालों में से 25% बाजार की अन्य संस्थाओं से खरीद-फरोख्त भी इसी माध्यम से कर रहे हैं। इन ग्राहकों का इस ऐप पर 45% समय बाजार से खरीदारी करने में ही बीतता है।

डिजिटलीकरण के बढ़ते प्रयोग के चलते जो खाते पहले 50 मिनट से अधिक समय में खोले जाते थे वे अब 10 मिनट में खुल रहे हैं और कुछ लेनदेनों की तो अब बैंक ऑफिस पर प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।

योनो के माध्यम से और भी अन्य बहुत से अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहे हैं जैसे सीकेवाईसी प्रक्रिया सरल हुई है, कागज पर आवेदन फार्म प्रस्तुत करने, स्वचालित ग्राहक वैधीकरण एवं अन्यों की आवश्यकता नहीं रही।

योनो को प्राप्त पुरस्कार :

- "सीएसआई आईटी इनोवेशन एंड एक्सिलेन्स अवार्ड 2018 - डिजिटल रूपान्तरण लागू करने के लिए श्रेष्ठ बीएफएसआई पुरस्कार (दिसं. 2018)।
- "एबीपी न्यूज बीएफएसआई अवार्ड 2018"- प्रौद्योगिकी अभिमुखीकरण में श्रेष्ठ बैंक (नवं. 2018)
- एशियन बैंकिंग एंड फाइनैंस रिटेल बैंकिंग अवार्ड्स, सिंगापुर का "मोबाइल बैंकिंग इनीशिएटिव ऑफ द इयर-इंडिया" पुरस्कार (जुलाई 2018)
- इंडियन एक्सप्रेस अवार्ड 2018; एंटरप्राइज मोबिलिटी कैटेगरी (जून 2018)
- ईटी बीएफएसआई इनोवेशन अवार्ड्स (सितंबर 2018)

योनो की 31 मार्च 2019 को उल्लेखनीय उपलब्धियां

- 2 करोड़ + ऐप्लिकेशन डाउनलोड्स
- 73.49 लाख रजिस्ट्रेशंस
- एंड्रॉयड पर ऐप रेटिंग 3.7 और आयओएस पर 2.8
- 10 लाख + लॉग इन रोजाना
- 98.31 लाख + फंड ट्रांस्फर्स (₹13,413.64 करोड़) किए गए
- 2.40 लाख + फिक्स्ड डिपोजिट्स खोले गए
- 13.84 लाख + बिल भुगतान किए गए
- 27.50 लाख + डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स
- ₹3800 करोड़ राशि के डिजिटल कागजरहित प्री-एप्रूव्ड पर्सनल लोन्स 3.14 लाख + ग्राहकों को संवितरित किए गए जिनमें चुकौती में चूक की दर 0.01% से भी नीचे रही।
- 21 श्रेणियों में भी बीटूसी मार्केट प्लेस प्लेटफार्म पर 89 मर्चेन्ट भागीदारों को लाइव उपलब्ध कराए गए 1,37,000 लेनदेन (लगभग ₹60 करोड़ कुल मर्केंडाइज राशि), 1.66 करोड़ मर्चेंट क्लिक और 54,115 आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग्स।
- म्यूचुअल फंड्स कुल बिक्री राशि ₹8,324.79 लाख
- जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियाँ राशि ₹981.46 लाख (नं: 3,19,936)
- लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ राशि ₹1,315.47 लाख (नवीकरण) और ₹550.93 लाख (नई) योनो प्लेटफॉर्म पर बेची गई।
- 2.16 लाख+ एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स लिंक किए गए; 5.79 लाख कार्ड भुगतान ₹678 करोड़ की राशि के किए गए। 1.93 लाख नए कार्ड ग्राहक जोड़े गए।
- ऑनलाइन लीड जनरेशन एवं होम लोन के लिए रिटेल लोन सैद्धांतिक अनुमोदन/संस्वीकृति दी गई है (वर्तमान ग्राहक) 45,475 लीड जनरेट किए गए जिनमें से 9,356 सैद्धांतिक अनुमोदन किए गए (लगभग ₹1,402 करोड़)।
- नवोन्मेषी उत्पाद योनो कैश अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किया गया है, जो योनो कैश प्वाइंटों (एटीएम) पर कार्डरहित, कागजरहित आहरण करने की सुविधा देता है। बार-बार एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए डिजिटल अभियान, योनो कैश लेनदेनों के लिए अतिरिक्त रिवार्ड प्वाइंट शुरू कर लक्षित ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए नवोन्मेषी योनो कैश फीचर का पूरा लाभ देश भर में 19601 एटीएम पर उठाया जा सकता है। इसमें योनो कैश के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनलों, शाखाओं एवं बीसी चैनल पर कागजरहित/कार्डरहित कैश आहरण शामिल होंगे।

डेबिट कार्ड: आपका बैंक भी ग्राहकों को एटीएम पर डेबिट कार्ड का उपयोग करके नकदी निकालने के बजाय प्वाइंट आफ सेल्स टर्मिनलों/ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर ले जाने पर ज्यादा जोर दे रहा है। प्वाइंट आफ सेल्स टर्मिनलों/ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर एक दिन में सबसे ज्यादा खर्च धनतेरस के अवसर पर ₹1000 करोड़ का हुआ।

आपके बैंक ने डेबिट कार्ड में भी विभिन्न नई सुविधाएं शुरू की हैं। इनमें प्रमख हैं- कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, भारत क्यू आर सैमसंग पे, वीज़ा चेकआउट और पर्सनलाइज्ड इमेज डेबिट कार्ड 'माईकार्ड'। बैंक ने मुंबई मेट्रो, चेन्नै मेट्रो, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे, आईओसीएल तथा अन्य विभिन्न संस्थानों के साथ को-ब्रांडिड डेबिट कार्ड/कॉम्बो कार्ड जारी करने के लिए गठजोड़ किया है।

इन नए प्रयासों के चलते भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी डेबिट कार्डों से सबसे ज्यादा खर्च किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2019 को इस कारोबार में हमारे बैंक का बाजार अंश 29.89% रहा। 31 मार्च 2019 को आपके बैंक के 29.67 करोड़ सक्रिय डेबिट कार्ड थे और देश भर में डेबिट कार्ड जारी करने में यह सर्वप्रथम रहा।

स्टेट बैंक फॉरेन ट्रैवल कार्ड (एफटीसी): स्टेट बैंक फॉरेन ट्रैवल कार्ड्स (एफटीसी) एक चिप आधारित, ईएमवी कम्प्लायंट कार्ड है और वीज़ा एवं मास्टर कार्ड स्कीम्स के तहत जारी किया गया है जिसमें विदेश यात्रा करने वालों को संरक्षा, सुरक्षा सुविधा मिलती है। वीज़ा में यह एक सिंगल करेंसी के रूप में 8 करेंसियों - यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जैपनीज़ येन, सउदी अरब रियाल एवं सिंगापुर डॉलर में और मास्टर कार्ड में मल्टीकरेंसी कार्ड के रूप में 7 करेंसियों - यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर एवं यूएई दिरहम में उपलब्ध है। बैंक द्वारा एसबीएफटीसी विभिन्न कॉरपोरेट रूपों में भी शुरू किया गया है जिससे कॉरपोरेट ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आपका बैंक एफएफएमसी (फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स) के साथ गठजोड़ का भी जोरदार प्रचार-प्रसार कर रहा है।

फास्टैग्स: आपके बैंक ने ग्राहकों को छह लाख से अधिक एसबीआई फास्टैग्स जारी किए हैं। 31 मार्च 2019 को एसबीआई फास्टैग्स के लेन-देन 216 लाख से भी अधिक रहे और इनके कुल लेन-देन की राशि ₹395 करोड़ से अधिक रही। आपके बैंक ने फास्टैग्स सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगमों को अपने बैंक के साथ जोड़ लिया है।

मेट्रो और ट्रांज़िट परियोजनाएँ: आपके बैंक ने नोयडा मेट्रो परियोजना के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) द्वारा निर्धारित मानदंडों का प्रयोग कर रुपे प्रीपेड कार्ड पर आधारित परिपूर्ण टिकट समाधान देकर इन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया, जो एक अद्वितीय उपलब्धि है। आपके बैंक को हैदराबाद और नागपुर मेट्रो परियोजना में एनसीएमसी कार्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित ओपनलूप आटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम को लागू करने के लिए चुना गया जिस पर इस समय काम हो रहा है।

स्मार्ट शहर: आपके बैंक ने भारत के 100 चुनिंदा स्मार्ट शहरों में भुगतान-व्यवस्था को अपने साथ लाने के लिए एक अलग टीम बनाई है। योजना है कि एक शहर एक कार्ड पहल से मार्ग समाधान/ उससे जुड़े टिकटिंग समाधान देकर स्मार्ट शहरों की भुगतान-व्यवस्था से जुड़ना है।

Cash@PoS: नकदी निकालने में सुविधा चाहने वाले अधिकाधिक लोगों तक पहुँचने और उन्हें आसान नकदी आहरण सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक Cash@PoS अभियान के माध्यम से नकदी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सभी बैंकों के डेबिट कार्ड धारक विभिन्न मर्चेंट केंद्रों पर लगाई गई PoS मशीनों से नकदी निकाल सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार टियर। और टियर II शहरों से ₹1,000 जबकि टियर 3 से टियर 6 शहरों से ₹2,000 प्रति कार्ड प्रति दिन निकाले जा सकते हैं। वर्तमान

में, आपका बैंक कोई फीस नहीं ले रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के कुल 5.75 लाख PoS मशीनें हैं। इनमें से 4.78 लाख PoS मशीनों पर आपके बैंक के ग्राहकों को और जिन बैंकों ने अपने ग्राहकों को यह सुविधा दी है उन्हें नकदी वितरित करने की व्यवस्था की हुई हैं।

मर्चेंट कारोबार आपके बैंक में लाना: भारत में डिजिटल पेमेंट्स व्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। बैंक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के माध्यम से अग्रसर भारत में विकास की गति को तेज करने में योगदान कर रहा है। भारत सरकार के लेस कैश अर्थव्यवस्था बनाने के फोकस के अनुरूप बैंक द्वारा देश भर में अपने डिजिटल कारोबार का फैलाव किया गया है। वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने मोपेड अर्थात मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस की शुरुआत की, जो पॉइंट आफ सेल्स टर्मिनल पर कार्ड/ भारत QR/ यूपीआई और एसबीआई बडी (ई-वॉलेट) से भुगतान करने में आसान है। आपके बैंक ने देश भर में अपने डिजिटल कारोबार का फैलाव 5.75 लाख पीओएस टर्मिनल, 4.19 लाख भारत QR कोड, और भीम-आधार-एसबीआई आधार के लिए करते हुए 6.31 लाख मर्चेंट्स को अपने बैंक में लाया है। कुल मिलाकर 31 मार्च 2019 को मर्चेंट भुगतान स्वीकार करनेवाले स्थानों की संख्या 27.91 लाख से अधिक थी। वित्त वर्ष 2019 के दौरान आपके बैंक ने इन मर्चेंट्स के जरिये लगभग 54 करोड़ लेन-देन किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक हैं। आपके बैंक द्वारा अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे -

- पीओएस टर्मिनलों पर एनएफसी स्वीकार करना
- डीसीसी- डायनेमिक करेंसी कन्वर्शन
- ईएमआई
- कैश@पीओएस
- एमैक्स/डायनर्स/डीएफएस/जेसीबी/यूपीआई स्वीकार करना

आपका बैंक मौजूदा कारोबार को मजबूत बनाने के अलावा प्रीमियम खंडों जैसे-ओएमसी, रिटेल चेन्स, लाइफ स्टाइल स्टोर्स और हॉलिडे रिसोर्ट्स वाले मर्चेंटों को बैंक के साथ जोड़ने के प्रयास निरंतर जारी रखे हुए हैं। बैंक ने प्रमुख कॉरपोरेटों एवं सरकारी विभागों से उनके नकद लेनदेन को डिजिटल माध्यम पर लाने के लिए गठजोड़ किया है। कुछ उल्लेखनीय गठजोड़ों में भारतीय रेल, साउथको (ओडिशा), एपीडीसीएल (असम पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.), गोवा- जीबीएसएस परियोजना (गोवा सरकार), साइबर ट्रेजरी (मध्य प्रदेश सरकार), आईजीआर (इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार), चेन्नई के साथ किए गए गठजोड़ शामिल हैं। आपके बैंक ने सरकार की एक राष्ट्र एक कार्ड की पहल को लागू करने के लिए अपने पीओएस टर्मिनलों पर एनसीएमसी के लिए कार्ड स्वीकृति व्यवस्था विकसित की है।

आपके बैंक ने मर्चेंट अक्वायरिंग बिजनेस अपनी सहायक कंपनी एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (एसबीआई पीएसपीएल) को दे दिया है। इसके बाद हिताची पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि., जो इस कारोबार का अच्छा अनुभव रखता है, को आधे से कम हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम भागीदार बना लिया। इससे एसबीआईपीएसपीएल को डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस सिस्टम में नए टेक्नेलोजी संचालित प्रोडक्ट्स की पेशकश कर पाएगा जिससे डिजिटल इंडिया अभियान को बल और मर्चेंट को बेहतर अनुभव मिलेगा।

बैंक के अध्यक्ष वार्टन यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देते हुए ।

बैंक के अध्यक्ष द्वारा मुंबई में योनो कैश का शुभारंभ।

8. ग्राहक मूल्य संवर्धन

आपका बैंक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कॉरपोरेट एजेंट है। इसने एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के उत्पादों के वितरण के लिए वितरण करार किया है। आपका बैंक यूटीआई, म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, फ्रेंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड, एलएंडटी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरण भी करता है। इसके अलावा, सभी शाखाएँ राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के अंतर्गत पेंशन खाता खोलने के लिए प्राधिकृत हैं।

निष्पादन की विशेषताएँ: (क्रॉस सेलिंग से कमीशन)

संयुक्त उद्यम	वास्तविक	
	मार्च 18 में समाप्त वर्ष अब तक (₹ करोड़ में)	मार्च 19 में समाप्त वर्ष अब तक (₹ करोड़ में)
एसबीआई लाइफ	714.75	951.90
एसबीआई एमएफ	560.51	503.00
एसबीआई जनरल	212.57	270.86
एसबीआई कार्ड	135.83	190.69
एसएसएल	5.14	6.70
एनपीएस	2.44	4.11
कुल	**1631.24**	**1927.26**

नए प्रयास और सफलताएं

एसबीआई लाइफ

- डिजिटल सेल वित्त वर्ष 18-19 में 22% से बढ़कर 92% पर पहुँच गई।
- जीवन बीमा पॉलिसीधारकों की संख्या मार्च 19 में बढ़कर 54,317 हो गई जो मार्च 18 में 46,180 थी (17.6% की वृद्धि)

एसबीआई एमएफ

- एसबीआई एयूएम के मामले में भारत का नंबर 1 बैंक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया (₹72,000 करोड़ से अधिक)
- एसबीआई लाइव एसआईपी नंबर और एसआईपी बुक वैल्यू के मामले में मार्च 19 की स्थिति के अनुसार निरंतर बाजार में सबसे आगे बना हुआ है (22 लाख से अधिक)

एसबीआई जनरल

- जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों की संख्या मार्च 19 में बढ़कर 22,034 पर पहुंच गई, जो मार्च 18 में 20,646 थी (6.72% की वृद्धि हुई)

एसबीआई कार्ड

- बैंका चैनल के माध्यम से जारी कार्डों की संख्या वित्त वर्ष 2019 में 15 लाख के ऊपर चली गई
- बैंक का चैनल के माध्यम से बेचे गए कार्डों का प्रतिशत वित्त वर्ष 2018 में एसबीआई कार्ड द्वारा जारी किए गए कुल कार्डों का 45% था जो वित्त वर्ष 2019 में 55% पर पहुंच गया।

एसएसएल/एनपीएस

- बैंक इस वर्ष भी अधिकतम संख्या में एनपीएस खाते खोलने वाले अपने स्थान को निरंतर बरकरार रखे हुए है।
- बैंक ने पीएफआरडीए द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों में अपनी सर्वोच्च उपस्थिति दर्ज कराई
- बैंक ने डीमैट खाते जुटाने और एनपीएस खाते खोलने से होने वाली आमदनी में अच्छी वृद्धि दर्ज की।

9. इंटरनेट बैंकिंग एवं ई-कॉमर्स

एसबीआई डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में निरंतर बढ़ते हुए सबसे आगे बना हुआ है। 'Onlinesbi' सुविधा अब सभी ग्राहक समूहों तक पहले से कहीं अधिक संख्या में पहुँचा दी गई है। पहले नौ महीनों के दौरान इस चैनल ने 129.23 लाख से अधिक नए प्रयोक्ताओं के साथ अपनी उपस्थिति का विस्तार किया, जो कि पिछले वर्ष की पहुंच से कहीं अधिक है (तालिका देखें)।

ग्राहकों को अधिक सुविधाएं एवं उन्हें बेहतर अनुभव देने के लिए 'Onlinesbi' में नई विशेषताओं एवं कई एड ऑन सुविधाओं के साथ इस प्लेटफार्म पर लगभग ₹127.78 लाख करोड़ मूल्य के 162 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है (तालिका देखें)। इससे पता चलता है कि ग्राहकों का हमारी पेशकशों और सेवा में विश्वास बढ़ता जा रहा है।

प्रमुख निष्पादन संकेतक	2017-18	2018-19
नए प्रयोक्ता पंजीकरण (₹लाख में)	94.63	129.23
लेनदेन की मात्रा (₹करोड़ में)	156.56	162.06
लेनदेन का मूल्य (₹करोड़ में)	95,07,340	127,77,976

नई शुरुआतों में से कुछ प्रमुख का विवरण:

- ग्रीन पासवर्ड वर्ष के दौरान शुरू किया गया जिससे ग्राहक आधार तो बढ़ेगा ही साथ में हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रयोक्ता बिना परेशानी के स्वयं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर पाएगा। इससे मौजूदा और नए ग्राहकों में इंटरनेट बैंकिंग का बड़े पैमाने पर विस्तार हो पाएगा।
- वर्चुअल अकाउंट नंबर (वैन) की शुरुआत की गई है जो बड़े कॉरपोरेट ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप कलेक्शन टूल का काम करेगा। इसमें अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक कोड की सुविधा मिलती है जिससे कॉरपोरेटों को रेमिटरों के खाते के विवरण जानने में मदद मिलती है। यह इस वर्ष की एक बड़ी उपलब्धि है।
- इस वर्ष के दौरान नॉन-इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को एक और नई सुविधा मिली है जिसके तहत वे सीबीएस रिकॉर्ड में अपने ईमेल आईडी को अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 'यूज़फुल लिंक्स टैब में' रजिस्टर/अपडेट योर ईमेल आईडी विकल्प का उपयोग करना होगा।
- ग्राहकों को दी गई नई सुविधाओं में एक प्रमुख सुविधा एसएमएस/ईमेल के जरिये प्राप्त ट्रांजैक्शन अलर्ट्स के उत्तर देने की सुविधा है जिससे वे अनधिकृत लेनदेनों की तुरंत सूचना दे सकें।
- मोबाइल पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया जिससे ग्राहकों को आसानी से एसएमएस अलर्ट्स मिल सकें।
- फॉर्म 16ए को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा अब ऑनलाइनएसबीआई के माध्यम से उपलब्ध है।

ग. लघु एवं मध्यम उद्यम

आपका बैंक एसएमई वित्तपोषण में सबसे अग्रणी एवं मार्केट लीडर है। हमारा एसएमई पोर्टफोलियो 31.03.2019 को ₹2,88,583 करोड़ एवं लगभग दस लाख ग्राहकों से अधिक का है, जो बैंक के कुल अग्रिमों का लगभग 12.58% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण-उत्पादन, निर्यात एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में एसएमई की बड़ी भूमिका को देखते हुए, आपके बैंक ने हमेशा एसएमई को एक महत्वपूर्ण इकाई माना है। आपका बैंक सरल एवं अभिनव वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एसएमई की प्रगति को आगे ले जाने में आपके बैंक का दृष्टिकोण तीन स्तंभों पर टिका है:

क) ग्राहक सुविधा का ध्यान रखना,
ख) जोखिम कम करना,
ग) प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल उत्पादों/प्रक्रिया में सुधार लाना।

1. ग्राहक सुविधा

अग्रसर भारत को गति तथा दिशा देने और आगे बढ़ाने की दृष्टि से, आपके बैंक ने शाखाओं एवं अन्य विधाओं की दृष्टि से सर्वाधिक टच प्वाइंट बनाए हैं। लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के व्यवसाय की सुगमता को बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र (एसएमईसी) हेतु वर्तमान वितरण मॉडल में संशोधन किया है तथा आस्ति प्रबंधन टीम बनाई है जिससे ₹50 लाख तक के कम मूल्य वाले ऋण लेने के इच्छुक ग्राहकों के साथ हर स्तर पर संबंध बनाया जा सके। एसएमईसी में पर्याप्त स्टाफ भी उपलब्ध कराया गया है जिससे सेवा में सुधार आया है।

2. डिजिटल उत्पाद :

आपका बैंक व्यवसाय लाने, उत्पाद तैयार करने, प्रक्रिया को सरल बनाने, सेवा प्रदान करने से लेकर निगरानी तक सभी मूल्यवान सेवाओं के प्रत्येक स्तर पर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। आपके बैंक ने कम जोखिम के साथ एसएमई पोर्टफोलियो बनाने में कई पहल की हैं, जिससे (i) उत्पाद समूह (ii) प्रक्रिया (iii) वितरण में, काफी बदलाव आया है।

ऋण जीवन-चक्र प्रबंधन

लीड प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) : आपका बैंक अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट www.sbi.co.in पर एमएसएमई उधारकर्ताओं की सहूलियत के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन एवं ट्रेकिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। यह एक इंट्रानेट आधारित ऋण प्रस्ताव ट्रेकिंग प्रणाली है जिसे लीड प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) कहते हैं, जो ग्राहकों को ऑनलाइन ऋण आवेदन करने एवं आवेदन संदर्भ संख्या के रूप में पावती प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) : व्यवसाय अवसरों की सीआरएम के माध्यम से ट्रेकिंग एवं निगरानी की जाती है।

लोन ओरिजिनेटिंग सॉफ्टवेअर (एलओएस-एसएमई) एवं ऋण जीवनचक्र प्रबंधन प्रणाली (एलएलएमएस) : ऋण वितरण में एकरूपता के मानक को अपनाने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं कॉरपोरेट स्मरणशक्ति को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, कम मूल्य एवं अधिक मूल्य वाले ऋण की प्रोसेसिंग क्रमशः एलओएस एवं एलएलएमएस के माध्यम से की जाती है।

संपर्कविहीन ऋण देने का प्लेटफॉर्म (कॉन्टैक्टलेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म)

आपका बैंक सिडबी की अगुवाई वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संघ का सदस्य है तथा जीएसटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत तथा आयकर फाइल करने वाले एसएमई की आसान पहुँच के लिए psbloanin59minutes.com एक अग्रणी पहल है। संपर्कविहीन ऋण देने के प्लेटफॉर्म (सीएलपी) पर ₹1 करोड़ तक के ऋण का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2019 तक सीएलपी द्वारा ₹3,250 लाख राशि के 8,377 सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जा चुके हैं।

प्रोजेक्ट विवेक

प्रोजेक्ट विवेक द्वारा बैंक मूल्यांकन प्रणाली में नकदी प्रवाह एवं अन्य सूचना स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत बैलेंस शीट आधारित निधीयन (फंडिंग) और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रणाली अपनाया गया। आपके बैंक ने एसएमई सेगमेंट के लिए नए क्रेडिट अंडरराइटिंग इंजन के रूप में नई पहल की, जिसके द्वारा जोखिम मूल्यांकन को और अधिक उद्देश्यपरक बनाकर बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इससे समय की बचत होती है जिससे बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त होता है। वित्त वर्ष 2019 तक प्रोजेक्ट विवेक के तहत कुल 34,477 प्रस्ताव प्रोसेस किए गए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान ऋण पोर्टफोलियो की अंडरराइटिंग प्रोसेस में सुधार लाने हेतु प्रोजेक्ट विवेक में तकनीकी उन्नयन किया गया।

एसबीआई और क्यूसीआई ने एमएसएमई के लिए ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट (ZED) सर्टिफिकेशन हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए: भारतीय स्टेट बैंक पहला बैंक है जिसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट (ZED) सर्टिफिकेशन योजना हेतु क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्यूसीआई के साथ इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत आपके बैंक ने निर्णय किया है कि बेहतर ZED रेटिंग वाले एमएसएमई को कीमतों/प्रक्रिया शुल्कों में रियायतें दी जाएं। भारतीय स्टेट बैंक बैंक की आंतरिक रेटिंग व्यवस्था में भी ZED रेटिंग को शामिल करने पर विचार कर रहा है।

संक्षेप में, एमएसएमई के लाभ के लिए विशिष्ट कार्यकलाप पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर ZED लागू करने की समन्वय व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। आपका बैंक और क्यूसीआई दोनों माननीय प्रधान मंत्री के एमएसएमई द्वारा ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट प्रणालियां अपनाने के विजन को आगे बढ़ाने की कार्यनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करेंगे।

एमएसएमई मंत्रालय की ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट (ZED) सर्टिफिकेशन योजना भारतीय एमएसएमई की कार्यप्रणालियों एवं कार्यविधियों की गुणवत्ता व पर्यावरण अनुकूलता के मामले में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। यह एक निरंतर सुधार और रेटिंग योजना है जिसमें भारत सरकार की वित्तीय सहायता से एमएसएमई को सक्षम बनाने और सर्टिफिकेशन कराना शामिल है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा क्यूसीआई को इस योजना की राष्ट्रीय निगरानी एवं कार्यान्वयन इकाई (एमएमआईयू) नामित किया गया है।

अब तक 20,000 एमएसएमई को ZED के लिए रजिस्टर्ड किया गया है और अनेक राज्य सरकारें अपनी औद्योगिक नीतियों में ZED को शामिल कर चुकी हैं।

व्यापार प्राप्तियां भुनाने की प्रणाली (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)

भारतीय स्टेट बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में सबसे पहले TReDS प्लेटफॉर्म पर RXIL एवं M1xchange पर फइनैंसियर के रूप मे पंजीकृत किया है। TReDS एमएसएमई को वित्त उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही हमारी देश के 3 TReDS प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति दर्ज हो गई है। इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बोली लगाने में सक्रिय रूप से सहभागिता करता है तथा एमएसएमई के लाभ के लिए बहुत ही प्रतिस्पर्धी दर पर भाव कोट करता है। आपके बैंक ने ₹72.51 करोड़ की राशि के बिल रीडिस्काउंट किए जो एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. द्वारा 3 TReDS प्लेटफॉर्मों पर डिस्काउंट किए गए थे।

हमारी डायमंड शाखा द्वारा वित्तपोषित अत्याधुनिक डायमंड बनाने की इकाई।

किरण ब्लेड साइंग-हमारे कॉरपोरेट ग्राहक समूह द्वारा वित्तपोषित अत्याधुनिक इकाई।

3. व्यवसाय भागीदारी/ टाई-अप

आपका बैंक कोलेटरल प्रबंधकों एवं अग्रणी उद्योगों के साथ व्यवसाय भागीदारी/ टाई-अप के द्वारा वेअरहाउस रसीद वित्तपोषण एवं आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण पोर्टफोलियो में अपना विस्तार कर रहा है।

वेअरहाउस रसीद वित्तपोषण :

आपके बैंक ने वेअरहाउस रसीदों की जमानत पर माल/विनिर्माण के व्यापारियों/मालिकों को प्रोसेसिंग हेतु वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वेअरहाउस रसीद वित्तपोषण योजना (WHR) आरंभ की है। वेअरहाउस रसीद उन कोलेटरल प्रबंधकों द्वारा जारी की जाती है जिनका बैंक के साथ टाई-अप होता है। इसके अलावा केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) /राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) द्वारा जारी वेअरहाउस रसीद भी वेअरहाउस रसीद वित्तपोषण के लिए मान्य होती है। 31 मार्च 2019 को वेअरहाउस रसीद वित्तपोषण पोर्टफोलियो ₹6,111 करोड़ था।

आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण (सप्लाई चेन फाइनैंस):

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं शाखा नेटवर्क को बढ़ावा देकर, आपका बैंक कॉरपोरेट दुनिया के साथ अपने सबंधों को और मजबूत कर रहा है तथा आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरा है।

वर्तमान वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 61 नए ई-डीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक डीलर वित्तपोषण योजना) एवं 4 नए ई-वीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक वेंडर वित्तपोषण योजना) टाई-अप करते हुए 351 प्रमुख उद्योगों एवं उनके 25,921 डीलरों एवं 16,572 विक्रेताओं को कवर किया है। पिछले वित्त वर्ष में ई-डीएफएस पर तेल डीलरों (पेट्रोल-पंप) की संख्या 14,806 को पार कर गई।

ई-डीएफएस पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष 20.07% की वृद्धि दर्ज की गई।

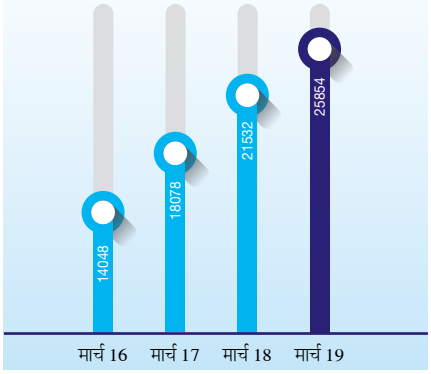

4. जोखिम कम करना:

आपका बैंक लगातार अपना ध्यान कम जोखिम वाले उत्पादों पर केंद्रित कर रहा है जिसमें अन्य के साथ-साथ आस्ति समर्थित ऋण, बैंक जमा/सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर ओवरड्राफ्ट सुविधा, बिल भुनाने की सुविधा, सीजीटीएमएसई/सीजीएफएमयू के अंतर्गत कवर ऋण शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :

भारत सरकार की पहल के अनुरूप ही, आपके बैंक ने विभिन्न प्रकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया है तथा वित्त वर्ष 2019 में पीएमएमवाई के अंतर्गत दिए गए ₹33,550 करोड़ के लक्ष्य में से ₹33,612 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण :

आपका बैंक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और सूक्ष्म, एवं लघु व्यवसाय की सहायता करने में अग्रणी रहा है। आपका बैंक सीजीटीएमएसई की गारंटी पर ₹2 करोड़ तक के कोलेट्रल-फ्री ऋण दे रहा है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार सीजीटीएमएसई के अंतर्गत एसबीआई का पोर्टफोलियो ₹7,830 करोड़ रहा है।

घ. ग्रामीण बैंकिंग

1. कृषि व्यवसाय

इस वर्ष के दौरान, कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी आई जबकि बाहरी परिवेश पर कृषि संकट और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित कर्जमाफी योजनाओं का विपरीत प्रभाव दिखाई दिया। पिछले रुझानों के अनुरूप सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2019 हेतु निर्धारित ऋण वितरण का लक्ष्य आपके बैंक ने पार किया।

कृषि क्षेत्र को ऋण वितरण

वर्ष	लक्ष्य	संवितरण	प्राप्ति %
वित्त वर्ष 2016	89,781	1,02,423	114%
वित्त वर्ष 2017	95,168	1,25,270	132%
वित्त वर्ष 2018	1,05,741	1,66,819	158%
वित्त वर्ष 2019	1,16,315	1,56,385	134%

कृषि विकास शाखा, भूना चंडीगढ़ मंडल में किसान मिलन का आयोजन।

आपके बैंक ने 9 उत्पाद यथा डेरी, मछलीपालन, मुर्गीपालन, भेड़-पालन, बकरी-पालन, सूअर-पालन, मधुमक्खी-पालन, रेशम-पालन, और मशरूम की खेती के लिए शुरू किए, जिनके तहत मुद्रा योजना के अंतर्गत आसान शर्तों पर बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति (कोलेट्रल सिक्युरिटी) के ₹10 लाख तक की ऋण सीमा संस्वीकृत की जा रही हैं, चूंकि कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ किसानों की आय बढ़ाने का एक बड़ा साधन हैं।

वर्ष के दौरान, कृषि क्षेत्र की वृद्धि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) के प्रतिशत से भी ज्यादा रही। वर्ष के आरंभ से 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार कुल कृषि अग्रिमों की वृद्धि ₹14,430 करोड़ रही। समग्र कृषि अग्रिमों की तुलनात्मक वृद्धि निम्नानुसार रही:

(₹करोड़ में)

वर्ष	कुल कृषि अग्रिम	वर्षानुवर्ष वृद्धि राशि	वर्षानुवर्ष वृद्धि %
वित्त वर्ष 2019	2,02,681	14,430	7.67%
वित्त वर्ष 2018	1,88,251	(3014)	(1.58%)

गोल्ड लोन, संपत्ति पर लिए जाने वाले कृषि ऋणों (एबीएएल) एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से लाए जाने वाले कम जोखिम वाले ऋणों में आपके बैंक की वृद्धि दर काफी अच्छी रही। पूरे बैंक के स्तर पर कम जोखिम वाले ऋणों का हिस्सा वित्त वर्ष 2018 के 27.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में 30.3% हो गया है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं से सीधे लाए जाने वाले कृषि ऋणों के वित्त वर्ष 2019 के दौरान ₹9,555 करोड़ के 29 प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए।

किसानों की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किए गए नए उत्पाद एसेट बेक्ड एग्री लोन (एबीएएल) के तहत वर्ष के दौरान अच्छा कारोबार हुआ। ये लोन संपत्ति की संपार्श्विक (कोलेट्रल) पर दिए जाते हैं। हालांकि पिछले वर्ष वृद्धि दर कम थी, फिर भी इस उत्पाद की वृद्धि लगभग 142% रही। यह उत्पाद ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के कारण उनके द्वारा काफी पसंद किया किया जा रहा है।

आपका बैंक कृषि अग्रिमों के जोखिमों में कमी लाने के साथ-साथ किसानों की सहायता भी कर रहा है। कृषि क्षेत्र के कॉरपोरेटों के साथ स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ कर रहा है। इससे कृषि और इससे जुड़े कार्यों में लगे सभी लोगों को नवीकरण हेतु नकदी की आवक सुनिश्चित होगी, तथा किसानों की आय भी बढ़ेगी। आपका बैंक झींगा मछलीपालन, डेरी, मुर्गीपालन जैसी परंपरागत गतिविधियों तथा अनानास व आम जैसी उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों वाले क्षेत्रों तथा ऐसे केंद्रों के आस-पास उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए समूह (क्लस्टर) व्यवस्था के अंतर्गत भी ऋण दे रहा है।

सूक्ष्म ऋण (स्वयं सहायता समूह बैंक सहयोग):

स्वयं सहायता समूह ऋणों की बकाया राशियों के मामले में सभी बैंकों की तुलना में आपके बैंक का बाजार अंश सबसे अधिक है। 31 मार्च 2019 तक 6.09 लाख स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों में ₹13,444 करोड़ की राशि बकाया है और इसमें 50 लाख से भी अधिक महिला सदस्य हैं।

दीन दयाल अंत्योदय योजना : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :

1 अप्रैल 2013 को दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना के समय से आपके बैंक ने बैंक व स्वयं सहायता समूह सहयोग के अंतर्गत 14,25,670 स्वयं सहायता समूहों को ₹23,939 करोड़ के ऋण संवितरित किए।

वर्ष 2018 में किए गए सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह सहयोग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 11 मई 2018 को भारतीय स्टेट बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ऋणों में भारतीय स्टेट बैंक का बाजार अंश 31 मार्च 2019 को 25.42% रहा।

अन्य पहलकदमियां

देश की आर्थिक वृद्धि दर में ग्रामीण भारत के योगदान को पहचानते हुए आपका बैंक विभिन्न नए चैनलों एवं सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। मिट्टी की उर्वरता के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और अधिक कृषि उत्पादन के लिए मिट्टी के स्रोतों के निरंतर विकास का प्रचार करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने देश भर की चयनित शाखाओं में इस प्रयोजन के लिए कृषि वैज्ञानिक/खेतों में काम करने वाले किसानों को बुलाकर 5 दिसबंर 2018 को विश्व माटी परीक्षण दिवस मनाया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका विषय "हमारा प्रण मिट्टी में न होने देंगे प्रदूषण" रखा गया।

जैसा कि व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है, कृषि क्षेत्र में कई तरह की घटनाएँ देखने को मिली। किसानों की मांगों के जवाब में कुछ राज्यों ने कृषि कर्जमाफी की घोषणा की।

बैंक ने ऋण समाधानः 2018-19 योजना की घोषणा की, जिसमें कृषि क्षेत्र के ऋण भी शामिल थे।

बड़ी संख्या में ग्राहकों की सेवा को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान पाँच अवसरों पर बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए। इस पहल के तहत आपके बैंक की सभी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं ने किसानों के साथ अनौपचारिक बैठकें आयोजित कीं, ताकि ग्राहकों से ज्यादा से ज्यादा जुड़ा जा सके और बैंक एवं सरकार की योजनाओं के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाई जा सके। अनुमान है कि कम से कम 14 लाख किसानों ने इन बैठकों में भाग लिया।

वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों में 72 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उधारकर्ताओं को सरलता एवं संचालन सुविधा की दृष्टि से केसीसी-एटीएम-रुपेकार्ड जारी करना शामिल है। केसीसी रुपे कार्ड एटीएम और पीओएस मशीनों में दिन-रात इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इससे किसान अपनी कृषि की दैनिक खरीदारी की आवश्यकताओं को 24x7 पूरा कर सकते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक ने देश भर में अपनी लगभग 14,000 ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं के माध्यम से किसान मेले आयोजित किए। आपके बैंक द्वारा अपना यह अभियान किसान ग्राहकों से जुड़ने, उनकी शिकायतों का समाधान करने और उन्हें उनके अधिकारों तथा आपके बैंक के प्रयासों से अवगत कराने के लिए चलाया गया।

इस कार्यक्रम के तहत, आपका बैंक किसानों द्वारा अपने खातों का नवीकरण कराए जाने पर उन्हें ऋण सीमा में 10% की वृद्धि देता है। इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने किसानों तक पहुंचने की पहल भी की है जिससे उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड खाते का नवीकरण कराने पर मिलने वाले फायदों की जानकारी दी जा सके और वे सरकार से ब्याज सहायता योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिकाधिक लाभ उठा सकें। आपके बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड खाते का समय पर नवीकरण कराने और लेनदेन में सुविधा के लिए किसान क्रेडिट कार्ड रुपे कार्ड के बारे में भी किसानों में जागरूकता विकसित की।

इसके अतिरिक्त, आपका बैंक बैंक के विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे संपत्ति बंधक रख कृषि ऋण लेने, मुद्रा ऋण और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए ऋण लेने के बारे में भी निरंतर जागरूक करता रहेगा।

2. वित्तीय समावेशन :

आपके बैंक को देश के सबसे बड़े बैंक के रूप में वित्तीय समावेशन की गतिविधियों को व्यवहार में लाने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने की अपनी भूमिका का अहसास है। डिजिटल बैंकिंग चैनलों का प्रसार और व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के नेटवर्क का विस्तार करने से वित्तीय समावेशन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के काम में गति आ रही है। इस प्रकार समावेशी विकास और वृद्धि दर बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने अनेक कार्यनीतियां तैयार की हैं और इन्हें क्रियान्वित करने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। इससे लोगों को घर बैठे वित्तीय सेवाएं मिल सकेंगी और उन्हें औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में लाया जा सकेगा।

आपके बैंक की बैंकिंग सेवाओं के लिए देश भर में 57,467 व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) और 22,010 शाखाएं कार्यरत हैं। बीसी चैनल द्वारा बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के तहत वित्त वर्ष 2018-19 में ₹1,73,381 करोड़ राशि के 39.75 करोड़ लेनदेन अर्थात 15 लाख लेनदेन प्रतिदिन दर्ज किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत आपके बैंक ने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में अग्रणी रहते हुए विश्वव्यापी वित्तीय पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया है। आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2019 में 10.97 करोड़ खाते खोले हैं और पात्र ग्राहकों को 9.20 करोड रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं। पिछले दशक में सरकार की महत्वपूर्ण आर्थिक नीति के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में वंचित रहे व्यक्तियों को भी बैंक खाते की सुविधा देने में आपके बैंक का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

पीएमजेडीवाई खातों की संख्या

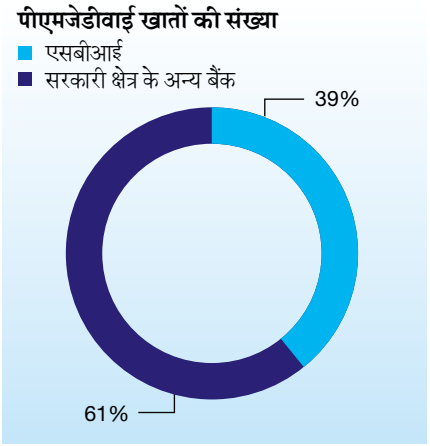

पीएमजेडीवाई जमाखातों की राशि

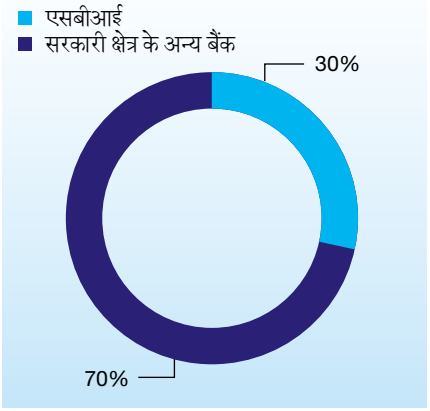

जारी रुपे कार्डों की संख्या (पीएमजेडीवाई)

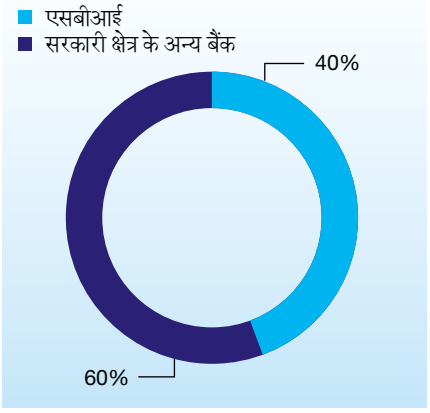

सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असंगठित क्षेत्र में ग्राहकों को कम लागत वाले माइक्रो बीमा उत्पाद (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई) और पेंशन योजनाओं (एपीवाई) की भी सुविधा बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अब तक 3 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सम्मिलित किया जा चुका है।

वित्तीय साक्षरता प्रदान करना

वित्तीय साक्षरता के अवसर उपलब्ध कराने और वित्तीय सेवाओं का कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने पूरे देश में 338 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) की स्थापना की है। वित्त वर्ष 2019 के दौरान देश भर में इन केंद्रों (एफएलसी) द्वारा कुल 29,450 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। आरबीआई द्वारा पायलट परियोजना लागू करने के तहत बैंक ने आरबीआई द्वारा निदेशित गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर 15 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना राज्य में स्थापित किए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 'भारत-चीन वित्तीय समावेशन-अनुभव एवं चुनौतियां' विषय पर एक परिसंवाद का आयोजन किया गया। इस चर्चा में चीन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें श्री ली वेई, प्रेसिडेंट, डिवेलपमेंट रिसर्च सेंचर, पीआरसी और मंत्री शामिल थे, ने भाग लिया। इसके अलावा, यह कार्यक्रम वित्तीय समावेशन और उससे जुड़े अनुभवों एवं चुनौतियों से निपटने की दिशा में भारत और चीन की सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों पर केंद्रित रहा।

ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटीज) ग्रामीण युवाओं को व्यापक गुणवत्ता प्रशिक्षण देकर कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करते हैं। आपके बैंक ने 27 राज्यों और एक संघ शासित राज्य में 151 आरसेटीज स्थापित किए हैं।

वित्त वर्ष 2019 में आपके बैंक के आरसेटीज ने 96,999 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों में 70% से अधिक महिलाएं हैं और 92% से अधिक प्रशिक्षित उम्मीदवार गैर-सामान्य श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक) से संबंधित हैं। एसबीआई-आरसेटीज द्वारा 7 लाख से अधिक उम्मीदवारों को वर्ष 2012 के बाद से प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें 69% को लाभकारी आजीविका प्राप्त हुई है।

ङ. एनबीएफसी गठजोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ मिलकर ऋणों का वितरण करने (को-ओरिजिनेशन) पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के आधार पर आपके बैंक ने अक्तूबर 2018 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-गठजोड़ (एनबीएफसी-एलायंस) नाम से एक नया विभाग बनाया। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत संपत्ति के सृजन के लिए ऋणों का मिलकर वितरण करने (को-ओरिजिनेशन) में देश की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के साथ भागीदारी करना इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत नीति बनाई है। इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-गठजोड़ विभाग का कामकाज प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की वृद्धि के लिए व्यवसाय सहयोगी के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एनडी-एसआई से भिन्न) की सेवाएं लेने पर भी केंद्रित रहता है। इसके अलावा विभाग संबंधित व्यवसाय इकाइयों यथा-एबीयू, एसएमईबीयू, आरईएचबीयू एवं पीबीबीयू द्वारा अन्य बैंकों से अपने बैंक में ऋण लाने/ऋणों को सिक्योरिटाइज करने में भी सहायता करता है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एनबीएफसी से अच्छी गुणवत्ता वाले असेट पोर्टफोलियो खरीदने का लक्ष्य बढ़ाया गया है। इसका मानना है कि आकर्षक दरों पर अपने लोन पोर्टफोलियो का विस्तार करने के अच्छे अवसर हैं। आपका बैंक प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों दोनों में अच्छे अवसरों की तलाश में है। आपका बैंक शुरू में चालू वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो खरीद के माध्यम से ₹15,000 करोड़ की संवृद्धि की योजना बनाई है। ज्ञातव्य है कि पोर्टफोलियो खरीद को इस वर्ष बढ़ाया जा रहा है।

च. अन्य नए व्यवसाय पहलकदमियां

1. विशेष परियोजनाएं

गिफ्ट सेज़ में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट: अध्यक्ष, ने गिफ्ट-सेज़, गांधी नगर, गुजरात में स्थित इंटरनेशनल फिनैंशियल सर्विसेज़ सेन्टर में आपके बैंक की आईएफएससी यूनिट (आईबीयू) का उद्घाटन किया। इसमें कई विकसित देशों के वित्तीय केंद्र हैं जो विगत समय में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के रूप में उभरे हैं। इस केंद्रों द्वारा उपयुक्त नियामक तंत्र और प्रतिभाशाली युवाओं और पूँजी को आकर्षित करने वाले एक केंद्र के रूप में से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सफल आईएफएससी वे स्थान होते हैं जहां नवीनतम वित्तीय टेक्नोलोजीस एवं प्रोडक्ट्स का उपयोग करके समस्त विश्व के संगठनों के बीच कारोबार किया जाता है।

हालांकि वर्ष 2020 तक 100% और अगले 5 वर्षों तक यानी वर्ष 2025 तक 50% कर रियायत निश्चित ही आकर्षक है, पर केवल इसी कारण मात्र से आपके बैंक ने आईएफएससी में कार्यालय स्थापित नहीं किए हैं। आपके बैंक द्वारा भारतीय कंपनियों को भारत में अपने कारोबार के लिए विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में स्वीकृत विदेशी वाणिज्यिक ऋण हमारे विदेशी कार्यालयों में रखे जा रहे हैं जबकि सारे संबंध में भारत में ही रहते हैं। इन ऋणों के लिए सेवा और रखरखाव का खर्च उच्च लागत वाले अधिकार क्षेत्रों जैसे लंदन, न्यूयार्क, सिंगापुर और हांगकांग में बैंक के लिए अतिरिक्त लागत वाला सौदा है। गिफ्ट सिटी में आईएफएससी खुलने से इन ऋणों को भारत में रखा जा सकेगा जिस पर इष्टतम लागत रखने में मदद मिलेगी।

कुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए पहल: कुंभ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ने कई पहल कीं। 50 दिवसीय प्रयागराज कुंभ मेले के लिए आपके बैंक द्वारा सभी श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गईं। इनमें 14 घंटे काम करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं, चार एटीएम, तीन मोबाइल एटीएम के साथ साथ एक फॉरेक्स काउंटर खोलना भी शामिल है।

2. कार्यनीति

विश्व की सर्वोत्कृष्ट कार्य-प्रणालियों के अनुरूप आपके बैंक ने बैंक के मिशन स्टेटमेंट की प्राप्ति और शीर्ष प्रबंधन के विजन को हकीकत में बदलने के अभियान की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 में मुख्य कार्यनीति अधिकारी (सीएसओ) के पद का सृजन किया है। बैंक में सीएसओ के पद से बेहतर परिणाम हासिल करने की एक बढ़िया कार्यनीति तैयार करने में सहायता मिलेगी। सीएसओ की भूमिका ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करने में सभी वर्टिकलों के बीच कार्यनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना भी है।

सीएसओ के कार्यों में बैंक की व्यवसाय एवं परिचालन कार्यनीति दोनों पर ध्यान देना भी शामिल है। सीएसओ व्यवस्था के प्रमुख कार्यक्षेत्र नीचे दिए गए हैं:

डेटा विश्लेषण - सीएसओ की प्रमुख भूमिका में प्रोफेशनल विश्लेषण विशेषज्ञों के मुख्य कार्यकारी समूह की सहायता से बैंक के अपने डेटा और बैंक के बाहर के डेटा का विश्लेषण करके बैंक की दीर्घावधि कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार करना भी शामिल है। सीएसओ और उनकी टीम प्राप्त जानकारी का तुरंत विश्लेषण करके वरिष्ठ प्रबंधन को निर्णय लेने में सहायता करती है।

बाज़ार का अध्ययन करना, न्यूनतम मानदंड निर्धारित करना, और प्रतिस्पर्धा में आगे रहने की कार्यनीति बनाना: सीएसओ की जिम्मेदारी बाजार का अध्ययन करना विशेषकर बैंक के प्रतिस्पर्धियों के प्रमुख प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिस और सेवाओं तथा अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं का निरंतर विश्लेषण करना भी है, जिससे बैंक की विभिन्न बिजनेस यूनिट्स और फील्ड ऑपरेशंस के लीडर्स से परामर्श करके ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली और बेहतर परिणाम हासिल करने वाली कार्यनीतियाँ बनाई जा सकें।

प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखना: सीएसओ शीर्ष प्रबंधन और व्यवसाय इकाइयों के नेतृत्वकर्ताओं एवं फील्ड प्रबंधकों के बीच एक सेतु का काम करता है, जिससे प्रमुख कार्यनीतिक परियोजनाओं पर ठीक से काम हो और उन्हें तेजी से तथा निर्धारित समय में पूरा करके लागू किया जा सके।

सीएसओ को सौंपी गई कुछ परियोजनाओं में देश के प्रमुख शहरों में इसके मार्केट शेयर में विस्तृत वृद्धि करना भी शामिल है।

- ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए रणनीतिक गठजोड़,
- योनो की मार्केटिंग व ब्रांडिंग
- समूह की ताकत को पहचानना

सीएसओ के द्वारा ली गयी एक और रणनीतिक पहल में शाखा रूपांतरण और शाखा अनुभव को बदलना शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य शाखा से भीड़ कम करना, कार्यस्थल को नया स्वरूप देना व शाखा को लेन-देन उन्मुख से व्यवसाय उन्मुख में रूपांतरित करना और सेवा वितरण में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त, शाखा को व्यवस्थित करने और ग्राहक अनुभव में संपूर्ण सुधार के लिए शाखा का एकसमान खाका बनाने के लिए भी कई पहल की गई हैं।

छ. सरकारी व्यवसाय

आपका बैंक परंपरागत रूप से केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों का पसंदीदा बैंकर रहा है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों/विभागों का यह मान्यता प्राप्त बैंक है। सरकारी व्यवसाय में बाजार का नेतृत्व करते हुए आपका बैंक सरकारी कमीशन में 80% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है। केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के उपक्रमों के लिए ई-समाधान के विकास में भी आपका बैंक सबसे आगे है। इससे सरकारी व्यवसाय ऑनलाइन मोड में करना संभव हुआ है और यह अधिक दक्षता और पारदर्शिता से संचालित हो पा रहा है। आपका बैंक सरकार की डिजिटल पहलों के साथ तालमेल रखने के लिए सरकार की ई-मार्केटप्लेस जैसी नवीनतम पहलों में सक्रिय हितधारक है तथा निरंतर ई-टेंडरिंग, ई-बीजी, ई-ट्रेड आदि विशेष तकनीकी समाधानों को विकसित करने में लगा हुआ है।

(₹करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19
कुल कारोबार	55,61,295	57,47,997
कमीशन	3,409	3,974

ई-गवर्नेंस, डिजिटलीकरण को सुविधा सम्पन्न बनाने और इसमें अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित हालिया पहलों को वर्ष के दौरान लागू किया गया:

1. जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस)

आपका बैंक जीईए पोर्टल के जरिए आम वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के वित्तीय एकीकरण में बैंकों में अग्रणी है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी एवं गुजरात के सरकारी ई मार्केटप्लेस पूल खाते खोले गए हैं। अब तक 70 से अधिक स्वायत्त निकायों के जीईएम पूल खाते खोले जा चुके हैं।

2. ई-टेंडरिंग

राज्य सरकार के विभागों और स्वायत्त निकायों को ई-टेंडरिंग समाधान देने के लिए यह प्रोडक्ट महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश एवं असम राज्यों में उपलब्ध कराया गया है।

3. पीएमजेएवाई-आयुष्मान भारत

नौ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों-यथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह के खाते सफलतापूर्वक खोले गए हैं।

4. भारतीय रेलवे

एसबीएमओपीएस के जरिए रेलवे सुरक्षा बल में नियुक्ति हेतु आवेदन शुल्क की वसूली को अपने पोर्टल के साथ जोड़ने के कार्य को आपके बैंक ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस वित्त वर्ष में हमारे पैनल में शामिल एजेंसियों के जरिए कैश पिकअप के लिए उत्तर पूर्व रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अभी तक 16 में से नौ रेलवे अंचलों को कैश पिकअप योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

आपका बैंक एकमात्र बैंकर है, जिसने एलपीजी सब्सिडी के सम्पूर्ण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) का कार्य पूरा कर लिया है। वित्त वर्ष 2019 में किए गए कुल लेनदेन और राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹करोड़ में)

विवरण	लेनदेनों की संख्या (करोड़ में)	राशि (₹करोड़ में)
डीबीटीएल	128.95	36,653
डीबीटी (अन्य)	33.06	2,07,526

6. माननीय प्रधानमंत्री को उपहार में मिली वस्तुओं की नीलामी

भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय प्रधानमंत्री को उपहार में मिली वस्तुओं की नीलामी से प्राप्त राशियों की वसूली के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, नई दिल्ली में अपनी सेवाएँ उपलब्ध करा दी हैं। यह उपक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।

7. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

परीक्षा शुल्क की वसूली हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ पेमेंट गेटवे को सफलतापूर्वक जोड़ा गया है।

8. सीबीएसई

सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों की फीस की वसूली के लिए एसबीएमओपीएस को सीबीएसई प्लेटफार्म के साथ जोड़ा गया है।

9. पेंशन भुगतान

आपका बैंक 16 सीपीपीसी (केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया केंद्रों) के जरिए 55.57 लाख पेंशनरों को पेंशन का भुगतान कर रहा है। संवितरित पेंशन की कुल राशि ₹1,56,835 करोड़ से भी अधिक है। वित्त वर्ष 2019 के दौरान 2.79 लाख नए पेंशन खाते जोड़ दिए गए। वर्ष के दौरान स्वायत्त निकायों की पेंशन का भी भुगतान किया गया। पूरे देश में कई पेंशनर कनेक्ट कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

10. लघु बचत योजनाएँ

भारतीय स्टेट बैंक 75.79 लाख से अधिक पीपीएफ तथा 14.79 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खातों के लिए सेवाएँ प्रदान कर रहा है, जो सभी अधिकृत बैंकों में सर्वाधिक है। वित्त वर्ष के दौरान 5.78 लाख नए पीपीएफ खाते और 3.16 लाख नए सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए।

11. अन्य

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय के लिए 33 खाते खोलने हेतु आपके बैंक को अनुमोदन दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के कर एवं गैर कर राजस्व की वसूली के लिए आपके बैंक को एग्रीगेटर बैंक चुना गया। कार्यान्वयन एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए देश भर में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

12. पुरस्कार

सभी बैंकों के बीच (अखिल भारतीय स्तर पर) सबसे ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोलने के लिए आपके बैंक को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय बचत संस्थान, नई दिल्ली में 30 अक्तूबर 2018 को 'वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे' मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में दिया गया।

ज. ट्रांजैक्शन बैंकिंग यूनिट

आपके बैंक की ट्रांजैक्शन बैंकिंग यूनिट, ग्राहकों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाए रखने के लिए बैंक की सहायता करती है। साथ ही उनकी अन्य बैंकिंग आवश्यकताओं जैसे ऋण, निधि प्रबंधन एवं क्रॉस सेलिंग में भी मदद करती है। इसके अंतर्गत ग्राहकों के प्रभावी निधि प्रबंधन के साथ अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं देने जैसे विशिष्ट रूप से निर्मित एमआईएस, कॉरपोरेट ईआरपी के साथ एकीकरण एवं प्रतिबद्ध एकल बिंदु ग्राहक सहायता प्रकोष्ठ के साथ ट्रांजैक्शन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है।

आपका बैंक सरकारी विभागों, कॉरपोरेट, वित्तीय संस्थाओं एवं एसएमई ग्राहकों को टीबीयू विभिन्न प्रकार के उत्पाद/सेवाएं उपलब्ध कराता है। यद्यपि इसके अंतर्गत कॉरपोरेट एवं सरकारी ग्राहकों पर प्रमुख फोकस रखा जाता है, फिर भी बैंक अपने वर्तमान ग्राहकों के बीच एवं स्टार्ट-अप के साथ एसएमई क्षेत्र में प्रवेश करने पर बल दे रहा है।

बाजार के रुख के अनुसार, आपका बैंक ग्राहकों को दिए जा रहे टीबीयू विभिन्न प्रकार के उत्पाद/सेवाएं लगातार उन्नत/विकसित करता है जिससे प्रतिस्पर्धियों की उत्पादों/सेवाओं को टक्कर दी जा सके।

- टीबीयू की फीस आय वित्त वर्ष 2018 में ₹893.66 करोड़ से वित्त वर्ष 2019 में 48.50% बढ़कर ₹1,327.08 करोड़ हो गई। पिछले कुछ वर्षों से वार्षिक फीस आय लगातार 30% के ऊपर रही है।
- टीबीयू फ्लोट इनकम वित्त वर्ष 2018 के स्तर ₹356.69 करोड़ से वित्त वर्ष 2019 में 81.15% बढ़कर ₹646.15 करोड़ पर पहुंच गई।
- टीबीयू के टर्नओवर में वित्त वर्ष 2018 के स्तर ₹21,34,867 करोड़ से वर्ष 2019 में वर्षानुवर्ष 78.39% बढ़कर ₹38,08,314 करोड़ हो गई।
- आपके बैंक को एशियन बैंकर द्वारा वर्ष 2018 में लगातार दूसरे वर्ष "Best Transaction Bank in India" का पुरस्कार दिया गया।

2. ग्लोबल बैंकिंग

आपके बैंक में थोक बैंकिंग व्यवसाय के तहत कॉरपोरेट ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वितीय समाधान जैसे कार्यशील पूँजी वित्त, निर्यात वित्त, व्यापार लेनदेन और विदेशी मुद्रा ऋण संबंधी सेवाएं दी जाती हैं। इसमें विशेष गतिविधियों जैसे प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में विशेषज्ञता, नए व्यवसाय तथा आय के नए स्रोत जुटाने वाली अनेक टीमें बनाई गई हैं, जिससे लाभप्रदता बनी रहे और जोखिम भी कम से कम उठाना पड़े।

क. कॉरपोरेट लेखा समूह

कॉरपोरेट लेखा समूह (कैग) अलग से एक वर्टिकल है, जो आपके बैंक के बड़े ऋणों के कारोबार की देखरेख करता है। यह समूह 3 केंद्रों मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में 4 कार्यालयों के जरिये काम करता है। इसकी मुंबई में दो शाखाएं तथा दिल्ली और चेन्नई में एक-एक शाखा है। कैग इस समय एक विशेषीकृत बड़ा व्यवसाय समूह है, जिसके पास 29 शीर्ष रेटिंग वाले बिजनेस ग्रुप खाते और 66 नॉन ग्रुप खाते हैं। ये सभी शाखाएं सुनिश्चित करती हैं कि इन प्राथमिकता प्राप्त खातों के लिए निरंतर सर्वोत्कृष्ट सेवाएं दी जाएं।

हमारे वाणिज्यिक ग्राहक समूह द्वारा विकसित भिलोसा इंडस्ट्रीज का अत्याधुनिक वस्त्र संयंत्र।

कैग का बिजनेस मॉडल संबंध प्रबंधन संकल्पना पर आधारित है। इसमें प्रत्येक ग्राहक समूह के लिए एक संबंध प्रबंधक निर्धारित किया गया है, जो ग्राहक सेवा टीम का नेतृत्व करता है। खाता प्रबंधन टीमें यानी एएमटीज़ मुख्यतया अपने ग्राहकों को समन्वित और व्यापक वित्तीय समाधान देने की कार्यनीति पर काम करती हैं। ये विशेष प्रकार के प्रोडक्ट्स कम समय में ही उपलब्ध कराती हैं। इस कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य आपके बैंक को शीर्ष कॉरपोरेटों की पहली पसंद बनाना है।

बदलते बैंकिंग परिदृश्य के अनुरूप जून 2018 में आपके बैंक ने कॉरपोरेट ऋण वितरण व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार लाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे इसे निरंतर बेहतर नतीजों के लिए तैयार किया जा सके। ऋण वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने की सारी कवायद के मुख्य उद्देश्य ऋण जोखिम प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाना, इसमें विश्लेषण विज्ञान का सहारा लेना, कारोबार में 'फंड टू फी', और 'ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट' की नई व्यवस्था अपनाना है, जिससे कॉरपोरेट बैंकिंग व्यवसाय का बैंक के सारे कारोबार में हिस्सा बढ़ाया जा सके। ऋण कारोबार संबंध विकसित करने के अलावा, बैंक अब ग्राहक 360 अपेक्षाओं को पूरा करने विशेषकर अपेक्षाकृत छोटे ऋणों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों जैसे फॉर्मा, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो आदि पर कॉरपोरेट लेखा समूह के भीतर नव गठित अपने क्रेडिट लाइट ग्रुप (सीएलजी) के जरिए ध्यान दे रहा है।

साथ ही बैंक ने बीमा कंपनियों, ब्रोकरिंग फर्मों, बैंकों (निजी एवं विदेशी) तथा म्यूचुअल फंडों आदि की ऋण एवं लेनदेनपरक बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त एवं संस्थागत समूह (एफआईजी) का सृजन किया है। इन दोनों समूहों ने कार्य शुरू कर दिया है। ये अच्छा व्यवसाय लाकर बैंक का कारोबार बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं।

जैसा कि हम जानते हैं, बैंकिंग परिदृश्य बदल रहा है और जिस तरह से ग्राहक अपने पैसे से जुड़ते हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। सुविधा, गति एवं लचीलेपन को अब आकर्षक एड-आन्स नहीं माना जाता, बल्कि तेजी से बदलते ग्राहक-बैंक संबंध समय की मांग बन गए हैं। इसीलिए आपका बैंक लगातार उन प्रौद्योगिकी क्षमताओं के निर्माण में निवेश कर रहा है, जिससे ग्राहकों की जरूरतों के प्रति ज्यादा सतर्क रहने में मदद मिलेगी। इस समय हम अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को सभी प्रौद्योगिकी उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं और एक मजबूत ग्राहक संबंध प्रबंध व्यवस्था (सीआरएम) का उपयोग कर रहे हैं।

कुल मिलाकर कॉरपोरेट लेखा इकाई ने अपने पुनर्गठन में अलग अलग कारोबार में सर्वोच्च प्राथमिकता वाले और गुणवत्तापूर्ण व्यक्तिगत खातों और समूह संबंध विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

कॉरपोरेट लेखा इकाई 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ग्राहकों के कुल बकाया ऋण ₹2.33 लाख करोड़ और निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उत्पादों के संबंध में ₹1.68 लाख करोड़ और उसी के अनुरूप 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार क्रमशः निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋणों में ₹4.07 लाख करोड़ और ₹1.75 लाख करोड़ की राशि के ऋण बकाया हैं।

कॉरपोरेट लेखा समूह देश के औद्योगिक विकास में भागीदार है विशेषकर बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क और राजमार्गों, बंदरगाहों, बिजली, दूरसंचार, पेट्रोकैमिकल आदि के सृजन और विकास में अंशदान कर रहा है। हम राष्ट्र के विकास में पूर्ववत निरंतर योगदान करना चाहते हैं।

ख. ट्रेजरी कारोबार

बैंक की चलनिधि का प्रबंधन करने और विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने तथा ट्रेजरी से जुड़े जोखिमों जैसे चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम को कम करने के उद्देश्य से विश्व बाजार इकाई आपके बैंक के ट्रेजरी कार्य संभालती है। विश्व बाजार इकाई जोखिम एवं प्रतिलाभ का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से आर्थिक अनुसंधान एवं परिदृश्य विश्लेषण करके विभिन्न निवेश अवसरों पर अधिशेष निधियों का विनियोजन करती है। वित्त वर्ष 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बाजार के तहत किया गया निवेश ₹9,26,651 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2018 की स्थिति के अनुसार यह ₹10,26,438 करोड़ रहा था। यह देशभर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएँ और हेजिंग लिखत उपलब्ध कराती है।

(i) बैंक में ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव और एसएलआर एवं गैर-एसएलआर पोर्टफोलियो

विश्व बाजार इकाई बैंक के एसएलआर/सीआरआर प्रबंधन, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आदि के लिए एचक्यूएलए बनाए रखने जैसी विनियामक जरूरतों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। वर्ष के दौरान ब्याज दर बाजारों में भारी परिवर्तन हुए। नीतिगत दर के मामले में लंबे अंतराल के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान 7 जून 2018 और 2 अगस्त 2018 को दो बार रेपो दरों को बढ़ा दिया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के नीचे रहने तथा कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 7 फरवरी 2019 को घोषित छमाही द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर में कमी की गई है। इसके अनुसार भविष्य कठिन के स्थान पर तटस्थ परिदृश्य वाला रहने का अनुमान है। दिनांक 7 फरवरी 2019 की नीतिगत घोषणाओं के बाद रेपो दर 6.25% है और 4 अप्रैल 2019 को इसे और घटाकर 6% पर लाया गया है। कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान 4 बार फेड टार्गेट दरों में वृद्धि के साथ यू एस फेडरल रिज़र्व भी बढ़ता रहा। दिसंबर 2018 में की गई दर वृद्धि के साथ, फेड दर दिनांक 31.03.2019 को 2.50% है।

देशीय ब्याज दरों में परिवर्तन अस्थिर रहा। बेंचमार्क 10 वर्षीय सिक्यूरिटी (7.17 कें.स. प्रतिभूति सी 2028) जो वित्त वर्ष 2019 के आरंभ में 7.40% पर ट्रेडिंग कर रही थी, 19 दिसंबर 2018 को न्यूनतम 7.22% पर पहुँचने से पहले 11 सितंबर 2018 को सर्वोच्च स्तर 8.18% पर रही। राज्य विकास ऋणों में अतिरिक्त आपूर्ति, देशी मुद्रा में ह्रास, कच्चे तेल के दामों में वृद्धि के कारण आय का सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। इस अस्थिरता के कारण आपके बैंक को निवेशों पर प्रावधान करना पड़ा।

वित्त वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही के आरंभ में प्रणाली चलनिधि नकारात्मक रही, जो सितंबर 2018 महीने के गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के संकट से और बढ़ी। चलनिधि में आई कमी के कारण प्रणाली चलनिधि को सुधारने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को ओपन मार्केट ऑपरेशन खरीद करनी पड़ी। ओपन मार्केट ऑपरेशन खरीद के कारण बैंकों की अतिरिक्त एसएलआर धारिता को कम करने में मदद मिली और आपूर्ति दबाव कम हुए। इससे 10 वर्षीय स. प्रतिभूति की आय भी कम हुई।

वर्ष के दौरान जमाराशि की वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि अधिक होने के कारण, आपके बैंक के एसएलआर पोर्टफोलियो को धीरे धीरे कम किया गया, जिससे चलनिधि सृजित हो। तथापि आय के स्तर बढ़ जाने के कारण समग्र पोर्टफोलियो आय सुधारने के उपाय के रूप में आपके बैंक ने कॉरपोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो बढ़ाया। निवल ब्याज आय ₹88,349 करोड़ रही जबकि वित्त वर्ष 2018 में यह ₹74,854 करोड़ थी। निवेशों की बिक्री पर लाभ ₹1,023 करोड़ है जबकि वित्त वर्ष 2018 में यह ₹12,303 करोड़ था।

(ii) इक्विटी बाजार

वित्त वर्ष 2019 में इक्विटी बाजार पहली बार सबसे उच्च स्तर पर पहुंचा। आईएल एंड एफएस द्वारा चूक एवं गैर बैंकिंग वित्त कंपनी की चलनिधि समस्याओं के बाद बेंचमार्क सूचकांकों में बाजार में तेज सुधार देखने को मिला। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) से भारी निवेश प्राप्त होने के कारण वित्त वर्ष के अंत में बाजार में भारी तेजी रही और निफ्टी वित्त वर्ष 2019 में 14.93% वृद्धि के साथ बंद हुआ। आम चुनाव, फेड नीति संबंधी कार्यों, वैश्विक आर्थिक मंदी की संभावना एवं व्यापार युद्ध के बढ़ते तनाव से अस्थिरता बढ़ेगी। आपके बैंक ने इक्विटी पोर्टफोलियो का अच्छा प्रबंध किया। इसमें प्रमुख समसामयिक घटनाओं को देखते हुए पोर्टफोलियो को सक्रियता के साथ रीबैलेंस करने की नीति अपनाई गई। देश-विदेश की बाजार की स्थितियों, कंपनियों की तिमाही आमदनियों और उनके भावी परिदृश्य का रीबैलेंसिंग की इस प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव रहा। इसके अलावा द्वितीयक बाजार में भी आपका बैंक आईपीओ में निवेश करके निरंतर लाभ अर्जित करता रहा, जिससे पोर्टफोलियो से बेहतर प्रतिलाभ मिलता रहे।

(iii) विदेशी मुद्रा बाजार

विश्व बाजार इकाई आपके बैंक के विदेशी मुद्रा व्यापार को भी संभालती है। इसके द्वारा बाजारों में चलनिधि प्रदान करने के अलावा विकल्पों (आप्शंस), अदला-बदली (स्वैप) और वायदा (फॉरवर्ड) के माध्यम से अपने मुद्रा प्रवाह और जोखिमों की बचाव व्यवस्था के प्रबंधन के लिए ग्राहकों को समाधान प्रदान किया जाता है। आपका बैंक रुपए के हाजिर एवं वायदा बाज़ारों का प्रमुख प्लेयर है और ग्राहक विदेशी मुद्रा प्रवाह के मामले में उसका बाजार अंश काफी अधिक है। सीसीआईएल फारेक्स क्लियर प्लेटफार्म पर चलनिधि उपलब्ध करने में आपका बैंक सबसे आगे है। जितनी मात्रा में हम मुद्रा फ्यूचर्स सृजित करते हैं, उसके हिसाब से आपका बैंक एक्सचेंज हाउस के तीन सबसे बड़े ग्राहक बैंकों में एक है।

विश्व बाजार इकाई आपके बैंक के एफसीएनआर (बी) जमा कारपस का भी प्रबंधन करती है और अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में एफसीएनआर (बी) ऋण एवं लदान पूर्व तथा लदानोत्तर निर्यात ऋण देती है। अपेक्षित होने पर आपका बैंक बैंक के विदेशी परिचालनों के लिए निधीयन सहायता भी प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी के मामले में हम इस समय प्रचलित श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के साथ कदम मिलाकर चलते हैं।

ट्रेजरी मार्केटिंग समूह विश्व बाज़ार इकाई की ग्राहक जुटाने वाली शाखा है। यह बैंक के संस्थागत तथा कॉरपोरेट ग्राहकों के ट्रेजरी उत्पादों के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश भर में स्थित 'ट्रेजरी मार्केटिंग यूनिट', ग्राहकों के लिए विश्व बाज़ार इकाई का चेहरा है। वे ग्राहकों के साथ दैनिक आधार पर बातचीत करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और मूल्य निर्धारण, उत्पाद संरचना तथा वितरण के लिए अन्य व्यावसायिक इकाइयों के साथ समन्वय करते हैं।

विदेशी निवेश एवं संस्थागत ट्रेजरी बिक्री डेस्क ट्रेजरी मार्केटिंग समूह का ही हिस्सा है। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ग्राहकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ट्रेजरी व्यवसाय जुटाने का कार्य संभालता है।

प्राइवेट ईक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड

1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत-केंद्रित पीई फंड का प्रबंधन करने हेतु वर्ष 2008 में मैक्वेरी और आईएफसी के साथ किया गया संयुक्त उद्यम इस समय समाप्त होने जा रहा है। इसने वित्त वर्ष 2019 के दौरान दो सड़क प्रबंधन आस्तियों से सफलतापूर्वक बाहर आ गया है।

वर्ष 2010 में ओमान इंडिया जाइंट इनवेस्टमेंट फंड (ओआइजेआइएफ) ने ओमान राज्य जनरल रिज़र्व फंड के साथ साझेदारी में एक संयुक्त उद्यम में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड-1 के लिए अपना निवेश पूर्ण कर लिया। फंड-1 ने 2 निवेशित कार्य पूर्ण और 1 आंशिक रूप से पूर्ण कर लिया है। 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मूल निधि के साथ वर्ष 2017 में शुरू की गई फंड-2 के अंतर्गत 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है और इसने 3 आस्तियों के लिए ₹450 करोड़ की राशि नियोजित की है। फंड-2 वर्तमान में निवेश के लिए विभिन्न अवसरों का आकलन कर रहा है।

वित्त वर्ष 2019 के दौरान, आपके बैंक ने राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) में किए गए कार्यनीतिक निवेश से आंशिक विनिवेश किया है। स्पेशल सिचुएशंस फंड एवं मिड मार्केट ग्रोथ स्टेज कंपनियों तथा प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए केंद्रित फंड जैसे विभिन्न निवेशों के बीच आपके बैंक ने अपनी वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है।

पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाएँ (पीएमएस)

आपका बैंक एक त्रुटिहीन उल्लेखनीय रिकार्ड के साथ देश का सबसे बड़ा सेवानिवृत्ति लाभ निधि प्रबंधक है। 31 मार्च 2019 को कुल एयूएम राशि ₹5,08,230 करोड़ रही। बैंक के प्रमुख ग्राहकों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एसबीआई सेवानिवृत्ति लाभ निधि, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी भविष्य निधि शामिल हैं। हमने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भी उनके एसएलआर पोर्टफोलिओ का प्रबंध करने में सहायता करते हैं। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक के पोर्टफोलियो प्रबंध सेवा लेनदेन 31 मार्च 2019 को बंद किए गए।

ग. अंतरराष्ट्रीय परिचालन

शाखाएं/उप कार्यालय
चीन (2)
दक्षिण कोरिया (1)
जापान (2)
भारत (1)
मालदीव (4)
श्रीलंका (5)
बांग्लादेश (12)
म्यांमार (1)
सिंगापुर (7)
हांगकांग (1)

अनुषंगी
इंडोनेशिया (11)
नेपाल (86)

संयुक्त उद्यम
भूटान (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
फिलीपिंस (1)

शाखाएं/उप कार्यालय
बहरीन (3)
सऊदी अरब (1)
यूएई (2)
ओमान (1)
इजरायल (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
इरान (1)
यूएई (2)

एक्सचेंज कंपनी
ओमान (2)
दुबई (1)

शाखा
आस्ट्रेलिया (1)

विश्व भर में उपस्थिति

आपके बैंक का अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह विश्व भर में फैले भारतीय कॉरपोरेट्स तथा भारतीय प्रवासियों को सहयोग प्रदान करने के सर्वप्रचलित सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रहा है। हालांकि, आपके बैंक ने सही मायनों में अंतरराष्ट्रीय बैंक बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धीरे-धीरे अपना फोकस भारत आधारित व्यवसाय से कम कर विदेशों के स्थानीय बाजारों की ओर किया है। विदेशी कारोबार संचालित करने के लिए आपके बैंक की अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह नाम की अलग व्यवसाय यूनिट है जिसका नेतृत्व प्रबंध निदेशक (जीबी एवं एस) संभालते हैं तथा उनकी सहायता के लिए उप प्रबंध निदेशक (आईबीजी) नियुक्त किए गए हैं।

विश्व भर में उपस्थिति आपके बैंक ने विश्व स्तर पर पहली बार अपनी उपस्थिति जुलाई 1864 में दर्ज कराई थी। उस समय बैंक ऑफ मद्रास ने अपनी पहली शाखा कोलंबो, श्रीलंका में (भारतीय बैंकों में सबसे पहले) खोली थी। समय के साथ आपके बैंक ने विश्व स्तर पर अपने कार्यालयों का विस्तार किया। आज वह अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सभी भारतीय सरकारी बैंकों में अग्रणी है। आपके बैंक की उपस्थिति सभी टाइम जोन में स्थित 208 कार्यालयों के साथ 34 देशों में है। इन कार्यालयों का प्रबंध आईबीजी द्वारा संभाला जाता है।

हमारे बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों का विवरण इस प्रकार है :

	31.03.2018 को विदेश स्थित कार्यालय	गत 12 माह के दौरान खोले गए कार्यालय	गत 12 माह के दौरान बंद किए गए कार्यालय	31.03.2019 को विदेश स्थित कार्यालय	विदेश स्थित कार्यालयों का कुल व्यवसाय
शाखाएं/ उप-कार्यालय/ अन्य कार्यालय	73	1	17*	57	57,499 मिलियन यूएस डॉलर
सहायक कंपनियां	(8)	(1)		(9)	
सहायक कंपनियों के कार्यालय	122	21	3	140	
प्रतिनिधि कार्यालय	7		1	6	शुद्ध लाभ 499.31 मिलियन यूएस डॉलर
संयुक्त उद्यम/सहयोगी/ प्रबंधित एक्सचेंज कंपनियां/निवेश	5			5	
कुल	**207**	**22**	**21**	**208**	

*12 शाखाएं एसबीआई यूके लिमिटेड (सहायक कंपनी) को सौंप दी गई हैं।

वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए सार्वजनिक क्षेत्र बैंक सुधार कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2019 के दौरान आपके बैंक ने अपने विदेश स्थित कारोबार को संगठित और मजबूत करने के प्रयास किए। इससे पूंजी संरक्षण, कम लागत तथा विदेशी बाज़ारों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा। आपके बैंक ने दक्षिणी अफ्रीका में लॉडिअम एवं केपटाउन स्थित दो तथा श्रीलंका में जाफना स्थित अपने एक उप-कार्यालय को बंद कर विदेशी कारोबार का पुनर्गठन किया है। साथ ही बंग्लादेश में धानमंडी, उत्तरा एवं ढाका में जमुना पार्क स्थित अपने 3 भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्रों का विलय कर उन्हें संगठित किया है। विदेशी सहायक कंपनी-डेस एसबीआई इंडोनेशिया लिमिटेड की दो उप-शाखाएं जटिनेग्रा, केबोनजेरुक को जकार्ता मुख्य शाखा के साथ तथा एक उप-शाखा बुहा बटु को बांडंग शाखा के साथ विलय किया गया। इस अवधि के दौरान सिंगापुर में कार्यरत भारतीय श्रमिकों को धन-प्रेषण की सुविधा देने के लिए ई-धन-विप्रेषण केंद्र खाला गया। इसके अतिरिक्त सार्क समूह क्षेत्र में कारोबार बढ़ाने की कार्यनीति के अनुसार एसबीआई की सहयोगी कंपनी नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड ने 10 शाखाएं खोली हैं। यूके की बारह शाखाओं को बैंक के यूके कारोबार से निकालकर उनके लिए एसबीआई यूके लिमिटेड नाम की सहयोगी कंपनी बनाई गई है।

वर्ष-दर-वर्ष आपके बैंक ने लगातार अच्छा प्रतिफल / लाभ कमाकर निवेशकों के निवेश का मूल्य बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह ने लाभ अर्जन में हमेशा अपना योगदान दिया है। हाल के विपत्ति भरे समय में भी लगातार लाभ कमाया है।

अर्थव्यवस्था में विकास की गति बढ़ाने तथा बैंकिंग इंडस्ट्री में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आईबीजी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषीकृत तथा दक्षतापूर्ण सेवाएं देकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विकास को गति देने वाले अन्य साधनों के साथ-साथ भारत को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में सहयोग किया है।

1. क्रेडिट सहायता : व्यवसाय बढ़ाने में बड़ा योगदान

भारतीय कॉरपोरेटों को उनकी प्रगति की कार्य-योजना में सहायता करने के लिए आपके बैंक ने अन्य भारतीय एवं विदेशी बैंकों के साथ मिलकर द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत सर्वथा नए उद्यमों के लिए भी बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में विदेशी मुद्रा में कर्ज उपलब्ध कराया है। ऐसे उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना स्वरूप एपीएलएमए (एशिया पैसिफिक लोन मार्केट एसोसिएशन) ने आपके बैंक को "सिंडिकेटेड लोन हाउस ऑफ द इयर" इंडिया पुरस्कार के लिए चुना है।

एसबीआई ने भारतीय कॉरपोरेट्स को 12.91 बिलियन यूएस डॉलर तथा विदेश स्थित कंपनियों को 10.36 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी मुद्रा ऋण संस्वीकृत किए हैं। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने एक बड़ी भारतीय फार्मा कंपनी द्वारा विदेश में अधिग्रहण के लिए ऋण उपलब्ध कराया है। तेल विपणन कंपनियों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए ऋण उपलब्ध कराने में भी आपका बैंक सक्रिय है। कच्चे तेल तथा विदेशी मुद्रा की कीमतों में अस्थिरता के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए इस ऋण का विशेष महत्व है। बिजली क्षेत्र की कंपनियों तथा बिजली क्षेत्र को आगे उधार देने वाली एनबीएफसी को बाह्य वाणिज्यिक ऋण देने में आपका बैंक हमेशा अग्रणी रहा है। वर्तमान में आपका बैंक देश तथा विदेशों में कार्यरत अपने विशाल, सुसज्जित नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों तथा आयातकों को विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स तथा सेवाएं देने में भी पूरी तरह सक्षम है।

2. रिटेल तथा धन-प्रेषण (रेमिटेंस) कार्यनीति

आपका बैंक अपने विशिष्ट रिटेल तथा धन-प्रेषण प्रोडक्ट्स के साथ विदेशों में बसे अनिवासी भारतीयों के लिए 'भारत का कुबेर' है। चूंकि रिटेल तथा धन-प्रेषण खंड की ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आई.टी. कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक विस्तृत कार्यनीति तैयार की गई है। इस वर्ष के प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं -

- धन-प्रेषण व्यवसाय से जुड़ी कार्यनीति पर पुनः विचार करते हुए फोकस क्षेत्र विशेष के लिए भुगतान तथा धन-प्रेषण मार्ग विकसित करने पर रहा है, जैसे खाड़ी देशों (गल्फ) से नेपाल तथा खाड़ी देशों (गल्फ) से श्रीलंका।
- भारत में तेज, सुविधाजनक, भरोसेमंद तथा कम लागत में धन-प्रेषण के लिए एसबीआई इंडोनेशिया (एसबीआई की सहायक कंपनी) ने एसबीआई रुपे एक्सप्रेस उपलब्ध कराया है।
- सिंगापुर में यूपीआई से धन-प्रेषण सुविधा का शुभारंभ किया गया है।
- चयनित 11 क्षेत्रों में इंटरनेट बैंकिंग (एफईबीए) के माध्यम से एटीएम कार्ड हॉट लिस्टिंग की शुरुआत की गई है।
- 13 चयनित देशों में सीआरएम समाधान की शुरुआत की गई है।
- यूएसए से भारत में धन-प्रेषण के लिए ट्रांसफास्ट धन-प्रेषण एलएलसी, यूएसए का शुभारंभ किया गया है।

3. वैश्विक भुगतान एवं सेवाएं

आपके बैंक की एक यूनिट वैश्विक भुगतान एवं सेवाएं (जीपी एवं एस) विदेशों से भारत में ऑनलाइन आवक धन-प्रेषण (इनवार्ड रेमिटेंस), विदेशी मुद्रा चेक संग्रहण, वॉस्ट्रो खाते खोलना तथा उनका संचालन, एशियन समाशोधन यूनियन (एसीयू) लेनदेन की सुविधाएं उपलब्ध कराती है तथा वह यूएसएसआर सैक्शन के विदेशी आर्थिक मामलों (बीएफईए) का बैंक है। इस वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- विदेशों से भारत में रुपये में आवक धन-प्रेषण को व्यवस्थित करने के लिए 55 एक्सचेंज कंपनियों, छह बैंकों तथा एक धन सेवा व्यवसाय के साथ टाइ-अप किया गया है।
- लेनदेन के बाद निगरानी करने तथा अनुपालन ढांचे को मजबूती देने के लिए एमलॉक नाम के एप्लीकेशन का उपयोग किया गया है।

4. व्यापार वित्त

आपका बैंक देश तथा विदेशों में सभी टाइम जोनों में कार्यरत अपने विशाल, सुसज्जित नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों तथा आयातकों को व्यापार वित्त प्रोडक्ट्स तथा सेवाएं उपलब्ध कराता है। आईबीजी में कार्यरत वैश्विक व्यापार विभाग (जीटीडी) ऐसे व्यवसाय की देखरेख करता है। अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में व्यापार वित्त का महत्वपूर्ण योगदान है। बड़ा वैश्विक बैंक होने के नाते एसबीआई भारतीय कॉरपोरेट्स को उनके आयात के लिए कम लागत पर व्यापार वित्त सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम है।

भारत को आयात के लिए व्यापार क्रेडिट की सहायता करने के लिए बैंक की देसी शाखाओं के ग्राहकों के लिए आपके बैंक ने एक नया प्रोडक्ट - गैर-एलसी प्रतिपूर्ति वित्त (एनएलआरएफ) उपलब्ध कराया है। एचबीएसई बैक्ड बायर्स क्रेडिट नामक अन्य उत्पाद से आपका बैंक अन्य भारतीय बैंकों के आयात ग्राहकों को व्यापार वित्त सेवाएं देता है।

आपके बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा लगातार आठवीं बार 'द बेस्ट ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइडर (इंडिया) -2019 तथा ग्लोबल ट्रेड रिवेन्यू द्वारा दक्षिण एशिया में बेस्ट ट्रेड फाइनेंस बैंक 2018' का पुरस्कार दिया गया।

5. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग - देशी (आईबीडी)

आपके बैंक के आईबीजी का आईबी-देशी विभाग व्यापार वित्त तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के लिए देशी तथा विदेश स्थित कार्यालयों के लिए अकेला संपर्क सूत्र है। काउंटर गारंटी के आधार पर विदेशी बैंकों से गारंटी मांगने वाले प्रतिनिधि बैंकों/विदेशी कार्यालयों को एक स्थान पर समाधान उपलब्ध कराने के लिए आईबी-देशी विभाग ने एक केंद्रीकृत समन्वय कक्ष स्थापित किया है जो आवक विदेशी बैंक गारंटी (सीसीसी-एफबीजी) की प्रोसेसिंग करता है। विदेशी आवक बैंक गारंटी व्यवसाय बढ़ाने के लिए कुछ समय पहले सीसीसी-एफबीजी के अधीन जावक विदेशी बैंक गारंटी कक्ष भी आंरभ किया गया है।

देशी व्यापार बढ़ाने, विनियामकों की चिंताओं पर ध्यान देने तथा बाजार की चाल के अनुसार कार्य करने के लिए आईबी-देशी विभाग नवीनतम प्रौद्योगिकी टूल्स का उपयोग तथा प्रोडक्ट नवोन्मेषिता बढ़ाने के गंभीर प्रयास कर रहा है। आईबीजी व्यापार समूहों तथा आईसीसी उप-समूहों के साथ संबंध बनाने तथा संबंधों को मजबूत करने के लिए आईबीडी समन्वय एवं संपर्क कार्य भी कर रहा है। यह विभाग विदेशी मुद्रा व्यवसाय को समन्वित करने में बहुत योगदान देता है ताकि देशी कार्यालयों से विदेशी कार्यालयों /विदेशी प्रतिनिधि बैंकों तथा व्यापार समूहों के बीच मजबूत संबंध बने एवं विनियामकों की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाए।

6. विदेशी ट्रेजरी प्रबंध

आपके बैंक के आईबीजी विभाग के तहत कार्यरत ट्रेजरी प्रबंध समूह चलनिधि प्रबंध, लेनदेन कक्ष परिचालन तथा विदेशी कार्यालयों के निवेश संबंधी कार्य करता है। इस समूह ने सितंबर 2018 में एमटीएन कार्यक्रम के तहत यूएस डॉलर मूल्यवर्ग में 650 मिलियन यूएस डॉलर के बैंक के पहले पब्लिक ग्रीन बॉण्ड का मूल्य निर्धारण तथा जनवरी 2019 में 1250 मिलियन यूएस डॉलर के अकेले आरईजी-एस/144A यूएसडी जारी किए हैं। ग्रीन बॉण्ड इस वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भारतीय बैंक द्वारा जारी पहला यूएसडी बॉण्ड था। नए उभरते बाजारों के बीच 2018 में सबसे बड़े क्लाइमेट बॉण्ड जारीकर्ता होने के नाते क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव ने आपके बैंक को 'ग्रीन बॉण्ड पायनियर अवॉर्ड' से सम्मानित किया है। यह निर्गम (इश्यू) सिंगापुर एक्सचेंज ट्रेडिंग लिमिटेड (सिंगापुर एसजीएक्स) तथा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हुए थे। करेंसी तथा रेट मार्केट अस्थिरता के दौरान कम समय में तेजी से लेनदेन किए गए। इनका सफलतापूर्वक जारी किया जाना दर्शाता है कि आपके बैंक ने विदेशी पूंजी बाजारों में मजबूत निवेशक आधार तैयार किया है जिसकी वजह से आपका बैंक करेंसी तथा रेट अस्थिरता के दौरान भी विश्व के प्रमुख नियत आय निवेशकों से सफलतापूर्वक पूंजी जुटाने में सक्षम है।

इस समय आईबीजी की निवेश बही 6.80 बिलियन यूएस डॉलर की है। इन निवेश को उच्च रेटिंग प्राप्त तथा नकद प्रतिभूतियों में रखा जाता है जिससे कम/मध्यम जोखिम पर आईबीजी को स्थायी ब्याज आय अर्जित होती रहे। ट्रेजरी प्रबंधन समूह प्रमुख केंद्रों पर लेनदेन कक्षों की निगरानी करता है ताकि विदेश स्थित कार्यालयों में पूंजी बाजार, विदेशी मुद्रा तथा डेरिवेटिव कार्य करने में सुविधा हो। फिलहाल चार प्रमुख लेनदेन कक्ष लंदन न्यूयार्क, हांगकांग तथा बेहरीन में कार्यरत हैं जो विदेश स्थित छोटे कार्यालयों को कारोबार में सहायता करने के लिए हब एवं स्पोक मॉडल पर कार्य करते हैं। व्यापार कारोबार से तुलन-पत्र को वित्तीय हानि से बचाव के समाधान भी मिलते हैं।

7. विदेशी आई.टी. पहल

प्रक्रियाओं को स्वचलित करने, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने तथा जोखिम प्रबंधन के लिए आपका बैंक प्रौद्योगिकी का निरंतर उपयोग कर रहा है। हमारे विदेश स्थित कार्यालयों में निम्नलिखित पहल की गई हैं :

1. योनो (यू ओनली नीड वन) बैंक की अत्यधिक महत्वाकांक्षी तथा सुरक्षित डिजिटल सेवा है। इस सेवा को वर्ष 2020 के दौरान विदेश स्थित कार्यालयों तक पहुंचाया जा रहा है।
2. विदेश स्थित कार्यालयों में ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई।
3. ग्राहकों को बेहतर डिजिटल बैंकिंग अनुभव कराने के लिए फिनेकल ई-बैंकिंग एप्लीकेशन (एफइबीए) में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

4. काले धन को वैध बनाने के जोखिम तथा घटनाओं से निपटने के लिए नया धन-शोधन निवारण समाधान (एफआईसीओ टोलबैलर) लागू किया गया है जिसके तहत लेनदेन/स्विफ्ट संदेशों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग, ग्राहक समावेश, जोखिम स्कोरिंग तथा लेनदेन निगरानी की जाती है।

5. ऑनलाइन बैंकिंग प्लैटफॉर्म पर अतिरिक्त कार्ड प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराकर एटीएम/डेबिट कार्डों की सुरक्षा बढ़ाई गई। (एफईबीए अर्थात् कार्डों की हॉट लिस्टिंग, नया कार्ड एक्टिवेशन, नया कार्ड अनुरोध, ग्रीन पिन, लिमिट में परिवर्तन)

6. विनियामक के दिशानिर्देशों के मद्देनजर कोर बैंकिंग प्रणाली तथा स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली के बीच स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग तथा यूजर प्रतिबंध लागू कर स्विफ्ट कारोबार नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत बनाया गया।

7. वित्त वर्ष 2020 के दौरान नेटवर्किंग उपकरणों को अपग्रेड करना, मानकीकृत सूचना सुरक्षा तथा दुर्घटना रोकने की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना जैसी प्रौद्योगिकी आधारित जोखिम प्रबंधन की योजना बनाई गई है।

8. उपयोगकर्ताओं के बेहतर अनुभव के लिए हमारे विदेश स्थित कार्यालयों की वेबसाइटों की संरचना तथा प्रदर्शन में एकरूपता लाकर उनका मानकीकृत किया गया।

9. प्रोडक्ट नवोन्मेषिता तथा विपणन, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, विनियामकों को रिपोर्टिंग, ऋणों तथा लेनदेन निगरानी के संबंध में त्वरित चेतावनी संदेश प्राप्त करने के लिए डेटा विश्लेषण व्यवस्था का उपयोग किया गया।

8. वित्तीय संस्था समूह - संपर्की संबंध

यह समूह आपके बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय अंशधारकों यथा प्रतिनिधि बैंक, विदेशी सरकारी एजेंसियों तथा विकास वित्त संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय चैंबर ऑफ़ कॉमर्स इत्यादि के बीच संयोजन कार्य करता है। साथ ही आईबीजी तथा अन्य व्यवसाय समूहों जैसे कॉरपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह, ग्लोबल मार्केट इत्यादि के बीच तालमेल बनाने में सहयोग करता है। वित्त वर्ष 2019 की उल्लेखनीय उपलब्धियां ये रही:

- अपने शेयरधारकों को बेहतर प्रतिफल देने के लिए विश्व स्तर पर वित्तीय संस्थाओं के साथ लाभप्रद संबंध स्थापित करने पर फोकस रखा गया है। हमारे 57 देशों में स्थित 235 बैंकों के साथ संबंध हैं और हम बैंक की आंतरिक नीतियों, देशों के स्थानीय दिशानिर्देशों तथा संस्वीकृति संबंधी शर्तों के आधार पर अपने संबंधों की आवधिक समीक्षा करते हैं। प्रमुख वैश्विक तथा क्षेत्रीय बैंकों के साथ हमारे संबंधों का उपयोग करते हुए हमने बैंक का फोकस एफआई व्यवसाय पर बढ़ाया है।
- एसबीआई की आई.टी. नवोन्मेष टीम के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है ताकि प्रमुख वैश्विक बैंकों के साथ पार्टनरशिप से प्रतिनिधि बैंकिंग परिदृश्य में प्रौद्योगिकी उन्नयन किया जा सके।
- व्यापार वित्त, क्रेडिट, ट्रेजरी, कर्ज पूंजी बाजार, विदेशी मुद्रा व्यवसाय, लेनदेन बैंकिंग तथा करेंसी समाशोधन हमारे प्रोडक्ट फोकस क्षेत्र हैं। .
- दुबई, अबू धाबी, इस्तनबुल, साओ पॉलो, तेहरान, मनीला तथा वाशिंगटन में स्थित एसबीआई के प्रतिनिधि कार्यालय हमारे विदेश स्थित कार्यालयों को परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विपणन कार्यकलाप में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं और स्थानीय कॉरपोरेट एवं एनआरआई को भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- आपका बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा का हमेशा अभिन्न हिस्सा रहा है तथा विकास को गति देने तथा विकासशील भारत की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हमेशा की तरह अग्रणी की भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

3. वाणिज्यिक ग्राहक समूह (सीसीजी)

क. वाणिज्यिक ग्राहक

बैंक की कॉरपोरेट ऋण व्यवस्था एवं इसकी कार्य-प्रणाली का नवीकरण किया गया है। इससे जोखिमों का बेहतर आकलन कर निरंतर वृद्धि दर बनाए रखने वाला उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयार संगठन बन सकेगा। कॉरपोरेट लेखा समूह को नया रूप दिया गया है। इससे अत्यधिक प्राथमिकता और गुणवत्तावाले व्यक्तियों एवं समूहों के अलग-अलग कारोबार पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। सीसीजी का गठन बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर कॉरपोरेट लेखा समूह, मध्य कॉरपोरेट समूह एवं राष्ट्रीय बैंकिंग समूह वर्टिकलों के चुनिंदा कॉरपोरेट ग्राहक खातों को एक समूह में लाने के लिए किया गया है। इसमें शेष कैग शाखाओं एवं मौजूदा एमसीजी शाखाओं को 47 सीसीजी समूह शाखाओं का नया रूप देना भी शामिल है। सीसीजी वर्टिकल का नेतृत्व एक प्रबंध निदेशक को सौंपा गया है। उनकी सहायता के लिए एक उप प्रबंध निदेशक, पांच मुख्य महाप्रबंधक एवं अन्य पदाधिकारी पदस्थ किए गए हैं।

सीसीजी के मुख्य महाप्रबंधकों को समूह संबंध विकसित करने की स्वतंत्रता दी गई है। इससे गुणवत्तापूर्ण कारोबार में वृद्धि हो सकेगी। संपूर्ण समूह के जोखिम आकलन, आमदनी आदि बढ़ाने के कार्य को एक साथ संपन्न करने के लिए नई दृष्टि मिल सकेगी। बैंक ने ऋणान्वयन, बॉन्ड, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं उद्देश्यपूर्ण/मिलेजुले वित्तपोषण के बड़े प्रस्तावों वाले सौदों में सहायता करने के लिए उद्देश्यपूर्ण वित्तपोषण के अनुभवी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है।

वित्त वर्ष 2019 के अंत में सीसीजी में गैर-खाद्य देशीय अग्रिम ₹4,00,076 करोड़ रहे, जिसमें 3.93% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। सीसीजी के अग्रिमों से आमदनी मार्च 2018 में 7.50% थी जो मार्च 2019 में 118 आधार अंक बढ़ कर 8.68% हो गई। इसी अवधि के दौरान, प्रति कर्मचारी व्यवसाय मार्च 2018 के स्तर

औद्योगिक वित्त शाखा, बीकेसी, मुंबई द्वारा वित्तपोषित मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।

₹121.73 से बढ़कर मार्च 19 में ₹146.72 करोड़ पर पहुंच गया। प्रति कर्मचारी लाभ भी मार्च 18 के स्तर ₹1.98 करोड़ से बढ़कर मार्च 19 में ₹3.99 करोड़ पर पहुंच गया। आय की तुलना में व्यय का अनुपात भी वर्ष के दौरान 295 आधार अंक गिरकर मार्च 18 के स्तर 9.25% से मार्च 19 में 6.30% पर आ गया। ऋण-वसूली के मामले में सीसीजी आईबीसी/एनसीएलटी व्यवस्था के अंतर्गत वसूली अधीन अग्रिम खाते में ₹1,364 करोड़ की वसूली करने में सफल रहा।

यह समूह अपने ग्राहकों को ट्रेड फिनैंस और फॉरेक्स कारोबार में वृद्धि करने में निरंतर सहयोग दे रहा है।

सीसीजी कॉरपोरेटों के लिए योनो शुरू करने के चरण में बहुत आगे बढ़ चुका है। यह ट्रांजैक्शन बैंकिंग के साथ साथ ट्रेड फिनैंस कारोबार में भी कॉरपोरेटों के लिए बहुत ही यूज़र फ्रैंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने जा रहा है।

ख. परियोजना वित्त एवं पट्टा व्यवसाय

परियोजना वित्त लघु व्यवसाय इकाई द्वारा पिछले वर्ष थेर्मल पॉवर, सड़क, दूरसंचार क्षेत्रों के कुछ दबावग्रस्त खाते अलाभकारी आस्ति बनने जैसी चुनौतियों का सामना किए जाने के विपरीत यह वित्त वर्ष 2019 पिछले अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर सचेत सकारात्मकता के साथ शुरू हुआ। नवीकरणीय, सिटी गैस संवितरण एवं सड़क क्षेत्र के हाइब्रिड एन्नुटी मॉडल के निधीयन की नीति सम्मिलित जोखिमों को कम करने के लिए बनाई गई। सड़क, तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सिमेंट, उर्वरक आदि जैसे क्षेत्रों में रिवाइवल के संकेत देखने को मिले। दबावग्रस्त खाते जिनमें मुख्य रूप से थेर्मल पॉवर, सड़क क्षेत्र के खाते सम्मिलित थे, समाधान हेतु एसएआरजी को अंतरित किए गए। हमारे ग्राहकों को स्ट्रक्चरिंग समाधान उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न उद्योगों के अनुभवी अधिकारियों की भर्ती की जा रही है। शुल्क आय बढ़ाने हेतु आय ह्रास को रोकने के लिए आपके बैंक द्वारा सनदी लेखाकारों की सेवाएं ली जा रही है।

परियोजना वित्त एवं पुनर्रचना (पीएफएसबीयू) के नाम से जानी जाने वाली आपके बैंक की विशेष व्यवसाय इकाई बिजली, सड़क, बंदरगाह, रेल, विमानपत्तन आदि जैसे आधारभूत संरचना क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनके लिए निधियों का प्रबंध करती है। अन्य समूहों की बड़ी राशि के सावधि ऋण प्रस्तावों की उपयुक्तता निर्धारित करने में भी वह इकाई सहायता प्रदान करती है। यह न्यूनतम परियोजना लागत की कुछ शर्तों के पूरा होने पर उर्वरक, धातु, सीमेंट, तेल और गैस आदि जैसी गैर-आधारभूत संरचना परियोजनाओं को भी सेवाएं प्रदान करती हैं। अन्य समूहों की बड़ी राशि के सावधि ऋण प्रस्तावों की उपयुक्तता निर्धारित करने में भी यह इकाई सहायता प्रदान करती है। यह इकाई आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए नीति नियामक संरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, नीति आयोग और भारतीय रिज़र्व बैंक को नई नीतियों, मॉडल रियायत करार एवं आधारिक संरचना वित्त में आ रही समस्याओं पर ऋणदाताओं के विचार के संबंध में सूचना देने का कार्य भी करती है।

परियोजना वित्त एवं पट्टा व्यवसाय निष्पादन:

(₹करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2019
परियोजना लागत	83,434	81,701	1,99,317
परियोजना ऋण	51,227	58,754	1,33,115
संस्वीकृत राशि	26,557	19,835	51,351
समूहन राशि	5,809	11,937	31,191

हमारी औद्योगिक वित्त शाखा, बीकेसी, मुंबई द्वारा वित्तपोषित सनफ्लैग आइरन एंड स्टील कंपनी का इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस।

4. तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

1. वित्त वर्ष 2019 की प्रथम छमाही में अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अलाभकारी आस्तियों में गिरावट आई, जो निम्नलिखित कारणों से है

    1. आईबीसी 2016 के तहत एनसीएलटी को संदर्भित भारतीय रिज़र्व बैंक की पहली और दूसरी सूची के खातों में से कुछ उच्च मूल्य के अलाभकारी आस्ति खातों में वसूली
    2. भारत में वित्त वर्ष 2018 के दौरान हुई प्रचुर आर्थिक वृद्धि के कारण नई गिरावटों को रोका गया।
    3. पिछले कुछ वर्षों से दबावग्रस्त स्टील क्षेत्र में आशावादी दृष्टिकोण। मांग और खपत में हुई वृद्धि के कारण और साथ ही ऐंटी-डम्पिंग सुरक्षा शुल्क लगाने और न्यूनतम आयात कीमतों के निर्धारण के कारण क्षेत्र की अलाभकारी आस्तियों में अच्छी खासी वसूली हुई।
    4. बैंकिंग क्षेत्र में समुचित सावधानी, ऋण मूल्यांकन और ऋण पर निगरानी प्रणाली को मज़बूत बनाए जाने के कारण।
    5. कारोबार करने में सरलता के सूचकांक में भारत का लगातार दो बार वर्ष 2017 में 30 स्थान ऊपर चढ़कर और वर्ष 2018 में 23 स्थान ऊपर चढ़ जाने से इसका 130 वें स्थान से 77 वें स्थान पर आना, उसके द्वारा व्यवसाय सुधार में विश्व की उत्कृष्ट प्रथाओं के अपनाने का द्योतक है।
    6. रुपये का अवमूल्यन और वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के अल्पावधि प्रभाव के बाद स्थिति का सुधरना
    7. विदेशी निवेशों के सहयोग से एआरसी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ण/ दबावग्रस्त आस्तियों की खरीद में अधिक रुचि दर्शाना

2. दिसंबर 2018 के भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट के अनुसार क्षतिग्रस्त आस्ति भार से संभावित वसूली के संकेत के रूप में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अलाभकारी आस्तियों का अनुपात मार्च 2018 के 11.5% की स्थिति से घटकर सितंबर 2018 में 10.8% हुआ। इसके अलावा, व्यापक आर्थिक आघात को सहने में भारतीय बैंकों की सहनशीलता के परख दबाव परीक्षणों द्वारा की गई, जिसके परिणाम यह सूचित करते हैं कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अलाभकारी आस्तियाँ सितंबर 2018 की 10.8% की स्थिति से घटकर मार्च 2019 तक 10.3% आ जाएगी। इसके अतिरिक्त ऋण, ब्याज दर, इक्विटी मूल्य तथा तरलता जोखिम के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आघात-सहनीयता के अध्ययन हेतु किए गए संवेदनशीलता विश्लेषण से पूर्वानुमान है कि एक छोटा सा ऋण झटका अनेक बैंकों की पूंजी पर्याप्तता तथा लाभकारिता पर प्रभाव डाल सकता है, इनमें से अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होंगे।

3. पिछले चार वर्षों के दौरान एनपीए के उतार-चढ़ाव तथा अपलिखित खातों में हुई वसूली को नीचे दिखाया गया है:-

(₹करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2017*	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2019
सकल एनपीए	98,173	1,77,866	2,23,427	1,72,750
सकल एनपीए%	6.50%	9.11%	10.91%	7.53%
निवल एनपीए%	3.81%	5.19%	5.73%	3.01%
नई बढ़ोतरी + बकाया में बढ़ोतरी	64,198	1,15,932	1,00,287	39,740
नकद वसूली/ अपग्रेडेशन	6,987	32,283	14,530	31,512
अपलेखन	15,763	27,757	40,196	58,905
औका में वसूली	2,859	3,963	5,333	8,345
पीसीआर (%)	60.69%	61.53%	66.17%	78.73%

*विलय पश्चात

उद्योग वार एनपीए पोर्टफोलियो का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है

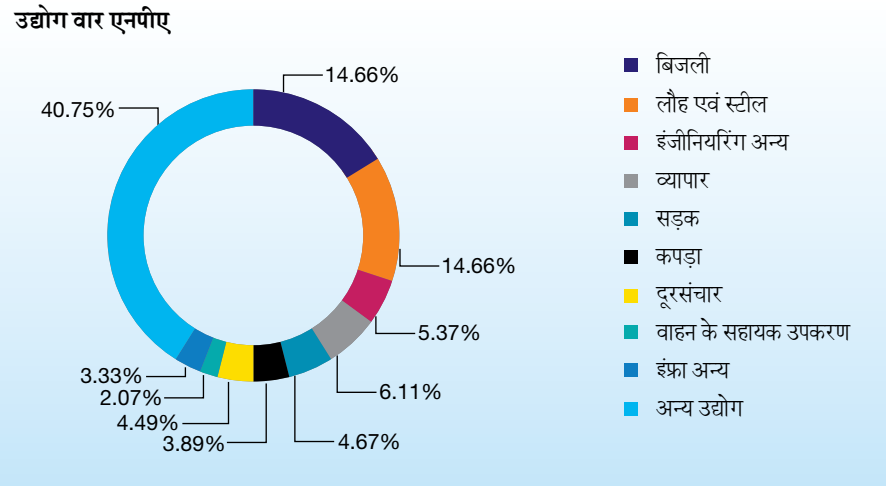

4. भारत सरकार ने उत्तरदायी और जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अपने सुधार एजेंडा में एक दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन स्कन्ध (एसएएमवी) गठित करने का निर्देश दिया है। आपका बैंक अत्यंत गर्व का अनुभव करता है कि एसबीआई वित्त वर्ष 2005 के दौरान दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की स्थापना करके डेढ़ दशक पूर्व ही एक पूर्ण समर्पित स्कन्ध की स्थापना में अग्रणी रहा। दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए समर्पित रूप से केंद्रित रहने के लिए एसएएमजी का नाम बदल कर दबावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (एसएआरजी) कर दिया गया। एसएआरजी उच्च मूल्य के एनपीए के प्रभावी समाधान के लिए समर्पित तथा विशेषीकृत स्कन्ध के रूप में कार्य कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों की दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एसएआरजी की संरचना का पुनर्गठन किया गया है। इस समय वर्टिकल की अध्यक्षता एक उप प्रबंध निदेशक द्वारा की जा रही है तथा विशेषीकृत क्षेत्र के एएमटी का नेतृत्व सात महाप्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है जिनका पर्यवेक्षण तीन मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है। एसएआरजी एनपीए के समाधान तथा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में उत्कृष्टता का केंद्र बन गया है। मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार देश भर में एसएआरजी की 20 दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएँ (एसएएमबी) तथा 56 दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाएँ (एसएआरबी) हैं तथा ये आपके बैंक की क्रमशः 70.62% तथा 83.71% अलाभकारी आस्तियों तथा संग्रह खाते के अंतर्गत अग्रिम (एयूसीए) को कवर करती हैं।

5. कठोर वसूली उपायों के साथ-साथ एसएआरजी ने कुछ नए तरीके भी अपनाए हैं, इससे आपके बैंक को अखिल भारतीय आधार स्तर पर बड़ी संख्या में संपत्तियों की मेगा ई-नीलामी, ऋणकर्ता/ गारंटीकर्ता की भार रहित संपत्तियों की पहचान तथा न्यायिक निर्णय से पहले संपत्तियों की कुर्की जैसे क्षेत्रों में अग्रणी रहने का लाभ प्राप्त है। समाधान के लिए एनसीएलटी को संदर्भित किए गए सभी मामलों की मॉनिटरिंग के लिए एसएआरजी में एनसीएलटी इकाई का भी गठन किया गया है। अब तक एनसीएलटी को 442 मामले संदर्भित किए गए हैं तथा इनमें से 350 मामलों को स्वीकार किया गया है। एनसीएलटी द्वारा अब तक 18 मामलों का समाधान किया गया है जिसमें 12 खातों की पहली सूची के कुछ उच्च मूल्य के मामले भी शामिल हैं।

6. एसएआरजी में वसूली का बड़ा अंश समझौता और एआरसी को विक्रय से आता है। ऋणकर्ताओं को अपनी देयताएँ एक बार में चुकाने का मौका देने के लिए वर्टिकल समय-समय पर विशेष ओटीएस योजनाएँ (गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण) लेकर आता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को आस्तियों की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए एक समर्पित टीम भी स्थापित की गई है। दबावग्रस्त आस्तियों को इन एआरसी को नकद तथा प्रतिभूति रसीद (एसआर) के आधार पर बेचा जाता है।

विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से एसएआरजी में एनपीए तथा औका में वसूली नीचे दिखाई गई है।

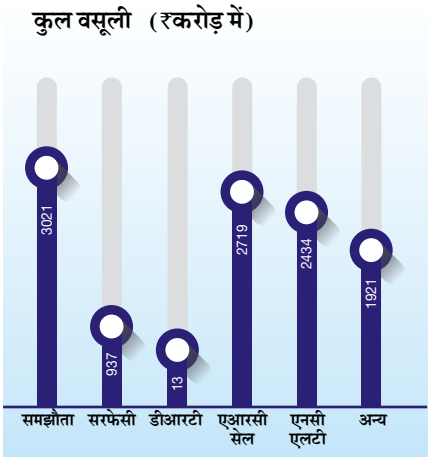

7. आज एसएआरजी बैंक के सबसे महत्वपूर्ण वर्टिकल के रूप में खड़ा है। चूंकि बैंक की सकल अलाभकारी आस्तियां पहले से ही शिखर पर पहुंच चुकी हैं और अब वह अवरोहन के पथ पर हैं। यद्यपि ऋण में लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है और ट्रेजरी परिचालन बाजार दरों पर निर्भर करता है, एसएआरजी द्वारा एनपीए का समाधान/वसूली महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से बैंक के निष्पादन पर असर डालती है। एसएआरजी द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान निम्नलिखित रूप से बैंक की आमदनी में अप्रत्यक्ष अवसर प्रस्तुत करता है

1. एनपीए और औका में नकद वसूली
2. खातों मे श्रेणी उन्नयन
3. ऋण हानि प्रावधानों में कमी
4. पूंजीगत आवश्यकताओं में कमी

उपर्युक्त सभी कारणों से बैंक की लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष प्रभाव नजर आता है। इसके अलावा उपर्युक्त कारणों से समग्र आस्ति गुणवत्ता में सुधार आता है, ऋण की मांग का मार्ग प्रशस्त होता है और परोक्ष रूप से ब्याज आय कमाने में योगदान मिलता है।

8. दबावग्रस्त/एनपीए के समाधान के लिए ऋण शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016 ने बैंकों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक समयबद्ध तथा पारदर्शी प्रभावी प्रणाली उपलब्ध कराई है। इस कारण बैंक को प्रतिभूति के रूप में दी गई आस्तियों में से अधिक से अधिक मूल्य निर्धारण हो सका तथा खातों का पारदर्शी समाधान किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2019 में की गई वसूली का अधिकांश हिस्सा इस माध्यम से हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित तथा एनसीएलटी को संदर्भित पहली तथा दूसरी सूची के खातों में से कुछ बड़े खातों का समाधान पहले से ही हो चुका है और इनमें से कुछेक की समाधान योजना तैयार हो चुकी है और इनका समाधान शीघ्र होने की उम्मीद है। इस कारण बैंक का तुलन-पत्र मजबूत हुआ है। वसूल की गई राशि को आय देने वाली आस्तियों में नियोजित करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है।

डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक के अध्यक्ष बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मल्टी आप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस का शुभारंभ करते हुए।

IV. सहायक एवं नियंत्रण परिचालन

1. मानव संसाधन और प्रशिक्षण

क. मानव संसाधन

- आपका बैंक अपनी प्रमुख शक्तियों का लाभ उठाकर बैंकिंग उद्योग में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए है। इसमें आपके बैंक के मानव संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह विभिन्न व्यवसाय नीतियों को लागू कराने में प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। ऐसा बैंककर्मियों को सही दिशा देने और उनकी क्षमताओं का इष्टतम उपयोग करने के कारण संभव हुआ है। इसका वांछित कार्यों में बेहतर निष्पादन करने पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आपके बैंक के मानव संसाधन विभाग ने अपनी नीतियां, प्रक्रियाएं और प्रणालियां निर्धारित 'मूल्यों' के साथ आपके बैंक के विजन को हासिल करने वाले बैंककर्मियों का विकास करने के अनुरूप बनाई है।
- मानव संसाधन के क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण और प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने, बेहतर नतीजों के लिए नई प्रणालियां और प्रक्रियाएं निर्धारित करने एवं मौजूदा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए वर्ष के दौरान कई अभिनव प्रयास किए गए, जिससे कार्य स्थल पर दक्षता बढ़े और खुशी का माहौल बने। नई सहस्त्राब्दि में जन्मी युवा पीढ़ी के बैंक में आने के बाद नए बैंककर्मियों की बढ़ती अकांक्षाओं को पूरा करने की प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन आया है।
- 31.03.2019 को बैंक के मानव संसाधन की स्थिति संक्षेप में नीचे दी गई है:

श्रेणी	31.03.2018	31.03.2019
अधिकारी	1,07,077	1,08,113
सहयोगी	1,10,348	1,05,440
अधीनस्थ स्टाफ एवं अन्य	46,616	43,699
योग	**2,64,041**	**2,57,252**

1. विजन, मिशन एवं मूल्य

- आपका बैंक सांस्कृतिक आधार पर संगठन में सदाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए आपके बैंक ने मुख्य आचरण नीति अधिकारी के तहत एक विभाग स्थापित किया है और बैंक का नया विजन, मिशन और मूल्य कथन जारी किया है। इसके अलावा, आपके बैंक ने एक सदाचार संहिता भी प्रकाशित की है। इसमें बैंक के हितधारकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धताओं यथा स्टेप्स के मूल्यों (सेवा, पारदर्शिता, सदाचार, शिष्टता और निरंतरता) को अपनाने की संकल्पबद्धताओं को दोहराया गया है। आपके बैंक का मानना है कि सदाचार बैंककर्मियों की उत्कृष्टता बढ़ाने की एक अविरत प्रक्रिया है। मानव संसाधन विभाग बैंक के सामान्य कर्मचारियों में सदाचार की भावना को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।

2. मानव संसाधन कार्य में सुधार

- आपके बैंक ने मानव संसाधन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए मानव संसाधन विभाग के स्वचालन के लिए नई पहल की हैं। बैंक ने निर्बाध प्रक्रिया निष्पादन, एक समान कार्यान्वयन और सात परियोजना स्रोतों के तहत प्रमुख मानव संसाधन कार्यों के बेहतर कार्यान्वयन एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भी मानव संसाधन व्यवस्था का केंद्रीकरण करने हेतु कदम उठाए हैं। एचआरएमएस में संगठनात्मक ढांचा शुरू करना, डाटा क्लीनिंग, सभी कर्मचारी भुगतानों को एचआरएमएस में ले आना, एचआरएमएस में मानव संसाधन कार्यों के निर्बाध संचालन हेतु दक्षता बढ़ाना, एचआरएमएस में सभी संबंधित कर्मचारी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरफेस बनाना, एचआरएमएस के माध्यम से सभी एचआर प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाना और सार्थक एवं समय पर एचआर से संबंधित एमआईएस आदि सृजित करना।

3. उत्पादकता बढ़ाने की पहल

- आपके बैंक द्वारा एचआर का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु श्रम शक्ति योजना के लिए उद्देश्य और डेटा संचालित मॉडल को अपनाया गया है। टाइम एंड मोशन अध्ययन के आधार पर वर्ष 2019-20 की श्रम शक्ति योजना के लिए 82 वर्क ड्राइवरों में से 12 वर्क ड्राइवरों में संशोधन किया गया है। एनालिटिक्स डिपार्टमेंट द्वारा किए गए फुटफाल अध्ययन के आधार पर विभिन्न इकाइयों के श्रम शक्ति संबंधी अनुरोधों को इस समय वेलिडेट किया जा रहा है।
- पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है और इसे अब वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूरा किया जाएगा। इससे शाखाएं और अन्य इकाइयां वर्ष के महत्वपूर्ण समय में व्यावसायिक गतिविधियों पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करना निरंतर सुनिश्चित कर पाएंगी।
- करियर विकास प्रणाली (सीडीएस) सुस्थापित हो गई है और इससे निष्पादन प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता, समावेशिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता आई है। वर्तमान सीडीएस प्रणाली डाटा समर्थित है, जहां व्यावसायिक इकाइयों के साथ भागीदारी में लक्ष्य तय किए जाते हैं और निष्पादन का निरंतर मूल्यांकन संभव है। सीडीएस प्रणाली अपने पाँच कार्य सूत्रों यथा 'व्यापक एकीकरण', 'हितधारक प्रतिबद्धता', 'महत्वाकांक्षी लक्ष्य', 'प्रति कर्मचारी कम से कम एक भूमिका' और 'निरंतर मूल्यांकन' के जरिए उत्तरोत्तर मजबूत होती जा रही है।
- सीडीएस के बारे में कर्मचारियों की धारणा, पहुंच, स्वीकृति, घनिष्ठता और अपेक्षाओं को समझने के लिए वर्ष के दौरान उस पर कर्मचारी अभिमत सर्वेक्षण आयोजित किया गया था और इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधन शामिल किए गए। इससे प्रणाली में अधिक परिशोधन करने और पारदर्शिता ले आने में मदद मिली। आपके बैंक में सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया विकसित करने और इसे संचालित करने के लिए निष्पादन मूल्यांकन के अंतर्गत संरचित प्रतिक्रिया तंत्र उपलब्ध कराया गया।
- अधिक से अधिक कर्मचारियों को बजटरी/मेजरेबल रोल्स के अंतर्गत ले आने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। आज की तारीख में सीडीएस प्रणाली के कुल सीडीएस रोल में से 95% से भी अधिक रोल बजटरी/मेजरेबल हैं। गैर-मेजरेबल रोल्स के मामले में भी केआरए को ज्यादा वस्तुनिष्ठ बनाया गया है। बैंक के लक्ष्यों एवं कॉरपोरेट चिंताओं को क्षमता मापन ढांचे के क्षमता मापदंडों के अंतर्गत रखा गया है। क्षमता मापन मापदंडों को संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें संशोधन कर उप महाप्रबंधक श्रेणी एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 15 मापदंड तथा सहायक महाप्रबंधक श्रेणी के अधिकारियों के लिए 10 मापदंड तय किए गए हैं।
- सभी महत्वपूर्ण पदों तक सुचारु रूप से नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने वरिष्ठ पदों के लिए उत्तराधिकार योजना यानी सक्सेशन प्लानिंग नीति बनाई है। महाप्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक श्रेणी के पात्र कार्यपालकों का मूल्यांकन कर एक अथवा एक से अधिक महत्वपूर्ण पदों के लिए संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उनका चयन

किया गया। चयनित संभावित उत्तराधिकारियों को वैयक्तिक विकास/प्रशिक्षण आयोजनाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इस व्यवस्था से आपके बैंक के पास पदों पर सुचारु रूप से तैनाती के लिए अपेक्षित संख्या में प्रतिभावान कार्यपालकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाती है।

4. भर्ती

- नियमित भर्ती कैलेंडर लागू कर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर आपके बैंक ने भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाया है। वित्त वर्ष 2019 के दौरान लगभग 2003 परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं 7954 कनिष्ठ सहयोगियों की भर्ती की गई।
- तेजी से बदलते व्यवसाय के अनुरूप मांगों की पूर्ति करने के लिए आपका बैंक संपदा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना सुरक्षा, जोखिम, ऋण आदि के क्षेत्रों में लेटरल/संविदागत आधार पर विशेष योग्यता रखने वालों की सक्रिय रूप से भर्ती कर रहा है।
- जहां अपेक्षित कुशलताएँ उपलब्ध नहीं हैं और जहां कुशलता विकास विशेषकर विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी, ऋण एवं जोखिम, मानव संसाधन, एनालिटिक्स, संपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में ज्यादा समय लग सकता है, वहाँ विशेषीकृत भर्तियाँ की गई हैं। अपेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए वित्त वर्ष 2019 के दौरान विषय विशेष के अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएँ ली गईं। वित्त वर्ष 2019 में 692 विशेषज्ञों की सेवाएँ ली गईं।
- मानव संसाधन प्रबंधन कुशलताओं को बढ़ाने के लिए श्रम शक्ति आयोजना, भर्ती एवं आंतरिक संवाद के क्षेत्रों में मानव संसाधन विशेषज्ञों की भर्ती की गई।

5. कर्मचारी भागीदारी पहल

- संगठनात्मक सफलता के लिए कर्मचारी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक में कार्य करते समय कर्मचारियों को कोई कष्ट न हो और उनका अनुभव बेहतर हो यह सुनिश्चित करने के लिए आपका बैंक लगातार प्रयासरत है।
- नए कर्मचारियों की भर्ती संबंधी औपचारिकताओं की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आपके बैंक ने 'ऑन बोर्डिंग पोर्टल' शुरू किया है। इससे कर्मचारियों को बेहतर अनुभव मिलेगा, क्योंकि उन्हें सूचना/दस्तावेज़ कई बार देने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे नए कर्मचारियों की सेवा में आने की सूचना तत्काल सभी स्तरों पर प्राप्त करने में मानव संसाधन पदाधिकारियों को सुविधा होगी।
- **'संजीवनी'** : कर्मचारियों की शिकायतों एवं प्रश्नों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए आपके बैंक में 'संजीवनी' एसबीआई एचआर हेल्पलाइन शुरू की गई है। शिकायत प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर इस पर उनका त्वरित समाधान कर दिया जाता है। अभी तक 20,000 से अधिक प्रश्नों/शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। आपके बैंक ने 'संजीवनी' के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएं ली हैं। आवश्यक होने पर कर्मचारी परामर्शदाताओं से संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं एवं चिंताओं को उनके साथ साझा कर सकते हैं, जिससे तनाव को कम करने, कार्य और सामाजिक दबावों से ऊपर उठने तथा समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने में उन्हें मदद मिलेगी।
- आपके बैंक ने वर्ष के दौरान एम्पलाई सर्वे 'अभिव्यक्ति' शुरू किया, जो अब तक किए गए सबसे बड़े सर्वेक्षणों में से एक है। अभिव्यक्ति का उद्देश्य वास्तव में उन कारकों की पहचान करना है, जिनसे कर्मचारियों को अपना उत्कृष्ट निष्पादन देने और लक्ष्यानुरूप निष्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। इस सर्वेक्षण में लगभग 95% कर्मचारियों ने भाग लिया। सर्वेक्षण के परिणामों से इस बात की विषद जानकारी मिली कि हमारे कर्मचारी हमारे निष्पादन,संस्कृति, प्रक्रियाओं एवं नीतियों के बारे में क्या राय रखते हैं और यह भी कि आगे हम अपना कार्य कैसे करें। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट का हमारे बैंक द्वारा सही संदर्भों में विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत विश्लेषण किया जा रहा है और विभिन्न कर्मचारी समूहों पर इंगेजमेंट स्कोरकार्ड्स की माप की गई है। आपके बैंक कर्मियों में बैंक के प्रति गर्व का भाव है और वे इसके साथ गहराई से जुड़े हैं। यह अवश्य नोट करने योग्य है कि वे बैंक के दीर्घकालीन विजन और मूल्यों के प्रति सजग हैं। इस सर्वेक्षण से मिली प्रतिसूचना को बैंक की स्थापित नीतियों की पुनर्संरचना के लिए प्रयुक्त किया जाएगा और इसके मुख्य परिवर्तनों का उपयोग कर्मचारियों की कार्यकुशलता, परिणाम, उनकी संलग्नता, समर्पण और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

6. महिला-पुरुष अनुपात

- लिंग संवेदनशीलता और समावेशिता हमेशा आपके बैंक की मानव संसाधन नीति की आधारशिला रही है। कुल बैंककर्मियों में से लगभग 24.34% महिलाएं हैं। महिला कर्मचारी पदानुक्रम के सभी स्तरों के साथ-साथ भौगोलिक विस्तार में भी उपस्थित हैं। लगभग 2,600 शाखाओं का महिला अधिकारियों द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है।
- आपका बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति रखता है और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के साथ-साथ रोकथाम के लिए बैंक में उचित व्यवस्था की गई है।

मुंबई में दूसरा एसबीआई ग्रीन मैराथन।

7. आरक्षण एवं समान अवसर

- आपका बैंक एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांगों के लिए आरक्षण नीति पर भारत सरकार के निर्देशों का दृढ़ता से पालन करता है। आपके बैंक में बैंककर्मियों में सभी संवर्गों के बीच एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक ने 1 फरवरी 2019 से सीधी भरती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया है।

मार्च 31.03.2019 को प्रतिनिधित्व

क्र सं.	संवर्ग	कुल	जिसमे से			
			एससी	एसटी	ओबीसी	दिव्यांग *
1	अधिकारी	108113	19103	8712	20092	1868
2	लिपिक	105440	17479	8843	25776	2239
3	अधीनस्थ	43699	10967	2747	10173	272
	कुल	**257252**	**47549**	**20302**	**56041**	**4379**

* दिव्यांग (भिन्न क्षमताओं वाले व्यक्ति)

- दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की शर्तों के अनुसार आपके बैंक ने समान अवसर नीति शुरू की है। दिव्यांग कर्मचारियों को मूलभूल सुविधाएं, सहायक उपकरण एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर आपका बैंक विशेष ध्यान दे रहा है, जिससे वे अपने कार्य कारगर रूप से कर सकें।

8. औद्योगिक संबंध एवं स्टाफ कल्याण

- आपका बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी संघों के साथ मैत्रीपूर्ण/सौहार्दपूर्ण संबंध रखता है। आपका बैंक कार्यस्थल पर अच्छे एवं स्वस्थ कार्य परिवेश, आपसी सम्मान एवं समानुभूति, अच्छा कार्य-जीवन संतुलन पर लगातार जोर देता आ रहा है, जिससे बैंककर्मी स्वस्थ और संतुष्ट रह सकें।
- आपके बैंक ने वर्ष के दौरान कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में कई युगांतरकारी पहल की हैं। ये पहल यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि आपका बैंक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे आगे है और हमारे कर्मचारी कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।

9. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देखभाल

- अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देखभाल निरंतर आपके बैंक के लिए महत्वपूर्ण रहती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए वर्ष के दौरान कई नए प्रयास किए गए। सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना फिर से शुरू की गई, जो कुछ वर्ष पहले बंद कर दी गई थी।
- सूचनाओं के आदान-प्रदान के प्रयोजन से वर्ष के दौरान पेंशनरों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया।
- वित्त वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही से 'संजीवनी' हेल्पलाइन बैंक के पेंशनरों के लिए भी उपलब्ध कराई गई है।

ख. कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई

आपके बैंक ने सदैव नैतिक एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ व्यवसाय प्रणालियों की नींव पर श्रेष्ठ कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया है। निरंतर बेहतर नतीजे पाने में बैंक कार्मिकों की गुणवत्ता एवं सक्षमता बहुत महत्वपूर्ण रही है, इसलिए आपके बैंक ने वर्षों से एक कारगर प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की है, जो गुणों को विस्तार देकर, दक्षता में कमियों को दूर करते हुए एवं कर्मचारियों की संभाव्य योग्यता को निखारकर, बैंक के लक्ष्य को वास्तविकता में परिवर्तित करती है। हमारी प्रशिक्षण प्रणाली, 4200 व्यक्ति प्रतिदिन की क्लासरूम प्रशिक्षण क्षमता के साथ, प्रत्येक वर्ष बैंक कार्मिकों की लगभग ढाई लाख बहु-पीढ़ी एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यबल के बहुमुखी कौशल विकास की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

आपके बैंक के पास व्यापक प्रशिक्षण ढाँचा है जिसमें 6 शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (ATIs) हैं तथा 50 स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थान (SBILDs) हैं। इसके अलावा एसबीआई स्टाफ की कुशलता को निखारने हेतु प्रायोगिक, प्रौद्योगिकी समर्थित ऑनलाइन पाठ्य सामग्री, खेल-खेल में काम करने के ऐप, प्रतिष्ठित विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर चर्चा सत्र एवं सामूहिक संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

कौशल विकास द्वारा परिवर्तन

यह सर्वविदित है कि निरंतर बदलते हुए समय में पुराने तरीकों से नए आयाम हासिल नहीं किए जा सकते, अतः हमारी प्रशिक्षण प्रणाली का निरंतर यह प्रयास रहता है कि अस्थिर वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र, तेजी से डिजिटलीकरण, बदलते ग्राहक जनसांख्यिकी की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीके अपनाए जाएं। इस तेजी से बदलते व्यावसायिक परिवेश में कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने तथा सदैव नवीनतम जानकारी से सुसज्जित बने रहने एवं नव-कौशल विकसित करने के उद्देश्य से कई नवीन पहल की गई हैं।

1. प्रशिक्षण प्रणाली ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन

- इस वर्ष प्रशिक्षण प्रणाली में कई गंभीर बदलाव किए गए - शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों को क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, जोखिम, मार्केटिंग, ग्रामीण बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, नेतृत्व एवं मानव संसाधन के क्षेत्रों में डोमेन विशिष्ट गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का केंद्र बनने के लिए वर्टिकल में विभाजित किया गया। प्रत्येक एटीआई में संरक्षण हेतु उन्हें एसबीआईएलडी की मार्गदर्शी संस्था बनाया गया तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों/विशेषज्ञों एवं शीर्ष बैंक कार्यपालकों की सलाहकार परिषद गठित की गई। कई पढ़ाने के इच्छुक एवं पर्याप्त डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले बेहतरीन अनुभवी बैंकरों को संकाय सदस्य चुनकर एटीआई एवं एसबीआईएलडी में नियुक्त किया गया। आपके बैंक के 95 प्रतिशत अधिकारियों ने कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण क्षमता का 100 प्रतिशत उपयोग किया गया।

- **स्टेट बैंक नेतृत्व संस्थान (एसबीआईएल), कोलकाता:** यह हमारा सर्वोत्कृष्ट एटीआई है जो भारत एवं पड़ोसी देशों के बीएफएसआई क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यपालकों के प्रशिक्षण का अग्रणी संस्थान है, इस संस्थान के अब सभी विभागों ने काम करना शुरू कर दिया है। यह अपने आपको बीएफएसआई क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में विश्व के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। बैंक के शीर्ष कार्यपालकों के लिए विभिन्न नेतृत्व विकास कार्यक्रमों के अलावा एसबीआई नॉलेज पार्टनर्स के सहयोग से बीएफएसआई क्षेत्र के कई सशुल्क कार्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं। स्टेट बैंक नेतृत्व संस्थान, कोलकाता में सभी सहायक महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों एवं महाप्रबंधकों को उच्च स्तरीय आवश्यकता आधारित नेतृत्व प्रशिक्षण दिया गया।

2. प्रशिक्षण सामग्री की पूर्ण पुनर्रचना

- **बेंचमार्किंग योग्यता** : बैंक में 47 महत्वपूर्ण भूमिकाएं चयनित की गई हैं। परिपूर्ण ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने, डिजिटल मानसिकता बनाने एवं परिचालन एवं अन्य जोखिमों को कम करने के लिए सामयिक कौशल की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक भूमिका के लिए, अनिवार्यतः बैंक के अपने सर्टिफिकेशन कोर्स एवं व्यापक रोल-मैनुअल बनाकर आरंभ किए गए हैं। ये आरबीआई के अनुदेशानुसार बैंक के बाहर से किए जाने वाले सर्टिफिकेशन कोर्सों के अलावा हैं।

- **निष्पादन को ज्ञान से लिंक करना:** उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के अंतिम लक्ष्य के साथ, उप प्रबंध निदेशक से लेकर संदेशवाहक स्तर तक के सभी कर्मचारियों के लिए, निश्चित समय सीमा में आंतरिक/बाहरी/ edX सर्टिफिकेशन कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। सहायक महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों तक के मामले में सर्टिफिकेशन कोर्स को निष्पादन मूल्यांकन एवं पदोन्नति पात्रता से जोड़ दिया गया है।

  प्रमाणीकरण को निष्पादन मूल्यांकन के साथ जोड़ दिया गया और सहायक महाप्रबंधक श्रेणी के अधिकारियों के लिए इसे पदोन्नति पात्रता के साथ जोड़ दिया गया। 97% अधिकारियों ने अपनी भूमिका संबंधी प्रमाणीकरण पूरा किया।

- **प्रतिभावान पीओ/टीओ की पहचान करना, कार्य सौंपना और उन्हें विकसित करना:** आपके बैंक ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं प्रशिक्षु अधिकारियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया है। निष्पक्ष एवं समग्र मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें तत्काल फीडबैक की आवश्यकता होती है - इसलिए परिवीक्षा के अंत में एक परीक्षा के स्थान पर निरंतर मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू किया गया है। इसके बाद के बैच के परिवीक्षा अधिकारियों/ प्रश्क्षु अधिकारियों को नई नीति के तहत प्रशिक्षित किया गया।

  अधिकारी श्रेणी में पदोन्नत देश भर के 4579 कर्मचारियों को एसबीआईएलडी पर 3 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया।

- **कनिष्ठ सहयोगियों (जूनियर एसोसिएट्स) के लिए बाहरी प्रशिक्षण - डिजिटल माइंडसेट विकसित करना:** आज का युवा स्टाफ काउंटर पर काम करने के अलावा भी कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। इसलिए सामान्य बैंकिंग के अलावा भी उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने एवं कौशल विकास, डिजिटल बैंकिंग एवं उत्पादों की मार्केटिंग की दृष्टि से, बैंक ने लगभग 7000 नए भर्ती हुए कनिष्ठ सहयोगियों (जूनियर एसोसिएट्स) को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

- **हमारे लीडरों को अपने कार्य के अलावा अन्य कार्यों के लिए तैयार करना तथा उनकी प्रबंधकीय प्रभावशीलता सुनिश्चित करना:** व्यक्ति आधारित प्रबंधकीय एवं नेतृत्व विकास योजना - आईडीपी, को 'शीर्ष कार्यपालकों हेतु सामर्थ्य मूल्यांकन एवं 360 डिग्री फीडबैक प्रक्रिया' के अतर्गत सभी 1142 शीर्ष कार्यपालकों के लिए बनाया गया है तथा संदर्भ साहित्य एवं प्रशिक्षण हस्तक्षेप द्वारा इसके कार्स में बदलाव किया जाता रहता है।

- **समस्त शीर्ष कार्यपालक वर्ग का बाहरी प्रशिक्षण पर दृष्टिकोण:** उप महाप्रबंधक एवं उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों को संगठन को आगे बढ़ाने हेतु नए सिद्धांतों/ विचारों/अच्छी प्रथाओं को आत्मसात करने एवं अपनाने के लिए उच्च स्तरीय/विषय केंद्रित बाहरी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उनके प्रबंधकीय, दृष्टिकोण एवं स्वभाव का बैंक पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन अधिकारियों के नियोजित एवं सुव्यवस्थित बाहरी प्रशिक्षण की एक स्थापित व्यवस्था की गई है।

- **स्वीकृति सहित समावेश - दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण :** आपका बैंक समय-समय पर दिव्यांग कर्मचारियों को विशेष आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता रहा है। एसटीयू में एक समावेशन केंद्र बनाया गया है जो दिव्यांग कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों के समाधान एवं नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यरत है। समावेशन केंद्र की पहल पर, वित्तवर्ष 2018-19 में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ किया गया।

3. प्रगतिशील प्रशिक्षण तकनीकें:

- **गैर-परंपरागत प्रशिक्षण तकनीकें:** बेहतर ज्ञानार्जन अनुभव एवं याद रखने की क्षमता को बढ़ाने तथा परंपरागत ज्ञानार्जन उपकरणों की पूरक व्यवस्था के तौर पर खेल-खेल में सिखाने वाला एक ऐप - "Play2Learn" विकसित किया गया है।

- **सहायक डिजिटल टेक्नोलोजियों को बढ़ावा देना:** वास्तविक समय सहायता पोर्टल को एक स्टाप ज्ञान श्रोत के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए 23000 से अधिक दस्तावेज भंडारण के साथ सभी कर्मचारियों के लिए लांच किया गया जो एक स्थान पर उपलब्ध ज्ञानभंडार के रूप में सहायक होगा जहाँ पर सभी कर्मचारी अपने वर्कस्टेशन से संबंधित कारोबारी निर्देशों/दिशानिर्देशों वाले दस्तावेजों को प्राप्त कर सकेंगे। इसके संचालन से दो सप्ताह के भीतर 4 लाख से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं।

- **स्व-ज्ञानार्जन के माध्यम से प्रभावकारी ज्ञानार्जन संस्कृति विकसित करना:** हमारे बैंक द्वारा अपने स्तर पर विकसित ई-लर्निंग सामग्री एक विशेष प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जिसका सुगम एवं कारगर ज्ञानार्जन हेतु इंट्रानेट एवं इंटरनेट दोनों के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। हमारे पास केस स्टडी, शोध परियोजनाओं एवं ई-प्रकाशनों के अलावा 807 ई-लेसन, 480 ई-कैप्सूल एवं 739 मोबाइल नगेट्स की पूरी सूची उपलब्ध है।

- **ऊर्जावान चर्चाएं- वैश्विक मानसिकता विकसित करना:** एसबीआई कर्मचारियों के लिए 'बाहरी समस्याओं का सामना करने' की एक पहल के तौर पर, बैंक द्वारा अपने कार्मिकों के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित कर ऊर्जावान परिचर्चाएं आयोजित की जाती हैं। इनका सभी मंडलों को प्रसारण किया जाता है। ये भविष्य में संदर्भ हेतु इंट्रानेट पर भी उपलब्ध रहते हैं।

- **तार्किक चुनौतियों, व्यय और कार्यस्थल व्यवधान को कम करना :** अब कर्मचारियों को कक्षा में भूमिका-आधारित प्रशिक्षण देने के स्थान पर वह प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षा एवं शंका-समाधान कार्यशालाओं के लिए स्वयं को नामित करने से पहले इंट्रानेट पर उपलब्ध बैंक द्वारा अपने स्तर पर विकसित रोल-मैनुअल को पढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में ऐसे 6,498 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कक्षा में प्रशिक्षण के लिए अब केस-स्टडी एवं समूह चर्चा प्रशिक्षण को अपनाया गया है।

4. कक्षाओं की अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जित करना:

नई शिक्षण पद्धति एवं गैर-परंपरागत शिक्षण तकनीक अपना लेने से एटीआई एवं ज्ञानार्जन केंद्रों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का बीएफएसआई क्षेत्र के विशिष्ट भुगतान कार्यक्रमों की मार्केटिंग एवं डिजाइनिंग द्वारा आय अर्जन के लिए उपयोग किया जा रहा है। आपके बैंक ने अपनी ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली एवं ई-सामग्री का बाहरी संगठनों द्वारा उपयोग करने हेतु भी लाइसेंस दिया है।

5. राष्ट्र निर्माण में योगदान :

- **जिम्मेदार कॉरपोरेट इकाई** : हमारी मानव-पूँजी के इष्टतम उपयोग (पुनर्जागृत करने) विषय पर मानव संसाधन प्रमुखों तथा कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं मीडिया प्रबंधन विषय पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों हेतु विभिन्न कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन एसबीआईएल, कोलकाता में किया गया जिससे बैंकिंग उद्योग में इन प्रमुख विषयों पर चर्चा आरंभ की जा सके।

- **कार्यपालक प्रशिक्षण में नए विचारों का समावेश करने में भी अग्रणी:** आपके बैंक द्वारा वॉर्टन विश्वविद्यालय के सहयोग से 'नई अर्थव्यवस्था में नवप्रवर्तन और नवोन्मेषन से निपटने' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कई शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों और युवा प्रोफेशनल एवं उद्यमों द्वारा सहभागिता की गई। इसका उद्देश्य नवप्रवर्तन के विचारों वाले स्थापित खिलाड़ियों एवं युवा प्रोफेशनल को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर विचारों का आदान-प्रदान करना एवं उनके दृष्टिकोण को जानना था।

6. शोध एवं विकास

- **पीडीआरएफ :** आपके बैंक ने बीएफएसआई क्षेत्र से संबंधित नवोन्मेषी एवं उच्च स्तरीय शोध कार्य के लिए पोस्ट-डॉक्टरल रिसर्च फेलो (पीडीआरएफ) की नियुक्ति की है। वह राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेन्स में पर्चे प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रणी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में अपना शोध कार्य प्रकाशित कराएंगे जिससे बीएफएसआई शोध के क्षेत्र में एसबीआई की जोरदार उपस्थिति दर्ज हो।

- **एटीआई एवं एसबीआईएलडी में परिचालनगत शोध:** केंद्रित एवं अर्थपूर्ण तरीके से शोध अध्ययन करने हेतु परिवेश बनाने के लिए, इन संस्थानों में व्यावहारिक, परिचालनगत शोध कार्य हेतु व्यवसाय इकाइयों को परियोजना धारक बनाया गया है।

7. कॉरपोरेट संवाद कार्यक्रम - नई दिशा :

आपके बैंक ने कॉरपोरेट संवाद कार्यक्रम 'नई दिशा' का पहला चरण आरंभ किया है। इसका उद्देश्य स्फूर्तिवान बने रहने का महत्व तथा कर्मचारी को साथ लेते हुए बैंक मूल्यों को आत्मसात करना तथा ग्राहक को केंद्र में रखकर प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करना है। पहले चरण में सभी कर्मचारियों को 3 महीने के समय में तथा भविष्य के सभी कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे एक निरंतर प्रक्रिया के तहत शुरू किया गया है।

8. पुरस्कार एवं उपलब्धियां :

आपके बैंक की 90 वर्षों की प्रशिक्षण संस्कृति है। एसबीआई द्वारा गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में भारत एवं विदेश दोनों की उत्कृष्ट संस्थाओं एवं बेहतरीन उद्योग विशेषज्ञों को भी अपने साथ जोड़ा जाता है। इससे आपके बैंक के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यापक स्वीकार्यता एवं विश्वसनीयता प्राप्त होती है। इसे विश्व भर में पुरस्कार देकर सराहा गया है। इसमें आपके बैंक को 'ज्ञानार्जन एवं विकास में उत्कृष्टता' हेतु बिजनेस वर्ल्ड अवार्ड द्वारा पुरस्कार प्राप्त होना भी शामिल है।

9. विकास कार्य

भारतीय स्टेट बैंक ने नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट (एनबीआई), काठमांडू (नेपाल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिससे शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्रों में एनबीआई के मानव संसाधन विकास के लिए परस्पर लाभप्रद कार्यनीतिक गठजोड़ किया जा सके।

आपका बैंक अपनी अकादमिक विशेषज्ञता और प्रशिक्षण तंत्र की एनबीआई के कार्मिकों को पेशकश करने के लिए तैयार है। इसके लिए एसबीआई अपने पास उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, प्रशासनिक सुविधाओं, प्रेस वार्ताओं, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, अध्ययन एवं रिसर्च स्कोलरों एवं संकाय सदस्यों की परियोजना कार्य एवं विभिन्न अध्ययनों के संचालन में सहायता करने के लिए समूह चर्चाओं के आयोजन में फैकल्टी और अनुसंधान एवं विकास विशेषज्ञता और अनुभव को साझा करेगा।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

क. लोन लाइफसाइकल मैनेजमेंट सिस्टम (एलएलएमएस)

बैंक द्वारा अपने स्तर पर विकसित ऐप्लिकेशन एलएलएमएस के माध्यम से समस्त ऋण-प्रक्रिया का स्वचालन कर दिया गया है। इससे ऋण कार्य कुशलता बढ़ने के साथ ऋण प्रस्तावों की प्रक्रिया पहले से कम समय में पूरी हो पा रही है। एलएलएमएस का लक्ष्य ऋण प्रक्रिया का वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मानकीकरण करना है जिससे प्रयोक्ता को बेहतर अनुभव और बेहतर निर्णय लेने में प्रबंधकों को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना है।

ख. वित्तीय समावेशन और सरकार की योजनाएं (एफआईएंडजीएस)

हर भारतीय का बैंक होने के नाते आपका बैंक औपचारिक वित्त व्यवस्था के अब तक बाहर रहे ग्राहकों को सेवा देने में सबसे आगे है। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियां निम्नानुसार रही हैं:

- कस्टमर सर्विस प्वाइंट्स (सीएसपी) पर अब वित्तीय समावेशन की अपेक्षा रखने वाले ग्राहकों को पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइसिस के जरिये उनके द्वार पर बैंकिंग सेवाएं (खाते में शेष राशि की जानकारी प्राप्त करने, पैसा जमा करने और निकालने की सुविधाएं) दी जा रही हैं।
- मोबाइल नंबर सीड करने की सुविधा वित्तीय समावेशन की अपेक्षा रखने वाले ग्राहकों को वित्तीय समावेशन केंद्रों के जरिये उपलब्ध कराई गई है।
- वित्तीय समावेशन केंद्रों पर सीएसपी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त फील्ड दी गई हैं जिससे सीएसपी के कामकाज पर कारगर निगरानी रखी जा सके।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के लिए वर्ष के दौरान आधार प्रमाणन की सुविधा और ग्रीन पिन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

ग. मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस (एमएबी)

आपके बैंक की एक नई सब्सिडरी एसबीआई पेमेंट सिस्टम प्राइवेट लि. (एसबीआईपीएसपीएल) 29.09.2018 से शुरू की गई है जिससे बाजार में बढ़ रहे अवसरों का लाभ उठाया जा सके। परंतु, एमएबीआईटी-

ऑपरेशंस के तहत पहले की तरह सभी काम (जैसे फंड सेटलमेंट, हैंडिंग चार्जबैक, दावों संबंधी कामकाज आदि) एसबीआईपीएसपीएल की ओर से किए जाते रहेंगे। अपने 5,75,358 टर्मिनलों के साथ आपका बैंक दिनांक 31.03.2019 को देश भर में दूसरे नंबर पर है।

घ. विशेष परियोजनाएं

आपका बैंक विशेष परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिससे अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव दे सके। कुछ परियोजनाओं का नीचे उल्लेख किया गया है:

- **एसबीआईइनटच:** एडवांस्ड किओस्क उपलब्ध कराए गए हैं जिन पर तुरंत खाता खोलने और डेबिट कार्ड प्रिंटिंग की सुविधा मुहैया कराई गई है जिससे ग्राहक को बेहतर अनुभव मिल सके।
- **वेल्थ मैनेजमेंट समाधान:** 'एसबीआई वेल्थ' द्वारा प्रीमियम ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं। नए वेल्थ ट्रांजैक्शनल मोबाइल ऐप पर किसी भी समय/कहीं पर भी वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।
- **सीकेवाईसी:** भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक ऐप्लिकेशन शुरू की गई है जिसके जरिये केवाईसी दस्तावेज CERSAI की साइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं और इसी में सृजित सीकेवाईसी नंबर ग्राहक को दिया जाता है।
- **ओएफएसएए:** इसके द्वारा जोखिम समायोजित कामकाज के उद्देश्यों को मापने और उसे पूरा करने तथा जोखिम का सही आकलन करके निर्णय लिए जा सकें, ताकि और अधिक पारदर्शिता बनी रहे और ये और अधिक कारगर सिद्ध हों।
- **सीएमएलएस:** सेंट्रलाइज्ड लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसमें बैंक द्वारा और बैंक के विरुद्ध दायर सभी मुकदमों का केंद्रीकृत डेटाबेस उपलब्ध है।
- **ईटीसी फास्टैग:** इस ऐप्लिकेशन के द्वारा वाहनों के लिए फास्टैग जारी किए जाएंगे जिससे टोल प्लाजा पर काम और तेजी से तथा और कारगर ढंग से हो पाएगा।
- **जीएसटी:** टैक्स और कंप्लायंस इंजन द्वारा जीएसटीआर रिटर्न समय पर दायर हो पाएंगी और इससे कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में भी सहायता मिलेगी।
- **पेन्शन सेवा:** आपके बैंक द्वारा देश के लगभग 55 लाख पेन्शनरों को इस नए पोर्टल पर पेन्शन स्लिप, एरियर कैलकुलेशन शीट, फॉर्म 16 डाउनलोड आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंक के प्रमुख कार्यक्रम बैंक की कॉरपोरेट वेबसाइट पर ग्राहकों को सीधे प्रसारित किए जा रहे हैं। बैंक की इस वेबसाइट के द्वारा ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है और इस पर प्रतिदिन लगभग 1.50 लाख हिट हो रहे हैं।

हमारे द्वारा वित्तपोषित एल एंड टी मेट्रो, हैदराबाद।

ङ एटीएम

वर्ष के दौरान एटीएम एवं स्विच विभाग को पीसीआइ-डीएसएस प्रमाणीकरण मिला, जिससे कार्ड डाटा एवं उससे संबंधित परिवेश की सुरक्षा बढ़ाने में वैश्विक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित होगा। ग्राहकों को 50.95 करोड़ डेबिट कार्ड जारी कर आपका बैंक सबसे आगे है, जिसमें से 29.67 करोड़ कार्डों का सक्रिय उपयोग किया जा रहा है। योनो एप का इस्तेमाल कर एटीएम के जरिए कार्ड रहित नकद आहरहण हेतु हमारे प्रतिष्ठित ग्राहकों के लिए 'योनो कैश' नामक अद्वितीय सुविधा प्रदान की गई है। आपका बैंक भारत सरकार की पहल से दिनांक 4 मार्च 2019 को दिल्ली मेट्रो पर एनसीएमसी (नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड) का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला बैंक रहा, इसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया।

च. इंटरनेट बैंकिंग

इंटरनेट बैंकिंग 581.76 लाख रीटेल प्रयोक्ताओं एवं 23.12 लाख कॉरपोरेट प्रयोक्ताओं को विभिन्न बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हुए निर्बाध ऑनलाइन अनुभव दे रहा है। वर्ष के दौरान ई-वाणिज्य लेनदेनों के लिए रियल टाइम डिमांड लोन, एसबी कलेक्ट के लिए यूपीआई पेमेंट इंटेग्रेशन, संयुक्त खाताधारकों के लिए सावरिन गोल्ड बांड सबस्क्रिप्शन, फार्म 16 ए डाउनलोड करने की सुविधा, एमओडी को आंशिक रूप से तोड़ने की सुविधा जैसी कई नई सेवाएं रिटेल इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के साथ जोड़ दी गई। सरल प्रयोक्ताओं के लिए आवर्ती जमा सुविधा तथा कॉर्पोरेट ग्राहक द्वारा वित्तीय विवरणों की उपलोडिंग, वेर्चुअल एकाउंट नंबर आधारित वसूली जैसी सुविधाएं भी अब कॉरपोरेट इंटरनेट बैंक के जरिए दी जा रही हैं। ई-वाणिज्य एको प्रणाली को चलाने के लिए वर्ष के दौरान 9939 से भी अधिक व्यापारियों को इसके साथ जोड़ा गया।

इंटरनेट बैंकिंग प्रयोक्ता (लाख में)

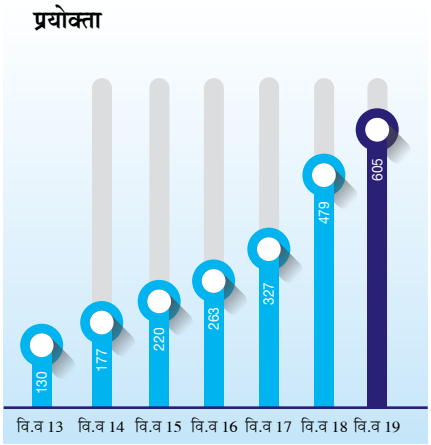

छ. ई-पे एवं पेमेंट गेटवे

व्यवसाय, व्यापारी, ग्राहक एवं वित्तीय संस्थाओं के बीच निर्बाध ई-वाणिज्य लेनदेनों के मामले में विभिन्न प्रकार की भुगतान पद्धतियों के लिए आपका बैंक देशी, अद्वितीय, पीसीआइडीएसएस प्रमाणित सुरक्षित ई-पे प्लेटफार्म की सुविधा देता है। यह ग्राहकों को अधिकांश भुगतान विकल्प देता है, जिससे भागीदार व्यापारी को भुगतान करने में उन्हें सुविधा हो। साथ ही बैंक के बड़े ग्राहक आधार तक पहुँचने का अवसर व्यापारियों को मिल जाता है। एक तरफ हजारों व्यापारियों तथा दूसरी तरफ बैंक, वेलेट एवं कार्डों जैसे कई भुगतान चैनलों को जोड़कर हमारे भुगतान एग्रीगेटर (एसबीआई ई-पे) तथा पेमेंट गेटवे (एसबीआईपीजी) के जरिए यह अवसर दिया जाता है। पेमेंट गेटवे द्वारा एसबी कलेक्ट एवं एसबीआई एमओपीएस के सभी डेबिट/क्रेडिट कार्ड लेनदेन भी प्रोसेस किए जाते हैं।

ञ. परिचालन एवं भुगतान प्रणाली समूह

53.03 करोड़ लेनदेनों के साथ आपका बैंक एनईएफटी के जरिए जावक निधि अंतरण में सबसे आगे है और उसका बाजार अंश 17% से भी अधिक है। 13% से भी अधिक बाजार अंश के साथ आरटीजीएस के जरिए 1.72 करोड़ आवक लेनदेन किए गए।

ट. डाटा वेयरहाउस तथा विश्लेषण

आपके बैंक के पास सुनियोजित डाटा का एकल विश्वसनीय स्रोत है, जो पूरे बैंक में बेहतर व्यावसायिक निर्णय की रिर्पोर्टिंग करने में सहायक है। यह विशाल डाटाबेस व्यावसायिक बुद्धिमता, विश्लेषण, योनो, सीआरएम, ओएफएसएए तथा और अनेक एप्लिकेशन का आधार है। इसके साथ ही सीआरआईएलसी, आरबीएस ट्रांच सहित दूसरी विनियामक रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के अनुपालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विशाल डाटा बेस का उपयोग लीड जनरेशन, जोखिम कम करने तथा परिचालन दक्षता में सुधार के विश्लेषण के लिए किया जाता है। धोखाधड़ी की संभावना वाली शाखाओं तथा दोष की संभावना वाले खातों की पहचान करने के लिए पूर्वानुमान भी किया जाता है। योनो में पूर्व अनुमोदित वैयक्तिक ऋण (पीएपीएल) के लिए लीड जनरेट करने के लिए भी विश्लेषण का उपयोग किया जाता है।

ठ. ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम):

अगस्त 2016 में शुरू की गई सीआरएम परियोजना को अब बैंक में पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है। सीआरएम का उद्देश्य ग्राहकों के सर्वांगीण विचार प्रस्तुत करते हुए बैंक में बिक्री, सेवा तथा उनसे संबन्धित विपणन गतिविधियों में एकीकृत प्रबंधन का समाधान देना है। विभिन्न व्यवसाय इकाइयों के लिए लीड मेनेजमेंट मॉड्यूल, ग्राहक विश्लेषण, रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड, संपर्क केंद्र परिचालन आदि जैसे विभिन्न कार्यों से प्रभावी एवं उत्पादक ग्राहक जुड़ाव के लिए कॉर्पोरेट मेमोरी सृजित करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, निकट भविष्य में डिजिटाइजेशन के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित की गईं हैं। डिजिटल युग/बैंकिंग की ओर संरचनात्मक रूपान्तरण के साथ आपका बैंक विश्लेषण एवं बुद्धिमता का उपयोग करने के साधन के रूप में सीआरएम का लाभ उठा रहा है। बैंक का मानना है कि इन डिजिटल उपकरणों से सेवाओं के संवितरण की पहुँच एवं ग्राहक अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा।

ड़ प्राप्त पुरस्कार

वर्ष के दौरान बैंक को प्राप्त पुरस्कार (सूचना प्रौद्योगिकी संबन्धित):

पुरस्कार का नाम	श्रेणी
द एशियन बैंकर फाइनैंशियल टेक्नॉलजी इनोवेशन पुरस्कार 2018	1. बेस्ट एंटरप्राइस गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस इनीशिएटिव, एप्लिकेशन अथवा प्रोग्राम (ओएंडटीएस फॉर मेर्जर) 2. बेस्ट लेंडिंग इनीशिएटिव एप्लिकेशन अथवा प्रोग्राम (एलएलएमएस) 3. उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी को बेस्ट लीडरशिप पुरस्कार 4. द रिस्क डाटा एंड एनालिटिक्स टेक्नॉलजी इंप्लिमेंटेशन ऑफ द इयर (ओएफएएसएसए)
एशियन बैंकिंग एंड फाइनैंस रिटेल बैंकिंग पुरस्कार	जीता मोबाइल बैंकिंग इनीशिएटिव ऑफ द इयर-योनो
इंटलिजेंट एंटरप्राइस पुरस्कार 2018	निम्नलिखित दो श्रेणियों में पुरस्कार जीते
	1. एंटरप्राइस मोबिलिटी-योनो
	2. एंटरप्राइस एप्लिकेशन मेर्जर, एआइ, एसआइवीए, एआरटीसीईएफ
आइडीसी (इंटरनैशनल डाटा कॉरपोरेशन)	जीता- डिजिटल डिसरप्टर श्रेणी के अंतर्गत ओएंडटीएस से एनईडबल्यूएस
सीआईओ 100 (इंटरनैशनल डाटा समूह)	सीआइओ 100 (चार परियोजनाओं-योनो, एसआइए, एसआइवीए, एआरटीसीईएफ के लिए संयुक्त रूप से)
एसोचेम (द एसोशिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया)	इनोवेटिव सोल्यूशंस फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस (ओएंडटीएस विभाग से ईएबी का एसबीआई के साथ विलयन)
पीएमआई इंडिया पुरस्कार 2018	प्रोजेक्ट-सीबीएस मेर्जर ऑफ ई-एसोशिएट बैंक्स एंड ईबीएमबी (ओएंडटीएस)
द इकॉनमिक टाइम्स बीएफएसआई इनोट्राइब समिट एंड एवार्डस, 2018	जीता-बेस्ट इनोवेशन अंडर एफएसआई जीता (योनो, इनोवेशन एआरटीसीईएफ, एसआईवीए, एसआईए)
एबीपी न्यूज प्रेजेंट बीएफएसआई पुरस्कार 2018	बेस्ट बैंक इन टेक्नॉलजी ओरिएंटेशन-योनो प्रोजेक्ट श्रेणी में जीता
सीएसआई एवार्ड-आईटी इनोवेशन एंड एक्सिलेंस एवार्डस (2018)	कॉग्निटिव टेक्नॉलजीस के कार्यान्वयन हेतु 1. योनो 2. ब्लॉक चेइन 3. ईमेल सेग्रिगेशन परियोजनाओं के लिए
फिनोविटी पुरस्कार 2019	मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट-योनो
आईबीए पुरस्कार (14वे बैंकिंग टेक्नॉलजी पुरस्कार 2017-18)	1. द बेस्ट टेक्नॉलजी बैंक ऑफ द इयर-विजेता (बड़ा बैंक) 2. द बेस्ट फाइनैंशिएल इंक्लूजन इनीशिएटिव्स (रनर अप)
	3. द मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट यूजिंग टेक्नॉलजी-एसआइवीए

ढ. ग्राहक सेवा

आपके बैंक ने एक सुदृढ़ ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) शुरू की है, जहां ग्राहक वेबसाइट www.sbi.co.in के जरिए ऑनलाइन पर अपनी शिकायतें/फीडबैक/सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आपके बैंक के संपर्क केंद्र पूरे वर्ष सातों दिन 24 घंटों कार्य कर रहे हैं, जहां हिन्दी,अँग्रेजी एवं 10 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में ग्राहकों को सेवा दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनलों के विभिन्न उत्पादों से परिचित कराने के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता हासिल करने लिए आपके बैंक ने बीसीएसबीआई के संशोधित संहिता को पूरे मन से स्वीकार किया है। शिकायत समाधान कार्यविधि में सुधार करने हेतु आपके बैंक ने अपने शिकायत समाधान/मैकेनिज्म पर ग्राहकों की फीडबैक प्राप्त करने की प्रणाली शुरू की है।

वर्ष के दौरान ग्राहक जागरूकता बैठक, स्टाफ टाउनहाल बैठक एवं ग्राहक बैठक जैसे कई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा सर्वेक्षण भी आयोजित किए गए, जिनके परिणामों का उपयोग ग्राहक अनुभव में सुधार करने और उसे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

आपके बैंक द्वारा एक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिसके द्वारा ग्राहक अपने स्टेट बैंक एटीएम डेबिट कार्ड, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेन्शियल्स को ब्लॉक करा सकता है। इसके लिए उसे उस ट्रान्जैक्शनल एसएमएस या बैंक से उसे जिस रजिस्टर्ड ईमेल पर ईमेल प्राप्त होता है उससे निर्धारित नंबर 9223008333/बैंक के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल भेजना होगा। इसके बाद सिस्टम तुरंत डेबिट कार्ड/रिटेल इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेन्शियल ब्लॉक कर देगा यदि ग्राहक अनधिकृत लेनदेन होने की सूचना देता है।

ण. सूचना प्रौद्योगिकी संरचना में नवोन्मेषन

- वित्त वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने हैदराबाद के भूकंप सुरक्षित क्षेत्र में 1000 रैक्स क्षमता वाले पहले अत्याधुनिक टियर-3 डाटा सेंटर की स्थापना की है। यह डाटा सेंटर इमारत को ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन के अनुरूप बनाया गया है और इसमें 9 स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

- आपके बैंक की शाखाओं को 2 एमबीपीएस/4 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्शन दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीण बैंकिंग में सुधार लाने के लिए 768 शाखाओं को राष्ट्रीय ऑप्टिक फायबर नेटवर्क (एनओएफएन) से जोड़ा जाएगा।

- साइबर हमलों से बचने के लिए ऐंटी-वाइरस, एडी आदि सेवाओं के अलावा नेटवर्क ऐक्सेस कंट्रोल (एनएसी) को भी लागू किया गया है। अनधिकृत/ अनुपालनरहित एंड पाइंट अथवा डिवाइसों द्वारा नेटवर्क पहुंच को एनएसी रोक लेता है।

- आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन के लिए आपके बैंक में आईटी सेवा प्रबंधन (आईटीएसएम) प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन किया गया।

त. नवोन्मेषन द्वारा नए मूल्यों की स्थापना

- स्टेट बैंक इंटेलिजेंट वाइस एसिसटेंट (एसआईवीए) लेन-देन संबंधी और प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता की भाषा में देने की एक सुविधा है, जो नई तकनीकी आधारित मशीनी सूचना प्रणाली है और यह पूछी गई भाषा में उत्तर देती है। जनसाधारण को उनकी रोजमर्रा की बैंकिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवाज़ आधारित एक सरल वैकल्पिक बैंकिंग चैनल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है।

- देश के किसी भी स्थान में स्थित एटीएम से कार्ड के बिना पैसा निकालने (लेन-देन सीमा में) के लिए योनो कैश उपलब्ध कराया गया है।

- शिकायत समाधान के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के उपयोग से ई-मेलों को अलग करने की सुविधा मुहैया कराई गई है। इसमें ग्राहक के प्रश्नों को समझकर और पहचान कर तथा मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग द्वारा उन्हें लक्षित डेस्क पर पहुंचाया जाता है। इस पर अभी काम चल रहा है।

- जीपीएस प्रौद्योगिकी सक्षम मोबाइल एप जिसमें स्थान विशेष पर स्थित ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) खोजने/जाने की सुविधा उपलब्ध है।

- ग्राहक की शाखा में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता के बारे में तत्काल फीडबैक प्राप्त करने के लिए एनालिटिक्स का उपयोग करना।

- ब्रांच दर्पणः ब्रांड निर्माण और ग्राहक सेवा के लिए शाखाओं और नियंत्रकों हेतु वेब डैशबोर्ड।

- प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस।

थ. दक्षता से लाभप्रदता की प्राप्ति

- **एसबीआई वर्क स्पेस** एंटरप्राइज़ मोबिलिटि मैनेजमेंट (ईएमएम) : समाधान से कहीं से भी और कभी भी काम करने में सुविधा होती है। इससे कर्मचारी की उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होती है।

- **आफिस 365** : इससे कर्मचारी मोबाइल उपकरण पर, बैंक के ई-मेल और अन्य सेवाओं जैसे वन-ड्राइव, व्यवसाय के लिए स्काइप, टीम्स, फार्मस इत्यादि का कहीं से भी उपयोग कर सकता है। इससे आफिस के डेस्क पर निर्भरता कम हुई है।

- **लिनेक्स का इन-हाऊस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस**: आईटी विभागों को लिनेक्स संबंधी मामलों के समाधान हेतु समर्थ बनाता है। इससे वेंडर सहयोग पर निर्भरता कम की जा सकती है।

- **मोबाइल पर एसएमई ज्ञान एंड एसिस्ट** से परिचालन कार्य से जुड़े बैंक कर्मी, एसएमई व्यवसाय बहुल शाखाओं के शाखा प्रमुखों, एसएमईसी स्टाफ, बैंक की वर्तमान नीतियों, उत्पादों/ सेवाओं/ योजनाओं के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

द. एसबीआई एवं जियो के बीच सहयोग

जियो पेमेंट्स बैंक (जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक के बीच 70:30 का संयुक्त उद्यम है) शुरू किए जाने के बाद, जियो और एसबीआई अपनी भागीदारी को गहरा करने में लगे हैं, जिससे उनके ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग, भुगतान एवं ई-वाणिज्य यात्रा के साथ अगली पीढ़ी के द्विपक्षीय मतभेद रहित अनुभव दिया जा सके।

जियो और एसबीआई डिजिटल भागीदारी करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य एसबीआई के डिजिटल ग्राहक आधार को कई गुना बढ़ाना है। एसबीआई योनो एक क्रांतिकारी ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है, जो ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग, वाणिज्य एवं वित्तीय सुपरस्टोर सेवाएं देता है। अनवरत, एकीकृत एवं बेहतर ग्राहक अनुभव देने के लिए योनो की डिजिटल बैंकिंग विशेषताएँ एवं समाधान माईजियो प्लेटफॉर्म के जरिए दिए जाएंगे। माइजियो जो कि भारत का सबसे बड़ा ओवर द टॉप मोबाइल एप्लिकेशन है, अब भारतीय स्टेट बैंक एवं जियो पेमेंट्स बैंक की वित्तीय सेवाओं की क्षमताओं को उपलब्ध करेगा।

रिलायंस के उपभोक्ता जुड़ाव एवं वाणिज्य प्लेटफार्म जियो प्राइम से जियो एवं भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को फायदा मिलेगा। जियो प्राइम रिलायंस रिटेल, जियो, भागीदार ब्रांड एवं मर्चेन्टों के विशेष उत्पाद प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, एसबीआई रिवार्ड्स (एसबीआई का वर्तमान लायल्टी प्रोग्राम है) एवं जियो प्राइम के बीच एकीकरण के कारण भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को अतिरिक्त लायल्टी रिवार्ड अर्जन के अवसरों के साथ साथ रिलायंस, जियो एवं अन्य ऑनलाइन और गैर-ऑनलाइन भागीदारों के बीच व्यापक प्रतिमोचन भी दिया जाएगा।

नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी समाधान तैयार करने और उपलब्ध करने के लिए आपका बैंक अपने पसंदीदा भागीदार के रूप में जियो की सेवाएँ लेगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जियो के उच्चतम गुणवत्ता पूर्ण नेटवर्क से भारतीय स्टेट बैंक को वीडियो बैंकिंग एवं अन्य ऑन-डिमांड सेवाएँ जैसी ग्राहक केन्द्रित सेवाएँ शुरू करने की सुविधा मिल जाएगी। साथ ही आपके बैंक के ग्राहकों को विशेष दरों पर जियो फोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

3. जोखिम प्रबंधन

क. जोखिम प्रबंधन का संक्षिप्त विवरण

आपके बैंक में जोखिम प्रबंधन का आशय है जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम मापना एवं जोखिम कम करना तथा इसका मुख्य उद्देश्य है लाभप्रदता एवं पूँजी पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करना।

आपके बैंक के समक्ष भी विभिन्न जोखिम हैं, जो बैंकिंग व्यवसाय का एक आंतरिक भाग है। उनमें प्रमुख जोखिम हैं- ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, नकदी जोखिम एवं परिचालनगत जोखिम जिनमें आईटी जोखिम भी शामिल है।

आपका बैंक हर स्तर पर जोखिम संबंधी जागरूकता बढ़ाने का परिवेश बनाने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य निरंतर उन्नयन हो रहे सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना है,जिसमें साइबर सुरक्षा भी शामिल है, ताकि विभिन्न जोखिमों से बचना सुनिश्चित किया जा सके। इससे भी अधिक यह अपनी सभी शाखाओं एवं कार्यालयों की वसूली क्षति व्यवसाय निरंतरता से भी बचाता है, ताकि किसी व्यवसायिक क्षति में निर्बाध कार्य किया जा सके।

आपके बैंक के पास अपने सभी संविभागों में उन जोखिमों के मापन, उनकी निगरानी और इनके सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए नीतियां और कार्यविधियां मौजूद हैं। ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम के अंतर्गत नवीनतम पद्धति को लागू करने में बैंक अग्रणी रहा है। बैंक ने विश्व की सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से उद्यम और समूह जोखिम प्रबंधन परियोजनाएं भी शुरू की हैं। ये परियोजनाएं बाहरी परामर्शदाताओं के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं।

बासेल ।।। पूंजीगत विनियमों पर आरबीआई दिशानिर्देशों को लागू किया गया है तथा आपके बैंक के पास बासेल ।।। की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त पूँजी है। अलग अलग कर्तव्यों के निर्वहन एवं जोखिम मापने, नजर एवं नियंत्रण रखने के कार्यों हेतु अंतर्राष्ट्रीय बेहतरीन प्रथाओं के अनुसार एक स्वतंत्र जोखिम नियंत्रण व्यवस्था लागू की

गई है। यह व्यवस्था परिचालन स्तर पर व्यवसाय इकाइयों के सशक्तिकरण की कल्पना को साकार करने हेतु है, इसमें प्रौद्योगिकी एक प्रमुख घटक है, जो आरंभिक स्तर पर ही जोखिम की पहचान एवं नियंत्रण को संभव बनाती है। बैंक एवं एसबीआई समूह में विभिन्न जोखिमों पर नजर रखने और उसकी समीक्षा का कार्य कार्यकारिणी समितियों एवं बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) द्वारा नियमित रूप से बैठकों में किया जाता है। परिचालन इकाई एवं व्यवसाय इकाई स्तर पर भी जोखिम प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं।

1. ऋण जोखिम

पोर्टफोलियो मूल्य में कमी या ऋण नहीं चुकाने के कारण उधारकर्ताओं या काउंटर पार्टियों की ऋण गुणवत्ता में कमी से जुड़ी हानि की संभावना को ऋण जोखिम कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति, नॉन-कॉरपोरेट, कॉरपोरेट, बैंक, वित्तीय संस्था या सत्ता के साथ बैंक के लेनदेन से ऋण जोखिम उत्पन्न होता है।

जोखिम कम करने के उपाय

आपके बैंक ने ऋण निवेश में जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी एवं नियंत्रण हेतु सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम प्रबंधन व्यवस्था लागू की है। आपके बैंक द्वारा चयनित प्रत्येक 39 उद्योगों/ क्षेत्रों में, जो बैंक के कुल घरेलू बकाया (खुदरा एवं कृषि को छोड़कर) का 71% है, बैंक के भावी परिदृश्य एवं प्रगति की संभावना पर निर्णय लेने तथा व्यवस्थित तरीके से औद्योगिक परिवेश की बारीकी से जाँच, अध्ययन एवं आकलन करने हेतु अलग से एक टीम है। इन क्षेत्रों के जोखिम का आवश्यकतानुसार आकलन करके उस पर निरंतर नजर रखी जाती है और संबंधित उद्योगों की तत्काल समीक्षा की जाती है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, दूरसंचार एवं बिजली क्षेत्र के संबंध में सरकार द्वारा की गई नीतिपरक पहल, चीनी के अधिक उत्पादन की तुलना में उद्योग में मूल्य की कटौती का प्रभाव, एनएचएआई की सड़क परियोजनाओं के प्रभाव, आदि कुछ घटनाओं को विश्लेषण किया गया। इन परिस्थितियों के उपयुक्त समाधान खोजने के लिए आपके बैंक द्वारा संभावित जोखिम कम करने की कार्यनीति बनाई गई। रियल स्टेट/दूरसंचार जैसे संवेदनशील/ दबावयुक्त क्षेत्रों में निवेश की अर्द्धवार्षिक अंतराल पर समीक्षा की जाती है। पॉवर, दूरसंचार, लोहा एवं स्टील, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र जो चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं, पर नियमित नजर रखी जाती है तथा व्यवसाय समूहों के साथ उस क्षेत्र मे हुई नई प्रगति का विश्लेषण साझा किया जाता है जिससे वह सुविचारित ऋण निर्णय ले सकें। विभिन्न स्तरों पर परिचालन स्टाफ की बेहतरी के लिए ज्ञान साझा करने के सत्र का आयोजन किया जाता है।

भावी परिदृश्य को देखकर प्रत्येक उद्योग के लिए क्रेडिट रेटिंग सीमा का निर्णय लिया जाता है। आपका बैंक उधारकर्तावार ऋण जोखिम के मूल्यांकन के लिए विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल एवं स्कोरकार्ड का प्रयोग करता है। उधारकर्ताओं की आंतरिक ऋण रेटिंग का मॉडल बैंक में ही विकसित किया गया है। व्यापक प्रमाणीकरण चरणों एवं बैक टेस्टिंग व्यवस्था के तहत उनकी समीक्षा की जाती है।

आपके बैंक ने लोन ओरिजिनेटिंग सॉफ्टवेअर/लोन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम (एलओएस/एलएलएमएस) के माध्यम से ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु आईटी प्लेटफॉर्म को अपनाया है। बैंक द्वारा तैयार मॉडल को इन प्लेटफॉर्म पर चलाया जाता है तथा सिबिल एवं आरबीआई की चूक्कर्ता सूची से प्राप्त जानकारी का भी इसमें उपयोग किया जाता है।

पूँजी से प्राप्त आमदनी की जोखिम संवेदनशीलता को क्रेडिट रिस्क कैपिटल से प्राप्त आमदनी (RAROC) के आधार पर मापा जाता है। ऋण बजट की प्राप्ति की संवीक्षा निर्दिष्ट स्तरों के अनुरूप की जाती है। पूँजी जोखिम समायोजन के बाद होने वाली आमदनी (RAROC) के आकलन की भी व्यवस्था की गई है। ग्राहक स्तरीय RAROC गणना का डिजिटलीकरण किया गया है। इसके अलावा, खुदरा ग्राहक निष्पादन की स्कोरिंग एवं निगरानी के स्वभावजन्य मॉडल को रिस्क डेटा मार्ट पर विकसित एवं लागू किया गया है। आपके बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली हेतु ORACLE "OFSAA" प्लेटफॉर्म खरीदा है तथा चयनित सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा प्रणाली का कार्यान्वयन आरंभ किया गया है।

आपके बैंक ने एकल एवं समूह उधारकर्ताओं के लिए जोखिम संवेदी आंतरिक विवेकपूर्ण निवेश सीमा निर्धारण व्यवस्था के द्वारा ऋण एकाग्रता जोखिम का आकलन करने हेतु संशोधित प्रक्रिया लागू की है। इस सीमा को उधारकर्ता की आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर नियत किया जाता है।

यह व्यवस्था विवेकपूर्ण मानदंड के विनियामक निर्देशों से एक कदम आगे है, जो 'सबके लिए एक' स्वरूप की है। इन निवेश मानदंडों के अनुपालन की नियत अवधि पर नियमित समीक्षा की जाती है।

आपका बैंक प्रत्येक छमाही में अपने ऋण पोर्टफोलियो पर दबाव की भी जांच करता है। दबाव परिदृश्य को आरबीआई दिशानिर्देशों, उद्योग में प्रचलित उत्कृष्ट प्रथमोन एवं मैक्रो-इकनामिक वेरियब्ल्स में बदलाव के अनुरूप नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

नियमित आधार पर आस्ति संविभाग की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए आपका बैंक अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति की पहचान, ऋण संस्वीकृति की तिमाही समीक्षा के लिए विशेष विश्लेषण अध्ययन करता है।

आरबीआई ने आपके बैंक को ऋण जोखिम की नवीनतम पद्धतियों के अनुरूप फाउंडेशन इन्टरनल रेटिंग बेस्ड (एफआईआरबी) प्रक्रिया के समानांतर चलने वाली प्रक्रिया का अनुपालन करने की अनुमति दी है। एफआईआरबी हेतु समानांतर चलने वाली प्रक्रिया के तहत आरबीआई को जानकारी प्रस्तुत की जाती है। चूक की संभावना, चूक के कारण हानि तथा चूक वाले निवेश के अनुमान आईआरबी पूँजी गणना मॉडल के अनुरूप क्रेडिट रिस्क डेटा मार्ट की जानकारी पर आधारित होते हैं। मध्यम एवं उच्च मूल्य वाले ऋण प्रस्तावों की जांच हेतु पिछले वर्ष स्वतंत्र जोखिम परामर्श (आइआरए) व्यवस्था शुरू की गई, इसका दायरा बढ़ाने के लिए इसे और मजबूत किया गया है।

जोखिम प्रबंधन विभाग के तहत पोर्टफोलियो प्रबंधन की नई भूमिका सृजित की गई है। ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन कार्य के तहत लाभप्रदता एवं जोखिम दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके प्रमुख कार्यों में पोर्टफोलियो जोखिम के रुझानों का अध्ययन करना, लक्ष्य निर्धारित करना, पोर्टफोलियो पैकेजिंग, जोखिम मूल्यांकन एवं समीक्षा, पोर्टफोलियो का इष्टतम स्तर प्राप्त करना आदि शामिल है।

2. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम उस हानि की संभावना को कहते हैं जो बाज़ार वेरिएबल्स जैसे विनिमय दर, ब्याज दर एवं इक्विटी कीमत के कारण ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मूल्य में बदलाव के रूप में बैंक को हो सकती है।

बाजार जोखिम कम करने के उपाय

आपके बैंक के बाज़ार जोखिम नियंत्रण के कार्य में जोखिम की पहचान करना एवं उसका मापन, नियंत्रण उपाय, निगरानी एवं रिपोर्टिंग करना शामिल है।

बाज़ार जोखिमों को विभिन्न जोखिम सीमाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है जैसे कि नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन, संशोधित अवधि, PV01, स्टॉप लॉस, अपर मैनेजमेंट एक्शन ट्रिगर, लोअर मैनेजमेंट एक्शन ट्रिगर, केंद्रीकरण एवं निवेश सीमाएं। आपका बैंक अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की असेट क्लास के अनुसार जोखिम सीमा का अनुमान लगाता है तथा इस पर निरंतर नजर रखता है।

जोखिम अधीन मूल्य (VaR) एक ऐसी तकनीक है जिसका आपके बैंक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जोखिम पर नजर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। बैंक के उद्यम स्तरीय VaR की दैनिक आधार पर गणना की जाती है तथा इसकी प्रतिदिन जांच की जाती है। बाज़ार जोखिम के आकलन के लिए दबावग्रस्त VaR की भी दैनिक आधार पर गणना की जाती है। VaR पद्धति के स्थान पर अब ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का तिमाही स्ट्रेस टैस्ट भी किया जाता है।

आपके बैंक के पास अपने व्यापार संविभाग के लिए आस्ति श्रेणी-वार जोखिम सीमाएं उपलब्ध हैं और वह इसकी नियमित आधार पर निगरानी करता है। वर्तमान में, बाज़ार जोखिम पूँजी की गणना मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) के तहत की जाती है।

बैंक अपने देशी एवं विदेशी संविभागों का जोखिम समायोजित निष्पादन विश्लेषण करता है। वह निर्णय लेने के उपकरण के रूप में गैर-एस एल आर बांडों की ऋण रेटिंग परिवर्तन का भी विश्लेषण करता है।

3. परिचालन जोखिम

परिचालनत जोखिम को हानि का जोखिम कह सकते हैं जो अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रिया, लोगों एवं व्यवस्थाओं या बाहरी घटनाओं के कारण होता है।

परिचालन जोखिम कम करने के उपाय

आपके बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के प्रमुख तत्वों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रणाली एवं नियंत्रण की सतत समीक्षा, पूरे बैंक में परिचालनगत जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय से घटना की रिपोर्टिंग करना, जोखिम जागरूकता कार्यशाला के माध्यम से परिचालनगत जोखिम जागरूकता बढ़ाना, प्रमुख संकेतकों (इसमें प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) प्रमुख नियंत्रण संकेतक (केसीआई) एवं प्रमुख प्रक्रिया संकेतक (केपीआई) शामिल हैं) के कार्यान्वयन के माध्यम से समय रहते सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था में सुधार लाना, मूल्यांकन, जोखिम स्वामित्व निर्धारण, व्यवसाय कार्यनीति के साथ जोखिम प्रबंधन कार्यकलाप को मिलाना आदि शामिल हैं। शाखाओं एवं कार्यालयों में व्यवधान के समय परिचालनों को जारी रखने के लिए आपके बैंक के पास बिजिनेस कंटिन्यूटी प्लान (बीसीपी) है। बीसीपी के कारण वर्ष के दौरान केरल में बाढ़ एवं तमिलनाडु में तूफान के समय न्यूनतम व्यवसाय अड़चन सुनिश्चित करने में मदद मिली।

ये सभी घटक नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा बेहतर पूँजी प्रबंधन के साथ साथ बैंक सेवाओं/उत्पादों/प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करते हैं।

वित्त वर्ष 2019 हेतु, आपके बैंक ने एकल आधार पर बेसिक इंडिकेटर तकनीक (बीआईए) के अनुसार परिचालन जोखिम के लिए पूंजी निर्धारण करना स्वीकार किया है।

आपके बैंक ने 01 सितंबर को जोखिम जागरूकता दिवस मनाया। जोखिम के प्रति संवेदनशील बनाने की ओर आपके बैंक के स्टाफ के लिए ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। ई-लर्निंग पाठ के माध्यम से सभी स्तरों पर स्टाफ को प्रशिक्षण देकर जोखिम संस्कृति के प्रति जागरूकता विकसित की जा रही है।

4. उद्यम जोखिम

उद्यम जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य एक व्यापक व्यवस्था स्थापित करना है जिससे पूरे बैंक स्तर पर विभिन्न जोखिमों तथा बैंक की कार्यनीति के अनुरूप जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्व की बेहतरीन प्रथाएं शामिल हैं, जैसे- जोखिम रुझान, वास्तविक जोखिम मूल्यांकन एवं जोखिम समूहन।

उद्यम जोखिम जोखिम कम करने के उपाय

जोखिम की भूमिका को एक कार्यनीतिक काम में रूपांतरित करने के बैंक ध्येय के अनुरूप बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति लागू है।

एक सुदृढ़ जोखिम प्रोफाइल बनाए रखने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एक जोखिम रुझान अध्ययन व्यवस्था विकसित की है जिसमें विभिन्न प्रमुख जोखिम तत्वों की सीमाओं का आकलन करना शामिल है। बैंक में एक मजबूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, चरणबद्ध तरीके से जोखिम संस्कृति व्यवस्था लागू की जा रही है।

आपका बैंक सामान्य एवं दबावग्रस्त स्थितियों में पूँजी पर्याप्तता के संबंध में वार्षिक आधार पर व्यापक आंतरिक पूँजीगत पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के अनुरूप आकलन करता है। व्यापक आंतरिक पूंजीगत पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम जैसे पिलर 1 के जोखिम तथा चलनिधि जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, संकेंद्रण जोखिम एवं अनय जैसे पिलर 2 के जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है और अपेक्षित होने पर पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। व्यापक आंतरिक पूंजीगत पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में नई और उभरती हुई जोखिमों की चर्चा की गई है।

5. समूह जोखिम

समूह जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य समूह इकाइयों में एक मानकीकृत जोखिम आकलन प्रक्रियाओं को लागू करना है।

समूह जोखिम कम करने के उपाय

समूह जोखिम प्रबंधन, समूह तरलता एवं आकस्मिक निधीयन योजना (सीएफपी), आर्म्स लेंथ एवं अंतरसमूह लेनदेन एवं निवेश से संबंधित पॉलिसी लागू है।

समेकित विवकपूर्ण निवेश एवं समूह जोखिम के आकलन पर निरंतर नजर रखी जा रही है। ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम एवं तरलता जोखिम हेतु जोखिम आधारित मानदंड के अनुरूप तिमाही विश्लेषण, अन्य कागजात के साथ साथ, उद्यम एवं समूह जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

समूह आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (ग्रुप आईसीएएपी) दस्तावेजों में समूह इकाइयों द्वारा पहचान किए गए जोखिम तथा सामान्य एवं दबावग्रस्त स्थितियों में आंतरिक नियंत्रण एवं कमी के उपाय एवं पूंजीगत मूल्यांकन शामिल हैं। गैर-बैंकिंग इकाइयों सहित सभी समूह इकाइयां जहां कि एसबीआई का 20% या अधिक का हिस्सा एवं प्रबंधन नियंत्रण है, उन्हें आईसीएएपी प्रक्रिया पूरी करनी है तथा एकरूपता की दृष्टि से समूह आईसीएएपी नीति लागू है।

6. बासेल कार्यान्वयन

नियामक द्वारा आपके बैंक का डी-एसआईबी के रूप में चयन किया गया है तथा इसे चरणबद्ध तरीके से 01 अप्रैल 2016 से RWAs का 0.60% अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी रखनी होगी तथा यह व्यवस्था 01 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगी। आपके बैंक ने चरणबद्ध तरीके से संरक्षित पूंजी जमा (सीसीबी) रखनी आरंभ की है तथा यह 31 मार्च 2020 तक 2.5% के स्तर पर पहुंच जाएगी।

जोखिम प्रबंधन संरचना

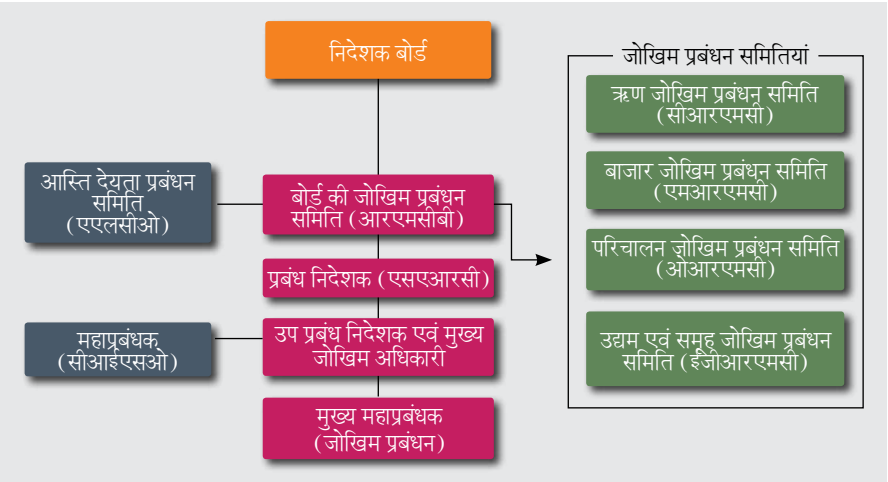

ख. आंतरिक नियंत्रण

आपके बैंक में आंतरिक लेखा-परीक्षा (आई.ए.) सामान्य लेखा-परीक्षा कार्य से अलग है और इसे बैंक में पर्याप्त मान्यता तथा अधिकार प्राप्त हैं। उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित आई.ए. विभाग बोर्ड की लेखा-परीक्षा कमेटी के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण में कार्य करता है। आपके बैंक का आई.ए. विभाग जोखिम प्रबंधन तथा अनुपालन विभागों के समन्वय से कार्य करता है ताकि प्रभावी नियंत्रण का आकलन, नियंत्रण संग अनुपालन तथा आंतरिक कार्यविधियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा सके। आपके बैंक का आई.ए. विभाग जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की सभी परिचालन यूनिटों के व्यापक जोखिम आधारित लेखा-परीक्षा कार्य की देखरेख करता है।

आपके बैंक में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के साथ गति बनाए रखने के लिए आई.ए. विभाग ने प्रौद्योगिकी आधारित सिस्टम पर चलने वाली तथा विश्लेषण आधारित लेखा-परीक्षा की शुरुआत की है, ताकि अधिक दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी लेखा-परीक्षा संभव हो सके।

कुछ प्रमुख पहल में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- नियंत्रण संग अनुपालन का शुरुआती स्तर पर आकलन करने के लिए वेब आधारित, ऑनलाइन जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआईए) करना।
- बड़े डेटा के रिमोट आकलन के माध्यम से विश्लेषण आधारित, अनुपालन योग्य नियंत्रणों का आकलन करना।
- लेनदेन पर सिस्टम जनित, विश्लेषण आधारित ऑफ-साइट निगरानी रखना।
- व्यवसाय यूनिटों की संगामी लेखा-परीक्षा करना जिससे अनुपालनों की अद्यतन या वास्तविकता के नजदीक संवीक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- संस्वीकृतियों के तुरंत बाद समीक्षा ताकि ₹1 करोड़ तथा उससे अधिक के ऋणों की गुणवत्ता का समय रहते आकलन किया जा सके।
- शाखाओं द्वारा ऑनलाइन स्व लेखा-परीक्षा करना जिसमें शाखाओं द्वारा स्व आकलन तथा नियंत्रकों द्वारा पुनरीक्षण किया जा सके।

आर.एफ.आई.ए. के भाग के रूप में आई.ए. विभाग अलग-अलग प्रकार की लेखा-परीक्षा करता है जैसे क्रेडिट लेखा-परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा, साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा, होम ऑफिस लेखा-परीक्षा (विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा), संगामी लेखा-परीक्षा, फेमा लेखा-परीक्षा, बैंक के आउटसोर्स्ड कार्यकलाप की लेखा-परीक्षा, व्यय लेखा-परीक्षा तथा अनुपालन संपरीक्षा। इसके अतिरिक्त यह विभाग विभिन्न व्यवसाय खंडों के कारगर होने संबंधी आकलन के लिए प्रबंधन संपरीक्षा तथा लेखा-परीक्षा कमेटियों एवं विनियामकों के निर्देशों पर विशेष लेखा-परीक्षा भी करता है।

शाखा लेखा-परीक्षा

आई.ए. विभाग आर.एफ.आई.ए. के माध्यम से लेखा-परीक्षित यूनिटों के संपूर्ण परिचालनों का गहन निरीक्षण करता है। आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए यह आवश्यक है। घरेलू शाखाओं को उनके व्यवसाय प्रोफाइल तथा अग्रिमों के एक्सपोजर के आधार पर तीन समूहों (समूह I,II और III) में बांटा गया है। आपके बैंक ने लेखा-परीक्षा के लिए शाखाओं का चयन करने के लिए सिस्टम आधारित प्रक्रिया आरंभ की है जिसके तहत विश्लेषणात्मक अल्गोरिद्म लगाकर अलग तरह से व्यवहार कर रही यूनिटों की पहचान की जाती है। इससे बैंक को ऐसी शाखाओं में समस्या के कारणों की पहचान कर सुधार की कार्रवाई करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर लेखा-परीक्षा करने में मदद मिलती है।

वित्त वर्ष 2019 के दौरान, आई.ए. विभाग द्वारा देश में 13,850 शाखाओं/बीपीआर इकाइयों की आर.एफ.आई.ए. के तहत लेखा-परीक्षा की गई।

क्रेडिट लेखा-परीक्षा

क्रेडिट लेखा-परीक्षा का उद्देश्य ₹20 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले क्रेडिट की गहन समीक्षा कर बैंक के वाणिज्यिक क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने बड़ी राशि के ऋण खातों का स्वतंत्र ऑफसाइट क्रेडिट जोखिम आकलन आंरभ कर क्रेडिट लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में सुधार किया है। क्रेडिट लेखा-परीक्षा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सीधी भर्ती कर लेखा-परीक्षा की क्षमता बढ़ाई गई है।

क्रेडिट लेखा-परीक्षा प्रणाली व्यवसाय यूनिटों को उनके क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक देती है तथा सुधार के उपाय अपनाने के लिए सुझाव देता है।

संस्वीकृति के तुरंत बाद समीक्षा

₹1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के क्रेडिट एक्सपोजर के व्यक्तिगत खातों की संस्वीकृति के तुरंत बाद ऑफसाइट समीक्षा (संस्वीकृति के तुरंत बाद समीक्षा) किया जाना अपेक्षित है। ऐसी समीक्षाएं क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रोसेस में अनियमितताओं, यदि हैं, की पहचान करने तथा सुधारात्मक उपायों के लिए संस्वीकृति/लिमिट बढ़ाने/नवीनीकरण के तीन से चार सप्ताह में की जाती हैं। ईआरएस प्रणाली को ऋण प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा गया है ताकि संस्वीकृति एलएलएमएस समीक्षाकर्ताओं को ऑनलाइन समीक्षा के लिए बिना रुकावट साथ-साथ मिलते रहें।

फेमा लेखा-परीक्षा

विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए अधिकृत सभी शाखाओं (अधिकृत डीलरों) तथा केन्द्रीकृत व्यवसाय वित्तपोषण प्रक्रिया कक्षों - टीएफसीपीसी की फेमा लेखा-परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अधिक क्रेडिट एक्सपोजर वाली शाखाओं तथा केन्द्रीकृत व्यवसाय वित्तपोषण प्रक्रिया कक्षों की वर्ष में कम से कम एक बार फेमा के तहत लेखा परीक्षा की जाती है। अन्य अधिकृत डीलरों की उनके जोखिम प्रोफाइल के अनुसार 21 माह की अधिकतम अवधि में लेखा-परीक्षा की जाती है। वित्त वर्ष 2019 के दौरान फेमा लेखा-परीक्षा के तहत 411 शाखाओं की लेखा-परीक्षा की गई।

सूचना प्रणाली तथा साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा

आर.एफ.आई.ए. के भाग के रूप में भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में आई.टी. से संबद्ध जोखिमों का आकलन करने के लिए सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा ("आईएस ऑडिट") की जाती है। केन्द्रीकृत आई.टी. संस्थानों की आई.एस. लेखा-परीक्षा योग्यता-प्राप्त अधिकारियों की टीम द्वारा की जाती है जिनमें सीधी भर्ती से नियुक्त आई.एस. लेखा-परीक्षक सम्मिलित होते हैं। वित्त वर्ष 2019 के दौरान 48 केंद्रीकृत आई.टी. संस्थापनाओं की आई.एस. लेखा-परीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त बैंक की साइबर सुरक्षा नीति के अनुसार बैंक की वार्षिक साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा भी की जाती है।

विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा

वित्त वर्ष 2019 के दौरान 19 विदेश स्थित कार्यालयों की विदेश कार्यालय लेखा-परीक्षा तथा पांच सहायक कंपनियों, तीन प्रतिनिधि कार्यालयों तथा विदेश के छह प्रधान / क्षेत्रीय प्रधान कार्यालयों की प्रबंधन संपरीक्षा की गई।

संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली

आपके बैंक की संगामी लेखा-परीक्षा में अग्रिम तथा विनियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य जोखिम एक्सपोजर कवर होते हैं। संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली के लिए योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर वित्त वर्ष 19 में इसे मजबूती प्रदान की गई है, साथ ही ग्राहक से संबंध स्थापित करने के स्तर पर अंडरराइटिंग तथा नियंत्रण संबंधी कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए केंद्रीकृत प्रक्रिया कक्षों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

ऑफ-साइट लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस)

आपके बैंक में ओटीएमएस एक वेब आधारित समाधान है जो बैंक स्तर पर शाखाओं में लेनदेन की निगरानी करने के लिए परिदृश्य आधारित अलर्ट जनरेट करता है तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए व्यवसाय यूनिटों को सूचित करता है। फिलहाल सिस्टम में 55 प्रकार के परिदृश्य शामिल किए गए हैं जिनसे संबंधित लेनदेन को नियमित अंतराल पर जांचा जाता है और जिन लेनदेन में अपेक्षित स्वरूप से विचलन दिखता है उनपर सिस्टम द्वारा फ्लैग लगाया जाता है ताकि संबंधित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। परिदृश्यों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार उनका दायरा बढ़ाया जाता है।

विधिक लेखा-परीक्षा

आपके बैंक की विधिक लेखा-परीक्षा के अंतर्गत ₹5 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के सभी ऋणों तथा प्रतिभूति संबंधी दस्तावेजों को कवर किया जाता है। विधिक लेखा-परीक्षा अतिरिक्त नियंत्रण के लिए की जाती है जो आंतरिक लेखा-परीक्षकों की टीम द्वारा की जाने वाली संवीक्षा के साथ-साथ वकीलों के पैनल द्वारा भी की जाती है, ताकि दस्तावेजों या बैंक के पक्ष में प्रतिभूति सृजित करने में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। वित्त वर्ष 2019 के दौरान 11,602 खातों की विधिक लेखा-परीक्षा की गई।

बाहरी एजेंसियों को सोंपे गए (आउटसोर्स्ड) कार्यकलाप की लेखा-परीक्षा

आपका बैंक इस बात की जरूरत समझता है कि बैंक के लिए कार्य कर रहे सेवाप्रदाता बैंक की ही तरह सभी कानूनी तथा विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करें। इसके लिए आउटसोर्स्ड कार्यकलाप की नियमित अंतराल पर लेखा-परीक्षा की जाती है जिससे सुनिश्चित हो कि सही प्रणालियों एवं कार्यविधियों का अनुपालन किया जा रहा है तथा बैंक के लिए किसी प्रकार का कानूनी, वित्तीय एवं साख संबंधी जोखिम न रहे।

आपके बैंक में आउटसोर्स्ड कार्यकलाप की लेखा-परीक्षा में एटीएम सेवाएं प्रदान करने वाले वेंडर, कॉरपोरेट व्यवसाय सहयोगी (बीसी), अलग-अलग बीसी तथा सीएसपी, वसूली एवं समाधान एजेंट, नकदी प्रबंधन सेवाएं, द्वारस्थ (डोर-स्टेप) बैंकिंग, चेक बुक प्रिंटिंग, आई.टी. संबद्ध सेवाएं, रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट तथा अन्य सम्मिलित हैं।

आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन योजना के तहत लेखा-परीक्षा के दायरे में आने वाले 57,000 से ज्यादा अलग-अलग बीसी तथा सीएसपी की सेवाएं ली हैं। वित्त वर्ष 2019 के दौरान 28,245 ऐसी यूनिटों की लेखा-परीक्षा की गई है।

प्रबंधन संपरीक्षा

प्रबंधन संपरीक्षा के अंतर्गत व्यवसाय खंड, प्रशासनिक कार्यालय/विभाग कवर होते हैं जिनकी कार्यनीतियों, प्रक्रियाओं तथा जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियों की समीक्षा की जाती है। इसमें कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाएं/मंडल स्थानीय प्रधान कार्यालय तथा बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सम्मिलित होते हैं। वित्त वर्ष 2019 के दौरान प्रबंधन संपरीक्षा के तहत 42 संस्थापनाओं / प्रशासनिक कार्यालयों की संपरीक्षा की गई।

ग. अनुपालन जोखिम प्रबंधन

आपका बैंक नियामक गैर अनुपालन की ओर 'शून्य सहनशक्ति' के सिद्धांत पर काम करता है और अनुपालन कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जो आपके बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है ।

घ. केवाईसी / ए एम एल - सी एफ टी उपाय :

केवाईसी मानदंडों, एएमएल /सीएफटी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं होने से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को कम करने के लिए, आपके बैंक ने एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं पारदर्शी "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) नीति लागू की है और इस नीति में ग्राहक स्वीकार्यता, ग्राहक पहचान, लेनदेनों की निगरानी, ग्राहक जोखिम वर्गीकरण और एफआईयू - आईएनडी को लेनदेन रिपोर्ट करना शामिल है। इस नीति को अद्यतन किया जाता है और बाद में किए जानेवाले परिवर्तनों को आरबीआई की सूचनानुसार, शाखाओं/कार्यालयों के लिए ई-परिपत्र द्वारा परिचालित किया जा रहा है जिससे सभी परिचालन इकाइयों में इनका सख्ती से अनुपालन हो सके। मैनुअल एवं प्रणाली से जुड़ी कार्यपद्धति के संयुक्त रूप वाली एक सुदृढ़ प्रणाली लागू की गई है जिससे बैंक में केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

आपके बैंक ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार सभी व्यक्तिगत ग्राहकों को समान ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आबंटित किए हैं। आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समय समय पर बैंक द्वारा केवाईसी का अद्यतन किया जाता है ।

केवाईसी और एएमएल/सीएफटी अनुपालन के बारे में स्टाफ में अधिक जागरूकता लाने के लिए आपके बैंक ने कई पहल की हैं। हर साल 2 नवंबर को एएमएल - सीएफटी दिवस मनाया जाता है जिसमें सभी शाखाओं/प्रसंस्करण केन्द्रों और प्रशासनिक कार्यालयों में उस दिन शपथ ली जाती है । इसी तरह, 1 अगस्त को केवाईसी अनुपालन और धोखाधड़ी रोकथाम दिवस मनाया जाता है।

ङ बीमा :

बेसल II ढांचे के अग्रिम माप दृष्टिकोण (एएमए) के तहत पूंजी की आवश्यकता को घटाने के लिए आपके बैंक की आस्तियों और अन्य जोखिमों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बीमा कक्ष की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, साइबर जोखिमों को कवर करने के लिए यूएस $100 मिलियन के लिए बीमा पालिसी ली जा रही है। डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग लेनदेनों पर ग्राहक देयता को कम करने के आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। वैसे ही, आपके बैंक के जोखिम/ लागत को कवर करने के लिए, डेबिट कार्ड/इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग लेनदेनों के लिए बीमा कवर लिया जा रहा है ।

च. परिसर

भारतीय स्टेट बैंक की सभी संपत्तियों के हक विलेखों का सुरक्षित रखरखाव अब केंद्रीकृत कर दिया गया है। तदनुसार, मूल हक विलेख सुरक्षित अभिरक्षा के लिए एसबीआई कैप ट्रस्टी कं. लि. के पास रखे गए हैं और ये डिजिटल रूप में बैंक के पास उपलब्ध रहेंगे।

407 करोड़ मूल्य की अप्रयुक्त गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियों की विभिन्न मंडलों से बिक्री के लिए मुद्रीकरण करने के लिए चुनी गई हैं जिसमें से ₹17.33 करोड़ मूल्य की परिसंपतित्यां वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान मुद्रीकृत की जा चुकी हैं।

4. राजभाषा

आपके बैंक ने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी कदम उठाए और संगठन के लिए अनेक उपलब्धियां अर्जित की।

टेक्नोलोजी की सहायता से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बैंकिंग सेवाएं

आपके बैंक द्वारा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें और गति लाने और उसे बनाए रखने के लिए आपका बैंक तकनीक का सहारा ले रहा है। साथ ही, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एटीएम मशीनों, एसएमएस और संपर्क केंद्र संवाद आदि में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम मेधा का उपयोग करके स्टेट बैंक इंटेलिजेंट असिस्टेंट (एसआईए) उपलब्ध कराया गया है, जिससे बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों के मौखिक और लिखित उत्तर 14 भाषाओं में दिए जाते हैं। इससे स्थानीय आवश्यकताओं को समझने और बड़ी संख्या में ग्राहकों को बैंक के नजदीक लाने में मदद मिल रही है।

विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रतिनिधित्व

11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त, 2018 तक मॉरीशस में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आपके बैंक ने भी अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने आपके बैंक की सहायक कंपनी स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस के सहयोग से इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय था - विश्व में हिंदी पहुँचाई युग-युग जियो एसबीआई। साथ ही, इस प्रदर्शनी में बैंक के उत्पादों-सेवाओं की जानकारी के साथ-साथ देश-विदेश में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों और प्रकाशनों की एक झांकी भी प्रस्तुत की गई थी।

देश में हिंदी पखवाड़ा और विदेश में विश्व हिंदी दिवस

आपके बैंक द्वारा देश-विदेश में अपने स्टाफ में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से देश में 14 से 29 सितंबर, 2018 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया। साथ ही,10 जनवरी, 2019 को 'विश्व हिंदी दिवस' मनाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न हिंदी कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान हिंदी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग करने वाले मंडलों, विभागों और स्टाफ को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें कुछ विदेशी भी शामिल हैं।

हिंदी गृहपत्रिका 'प्रयास' को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रिका का पुरस्कार

हिंदी गृहपत्रिका 'प्रयास' को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' : भारतीय स्टेट बैंक की तिमाही हिंदी गृहपत्रिका 'प्रयास' को भारत सरकार के 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों' के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए 'प्रथम' पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने बैंक अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री हंसराज अहीर और श्री किरण रिजिजू भी उपस्थित थे।

एसबीआई द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तक 'राजभाषा कार्यान्वयनः अनुभव एवं उपलब्धियां' का 6 जुलाई 2018 को पटना में डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव (वित्तीय समावेशन), भारत सरकार द्वारा विमोचन।

प्रकाशन

आपके बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में प्रतिष्ठित हिंदी पुस्तक 'राजभाषा कार्यान्वयन : अनुभव एवं उपलब्धियां' का प्रकाशन किया, जिसका विमोचन 6 जुलाई, 2018 को पटना में डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव (वित्तीय समावेशन), भारत सरकार द्वारा किया गया।

बैंक द्वारा अपने सुरक्षा मैनुअल, ग्राहक सूचना संकलन, एटीएम मैनुअल, आरएफपी, एलओएस दस्तावेज, सदाचार संहिता और डिजिटल बैंकिंग पुस्तिका को भी हिंदी में तैयार किया गया है।

आशीर्वाद राजभाषा गौरव सम्मान

संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष डॉ. सत्य नारायण जटिया द्वारा राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए आपके बैंक को साहित्यिक-सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था 'आशीर्वाद' की ओर से 'प्रथम' पुरस्कार दिया गया। हमारे महाप्रबंधक (राजभाषा एवं कॉरपोरेट सेवाएं) को 'राजभाषा गौरव' सम्मान दिया गया। साथ ही, इस दौरान 'प्रयास' को भी 'श्रेष्ठ पत्रिका' का पुरस्कार दिया गया।

स्टेट बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

आपके बैंक की अध्यक्षता में संचालित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भुवनेश्वर तथा हैदराबाद को भी माननीय उप राष्ट्रपति जी द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों में क्रमशः 'प्रथम' व 'द्वितीय' पुरस्कार दिए गए। बैंक द्वारा संचालित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिलीगुड़ी को भी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), कोलकाता द्वारा 'तृतीय' पुरस्कार के लिए चुना गया है।

5. विपणन तथा संप्रेषण

बैंक ब्राण्ड एवं प्रोडक्ट पेशकश के विपणन तथा कॉरपोरेट संप्रेषण की जिम्मेदारी विपणन एवं संप्रेषण (वि.एवं सं.) विभाग की है। आपके बैंक के प्रोडक्ट्स तथा सेवाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए आधुनिक विपणन पद्धतियों का उपयोग करने के साथ-साथ युवा ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए बैंक में डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। विपणन एवं संप्रेषण विभाग की प्रमुख जिम्मेदारियों में एकीकृत विपणन कार्यनीतियां तैयार करना तथा उनको लागू करना भी शामिल है। इसके द्वारा आपके बैंक के देशी तथा विदेशी कारोबार से संबंधित विभिन्न प्रभागों के समक्ष व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने में सहायता करना भी इस विभाग का कार्य है। इस विभाग में इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों - मीडिया, विपणन संप्रेषण, डिजिटल विपणन, विज्ञापन तथा जनसंपर्क के दक्षता प्राप्त प्रोफेशनल्स / विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं।

आपके बैंक के विपणन एवं संप्रेषण (वि.एवं सं.) विभाग का इस वर्ष फोकस बैंक के प्रमुख प्रोडक्ट **योनो** का असरदार प्रचार-प्रसार करने पर था। **योनो** तथा उसकी अनन्य विशेषताओं की जानकारी ग्राहकों को देने के लिए आपके बैंक द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए। **योनो** को प्रचारित करने के लिए विभाग की टीम ने वर्ष के दौरान योनो शॉपिंग फैस्टिवल आयोजित करने जैसे अभिनव विपणन प्रयास किए। यह देश में किसी भी बैंक द्वारा अपनी तरह का पहला आयोजन था। आपके बैंक ने ही बैंक प्रचार दूतों के लिए फिनटेक पर 'इन्फाइनाइट'नाम के पहले थॉट लीडरशिप कार्यक्रम का आयोजन किया। **योनो** के लिए आपके बैंक ने **योनो** 20अंडर20 नाम से एक नया विपणन अभियान आरंभ किया है। यह बैंक द्वारा बैंक के बाहर आरंभ किया गया सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें बैंक ने 10 अलग-अलग क्षेत्रों की 20 असाधारण प्रतिभाओं (10 पुरुष + 10 महिलाओं) को सम्मानित किया। आपके बैंक द्वारा ठन्यूमरो योनोड नामक 17-सिटी क्विज का आयोजन भी किया गया।

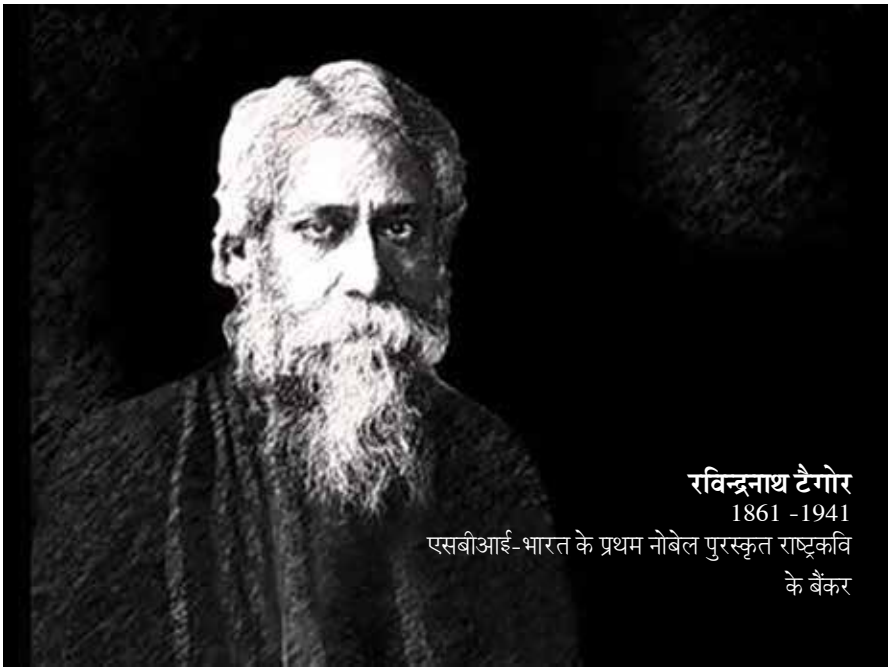

विभाग ने पिछले वर्ष के दौरान सभी व्यवसाय यूनिटों के विपणन प्रयासों को एकीकृत कर मजबूती प्रदान की है तथा विपणन अभियानों को आरंभ करने की उपयुक्त प्रक्रिया स्थापित की है। **योनो** के अलावा वि.एवं सं. टीम ने आवास ऋण, वैल्थ मैनेजमेंट, एनआरआई सेवाएं इत्यादि अन्य प्रोडक्ट्स के लिए बड़े विपणन अभियान आरंभ किए हैं। विभाग ने सभी रिटेल ऋण उत्पादों के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाया। इन सभी अभियानों के लिए विभिन्न प्रकार के मीडिया साधनों का प्रयोग किया गया।

वि.एवं सं. टीम ने वैल्थ मैनेजमेंट सेवाओं का नाम 'एक्सक्लूसिफ' से बदलकर 'एसबीआई वैल्थ' करने में भी भूमिका निभाई है। संवहनीयता के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देने के उद्देश्य से आपके बैंक ने गत वर्ष 6 शहरों में आयोजित की गई 'ग्रीन मैराथन' चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 शहरों में आयोजित की गई। चालू वित्त वर्ष में भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, पटना, गुवहाटी जैसे शहरों में ग्रीन मैराथन आयोजित की गई है। ग्रीन मैराथन को भारत के सभी भागों से उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं।

भविष्य में आपके बैंक का लक्ष्य अन्य विपणन पहल के साथ-साथ अपने प्रमुख प्रोडक्ट **योनो** को और अधिक प्रचारित करना है। आने वाले समय में विभाग का जोर प्रतिस्पर्धा में अपना अग्रणी स्थान बनाए रखना तथा ब्रांड 'एसबीआई' को पहले से भी अधिक आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी ब्रांड बनाना है।

6. सतर्कता तंत्र

भारतीय बैंक में सतर्कता व्यवस्था तीन चीज़ों पर टिकी है - निवारण, दंड एवं समावेश। इस वर्ष 29 अक्तूबर 2018 से 03 नवंबर 2018 तक 'भ्रष्टाचार मिटाओ - नया भारत बनाओ' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान स्टाफ एवं अन्य लोगों से 'सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' कराई गई। इसके अलावा, जिम्मेदार कॉरपोरेट होने के नाते एसबीआई ने भी 'सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' की। जागरूकता बढ़ाने के ध्येय से ग्राम सभाएं आयोजित की गईं तथा इन सभाओं में 'सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' कराई गई। इस विषय को विभिन्न चैनलों जैसे वैकल्पिक चैनलों, आईवीआर, सोशल मीडिया और वॉकेथान एवं नुक्कड़ नाटकों तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी प्रचारित किया गया।

व्हिसल ब्लोअर का सिद्धांत भी निवारक सतर्कता के लिए प्रयुक्त एक अन्य कारगर उपाय है। व्हिसल ब्लोअर योजना के अंतर्गत किसी प्रकार के गलत आचरण को उजागर करने हेतु बैंक द्वारा एक पोर्टल भी आरंभ किया गया है। व्हिसल ब्लोअर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है और इस पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। हमारे बैंक में पहले से ही एक स्पष्ट-परिभाषित व्हिसल ब्लोअर नीति है, जो कर्मचारियों को नसीहत देने वाली है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को गलत गतिविधियों से दूर रखना है। व्हिसल ब्लोअर की पहचान गुप्त रखी जाती है। हम उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, जिससे यह प्रक्रिया बिना किसी डर के गलत गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी अस्त्र का काम करे।

जिन शाखाओं में गंभीर प्रकृति की कमियां पाई जाती हैं उनकी पहचान करके स्व-प्रेरणा से जाँच करवाई जाती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावित गतिविधियों पर लगाम लगाते हुए उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

वित्त वर्ष 2019 में कुल 1,505 मामलों (1,025 नए मामलों) की जाँच शुरू की गई, जिसमें से 790 मामलों में जाँच पूरी की जा चुकी है।

7. आस्ति और देयता प्रबंधन

कारगर आस्ति और देयता प्रबंधन (एएलएम) बैंकों के निरंतर और गुणात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एएलएम का उद्देश्य बैंक की बैलेंस शीट को मजबूत बनाना है। बाजार स्थितियों की निरंतर समीक्षा करते हुए उससे प्राप्त संकेतों को समझ कर नियामक अपेक्षाओं का आकलन करना, जिससे बैंक के लिए बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकें।

सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन पद्धतियों के अंतर्गत 'संपूर्ण बैंक आस्ति और देयता प्रबंधन', 'संपूर्ण बैंक नकदी और ब्याज दर जोखिम तनाव परीक्षण' और 'जमाराशियों' पर बैंक की नीतियाँ लागू की गई हैं, जिनकी हर वर्ष समीक्षा की जाती है। नकदी प्रबंध की आकस्मिक योजना के अंतर्गत आकस्मिक फंडिंग योजना (सीएफपी) लागू की गई है और इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

गैर-संविदागत आस्तियों और देयताओं के लेनदेन के रुझानों का आकलन करने के लिए समय-समय पर अध्ययन किए जाते हैं। इन अध्ययनों में ग्राहकों के लिए इसमें उपलब्ध विकल्पों, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजरों, संभावित ऋण हानियों के प्रभाव के और अन्य आकलन भी शामिल किए जाते हैं। इनसे प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट मदों के कारगर प्रबंधन के लिए किया जाता है।

उच्च गुणवत्ता वाली चल संपत्तियों (एचक्यूएलए) और जावक नकदी के स्तर की अत्यंत उतार-चढ़ाव वाले परिवेश में कारगर ढंग से दैनिक आधार पर एलसीआर की गणना करने के लिए निगरानी रखी जाती है।

बैंक ब्याज दरों में परिवर्तन से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए पूर्व परिभाषित सहन सीमा के साथ, शुद्ध ब्याज आमदनी कम होने की संभावना होने पर प्रबंधन को समुचित निवारक उपाय करने में सहायता करता है। आमदनी जोखिम (ईएआर) और ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव का आकलन करता है।

शाखाओं को स्थिर निधियाँ जुटाने और निधियों की लागत के आधार पर अपनी लाभप्रदता का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निधि अंतरण कीमत तय करने की व्यवस्था लागू की है।

आपके बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अन्य के साथ साथ ब्याज दर और तुलन पत्र की नकदी जोखिमों पर नजर रखने तथा उसे नियंत्रित रखने का कार्य करती है। यह अन्य बातों के साथ साथ ब्याज दर परिदृश्यों, देयता उत्पादों की वृद्धि के रुझान, ऋण वृद्धि, बाजार व्यवहार, नकदी प्रबंधन और नियामक निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा तथा मूल्यांकन भी करती है।

बैलेंस शीट बनाने में लचीलापन न होने की चुनौती और भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरों में परिवर्तन के अनुरूप बैंक की ब्याज दरों में तेजी से परिवर्तन करने की चुनौती से निपटने के लिए 1 मई 2019 से आपके बैंक ने ₹1 लाख से अधिक के शेष वाले बचत बैंक जमा खातों और अल्पावधि ऋणों (₹1 लाख से अधिक राशि के कैश क्रेडिट खातों और ओवरड्राफ्ट खातों) की अपनी ब्याज दरों को बाहरी बेंचमार्क के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रेपो दर से जोड़ने में पहल की है।

8. सदाचार एवं व्यवसाय आचरण

आपका बैंक वर्ष के दौरान संगठन में सदाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत रहा जिससे इसे कार्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुख्य आचरण नीति अधिकारी के नेतृत्व में एक विभाग बनाया गया है। बैंक का नया लक्ष्य, ध्येय एवं मूल्य कथन भी जारी किया गया है। बैंक ने अपने हितधारकों के प्रति अपनी वचनबद्धताओं अर्थात स्टेप्स के मूल्यों (सेवा, पारदर्शिता, शिष्टता, सदाचार एवं निरंतरता) के अनुरूप एक सदाचार संहिता जारी की है। यह संहिता बैंक के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक प्रयास करने के लिए स्टाफ सदस्यों को व्यावहरिक दिशानिर्देश एवं नैतिक दिशा प्रदान करती है। लक्ष्य, ध्येय एवं मूल्यों तथा इस संहिता के मूल भाव को संगठन व्यवस्था में रचाने-बसाने एवं मनोबल की दृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सदाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु कई प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसमें कार्य-परिस्थितियों पर आधारित क्विज का आयोजन प्रमुख है। यह क्विज दो तरह का होता है। (एक बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए दैनिक सामान्य क्विज और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स, विदेश स्थित कार्यालयों, जीआईटीसी, एमटी आदि के कर्मचारियों हेतु उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित नैतिक असमंजस पर)। सदाचारी निर्णय मार्गदर्शिका से उद्धरण प्रसारित करना। 'कॉफी विद एरिसटॉटल' नामक प्रेरक साप्ताहिक ब्लॉग और प्रत्येक

पखवाड़े में सदाचार शिक्षण आदि शामिल हैं। इसके अलावा संदेशवाहक, सुरक्षा गार्ड, मैनेजमेंट ट्रेनी से उप महाप्रबंधक स्तर के विभिन्न श्रेणी के स्टाफ हेतु सदाचार जागरूकता कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। इनमें वस्तुओं की खरीद संबंधी सदाचार पर कार्यशालाएं भी शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विचार व्यक्त करने संबंधी संशोधित आचार संहिता' भी जारी की गई है। बैंक में अनुशासन व्यवस्था और अधिक मानवोचित बनाने हेतु कई उपाय किए गए हैं।

आपके बैंक का मानना है कि सदाचार एक प्रकार से परिचालन कार्य में उत्कृष्टता लाने की कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विभाग संगठन में सभी वर्गों में सदाचार को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास करता रहेगा।

9. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

सामाजिक दायित्व का निर्वाह आपके बैंक की संस्कृति में बहुत पहले से शामिल रहा है। इस कारण आपका बैंक कंपनी अधिनियम में सीएसआर व्यवस्था किए जाने से बहुत पहले से ही सामाजिक कार्य करता आ रहा है। हमारा मानना है कि समाज के निर्धन एवं अल्पसुविधाप्राप्त सदस्यों के जीवन में निरंतर सामाजिक बदलाव लाना हमारा परम कर्तव्य है। भारतीय स्टेट बैंक जनसाधारण पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है, जो सबसे ज्यादा वंचित रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपका बैंक पिछले वर्ष शुद्ध लाभ में से 1% की सीएस आर गतिविधियों के खर्च के लिए अलग रखता है। बैंक की सीएसआर गतिविधियों का देश को कोने कोने में विस्तार हुआ है। इनसे अल्प-सुविधा प्राप्त और बहुत गरीब समुदायों के हजारों लोगों के जीवन में वास्तव में बदलाव आया है। हम दबे कुचले लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में परिवर्तन लाने के लिए कृतसंकल्प हैं।

हमारी प्रमुख सीएसआर गतिविधियाँ :

- स्वास्थ्य रक्षा में सहायता
- शिक्षा के लिए सहयोग
- कौशल विकास और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना
- पर्यावरण संरक्षण
- स्वच्छता

वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर पर खर्च

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा केरल बाढ़ राहत हेतु केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹5 करोड़ का दान दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा सीएसआर के तहत ₹1.24 करोड़ की राशि मुख्यतया स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता के लिए भी दान की गई है।

एसबीआई बाल कल्याण कोष: आपके बैंक ने वर्ष 1983 में एक ट्रस्ट के रूप में एसबीआई बाल कल्याण कोष बना दिया था। इसमें से अनाथ एवं निःसहाय, दिव्यांग आदि अल्प-सुविधा प्राप्त बच्चों के कल्याण से जुड़ी संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है। इस कोष में स्टाफ सदस्यों द्वारा जितना अंशदान किया जाता है, उतना ही अंशदान बैंक द्वारा भी किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक ने छह संस्थाओं जैसे भिन्न क्षमता वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा में लगी संस्थाओं, ग्राम विकास संस्था द्वारा संचालित पवन पब्लिक स्कूल, आमचा घर, कूचबिहार एनईएलसी स्कूल, अमा अधिकार और सहृदय हैल्थ, मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ये सभी समाज के वंचित बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं, को ₹0.49 करोड़ की राशि दान की।

अध्यक्ष, एसबीआई और प्रबंध-मंडल के अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा पहली इलेक्ट्रिक कार को एसबीआई के मुंबई स्थित कॉरपोरेट केंद्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

V. अनुषंगियाँ

संपूर्ण भारत में सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के मिशन के रूप में, स्टेट बैंक समूह अपनी विभिन्न अनुषंगियों के माध्यम से जीवन बीमा, मर्चेंट बैंकिंग, ट्रस्टी बिजनेस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, फैक्टरिंग, सिक्युरिटी ट्रेडिंग, पेंशन फंड प्रबंधन, अभिरक्षा सेवाएं, साधारण बीमा (गैर-जीवन बीमा) और मुद्रा बाजार में प्राथमिक डीलरशिप सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है।

गैर बैंकिग अनुषंगीयाँ:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनियों के नाम	स्वामित्व (एसबीआई का हित),	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2019 के लिए निवल लाभ (हानियां)
1	एसबीआई केपिटल मार्केट लि.(समेकित)	58.03	100.00	236.27
2	एसबीआई डीएचएफएल लि.	131.52	69.04	61.58
3	एसबीआई म्युचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	0.10	100.00	3.21
4	एसबीआई ग्लोबल फेक्टर्स लि.	137.79	86.18	5.35
5	एसबीआई पेंशन फंड प्रा.लि.	18.00	*60.00	1.89
6.	एसबीआई फाउंडेशन	3.99	99.72	0.16
7.	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेन्ट सोल्यूशंस प्राइवेट लि.	40.00	100.00	(12.00)

* एसबीआई पेंशन फंड प्रा.लि. में एसबीआई की समुह धारिता 100% है (एसबीआई 60%, एसबीआईएमएफ और एसबीआई केपिटल मार्केट लि. प्रत्येक की 20%)

गैर बैंकिग अनुषंगियाँ : संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़)

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनियों के नाम	स्वामित्व (एसबीआई का हित),	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2019 के लिए निवल लाभ (हानियां)
1	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	31.50	63.00	427.54
2	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	619.54	74 .00	788 .00
3	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	621.00	62.04	1327 .00
4	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	52.00	65 .00	34.45
5	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	151.00	70 .00	334 .00
6	एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.*	17.46	74 .00	78 .00
7.	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	4.50	74 .00	(48.84)

* जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. का नाम बदलकर एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. किया गया है।

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकैप)

(₹करोड़)

अनुषंगी कंपनियों के नाम	स्वामित्व (एसबीआई का हित),	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2019 के लिए निवल लाभ (हानियां)
एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज लिमिटेड (एस एस एल)	96.88	100.00	57.52
एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल)	49.98	100.00	0.52
एसबीआई कैप (यूके) लिमिटेड (एसयूएल)	1.72	100.00	(3.21)
एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड (एस एस जी एल)	61.78	100.00	(1.65)
एसबीआई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)	1.00	100.00	14.90

एसबीआईकैप भारत का एक अग्रणी निवेश बैंकर है, जो तीन उत्पाद समूहों - प्रोजेक्ट एड्वाइजरी एवं स्ट्रक्चर्ड फाइनैंस, ईक्विटी कैपिटल मार्केटस तथा डैट कैपिटल मार्केट्स के अलग-अलग ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की निवेश बैंकिंग एवं कॉरपोरेट सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इन सेवाओं में परियोजना परामर्श, ऋण समूहन, स्ट्रक्चर्ड डैट प्लेसमेंट, विलयन एवं अधिग्रहण, प्राइवेट इक्विटी, पुनःसंरचना परामर्श, दबावग्रस्त आस्तियां, समाधान, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इश्यू, डैट एवं हाईब्रीड कैपिटल जुटाना शामिल है। अकेले एसबीआई कैप्स ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान ₹242.60 करोड़ का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया गया जबकि वित्त वर्ष 2018 में ₹336.49 करोड़ का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया था वित्त वर्ष 2018 के दौरान ₹236.26 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में ₹168.19 करोड़ का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया। पूरे एसबीआई कैप समूह ने वर्ष 2018 ₹323.53 करोड़ के लाभ की तुलना में चालू वर्ष में ₹236.73 करोड़ का लाभ दर्ज किया। एसबीआई कैप्स ने वित्त वर्ष 2018 में 225% लाभांश घोषित किया था, जबकि वित्त वर्ष 2019 में कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया।

क. एसबीआई कैप सिक्युरिटीज़ लिमिटेड (एसएसएल)

एसएसएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो खुदरा एवं संस्थागत ग्राहकों को नकदी एवं फ्यूचर तथा ऑप्शन सेग्मेंट दोनों में इक्विटी ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करती है, तथा यह म्यूचुअल फंड, टैक्स फ्री बॉन्ड, गृह ऋण, ऑटो ऋण, ट्रैक्टर ऋण जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों की बिक्री एवं वितरण का कार्य भी करती है।

एसएसएल की 100 से अधिक शाखाएं हैं, जो खुदरा एवं संस्थागत ग्राहकों को डीमैट, ई-ब्रोकिंग, ई-आईपीओ एवं ई-एमएफ जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। वर्तमान में एसएसल के लगभग 15 लाख ग्राहक हैं। कंपनी को वित्त वर्ष 2018 में ₹357.56 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में ₹408.36 करोड़ की कुल आमदनी हुई।

ख. एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल)

एसवीएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। डीएफआईडी (अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग) ने 'नीव (एनईईवी) फंड' की स्थापना हेतु एसबीआई समूह से हाथ मिलाया है, जिसका प्रबंध एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा संभाला जा रहा है। एसवीएल, आस्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में काम कर रही है।

नीव फंड की आरंभिक समाप्ति 10 अप्रैल 2015 को हुई तथा इस निधि की 31 मार्च 2019 की आखिरी संग्रह राशि ₹504.20 करोड़ है। उक्त निधि का उपयोग भारत के 8 चयनित राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल) में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों जैसे अक्षय ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता, कृषि आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चैन) आदि में निवेश किया गया है।

ग. एसबीआईकैप (यूके) लिमिटेड (एसयूएल)

एसयूएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसयूएल अपने आपको यूके एवं यूरोप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के रिलेशनशिप आउटफिट के रूप में स्थापित कर रही है। एसबीआई कैप के बिजनेस प्रोडक्टस को मार्केट करने के लिए इसने विदेशी संस्थागत निवेशक को आईआई वित्तीय संस्थाओं प्रमुख लेखकों और अन्य के साथ संबंध विकसित किए हैं।

घ. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड (एसएसजीएल)

एसएसजीएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसएसजीएल ने दिसंबर 2012 में व्यवसाय आरंभ किया। एसबीआईकैप के व्यवसाय उत्पादों के विपणन हेतु एफआईआई, वित्तीय संस्थानों, लॉ फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाए हैं। इसे विदेशी मुद्रा बॉन्ड के विपणन तथा एसबीआईकैप सिक्युरिटीज़ के लिए ग्राहक लाने में विशेषज्ञता हासिल है।

ङ. एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल), एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसटीसीएल ने 01 अगस्त 2008 से सिक्युरिटी ट्रस्टी व्यवसाय आरंभ किया। एसटीसीएल ने वित्त वर्ष 2018 में ₹11.90 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में ₹14.90 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। एसटीसीएल ने ग्राहकों के लिए 'My Will Service Online' नाम से एक ऑनलाइन वसीयत करने की सेवा आरंभ की है। एसटीसीएल ने अपना 'Trustee Enterprise Management System' आरंभ किया है, यह एक एकीकृत प्रणाली है जो ट्रस्टी संबंधी सभी परिचालनों की देखरेख करती है तथा इस तरह यह पूरे भारत में ट्रस्टी संबंधी सभी परिचालनों के पूर्ण स्वचालन की पहली ट्रस्टी कंपनी है।

2. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (एसबीआई एफएचआई)

एस.बी.आई डी.एफ.एच.आई लिमिटेड अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ एस.बी.आई डी.एफ.एच.आई लिमिटेड सबसे बड़े स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों में से एक हैं। प्राथमिक डीलर (पीडी) होने के कारण, यह अनिवार्य है कि प्राथमिक नीलामों में पुस्तक निर्माण प्रक्रिया का समर्थन करे और सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजारों को गहराई और चलनिधि प्रदान करे। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा, यह मुद्रा बाजार साधनों, गैर सरकारी प्रतिभूति ऋण लिखतों पर भी सौदा करती है। पीडी के हैसियत में, इनके व्यापार कार्यकलापों को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जा रहा है।

कंपनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह का 72.17% हिस्सा है, जो 31 मार्च 2018 के ₹32.07 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹61.58 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कुल तुलन पत्र का आकार 31 मार्च 2018 के ₹5,659.46 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹ 7,206.09 करोड़ रहा।

3. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसपीएल)

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड भारतीय स्टेट बैंक एवं कार्लाइल ग्रुप का संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई का 74% हिस्सा है तथा सीए रोवर होल्डिंग्स (कार्लाइल का सहयोगी) का 26% हिस्सा है। एसबीआईसीपीएसएल एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है तथा भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने का व्यवसाय कर रही है। एसबीआई ने दिसंबर 2017 में वर्तमान पार्टनर जीई कैपिटल से शेयर खरीदकर कंपनी में अपना हिस्सा 60% से बढ़ाकर 74% कर लिया है।

वित्त वर्ष 2019 के दौरान कंपनी के कार्डों की कुल संख्या में वर्षानुवर्ष 32% वृद्धि हुई है जो 31 मार्च 2019 तक 82.71 लाख हो गई है। कार्ड पर खरीदारी वर्षानुवर्ष 35% बढ़कर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ₹107,350 करोड़ हो गई है। फरवरी 2019 की आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 17.2% खरीदारी शेयर एवं 17.4% कार्ड आधार (पिछले वर्ष नवंबर 17 की आरबीआई रिपोर्ट में 16.7% खरीदारी शेयर एवं 16.2 कार्ड आधार था) के साथ कंपनी #2 रैंक पर है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में वर्षानुवर्ष 36% वृद्धि के साथ ₹788 करोड़ का कर-पश्चात लाभ दिया है। (कर पश्चात लाभ वित्त वर्ष 2018 में अब तक ₹581 करोड़ था)।

वित्त वर्ष 2019 के दौरान नई शुरुआत:

- नए को-ब्रांडेड कार्ड 'अपोलो एसबीआई कार्ड' की शुरुआत की गई, जिसमें स्वास्थ्य एवं आरोग्य सेवाओं पर कई प्रकार के लाभ एवं सुविधाएं दी जा रही हैं।
- भारतीय चिकित्सा संघ के सहयोग से डॉक्टरों के लिए विशेष रूप से 'एसबीआई डॉक्टर्स कार्ड' आरंभ किया गया।
- एतिहाद गेस्ट एसबीआई कार्ड की बेहतरीन मूल्य पर पेशकश जिससे बारंबार विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव मिल सके
- एसएमई कार्ड पर अतुलनीय मूल्य की पेशकश लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) सेग्मेंट के लिए
- इलाहाबाद बैंक एसबीआई कार्ड, इलाहाबाद बैंक के ग्राहकों के लिए इलाहाबाद बैंक के साथ बैंकिंग को-ब्रांड

आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर के नए परिसर का शुभारंभ।

वित्त वर्ष 2019 के दौरान प्राप्त पुरस्कार:

- एसबीआई कार्ड को रिकॉर्ड 10वीं बार क्रेडिट कार्ड वर्ग में Reader's Digest Trusted Brand Award 2018 दिया गया।
- एसबीआई कार्ड को लगातार तीसरे वर्ष सिबिल की ओर से Best Data Quality Award प्रदान किया गया।
- एसबीआई कार्ड एम-गुरुकुल को LEARNX फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलिया द्वारा Best Learning, Performance & Capability Project - Sales Training category में रजत पुरस्कार दिया गया।
- एसबीआई कार्ड को coveted Compliance 10/10 awards में 'Excellent Compliance Performer Award 2018' प्रदान किया गया।
- एसबीआई कार्ड को लंदन, यूके में आयोजित Compliance Register Platinum में Best Arrangements - Governance & Compliance Awards 2018 प्रदान किया गया।
- एसबीआई कार्ड की ज्ञानार्जन एवं विकास टीम को गुरुग्राम में आयोजित Learning Innovator Award at the GP Strategies India, Learning Connect Event में पुरस्कार प्रदान किया गया।

आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर के नए परिसर का शुभारंभ।

4. एसबीआई बिजनेस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईबीपीएमएसएल)

(पूर्व में जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)

एसबीआईबीपीएमएसएल, भारतीय स्टेट बैंक एवं कार्लाइल ग्रुप का समूह उद्यम है, जिसमें एसबीआई की 74% हिस्सेदारी है तथा सीए रोवर होल्डिंग्स (कार्लाइल की सहयोगी) की 26% हिस्सेदारी है। एसबीआईबीपीएमएसएल, हमारी सहायक कंपनी एसबीआईसीपीएसएल को कार्यालयीन सेवाएं एवं समाधान उपलब्ध कराती है। एसबीआई ने दिसंबर 2017 में वर्तमान पार्टनर जीई कैपिटल से शेयर खरीदकर कंपनी में अपना हिस्सा 40% से बढ़ाकर 74% कर लिया है।

वित्त वर्ष 2019 के दौरान कंपनी ने वर्षानुवर्ष 15% की वृद्धि दर से (वित्त वर्ष 2018 के दौरान ₹68 करोड़ का कर-पश्चात लाभ) ₹78 करोड़ का कर-पश्चात लाभ अर्जित किया।

वित्त वर्ष 2019 के दौरान की गई पहल:

- विज़न प्लस का भारत को माइग्रेशन पूरा किया गया
- एक्सकैलिबर (कलेक्शन सीआरएम) फेज़-1 मार्च 19 से शुरू हुआ
- चैट बॉट 'इला' की शुरुआत की गई- 98% सफलता दर।

5. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ)

एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी परिबास कार्डिफ के बीच संयुक्त उद्यम है। इस कंपनी के ईक्विटी शेयर: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) एवं बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध किए गए हैं।

एसबीआई लाइफ के पास बहुविध संवितरण नेटवर्क है, जिसमें स्टेट बैंक सहित भारत का बड़ा बैंक एश्योरेंस भागीदार है, सहित व्यापक बैंक एश्योरेंस चैनल, 31 मार्च 2019 को 123,613 एजेन्टों वाला वैयक्तिक एजेंट नेटवर्क तथा सीधी बिक्री एवं कॉरपोरेट एजेन्टों, ब्रोकरों, बीमा विपणन संस्थाओं एवं अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं के जरिए बिक्री सहित अन्य संवितरण चैनल शामिल हैं।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने बीमा व्यापार को विस्तारित करने और व्यावहारिक एवं विवेकपूर्ण कार्यनीति के जरिए वैयक्तिक नियमित बिजनेस पर ध्यान देने, बिक्री दल द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा बनाए रखने के एकमात्र उद्देश्य से सुदृढ़ एवं स्थायी रीति से कार्य किया और स्थायी बाजार स्थिति बनाई। कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में निजी बीमा कंपनियों के बीच नए बिजनेस प्रीमियम में प्रथम स्थान पर रहते हुए यह साबित कर दिया कि वह बाजार में अग्रणी है।

वैयक्तिक व्यवसाय हमेशा से ही कंपनी की प्रमुख कार्यनीति का हिस्सा रहा है। 6% उद्योग वृद्धि दर की तुलना में वैयक्तिक नए बिजनेस प्रीमियम में कंपनी की 15% वृद्धि परिलक्षित हुई। 31 मार्च 2019 को सभी निजी बीमाकर्ताओं के बीच एसबीआई लाइफ: रिटेल नया व्यवसाय प्रीमियम का हिस्सा 20.6% रहा। वित्त वर्ष 2019 के लिए कंपनी का कुल नया व्यवसाय ₹13,792 करोड़ रहा, जो कि 26% अधिक है।

जारी की गई पॉलिसियों की संख्या के अनुसार निजी बीमाकर्ताओं के बीच कंपनी की स्थिति अग्रणी रही, वित्त वर्ष में जीवन बीमाकर्ताओं के बीच पूरे देश में व्यापक कवरेज एवं मजबूत बाजार स्वीकृति परिलक्षित होती है। इस अवधि में कुल 15,25,439 नई वैयक्तिक पॉलिसियाँ जारी की गईं और इसमें 7% की वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों के निष्पादन को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) लागू की।

एसबीआई लाइफ को 31 मार्च, 2019 को ₹1,327 करोड़ का कर पश्चात लाभ हुआ, जो कि वित्त वर्ष 2018 के ₹1,150 करोड़ की तुलना में 15% अधिक है। कंपनी के एयूएम में 31 मार्च, 2018 तक ₹1,16,261 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹1,41,024 करोड़ पर 21% की वृद्धि दर्ज हुई।

अपने 908 कार्यालय नेटवर्क के माध्यम से अपनी व्यापक पहुँच का उपयोग करते हुए, एसबीआई लाइफ ने व्यवस्थित ढंग से अपने व्यापक ग्रामीण नेटवर्क को बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराई।

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों एवं सम्मानों की सूची में निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

1. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एसबीआई लाइफ को इंश्योरेंस एशिया न्यूज अवार्ड्स फॉर एक्सिलेन्स 2018 के तहत लाइफ इंश्योरर ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार दिया गया।
2. वर्ष 2018 के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन हेतु गोल्डन पीकोक पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया।

3. 30 वे क्वालटेक पुरस्कार 2018 में सुधार एवं नवोन्मेषन की श्रेणी में एसबीआई लाइफ ने दूसरा रनर अप का पुरस्कार जीता।

4. जोखिम एवं बीमा प्रबंधन सोसाइटी (आरआईएमएस), संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा द आरआईएमएस इंडिया एंटरप्राइस रिस्क मेनेजमेंट (ईआरएम) अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन 2018 भी एसबीआई लाइफ को वर्ष 2018 में दिया गया।

5. बीमा श्रेणी के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए 'आईसीएआई-गोल्ड शील्ड' का पुरस्कार दिया गया।

6. ईटी समिट 2018 में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को स्मार्ट इंशोरर इन द लाइफ इंश्योरेंस का पुरस्कार दिया गया।

7. आउटलुक मनी रजत श्रेणी में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को 'लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2018' का पुरस्कार भी मिला।

8. दि इकोनामिक टाइम्स द्वारा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को 'द इकोनोमिक टाइम्स सर्वश्रेष्ठ ब्राण्ड्स 2019' का सन्मान प्राप्त हुआ।

9. एक्स्प्रेस्स कम्प्यूटर्स द्वारा 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' श्रेणी में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 'इंटेलिजेंट एंटरप्राइस' पुरस्कार जीता।

10. टीआईएसएस लीपवॉल्ट सीएलओ अवार्ड्स 2018 में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 'बेस्ट ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम' एवं 'चीफ लर्निंग ऑफिसर ऑफ द ईयर' के पुरस्कार जीते।

11. एमटीएम द्वारा एमआईसीई गतिविधियों में कर्मचारियों/सहयोगियों के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 'कॉरपोरेट स्टार अवार्ड' जीता।

6. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईएफएमपीएल)

एसबीआई एफएमपीएल, एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड की आस्ति प्रबंधन कंपनी है। 2018-19 में 6.20% के औद्योगिक औसत की तुलना में 30% से ज्यादा वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली एएमसी में से है। पिछले तीन सालों में, एसबीआईएफएम ने करीब 22% के औद्योगिक औसत की तुलना में 39% का सीएजीआर हासिल की है। क्यूएएयूएम के अनुसार, यह फंड साल के आरंभ में पाँचवें स्थान पर थी 2018-19 में दो स्थान का सुधार करते हुए तीसरे स्थान पर आ गई है। एसबीआईएफएम के पास 1210 रिटायरमेंट फंडों को मिलाकर 12 लाख प्रत्यक्ष निवेशकों और 47,000 से ज्यादा संस्थागत निवेशकों को मिलाकर 95 लाख से ज्यादा निवेशकों का सबसे बड़ा निवेशक आधार है। एसबीआईएफएम, देश का सबसे बड़ा ईटीएफ प्रबन्धक है।

भारतीय लेखा मानक (आईएनडीएएस) के तहत मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान अर्जित किए ₹335.82 करोड़ की तुलना में मार्च 2019 वर्ष की समाप्ती के दौरान ₹ 427.54 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। मार्च 2018 की तिमाही के दौरान 9.44% बाजार में हिस्सेदारी के साथ ₹2,17,649 करोड़ की औसतन प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों की तुलना में कंपनी के औसतन प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियाँ (एयूएम) मार्च 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान 11.59% बाजार में हिस्सेदारी के साथ ₹2,83,807 करोड़ थीं। इस कंपनी के पास एसबीआई फ़ंड प्रबंधन (अंतर्राष्ट्रीय) प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक पूरी स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी है जो मॉरीशस में स्थित है और आफ-शोर फंड का प्रबंधन करती है। एसबीआईएफएमपीएल पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (पीएमएस) और विकल्प निवेश फंड प्रदान करता है ।

7. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (एसबीआईजीएफएल)

एसबीआईजीएफएल घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रमुख फैक्टरिंग सेवाएं प्रदाता है। एसबीआई की इस कंपनी में 86.18% शेयरधारिता है। कंपनी की सेवाएं ऐसे एमएसएमई ग्राहकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं जो बही ऋणों में फंसे संसाधनों को मुक्त कराना चाहते हैं। फैक्टर्स चेन इंटरनेशनल (एफसीआई) का सदस्य होने के कारण कंपनी निर्यात प्राप्य से होने वाले क्रेडिट जोखिम को 2-फैक्टर मॉडल के तहत कम करने में सक्षम है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2018 में ₹2.08 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2019 में ₹9.47 करोड़ का करपूर्व लाभ (पीबीटी) रिपोर्ट किया है। गत वर्ष में ₹ 3.24 करोड़ की हानि के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹5.35 करोड़ है। वित्त वर्ष 2018 में ₹3,555 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2019 में 12 माह के दौरान ₹4,387 करोड़ टर्नओवर (अर्थात् 23% की बढ़ोतरी) रहा है। 31 मार्च 2018 को ₹1,276 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2019 के दौरान फंड इन यूज़ (एफआईयू) ₹1,374 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2019 में 12 माह के दौरान निर्यात फैक्टरिंग -2 फैक्टर मॉडल में टर्नओवर 54 मिलियन यूरो के बराबर है (गत वर्ष 59.15 मिलियन यूरो था)। वित्त वर्ष 2019 में 12 माह के दौरान भारतीय रुपये में निर्यात फैक्टरिंग का टर्नओवर ₹440 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹452 करोड़ था।

8. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईपीएफपीएल)

नैशनल पेंशन फंड सिस्टम (एनपीएस) के अंतर्गत पेंशन निधि के प्रबंध का कार्य एसबीआईपीएफपीएल तथा सात अन्य पेंशन फंड मैनेजरों (पीएफएम) को सौंपा गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा केंद्रीय सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के पेंशन फंडों के प्रबंध के लिए नियुक्त तीन पीएफएम में तथा प्राइवेट सैक्टर के पेंशन फंडों के लिए नियुक्त आठ पीएफएम में एसबीआईपीएफपीएल शामिल है। 31 मार्च 2018 को ₹89,283 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2019 को कंपनी की कुल प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) ₹1,21,959 करोड़ (साल-दर-साल 37% की संवृद्धि) थीं।

प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) के मामले में सरकारी तथा प्राइवेट सैक्टर पीएफएम के बीच कंपनी की अग्रणी स्थिति बनी हुई है। प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) में कंपनी का कुल मार्केट शेयर प्राइवेट सैक्टर में 59% तथा सरकारी सैक्टर में 35% था।

आउटलुक मनी ने वर्ष 2018 के दौरान पेंशन फंड मैनेजर श्रेणी में कंपनी को "सिल्वर अवार्ड" विजेता घोषित किया है। आउटलुक मनी से कंपनी को यह पुरस्कार लगातार चौथी बार प्राप्त हुआ है।

9. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआईजीआईसी)

एसबीआईजीआईसी, भारतीय स्टेट बैंक एवं आईएजी ऑस्ट्रेलिया के बीच का संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई की 70% हिस्सेदारी है। बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक में आपके बैंक द्वारा ₹10 प्रति शेयर के मूल्य वाले 86.2 लाख शेयरों की बिक्री अनुमोदित की गई जो अपनी सब्सिडरी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई जीआई) में अपनी 4% हितधारिता अर्थात ₹482 करोड़ के बराबर है। प्रस्तावित सौदे का मूल्य ₹12,000 करोड़ से अधिक है। यह सौदा नियामक के अनुमोदन के अधीन है।

कंपनी की प्रगति की आकांक्षा की आधारशिला, व्यवसाय उद्देश्यों को पूरा करने तथा लाभप्रदता बढ़ाने हेतु अन्य चैनलों एवं उत्पादों को विकसित करते हुए बैंक चैनल पर केंद्रित है। कंपनी ने अपने मोटर पोर्टफोलियो में वृद्धि हेतु चार बड़े कार निर्माताओं के साथ कार्यनीतिक टाई-अप किए हैं। वित्त वर्ष 2019 के लिए सकल लिखित प्रीमियम (जीडब्ल्यूपी) ₹4,717 है।

अपने नौ वर्षों के परिचालन में, एसबीआईजीआईसी ने ₹334 करोड़ का लाभ अर्जित किया। कंपनी ने 12.95% फसल सहित उद्योग वृद्धि की तुलना में वर्षानुवर्ष कुल लिखित प्रीमियम (जीडब्ल्यूपी) में 32.83% की वृद्धि दर्ज की जबकि अगर फसल को हटा दिया जाए तो एसबीआईजीआईसी ने वित्त वर्ष 2019 के लिए 12.6% की उद्योग की वृद्धि की तुलना में 12.4% की वृद्धि दर्ज की। एसबीआईजीआईसी ने अपना भौगोलिक विस्तार करते हुए पीएमएफबीवाई स्कीम्स में सहभागिता कर फसल बीमा में वित्त वर्ष 2019 में 115.6% की वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2019 में कंपनी का कुल मार्केट शेयर सभी साधारण बीमा कंपनियों के बीच 2.77% तथा निजी बीमा कंपनियों के बीच 5.77% है (एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर)। वित्त वर्ष 2019 में, बाजार में कंपनी का स्थान उद्योग के मामले में 13 वां तथा निजी प्लेयरों (स्टैंड अलोन हेल्थ इंशोरर को छोड़कर) में 8 वां रहा। एसबीआईजीआईसी का वित्त वर्ष 2019 में 'व्यक्तिगत दुर्घटना' के मामले में गैर-सरकारी बीमा कंपनियों और समग्र इंडस्ट्री दोनों में दूसरा स्थान है। कंपनी वित्त वर्ष 2019 में 'अग्नि दुर्घटना' बीमा क्षेत्र में गैर सरकारी बीमा कंपनियों में 3रे स्थान तथा इंडस्ट्री में 6ठे स्थान पर है। स्वास्थ्य व्यवसाय क्षेत्र में कंपनी का शेयर 13.3% से घटकर 10.9% रह गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2019 के लिए 8.6% की वृद्धि हुई है।

एसबीआई जनरल ने 'बेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी' और "जनरल इंश्योरेंस में सर्वश्रेष्ठ वृद्धि" अवार्ड प्राप्त किया। यह पुरस्कार इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बैंकॉक में आयोजित इमर्जिंग एशिया इंश्योरेंस अवार्ड्स 2018 समारोह में दिया गया। एसबीआई जनरल को "जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द इयर" की पदवी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कंपनी को इंडिया इंश्योरेंस सम्मिट एंड अवार्ड्स 2019 में दिया गया। यह सम्मिट भारत में सारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक बिजनेस सम्मिट होती है। एसबीआई जनरल ने आउटलुक मनी अवार्ड्स के 17वें संस्करण में गोल्ड श्रेणी में 'नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफ द इयर 2018 का अवार्ड भी जीता। एसबीआई जनरल न्यूजलेटर्स, 'नेटवर्क' और 'कनेक्ट' को 'ई-न्यूज़लैटर्स के लिए ईमेल मार्केटिंग अभियान में सर्वश्रेष्ठ विषयवस्तु के लिए' के लिए प्राप्त हुआ। यह सम्मान इन्कस्पैल मीडिया द्वारा आयोजित इंडिया कॉन्टेन्ट लीडरशिप कॉन्फ्रेन्स एंड अर्वाड्स् 2018 में दिया गया। कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी को सीआरओ लीडरशिप सम्मिट एंड अवाड्र्स 2019 के दूसरे संस्करण में 'सीआरओ ऑफ द इयर' अवार्ड दिया गया।

10. एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई-एसजी)

एसबीआई-एसजी भारतीय स्टेट बैंक और सोसाइटी जनरल के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसमें एसबीआई की हिस्सेदारी 65% है। कंपनी की स्थापना एसबीआई समूह द्वारा प्रस्तावित प्रमुख वित्तीय सेवाओं की श्रृंखला को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कस्टोडियल एवं फंड प्रशासन की पेशकश करने के लिए की गई थी। एसबीआई-एसजी ने 2010 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। 31 मार्च 2019 को कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹34.45 करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2018 को ₹26.03 करोड़ था। संचित लाभ ₹79.90 करोड़ है।

मार्च 2019 तक एसेट्स अंडर कस्टडी ₹5,40,919 करोड़ हो गई जबकि मार्च 2018 तक ₹4,65,231 करोड़ थीं। औसत एसेट्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन मार्च 2019 में ₹3,18,197 करोड़ था, जबकि मार्च 2018 में यह ₹2,53,867 करोड़ था।

एसबीआई-एसजी को वैश्विक कस्टोडियन पत्रिका के एजेंट बैंकों और उभरते बाजारों के सर्वेक्षण 2017 में भारत के प्रमुख संरक्षकों में से एक के रूप में दर्जा दिया गया है। एसबीआई-एसजी को वैश्विक निवेशक आईएसएफ-सब कस्टडी सर्वेक्षण में भारत में # 1 संरक्षक के रूप में दर्जा दिया गया है।

11. एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईआईएमएस)

एसबीआईआईएमएस आपके बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जिसका गठन 17 जून 2016 को किया गया। इस कंपनी ने तब से अपने कारोबार का विस्तार करते हुए 1 जुलाई 2018 को अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय वाले केंद्रों पर 17 मंडल इन्फ्रा कार्यालयों की स्थापना की है। इसका प्रधान कार्यालय रहेजा चैंबर, भूतल, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, मुंबई 400 021 में है। कंपनी पूरे भारत में अपने कारोबार को उत्तरोत्तर मजबूत करती जा रही है।

इस कंपनी का उद्देश्य सिविल, निर्माण, इलेक्ट्रिकल, फेसिलिटी मैनेजमेंट, परिसरों की लीजिंग आदि में अपनी विशेषीकृत सेवाएँ प्रदान करना है। इसका लक्ष्य एसबीआई के अधिकारियों को परिसर/सुविधा संबंधी मामलों के कार्य से मुक्ति दिलाना और विशेषीकृत सेवाएँ देकर उन्हें सहयोग करना है। यह कंपनी एसबीआई की लागत/श्रम शक्ति/समय/ऊर्जा की बचत करने में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है।

12. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (एसबीआईपीएसपीएल)

एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईपीएसपीएल) 12 फरवरी 2010 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित हुई थी। यह एसबीआई को मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस (एमएबी) करने में सहयोग दे रही थी। आधुनिकतम टेक्नोलोजी वाला प्लेटफॉर्म बनाने, डोमेन विशेषज्ञता विकसित करने, नए प्रोडक्ट्स के लिए इनोवेशन सेंटर बनाने, बेहतर ग्राहक सेवा और भविष्य के लिए तैयार रहने के उद्देश्य से एसबीआई द्वारा एसबीआईपीएसपीएल में विश्व स्तरीय ग्लोबल संस्थान को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

वर्ष के दौरान, एसबीआई ने मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस (एमएबी) एसबीआईपीएसपीएल को ट्रांस्फर कर दिया और हितैची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एचपीवाई), जो हितैची लिमिटेड, जापान की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को 26% हितधारिता के साथ अपना संयुक्त उद्यम भागीदार चुन लिया।

अध्यक्ष, एसबीआई और श्री मुकेश डी. अंबानी, अध्यक्ष, आर आई एल - एसबीआई और जिओ के बीच डिजिटल भागीदारी को और मजबूत करने के लिए आयोजित एमओयू हस्ताक्षर समारोह में।

भारत में डिजिटल पेमेंट्स का कारोबार तेज गति से बढ़ रहा है और एसबीआईपीएसपीएल अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के माध्यम से अग्रसर भारत के विकास को गति देने में कारगर सिद्ध हो रहा है। लेस कैश अर्थव्यवस्था बनाने के भारत सरकार के फोकस के अनुरूप एसबीआईपीएसपीएल का डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस इनफ्रास्ट्रक्चर देश के कोने कोने में फैला है। वर्ष के दौरान, एक मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस यानी मोपैड की शुरुआत की गई। इसके तहत किसी भी पॉस टर्मिनल पर कार्डों/भारत क्यूआर/यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा मुहैया कराई गई है।

31 मार्च 2019 को एसबीआईपीएसपीएल द्वारा 5.75 लाख पॉस टर्मिनल, 4.18 लाख भारत क्यूआर कोड और 6.31 लाख मर्चेंटों को भीम-आधार-एसबीआई से जोड़ा गया है और वित्त वर्ष 2019 के दौरान लगभग 54 करोड़ लेनदेन अपने पास लाए गए यानी वर्ष-दर-वर्ष 24% की वृद्धि दर्ज की गई। मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्टेंस टच प्वाइंट्स की संख्या 16.2 लाख के ऊपर जा पहुँची। एसबीआईपीएसपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें कर, मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति की राशि घटाने के पहले दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹14.19 करोड़ की आमदनी हुई।

एसबीआईपीएसपीएल द्वारा विभिन्न मर्चेंटों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं:

- डीसीसी-डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन
- ईएमआई (ईक्वल मंथली इन्स्टालमेंट)
- Cash@POS
- POS टर्मिनलों पर एनएफसी स्वीकार करना
- अमेरिकन एक्सप्रेस/डायनर्स/डीएफएस/जेसीबी/यूपीआई कार्ड स्वीकार करना
- इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन

एसबीआईपीएसपीएल प्रीमियम ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान उपलब्ध करा रही है। इसमें वह उनके टेक्नोलोजी प्लेटफॉर्मों के साथ जुड़कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जिन संस्थाओं के प्लेटफॉर्मों के साथ यह जुड़ी है, उनमें प्रमुख हैं- भारतीय रेल, साउथको (ओडिशा), एपीडीसीएल (असम पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.), गोवा - जीबीएसएस परियोजना (गोवा सरकार), साइबर ट्रेजरी (मध्य प्रदेश सरकार), आईजीआर (इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार), पुणे, नोयडा और नागपुर मेट्रो।

13. एसबीआई फाउंडेशन

एसबीआई एवं उसके सहयोगियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों से जुड़े कार्यों पर योजनाबद्ध तरीके से ध्यान केंद्रित करने के लिए कंपनी अधिनियम (2013) की धारा VIII कंपनी के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्ष 2015 में एसबीआई फाउंडेशन की स्थापना की गई।

एसबीआई फाउंडेशन का लक्ष्य वंचित एवं कमजोर समुदाय के सामाजिक-आर्थिक कल्याण की दिशा में काम करते हुए समाज से अर्जित संसाधनों में से कुछ राशि सामाजिक कार्यों में लगाना है। आपका बैंक पूरे देश में 'बैंकिंग से परे सेवा' उपलब्ध कराने की दृष्टि से जनसाधरण के जीवन को प्रभावित करने की दिशा में सक्रियता से कार्यरत है।

वर्तमान में एसबीआई फाउंडेशन किसी क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी भारतीयों की सेवा के लिए समावेशी विकास प्रतिमान सृजित करने की दृष्टि से तथा अग्रसर भारत को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वित्त वर्ष 2019 के लिए एसबीआई फाउंडेशन ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कुल ₹16.46 करोड़ व्यय किए हैं। बैंक के सहयोगियों से ₹16.66 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था।

फाउंडेशन ने निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत सीएसआर कार्य हाथ में लिए:

क. स्वास्थ्य सेवाएं

एसबीआई फाउंडेशन संयुक्त राष्ट्र के निरंतर विकास लक्ष्य (एसडीजी) में सकारात्मक रूप से योगदान के लिए प्रतिबद्ध है - लक्ष्य#3: अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु गुणवत्ता वाली मुफ्त एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हुए समाज के वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। स्वास्थ्य परिदृश्य को बेहतर बनाने की दिशा में योगदान करने के लिए, आपके बैंक द्वारा एसबीआई फाउंडेशन के माध्यम से निम्नलिखित सीएसआर परियोजनाओं में निरंतर सहयोग किया जा रहा है:

- **जीवन:** थेलेसीमिया रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एक पहल की गई जिसमें लगभग 20,000 लोगों की निःशुल्क जाँच की गई। परीक्षण किए गए लोगों में 5.9% इस रोग से ग्रसित पाए गए।
- **गिफ्ट होप, गिफ्ट लाइफ:** भारत में मृत लोगों के अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने की पहल। इसके लिए 24/7 एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन चलाई जा रही है, हेल्थकेयर प्रोफेशनल (डॉक्टर, नर्स एवं सर्जन आदि) को प्रशिक्षित किया गया एवं वर्ष के दौरान व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।
- **कैंसर केयर:** महिलाओं में स्तन, सर्वाइकल एवं मुख कैंसर की रोकथाम हेतु पहल करते हुए निःशुल्क बायप्सी, मेमोग्राफी एवं कॉल्पोस्कोपी जाँच की गईं।
- **दर्पण:** निःशुल्क जाँच करवाते हुए सिकल सेल अनीमिया की हानि को कम करने की पहल की गई।
- **अनुग्रह :** ग्रामीण निर्धन समुदाय के लिए उनके घर पर अस्पताल आधारित एवं रोगनाशक उपचार उपलब्ध कराने की पहल भी की गई।
- **उम्मीद:** फ्री मोबाइल वॉयस कॉल सेवा - एममित्र के प्रयोग द्वारा गर्भधारण से प्रसव तक सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु से एक वर्ष की आयु तक सुरक्षित बचपन हेतु महत्वपूर्ण निवारक जानकारी प्रदान करने की अभिनव पहल की गई।

ख. शिक्षा

वंचित वर्ग के विकास में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली और परखा हुआ तरीका है। किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने में इसे एक प्रभावी साधन के रूप में देखा जाता है। भारत में संसाधनों की कमी एवं मूलभूत ढाँचे का अभाव शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी बाधा हैं। एसबीआई फाउंडेशन संयुक्त राष्ट्र के निरंतर विकास लक्ष्य (एसडीजी) में सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है - लक्ष्य#4: गुणवत्तापरक शिक्षा। एसबीआई फाउंडेशन के माध्यम से आपके बैंक ने कई परियोजनाएं आरंभ की हैं।

पीपल स्कूल गोद लेने का कार्यक्रमः इस परियोजना के अंतर्गत, स्कूलों का संपूर्ण कायाकल्प करके सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं शिक्षण परिणाम में सुधार करने हेतु सरकारी-गैर सरकारी क्षेत्र की साझेदारी (पीपीपी) में एक मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है।

खेलवाड़ीः इस परियोजना के अंतर्गत, 20 खेलवाड़ी चलाई जा रही हैं जिनमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के अन्य पहलुओं जैसे व्यक्तित्व निर्माण, सृजनात्मक सोच आदि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है।

ग. पर्यावरण एवं संवहनीयता:

भारतीय स्टेट बैंक पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास और पतन से बचने और पर्यावरण की दीर्घकालिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के प्रति जवाबदेही आपके बैंक की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

कचरे से सोनाः शहर में कचरा निपटान व्यवस्था में लगे युवाओं के कौशल विकास एवं प्रोत्साहित करने तथा उनके जीवन निर्वाह के लिए छोटे व्यवसाय विकसित करने की एक पहल की गई है।

एसबीआई कार्बेटः गाँवों के लिए एक निरंतर कचरा निपटान व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में आसपास के स्कूलों एवं होटलों में जागरूकता फैलाने की एक नई पहल की गई है।

स्वच्छ बेलूर मठः एसबीआई फाउंडेशन द्वारा तीर्थ स्थल बेलूर मठ में नए श्रद्धालुओं के लिए 201 शौचालय बनाने हेतु रामकृष्ण मिशन को सहायता प्रदान की गई। इससे प्रत्येक वर्ष आने वाले 13 लाख श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। रामकृष्ण मिशन जहाँ प्रति दिन हजारों श्रद्धालू आते हैं, श्रद्धालुओं को साफ-सफाई की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एसबीआई फाउंडेशन ने इस परियोजना के लिए ₹1.67 करोड़ की राशि का अंशदान किया।

बीट द पोल्यूशन : "विश्व पृथ्वी दिवस" के अवसर पर भारतीत स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय, मुंबई द्वारा चैतन्य भूमि के पास दादर बीच पर "बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन"नाम से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग) के नेतृत्व में 125 से भी अधिक स्टाफ सदस्यों ने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और दादर बीच पर प्लास्टिक एवं अन्य कचरे की साफ-सफाई कर 2 ट्रैक्टर लोड का कचरा इकट्ठा किया।

बैंक के अध्यक्ष द्वारा स्वच्छ बेलूर मठ परियोजना के शिलालेख का अनावरण, कोलकाता मंडल।

प्लास्टिक मुक्त संगठन : संवहनीयता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने प्लास्टिक मुक्त होने की घोषणा की है। आपके बैंक की प्रमुख पहल माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान और वर्ष 2022 तक प्लास्टिक के इस्तेमाल को समाप्त करने की ओर देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अगले 12 महीनों में भारतीय स्टेट बैंक प्लास्टिक मुक्त होने के लिए चरणवार कदम उठाएगा। बैंक के सभी कार्यालयों और बैठकों में पेट वाटर बोतल के स्थान पर वाटर डिस्पेंसर लगाए जाएंगे। आपका बैंक प्लास्टिक फोल्डर के स्थान पर मानकीकृत कागज के फोल्डर का प्रयोग शुरू करेगा। साथ ही बैंक अपने कैंटीनों में सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी एवं कंटेनर के स्थान पर बयोडीग्रेडबल पदार्थों से बने वस्तुओं का प्रयोग करेगा।

घ. कला, संस्कृति, धरोहर एवं अन्य

भारत में कला, संस्कृति और धरोहर की समृद्ध विरासत है। आपका बैंक भारत की कला, संस्कृति और धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- स्वच्छ प्रतिष्ठित सीएसएमटी : संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण एवं 'स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों' पहल में योगदान के दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, आपके बैंक ने 'एसबीआई स्वच्छ प्रतिष्ठित सीएसटी' परियोजना आरंभ की है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल - छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में हेरिटेज बिल्डिंग के दक्षिण और पूर्व हिस्सों के संरक्षण एवं नवीनीकरण की एक पहल है।
- एसबीआई एकलव्यः आश्रम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मूलभूत खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल।

ङ प्रमुख कार्यक्रम

एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप कार्यक्रमः एसबीआई यूथ फॉर इंडिया (वाईएफआई) एक फेलोशिप कार्यक्रम है जिसका आरंभ, निधीयन एवं प्रबंधन एसबीआई फाउंडेशन, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स एवं एसबीआई जनरल इंश्योरेंश द्वारा किया जाता है। यह भारत के बेहतरीन युवा लोगों को ग्रामीण समुदायों के साथ हाथ मिलाने, उनके संघर्षों के साथ सहानुभूति रखते हुए उनके आकांक्षाओं से जुड़ने के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है।

इस पहल के तहत, एसबीआई फाउंडेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान में संलग्न प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी की है, जिससे फेलोशिप के लिए नामांकन करने वाले युवाओं को नवोन्मेषी परियोजनाओं की कल्पना करने एवं उसके मूर्त रूप देने के लिए तैनात किया जा सके। यूथ फॉर इंडिया के पास 254 उत्साही चेंजमेकर हैं, जिनमें से लगभग 70% फ़ेलोशिप के बाद क्षेत्र के विकास से जुड़े हैं।

दिव्यांग जनों के लिए उत्कृष्टता केंद्र:

अगर अधिकतर दिव्यांग लोगों को समान अवसर मिलें एवं पुनर्वास उपायों तक आसान पहुंच हो तो वे बेहतर गुणवत्ता के साथ जीवनयापन कर सकते हैं। दिव्यांग लोगों की क्षमताओं की पहचान में बढ़ोतरी हो रही है तथा उन्हें उनकी क्षमताओं के आधार पर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। उत्कृष्टता केंद्र की परिकल्पना ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीकृत सहायता केंद्र के लक्ष्य से की गई थी। उत्कृष्टता केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों की कौशल वृद्धि के माध्यम से सशक्त बनाने की ओर अग्रसर है जिससे महत्वपूर्ण एवं मापने योग्य सुधार किया जा सके। इसके द्वारा उनके संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक कार्य को अनुकूलतम बनाकर उन्हें अधिक संतोषजनक एवं उत्पादक जीवन हेतु सक्षम बनाया जा सकता है।

उत्कृष्टता केंद्र ने दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके प्रशिक्षकों के लिए 11 समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हिस्सा लिया। उत्कृष्टता केंद्र ने दिव्यांग कर्मचारियों के सशक्तीकरण एवं समावेशी भर्ती के लिए आपके बैंक सहित बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं विजया बैंक के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

उत्कृष्टता केंद्र ने अपनी स्वाभिमान परियोजना के अंतर्गत दिव्यांग लोगों हेतु रोजगार से संबद्ध कौशल विकास हेतु कौशल केंद्र खोले हैं। इस केंद्र के द्वारा सुनने की समस्या वाले बच्चों के कोच्लियर इंप्लांट लगाने हेतु 'श्रवण शक्ति' परियोजना आरंभ की गई है।

ग्राम सेवा:

गांवों के समग्र विकास हेतु, एसबीआई फाउंडेशन ने 10 ग्राम पंचायतों को गोद लिया है जिसमें भारत के 6 राज्यों के 50 गांव शामिल हैं। समेकित ग्राम विकास का लक्ष्य सभी को शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आजीविका विकास, ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण, कौशल विकास तथा गांवों में निवारक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना है। इस परियोजना से लगभग 11,000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रमुख कार्यक्रमों के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

- गांवों के लिए विशिष्ट सरकारी योजनाओं/सेवाओं को लिंक करना एवं बढ़ावा देना।
- डिजीटलीकरण पर जोर देना एवं ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- गांवों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना।
- पंचायत/गांवों को स्व-अभिशासन हेतु प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण संपत्ति सृजन एवं सामुदायिक विकास हेतु लोगों की भागीदारी के प्रयास के लिए माहौल बनाना।

एसबीआई फाउंडेशन को अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु इस वर्ष दो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

'योनो एसबीआई 20 अंडर ट्वंटी' अभियान के विजेता।

पुरस्कार का नाम	श्रेणी
स्काच सीएसआर अवार्ड्स	बेस्ट सीएसआर प्रैक्टीसेस (गोल्ड)-गिफ्ट होप, गिफ्ट लाइफ परियोजना के लिए
आईसीसी सोशल इंपैक्टस अवार्डस	एंपावरिंग रूरल पापुलेशन-ग्राम सेवा परियोजना के लिए

14.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

भारतीत स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में स्वामित्व प्रतिशत

35.00%	1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
35.00%	2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
35.00%	3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
35.00%	4. इलाकाई देहाती बैंक
35.00%	5. लांग्पी देहांगी ग्रामीण बैंक
40.37%	6. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
35.00%	7. मेघालय ग्रामीण बैंक
35.00%	8. मिज़ोरम ग्रामीण बैंक
35.00%	9. नागालैंड ग्रामीण बैंक
35.00%	10. पूर्वांचल बैंक
35.00%	11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
37.15%	12. उत्कल ग्रामीण बैंक
35.00%	13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
35.00%	14. वनांचल ग्रामीण बैंक
35.00%	15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
35.00%	16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
35.00%	17. कावेरी ग्रामीण बैंक

एसबीआई द्वारा प्रायोजित आरआरबी

हमारे देश की दो तिहाई आबादी ग्रामीण - भारत में निवास करती है, और यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए विशाल लेकिन कम पहुंच वाला क्षेत्र है। हमारे द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विशाल नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सुस्थापित है तथा उसके पास इस परिदृश्य से निपटने की पूरी संभावना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने विशाल खाता आधार एवं दशकों की अर्जित विश्वास सेवा परंपरा के कारण अन्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। इसमें ग्रामीण ग्राहकों के साथ उनकी निकटता बढ़ती जाती है।

- भारतीय स्टेट बैंक के 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो कि 17 विभिन्न राज्यों में कारोबार कर रहे हैं। इन आरआरबी की कुल 5647 शाखाएं हैं जो 215 जिलों (31 दिसंबर 2019 तक) में फैली हैं।
- मध्यांचल ग्रामीण बैंक (40.37%) एवं उत्कल ग्रामीण बैंक (37.15%) को छोड़कर 31.03.2019 को प्रत्येक आरआरबी में भारतीय स्टेट बैंक की 35% हिस्सेदारी है, जबकि भारत सरकार के पास 50% तथा बकाया 15% की हिस्सेदारी संबन्धित राज्य सरकार के पास है। यह भारत सरकार से आनुपातिक शेयर पूंजी देने में विलंब के कारण रहा।
- एसबीआई प्रायोजित आरआरबी भी देश में परिचालित वाणिज्यिक बैंकों के समान ही बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इन बैंकों ने बेहतरीन कार्यप्रणाली अपनाई है तथा अपने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों के ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की स्थिति में हैं।

वित्त वर्ष 2019 के व्यवसाय के उल्लेखनीय तथ्य:

- दिनांक 31.03.2019 को 17 आरआरबी की समग्र जमाराशियां एवं अग्रिम क्रमशः ₹103,258 करोड़ एवं ₹61,741 करोड़ थी।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगातार चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक परिवेश के बाद भी पिछले वर्ष की तुलना में 31.03.2019 तक बैंक के कारोबार में सुधार हुआ और जमाराशियों में 10.80% तथा अग्रिमों में 10.64% की वृद्धि हुई। पोर्टफोलियो को विविधीकृत करने की सुनियोजित कार्यनीति के तहत आरआरबी ने अपने होम लोन ऋण में 26% की वृद्धि की, जिससे यह पोर्टफोलियो '6599.00 करोड़ रहा।
- पेंशन के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के कारण, वित्त वर्ष 2019 के दौरान सभी आरआरबी ने मिलकर '113.81 करोड़ की हानि दर्ज की। आरआरबी ने 1846.75 करोड़ का कुल लाभ (कर एवं पेंशन प्रावधान से पूर्व) अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 88% अधिक है। परंतु पेंशन देयता के लिए '1811.76 करोड़ का प्रावधान किए जाने के कारण कर पश्चात निवल लाभ वित्त वर्ष 2018 के '584.03 करोड़ से घटकर '113.81 करोड़ रहा। बैंकों ने अपने प्रमुख बैंकिंग व्यवसाय पर केंद्रित रहकर शुल्क आय को बेहतर करके एवं परिचालन लागत पर नियंत्रण रखते हुए अपनी आय में सुधार किया।
- वर्तमान वित्त वर्ष में सभी आरआरबी का कुल मिलाकर सकल अनर्जक आस्ति अनुपात सुधरकर 6.92% हो गया है जबकि पिछले वर्ष यह 8.60% था। पिछले वित्त वर्ष में शुद्ध एनपीए 4.53% था जो अब 3.35% रह गया है।
- चालू वित्त वर्ष में प्रति कर्मचारी व्यवसाय में ₹7.48 करोड़ (31 मार्च 2019 तक) का सुधार हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष में ₹6.78 करोड़ था।

वित्त वर्ष 2019 की प्रमुख घटनाएं:

समीक्षाधीन वर्ष में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- जनवरी 2019 में, पंजाब राज्य में संचालित सभी आरआरबी के समामेलन संबंधी भारत सरकार के निर्देशानुसार बैंक की 35% हिस्सेदारी वाले 'मालवा ग्रामीण बैंक' का समामेलन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत की गई व्यवस्था के माध्यम से पंजाब ग्रामीण बैंक में कर दिया गया, जिसका प्रायोजक पंजाब नैशनल बैंक है। इससे हमारे द्वारा प्रायोजित आरआरबी की संख्या 18 से घटकर 17 रह गई।
- इसी प्रकार भारत सरकार ने हमारे दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा कावेरी ग्रामीणा बैंक एवं लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक का 1 अप्रैल 2019 से अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समामेलन करने की अधिसूचना जारी की है।
- वर्ष के आरंभ में 17 आरआरबी का शाखा नेटवर्क 5,620 था जो अब थोड़ा बढ़कर 5,647 शाखाएं हो गया है। असेट मैनेजमेंट हब्स (एएमएच) - केंद्रीकृत ऋण प्रक्रिया प्रणाली, का आरंभ किए जाने से आगामी वर्षों में वर्तमान शाखा नेटवर्क और कारगर ढ़ंग से काम करेगा।
- वित्त वर्ष में आरआरबी ने 168 असेट मैनेजमेंट हब्स (एएमएच) खोले हैं, जिससे गुणवत्ता वाले ऋण-प्रस्तावों की प्रोसेसिंग एवं मंजूरी में सहूलियत होगी, जिससे बैंक की आस्ति गुणवत्ता और बेहतर होगी।
- हैदराबाद में एक आरआरबी आईटी तकनीकी कक्ष स्थापित किया गया है। यह हब आरआरबी स्तर पर आईटी अपेक्षाओं/चुनौतियों से निपटने का एकल बिंदु 'समाधान केंद्र' होगा। कई आरआरबी के पास अपने सुस्थापित आईटी कक्ष हैं, जो विभिन्न आरआरबी के मध्य आईटी उत्पादों के मानकीकरण, विनिमय एवं सहयोगात्मक विकास में सहूलियत की दृष्टि से एक नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करेंगे।

अनुसूची V, भाग ख - प्रबंध मंडल विवेचन एवं विश्लेषण:

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम 2018 के अनुपालन में निम्नलिखित अनुपातों में 25% से अधिक परिवर्तन हुआ है, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:

(% में)	मार्च-18	मार्च-19	परिवर्तन (आधार अंक)	% परिवर्तन
शुद्ध लाभ मार्जिन	-2.47	0.31	278	+112.55
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	-3.78	0.48	426	+112.70

शुद्ध लाभ मार्जिन:

शुद्ध लाभ में वर्षानुवर्ष 113.17% (वित्त वर्ष 18 में ₹6,547 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 19 के दौरान ₹862 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि कुल आय में वर्षानुवर्ष केवल 5.49% (वित्त वर्ष 18 में ₹2,65,100 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 19 में ₹2,79,644 करोड़) की वृद्धि हुई।

शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ:

शुद्ध लाभ में वर्षानुवर्ष 113.17% (वित्त वर्ष 18 में ₹6,547 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 19 के दौरान ₹862 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि बैंक की शुद्ध मालियत में वर्षानुवर्ष मात्र 0.77% (वित्त वर्ष 18 में ₹1,77,191 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 19 में ₹1,78,552 करोड़) की वृद्धि हुई।

VI. उत्तरदायित्व वक्तव्य:

निदेशक बोर्ड एतद्द्वारा सूचित करता है कि :

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ii. उन्होंने ऐसी लेखा-नीतियों का चयन एवं उनका सुसंगत प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2019 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक की लाभ और हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत हैं;

iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है;

v. बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; और

vi. सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार की गई है तथा ऐसी प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

VII. आभार

वर्ष के दौरान, श्री बी. वेणुगोपाल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (ग) के तहत 7 जून 2018 से शेयरधारकों के निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए।

श्री अरिजित बसु दिनांक 25 जून 2018 से बोर्ड के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए और श्री बी. श्रीराम ने 29 जून 2018 से बैंक से त्यागपत्र दिया। श्रीमती अंशुला कान्त को 7 सितंबर 2018 से प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।

डॉ गिरीश आहूजा एवं डॉ पुष्पेंद्र राय को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (घ) के तहत भारत सरकार द्वारा 6 फरवरी 2019 से निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया।

निदेशक बोर्ड ने पदमुक्त हुए प्रबंध निदेशक श्री बी. श्रीराम द्वारा बोर्ड की चर्चाओं में दिए गए योगदान की सराहना की है। निदेशकों ने नए प्रबंध निदेशक श्री अरिजित बसु और श्रीमती अंशुला कान्त तथा निदेशक श्री बी. वेणुगोपाल का बोर्ड में स्वागत किया।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं विनियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।

निदेशकों ने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंक और वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाज़ारों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और बैंक के कर्मचारियों के समर्पण भाव एवं प्रतिबद्धता की उन्होंने सराहना की है।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से

अध्यक्ष

दिनांक : 10 मई 2019

कॉरपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि उपयुक्त कॉरपोरेट अभिशासन विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन तक ही सीमित नहीं है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है, जिससे बैंक व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि करना।
- अन्य सभी हितधारकों, जैसे ग्राहक, कर्मचारी तथा समग्र समाज के हितों की रक्षा करना।
- संवाद में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को पूरी, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- निष्पादन तथा ग्राहक सेवा के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- उच्चतम स्तर का कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय एवं संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करे और बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टतः प्रलेखित पारदर्शी-प्रबंधन-प्रणालियां स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 और सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ संशोधन विनियम 2018 के अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल वे मामले अपवाद हैं, जहाँ इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कॉरपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड: भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955) से हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की संपूर्ण निगरानी करना;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना,और
- बैंक के हितधारकों के लाभ में अधिकाधिक वृद्धि करना।

केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। दिनांक 31 मार्च 2019 को बोर्ड में नौ अन्य निदेशक थे, जो प्रौद्योगिकी, लेखा-शास्त्र, वित्त, अर्थशास्त्र तथा अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। दिनांक 31 मार्च 2019 को केंद्रीय बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

- धारा 19 (क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष,
- धारा 19 (ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चार प्रबंध निदेशक,
- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक,
- धारा 19 (ङ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी), और
- धारा 19 (च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी)।

निदेशक मंडल का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रक्टीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है। विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की पंद्रह बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 15

बैठकों की तारीखें : 25.04.2018, 22.05.2018, 28.06.2018, 03.07.2018, 25.07.2018, 10.08.2018, 19.09.2018, 22.10.2018, 05.11.2018, 14.11.2018, 26.12.2018, 22.01.2019, 01.02.2019, 06.03.2019, 22.03.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष	15	15
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी (29.06.2018 तक)	03	03
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी	15	15
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस	15	14
श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी (25.06.2018 से)	13	12
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी, एसएआरसी (07.09.2018 से)	09	09
श्री संजीव मल्होत्रा	15	11
श्री भास्कर प्रामाणिक	15	13
श्री बसंत सेठ	15	14
श्री बी. वेणुगोपाल (07.06.2018 से)	13	05
डॉ. गिरीश के. आहूजा	15	06
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	15	13
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	15	12
श्री राजीव कुमार	15	01
श्री चन्दन सिन्हा	15	14

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है -

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 52

क्र. सं.	निदेशक	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1	श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष	52	52
2.	श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी (29.06.2018 तक)	13	09
3.	श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी	52	48
4.	श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस	52	49
5.	श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी (25.06.2018 से)	40	38
6.	श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरसी (07.09.2018 से)	29	26
7	श्री संजीव मल्होत्रा	52	35
8	श्री बी. वेणुगोपाल (07.06.2018 से)	42	22
9	श्री चन्दन सिन्हा	52	29
निदेशकगण, जो सामान्यतः वहाँ के निवासी नहीं हैं, जिस स्थान पर बैठकें हुई, परंतु बैठक के दिन उस स्थान पर उपस्थित थे, जहाँ बैठक हुई।			
10	श्री भास्कर प्रामाणिक	36	36
11	श्री बसंत सेठ	20	20
12	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	24	24
13	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	23	23

बोर्ड स्तरीय अन्य समितियाँ:

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय अन्य ग्यारह समितियाँ गठित की हैं। ये हैं: लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति, बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति, वसूली निगरानी के लिए बोर्ड की समिति और इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति एवं बोर्ड की नामांकन समिति। ये समितियाँ बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं जिनमें प्रमुख क्षेत्र हैं लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की निगरानी और इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा तथा निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु नामांकन करने वाले अभ्यर्थियों के उपयुक्त होने की स्थिति। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की बैठकें जब कभी भी आवश्यक हो, आयोजित की जाती हैं। अन्य समितियों की बैठकें केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा कैलेन्डर के अनुसार समय समय पर, सामान्यतया तिमाही अंतराल पर नीतिगत मामलों और/या क्षेत्र-विशेष के निष्पादन की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं। इन समितियों द्वारा बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु नामांकन दर्ज करने वाले अभ्यर्थियों के उपयुक्त होने की स्थिति का पता लगाने के लिए नामांकन समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्य-विवरण और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 19 सितंबर 2018 को किया गया था। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 और सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ संशोधन विनियम 2018 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है, जहाँ तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/विनिर्देशों का उल्लंघन न हो।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

क. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई से है। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा भी करती है।

ख. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है, ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

ग. यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एव अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर भी विशेष ध्यान देती है:

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र;
- सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 का अनुपालन;

घ. यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

ङ. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और लांग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' निर्धारित किया गया है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 18 दिसंबर 2014 को इसमें संशोधन किया गया था।

संरचना एवं वर्ष 2018-19 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में 31.03.2019 को आठ सदस्य हैं, जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की ग्यारह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 11

बैठकों की तिथियाँ : 18.04.2018, 21.05.2018, 06.06.2018, 11.07.2018, 09.08.2018, 12.09.2018, 17.10.2018, 05.11.2018, 12.12.2018, 31.01.2019, 07.03.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
डॉ. गिरीश आहूजा, समिति के अध्यक्ष	11	08
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी (29.06.2018 तक)	03	03
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडबी (25.07.2018 से)	08	08
श्री दिनेश कुमार खारा,एमडी-जीबीएंडएस(18.09.2018 तक)	06	06
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरसी (19.09.2018 से)	05	05
श्री भास्कर प्रामाणिक	11	08
श्री बसंत सेठ	11	10
श्री बी. वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	07	04
श्री राजीव कुमार	11	00
श्री चन्दन सिन्हा	11	10

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम के लिए समन्वित जोखिम प्रबंधन नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें सात सदस्य हैं। गैर-कार्यकारी निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष में न्यूनतम चार और प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होती है। वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 6

बैठकों की तारीखें : 14.06.2018, 26.09.2018, 10.10.2018, 19.12.2018, 04.01.2019 और 22.03.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री संजीव मल्होत्रा-समिति के अध्यक्ष	06	06
श्री बी. श्रीराम, एमडी-सीएंडजीबी, सदस्य (29.06.2018 तक)	01	01
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी-आरएंडबी (25.07.2018 से)	05	05
श्री दिनेश कुमार खारा,एमडी-जीबीएंडएस (18.09.2018 तक)	01	01
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरसी (19.09.2018 से)	05	05
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	06	06
श्री भास्कर प्रामाणिक	06	04
श्री बसंत सेठ	06	04
श्री बी. वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	05	01

हितधारक संबंध समिति

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों के शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बॉन्डों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु हितधारक संबंध समिति (जो पहले बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) के नाम से जानी जाती थी का गठन 30 जनवरी 2001) को किया गया था। यह समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें सात सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की वर्ष 2018-19 के दौरान चार बैठकें हुईं, जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख : 13.04.2018, 18.07.2018, 10.10.2018 और 11.01.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
डॉ. पुष्पेन्द्र राय - समिति के अध्यक्ष	04	04
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी	04	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (18.09.2018 तक)	02	02
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक)	01	01
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरसी (19.09.2018 से)	02	02
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
डॉ. गिरीश के. आहूजा	04	01
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	04	04
श्री बी. वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	02	01

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान)	445
शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप समाधान न हुआ हो ऐसी शिकायतों की संख्या	निरंक
लंबित शिकायतों की संख्या:(न्यायालय के विचाराधीन शिकायतें)	निरंक
अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम	श्री संजय अभ्यंकर, उपाध्यक्ष अनुपालन (कंपनी सचिव)

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था।

इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का प्रयोजन है - प्रणालीगत खामियों (हों तो) तथा धोखाधड़ी के मामलों का और ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय शुरू कराना। इस समिति को पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित किया गया था। इसमें आठ सदस्य हैं। एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान एससीबीएमएफ की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख : 16.05.2018, 16.08.2018, 31.10.2018 और 23.01.2019

निदेशक का नाम	*नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	*उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री बसंत सेठ, समिति के अध्यक्ष	04	04
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी	04	04
श्री दिनेश कुमार खारा,एमडी-जीबीएंडएस (18.09.2018 तक)	02	02
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरसी (19.09.2018 से)	02	02
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री भास्कर प्रामाणिक	04	03
श्री बी. वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	03	01
डॉ. गिरीश के. आहूजा	04	00
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था। बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर उत्तरोत्तर सुधार लाना इसका उद्देश्य है। यह समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें आठ सदस्य हैं। एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 10.05.2018, 29.08.2018, 28.11.2018, 13.02.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
डॉ. पुष्पेन्द्र राय, समिति के अध्यक्ष	04	04
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी-आरएंडडीबी	04	03
श्री बी. श्रीराम, एमडी-सीएंडजीबी (29.06.2018 तक)	01	00
श्री दिनेश कुमार खारा,एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी (25.07.2018 से)	03	03
श्री संजीव मल्होत्रा	04	02
श्री भास्कर प्रामाणिक	04	04
श्री बसंत सेठ	04	04
डॉ. गिरीश आहूजा	04	01
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	04	03

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया था। दिनांक 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति कर दिया गया है। समिति की बैंक के प्रौद्योगिकीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

1) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया अपनाई है;

2) यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा की पूरक है;

3) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश के जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन है और बजट स्वीकार्य हैं;

4) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों की प्रबंधन द्वारा की जाने वाली निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जाने वाली कुल राशि की निगरानी करना; और

5) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली प्रगति और व्यवसाय संवर्धन में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान (अर्थात वचनबद्धता के अनुसार प्रदर्शन) की समीक्षा करना।

यह समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें सात सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की पाँच बैठकें हुईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 5

बैठकों की तिथियाँ : 30.05.2018, 23.08.2018, 20.11.2018, 20.02.2019 और 27.03.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री भास्कर प्रामाणिक, समिति के अध्यक्ष	05	05
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी (29. 06.2018 तक)	01	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (18.09.2018 तक)	02	02
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी (25.07.2018 से)	04	04
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी, एसएआरसी (19.09.2018 से)	03	02
श्री संजीव मल्होत्रा	05	01
श्री बी वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	04	01
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय	05	05
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	05	03

बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2014 को बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया था। समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई। इसमें सात सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की सीएसआरसी बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख : 13.04.2018, 18.07.2018, 10.10.2018 और 11.01.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी, समिति के अध्यक्ष	04	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - जीबीएंडएस	04	04
श्री अरिजित बसु, एमडी - सीसीजीएंडआईटी (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री भास्कर प्रामाणिक	04	03
श्री बसंत सेठ	04	02
श्री बी वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	02	01
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	04	04

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 19 सितंबर 2018 को किया गया था। इस समिति में चार सदस्य हैं जिनमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो गैर कार्यपालक निदेशक - श्री बसंत सेठ और डॉ गिरीश के अहूजा शामिल हैं। यह समिति पूर्णकालिक निदेशकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की संवीक्षा कर उसका भुगतान करने की संस्तुति करती है।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार की सलाह पर 20 दिसंबर 2012 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई थी। समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी। समिति में छह सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामिती निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की चार बैठकें हुईं, जिनमें एनपीए प्रबंधन और बैंक की बड़ी राशि के एनपीए खातों की समीक्षा की गई।

इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति

इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया गया था। प्रबंध निदेशक-एसएआरसी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और कोई दो अन्य स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य होते हैं।

इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए गठित समिति (एक ऐसी समिति, जिसमें उप प्रबंध निदेशक और बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणी का बयान की पड़ताल और बयान को दर्ज करती है) के आदेश की समीक्षा करके आदेश को अंतिम समझे जाने के बारे में पुष्टि करती है।

इस समिति की बैठक वर्ष 2018-19 के दौरान सात बार हुई।

बोर्ड की नामांकन समिति:

शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का निर्णय करने के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक, जब-जब भी आवश्यक हो, तीन स्वतंत्र निदेशकों की एक नामांकन समिति गठित करता है। नामांकन समिति दिनांक 6 जून 2018 को आयोजित अपनी बैठक में श्री बी वेणुगोपाल को बैंक के शेयरधारक निदेशक नामित किया। समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी।

स्थानीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार जहाँ बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) हो, ऐसे प्रत्येक केन्द्र में स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्यों और विवेकाधिकारों का उपयोग करते हैं। दिनांक 31 मार्च 2019 को तीन स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और शेष तेरह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्य-विवरण और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक-शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया जाने वाला बैठक-शुल्क भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के अनुरूप है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु बैठक-शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। दिनांक 18 जनवरी 2019 से केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए 40,000 रुपए का और बोर्ड स्तरीय अन्य समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए 20,000 रुपए तथा इन बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए 5,000 रूपए का बैठक-शुल्क दिया जाता है, किंतु बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को बैठक-शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान किए गए बैठक-शुल्क का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलगनक -V में दी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियां

1. बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धरा 19 (ग) के अंतर्गत एक शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति हेतु निदेशक के चयन को जून 2018 में सफलतापूर्वक पूरा किया। वर्ष के दौरान नए निर्वाचित निदेशकों के लिए ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ साथ संगठनात्मक संरचना, बैंक के विभिन्न व्यवसाय समूहों एवं सहयोगी तथा अनुषंगियों, आईटी विकास, आईटी सुरक्षा, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण आदि शामिल था।

2. बोर्ड की परफॉरमेंस का मूल्यांकन: बोर्ड गवर्नेंस को निरंतर बेहतर बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक द्वारा एक प्रतिष्ठित परामर्शदाता संगठन की सेवाएं ली गईं। इस संगठन ने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तरीय समितियों और पूरे केंद्रीय बोर्ड की परफॉरमेंस के पैरामीटर निर्धारित करने में सहायता देने के साथ साथ समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने में भी सहायता की। मूल्याकंन के पैरामीटर और समग्र प्रक्रिया सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 तथा नए सेबी बोर्ड मूल्यांकन दिशानिर्देश नोट 2017 के प्रावधानों के अनुरूप ही थी। केंद्रीय बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशकों, अध्यक्ष और पूरे केंद्रीय बोर्ड की परफॉरमेंस का मूल्यांकन केंद्रीय बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की 24 मार्च 2019 को अलग से आयोजित बैठक में किया गया।

   मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत बैंक के गवर्नेंस मूल्यों में निदेशक बोर्ड के विश्वास को दोहराया गया और निदेशक बोर्ड तथा अध्यक्ष, बोर्ड एवं मैनेजमेंट के बीच मौजूदा सहयोग में भी भरोसा व्यक्त किया गया।

3. बैंकों के बोर्डों से गवर्नेंस के बारे में उत्तरोत्तर की जा रही भिन्न भिन्न प्रकार की अपेक्षाओं और हमारे बैंक की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका को देखते हुए उद्योग की नवीनतम प्रवृत्ति से कदम मिलाकर चलते हुए आगे की राह निर्धारित करने के लिए ज्ञान सत्र और कार्यनीतिक कार्यशाला 25 एवं 26 फरवरी 2019 को बोर्ड के सदस्यों एवं बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए मुंबई में आयोजित की गई।

इस कार्यशाला में अवसर एवं उद्देश्य-एक नेतृत्व प्रश्न, दिवालिया संहिता- एक रूपांतरकारी परिवर्तन-मामले एवं चुनौतियाँ, साइबर सुरक्षा-वक्र के आगे रहने के लिए आयाम एवं कार्यनीतियाँ विकसित करना, विश्लेषण के जरिए डाटा उन्मुख संगठन-प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखना तथा व्यवसाय संवृद्धि के लिए भावी मार्ग जैसे विषयों पर कई प्रकार के मस्तिष्क मंथन सत्र आयोजित किए गए। बोर्ड के सदस्यों ने बैंक के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

निदेशकों को कॉरपोरेट गवर्नेंस, ऋण सुपुर्दगी, सूचना सुरक्षा आदि के कार्य में बेहतर समझ विकसित करने के प्रयास में बैंक द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की गईं:

i. दो गैर-कार्यपालक निदेशकों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए 18 जून 2018 को मुंबई में उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गैर-कार्यपालक निदेशकों को ऋण मूल्यांकन, वित्तीय अनुपात एवं संकेतक तथा परियोजना एवं आधारिक संरचना वित्तपोषण, रिटेल वित्तपोषण में जोखिम निर्धारण संबंधी विषयों के बारे में सुग्राही बनाना था।

ii. इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा पर आईडीआरबीटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गैर-कार्यपालक निदेशकों ने हिस्सा लिया। बैंक की साइबर सुरक्षा कार्यनीति की आयोजना बनाने और उसे लागू करने में प्रबंधन को अपना योगदान देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा।

iii. कॉरपोरेट गवर्नेंस को सशक्त करने लिए बैंक द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के तहत कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं मीडिया प्रबंधन पर दिनांक 3 दिसंबर 2018 को स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र, कोलकाता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दो गैर-कार्यपालक निदेशकों ने हिस्सा लिया।

समय समय पर उभरने वाले प्रमुख चुनौतियों पर विषय के प्रमुख विशेषज्ञों से बातचीत करने की प्रथा के अनुरूप, आईएलएंडएफएस दबाव एवं निधियों पर प्रतिमोचन दबाव की पृष्ठभूमि के आलोक में म्यूचुअल फंड उद्योग के असर पर एक प्रस्तुति 17 अक्तूबर 2018 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) बैठक में एसबीआई फंडस मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य निवेश अधिकारी द्वारा की गई।

बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रिसिल द्वारा 4 जनवरी 2019 को आयोजित बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में "एवॉल्विंग लैंडस्केप एंड की इंपरेटिव्स-एनबीएफसी" पर प्रस्तुति दी गई।

फोरेंसिक लेखापरीक्षा करने वाली प्रमुख संस्थाओं के साथ 29 अगस्त 2018 को वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मेसर्स डिलाइट टच, मेसर्स ग्रांट थोर्नटन, मेसर्स एर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी, मेसर्स केपीएमजी तथा मेसर्स चोक्सी एंड चोक्सी एलएलपी ने हिस्सा लिया। धोखाधड़ियों की पहचान एवं तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने में इन संस्थाओं का बेहतर उपयोग करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा।

वित्त वर्ष 2018-19 में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान (₹)

नाम	पीएफ नंबर	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	बकाया		अन्य	कुल
				2016-17	2017-18		
अध्यक्ष							
श्री रजनीश कुमार	7619901	27,00,000.00	2,49,750.00	0.00	0.00	4,000.00	29,53,750.00
प्रबंध निदेशकगण							
श्री बी. श्रीराम (29.06.2018 तक)	7614144	6,73,200.00	47,374.00	0.00	74,639.00	0.00	7,95,213.00
श्री पी. के. गुप्ता	7619715	26,14,800.00	2,41,869.00	19,344.00	1,10,853.00	0.00	29,86,866.00
श्री दिनेश कुमार खारा	8702764	25,39,200.00	2,34,876.00	0.00	32,226.00	0.00	28,06,302.00
श्री अरिजित बसु (25.06.2018 से)	7847890	18,89,680.00	1,87,735.60	0.00	0.00	0.00	20,77,415.60
श्रीमती अंशुला कान्त (07.09.2018 से)	7848420	13,96,720.00	1,44,190.80	0.00	0.00	0.00	15,40,910.80

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

दिनांक 28 जून 2018 को आयोजित वर्ष 2017-18 की वार्षिक महासभा में 8 निदेशक उपस्थित रहे। ये हैं श्री रजनीश कुमार, श्री पी. के. गुप्ता, श्री दिनेश कुमार खारा, श्री अरिजित बसु, श्री बसंत सेठ, डॉ. पुष्पेन्द्र राय और डॉ. पूर्णिमा गुप्ता। वर्ष 2016-17 की वार्षिक महासभा 27 जून 2017 और वर्ष 2015-16 की वार्षिक महासभा 30 जून 2016 को आयोजित हुई थी। एसबीआई अधिनियम और एसबीआई सामान्य विनियम 1955 पोस्टल बॅलेट सुविधा नहीं उपलब्ध कराता है।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों या संबंधियों आदि से ऐसा कोई वस्तुतः महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है, जो वृहत् रूप में बैंक के हितों के विरुद्ध जाता हो।

2. बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक या पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन किया है। पिछले तीन वर्षों में इनके द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड या अवक्षेप नहीं लगाया गया है।

3. बैंक की विसल ब्लोअर नीति सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और विसल ब्लोअर के हितों की रक्षा के मामले में भारत सरकार के मानदंडों के आधार पर है। कर्मचारियों द्वारा सेवा-नियमों के विरुद्ध किए जा रहे किसी भी अनैतिक कार्य या व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए विसल ब्लोअर नीति तैयार की गई है और उसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। यह नीति बैंक के सभी स्टाफ के लिए आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था के रूप में उपलब्ध है। वे चाहें तो बैंक में अपने सहकर्मियों, वरिष्ठों/वरीय किसी अनैतिक, भ्रष्ट आचरण का पर्दाफाश करने के लिए विसल ब्लोअर की भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। पर, ग्राहकों द्वारा की जाने वाली पीआईडीपीआई शिकायत का निपटान भारत सरकार के वर्ष 2004 के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को इन शिकायतों के निपटान के संबंध में नामित किया गया है।

4. संबद्ध पक्ष लेनदेन के महत्व संबंधी नीति और महत्वपूर्ण अनुषंगी निर्धारण नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in / bank.sbi पर कॉरपोरेट अभिशासन नीतियाँ लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

5. बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (b) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में दी गई कारपोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाओं का हर प्रकार से पालन उस सीमा तक किया है जहाँ तक इस खंड की आवश्यकताएँ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के विरुद्ध न हों।

संप्रेषण के साधन

बैंक की दृढ़ मान्यता है कि बैंक की गतिविधियों, निष्पादन और उत्पादों में की गई पहल संबंधी पूरी जानकारी तक सभी हितधारकों की पहुँच होनी चाहिए। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के वार्षिक, छमाही और तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in और bank.sbi पर भी प्रदर्शित किए गए थे। पूरी वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है, जिन्होंने बैंक अथवा डिपाजिटरियों के साथ अपने ई-मेल पते का पंजीकरण किया हो तथा अन्य शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों का विवरण भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रति वर्ष वार्षिक और छमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति और मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा	दिनांक 20.06.2019, समय 3.00 बजे स्थानः स्टेट बैंक सभागृह, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-400 021.
वित्तीय कैलेंडर	01.04.2018 से 31.03.2019
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है	बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई और जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीकृत हैं। लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सिगापुर एक्सचेंज लिमिटेड (बॉड्स), सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था	भौतिक शेयरों की हस्तांतरण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी कर शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों को लौटा दिया जाता है। सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार तिमाही शेयर हस्तांतरण लेखा-परीक्षा तथा शेयर पूँजी लेखा-परीक्षा का समाधान एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट	मेसर्स अलंकित एसाइनमेंटस लिमिटेड
1 जुलाई 2018 से यूनिट का पता	अलंकित हाइटस, 205-208, अनार्कली कांप्लेक्स, ई/7, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110 055
बोर्ड फोन नंबर	011-42541234, 7290071335
ई-मेल पता	sbi.igr@alankit.com
पत्र-व्यवहार के लिए पता	भारतीय स्टेट बैंक, 14 मंजिल, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
टेलिफोन नंबर	(022) 2274 0841 से 2274 0848
फैक्स	(022) 2285 5348
ई-मेल पता	gm.snb@sbi.co.in / investor.complaints@sbi.co.in
ऋणपत्र न्यासियों का नाम और संपर्क का पूरा ब्योरा (भारतीय रुपए में जारी पूंजी लिखत)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल, 17, आर. कामानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001 फोन नंबरः 91-22-4080 7006 फैक्स नंबर : 91-22-6631 1776

ई-पहल : सेबी विनियम के अनुसार जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते उपलब्ध हैं, उन्हें हम वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करते हैं।

निवेशकों के लिए

निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक में मुंबई में एक संपूर्ण शेयर एवं बॉन्ड विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर कार्यालय के माध्यम से, तत्काल निपटाई जाती हैं एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम के विनियम 44(5) के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही का वनवे लाईव वेबकास्ट करता हैं । वेबकास्ट सुविधा दिनांक 20 जून 2019 को दोपहर 3 बजे से उपलब्ध होगी और यह सुविधा शेयरधारकों को https://www.evoting.nsdl.com or bank.sbi से प्राप्त होगी।

वित्त वर्ष 2019 के दौरान पूंजी वृद्धि

पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने ₹38,16,000 (रुपए अड़तीस लाख सोलह हजार केवल) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹37,92,000 (रुपम सैंतीस लाख बानवे हजार केवल) शामिल है। यह 1 रुपए के 24,000 ईक्विटी शेयर जारी करने से प्राप्त हुई , जिन्हें 18 मार्च 2008 को बंद किए गए राइटस इश्यू के विभिन्न स्वत्व विवाद अथवा अन्य पक्ष दावों के कारण लंबित रखा गया था। ईक्विटी शेयर 31 जनवरी 2019 को आबंटित किए गए।

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी अर्थात् यदि जीडीआर-धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था परंतु इसके विपरीत प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीआर/जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने अपने जीडीआर कार्यक्रम की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

31.03.2019 को बैंक के पास 1,21,07,135 जीडीआर से संबंधित 12,10,71,350 शेयर थे।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	998	2,40,820
जोड़े : वर्ष के शुरू में ई-एसबीबीजे शेयरधारकों एवं उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों की संख्या	144	17,122
योग	1142	2,57,942
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	11	3,228
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	11	3,228
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1131	2,54,714

ऐसे शेयरों के सही मालिक द्वारा शेयरों का दावा किए जाने के समय तक ऐसे दावारहित शेयरों पर मतदान करने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

लाभांश की परंपरा/ लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण नीति विद्यमान है। यह बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर Corporate Governance > Policies लिंक पर उपलब्ध हैं।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स/एनएसई निफ्टी में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2019 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 2.04% और एनएसई निफ्टी में 2.57% रहा।

बीएससी पर स्टॉक उतार-चढ़ाव (वित्त वर्ष 2018-19)

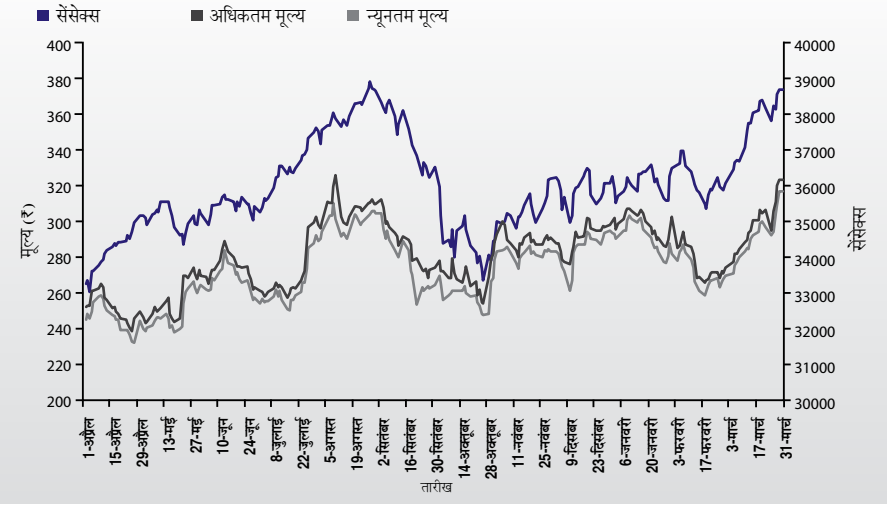

एनएसई पर स्टॉक उतार-चढ़ाव (वित्त वर्ष 2018-19)

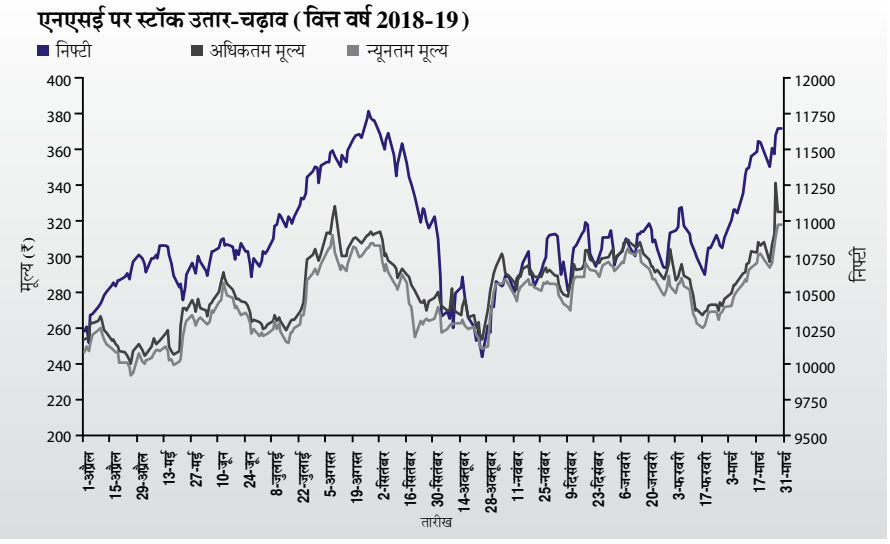

बाजार मूल्य आंकड़े

माह	बीएसई (₹)		एनएसई (₹)		एलएसई (जीडीआर) यूएस $	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-18	263.25	233.35	263.30	233.20	40.65	35.05
मई-18	272.25	239.20	272.05	238.85	39.20	34.70
जून-18	287.65	256.85	287.70	257.00	42.20	36.75
जुलाई-18	297.35	251.75	297.40	251.60	43.00	36.60
अगस्त-18	316.45	292.70	317.40	292.70	45.65	41.50
सितंबर-18	306.40	264.00	306.35	263.85	41.35	36.60
अक्तूबर-18	280.50	248.10	281.40	248.10	37.85	34.80
नवंबर-18	295.30	277.75	294.95	277.95	41.50	37.75
दिसंबर-18	300.40	273.40	300.70	274.20	42.60	37.30
जनवरी-19	305.10	280.75	305.55	280.60	43.60	39.40
फरवरी-19	288.20	259.75	289.05	259.95	41.05	37.05
मार्च-19	320.80	272.95	320.75	272.95	46.25	38.00

बही मूल्य प्रति शेयर ₹200.07

31 मार्च 2019 को शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	57.13
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी कॉरपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय/वैश्विक निक्षेपागार रसीदें)	11.31
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	13.97
4	निजी कॉरपोरेट निकाय	2.25
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनियाँ आदि	10.23
6	निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	5.11
	कुल	**100.00**

31 मार्च 2019 को बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	57.13
2	भारतीय जीवन बीमा निगम (वित्तीय संस्थान)	9.21
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	3.25
4	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (म्यूचुअल फंड)	2.43
5	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. (म्यूचुअल फंड)	2.06
6	एसबीआई-ईएफटी एनआईएफटी बैंक	1.87
7	बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन	1.36
8	बिरला सन लाइफ ट्रस्टी कं. प्राइवेट लि.	0.96
9	गवर्मेंट पेंशन फंड ग्लोबल (एफ़आईआई)	0.64
10	कोटक म्यूचुअल फंड	0.64

शेयरों को डीमैट में रूपांतरित करना और चलनिधि: बैंक के ईक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्यतया इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जाती है। 31.03.2019 को कुल ईक्विटी पूंजी का 99.04% भाग अर्थात 883,87,56,535 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं।

विवरण	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरों का %
एनएसडीएल	8,14,737	3,58,56,02,470	40.18
सीडीएसएल	4,83,915	5,25,31,54,065	58.86
कागज़ रूप में	2,05,721	8,58,54,999	0.96
कुल	**15,04,373**	**8,92,46,11,534**	**100.00**

31 मार्च 2019 को संवितरण अनुसूची (अंकित मूल्य ₹1 प्रति शेयर)

शेयरों की सं. की सीमा	कुल शेयरधारक	कुल शेयरधारकों का%	₹ में कुल धारिता	कुल पूंजी का %
1-5000	1497347	99.532	395301156	4.429
5001-10000	3544	0.236	25080721	0.281
10001-20000	1432	0.095	20006332	0.224
20001-30000	432	0.028	10643550	0.119
30001-40000	216	0.014	7616050	0.085
40001-50000	111	0.007	5118317	0.001
50001-100000	299	0.020	21672376	0.243
100001-उससे अधिक	992	0.066	8439173032	94.561
TOTAL	**1504373**	**100.00**	**8924611534**	**100.00**

पण्य कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियां

बैंक इस समय ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा करेंसी डेरीवेटिव्स और एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स में सौदे करता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले ब्याज दर डेरीवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप्स, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप्स, फारवर्ड दर करार, कैप, फ्लोर तथा कॉलर शामिल है। बैंक द्वारा किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में मुद्रा स्वीप, रुपया-डॉलर ऑप्शनस तथा क्रॉस मुद्रा ऑप्शनस शामिल है। बैंक, अपने ग्राहकों को उनके जोखिम से बचाव करने के लिए हेडजिंग उत्पाद पेश करता है। उभयपक्षी स्थितियों को ऑप्शन या एमआइएफओआर बुक या अंतर बैंक द्वारा समर्थित किए जाते हैं। डेरिवेटिव्स का प्रयोग ट्रेडिंग तथा तुलन पत्र मदों की हेडजिंग दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

डेरिवेटिव्स लेनदेनों में बाज़ार जोखिम निहित होता है अर्थात् विनिमय दर में प्रतिकूल संचालन के कारण बेंक को होने वाली संभाव्य हानि तथा ऋण जोखिम, प्रति पक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा न करने के कारण बैंक को होने वाली संभाव्य हानि। डेरीवेटिव्स लेनदेन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की 'डेरीवेटिव्स नीति', में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक लिमिट, लॉस लिमिट, कट-लॉस ट्रिगर्स, ओपन पोजीशन लिमिट, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) और ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, संस्वीकृत, सीमाएं और ग्राहक के लिए उपयुक्त एवं उचित नीति (सीएएस) आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। इस नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिपक्षकारों के साथ ही डेरीवेटिव्स लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण रखा जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और बैंक प्रत्येक पक्षकार के साथ इंटरनेशनल स्वैप एवं डेरीवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) करार करता है।

विभिन्न प्रकार के जोखिमों की निगरानी के लिए बैंक में विभिन्न समितियां/ विभाग गठित किए गए हैं। बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन की देखरेख करती है। बैंक का जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े बाजार जोखिम की पहचान, मापन, मानीटरिंग करता है, इन जोखिमों के नियंत्रण व प्रबंधन में एएलसीओ की सहायता करता है तथा नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीति में निर्धारित अनुपालन की रिपोर्टिंग करता है।

डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन नीति आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई है, इसका विवरण अनुसूची 17: वित्त वर्ष 2019 के लिए 'प्रिन्सिपल एकाउंटिंग पोलिसीस' (पीएपी) में दिया गया है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम 2018 (सूचीकरण विनियम) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण

1. बैंक की केंद्रीय बोर्ड दिनांक 6 मार्च 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों में संशोधन के अनुसार बोर्ड स्तरीय विभिन्न समितियों यथा लेखापरीक्षा, शेयरधारक संबंध, जोखिम प्रबंधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा विचार किए जाने वाले विषयों/समितियों की भूमिका की समीक्षा की और अनुमोदन किया।

2. सूचीकरण विनियम के विनियम 24 क के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष की सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

3. सभी ऋण लिखतों के लिए प्राप्त की गई ऋण श्रेणी में कोई भी संशोधन नहीं है।

4. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने अधिमानी आबंटन अथवा अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के जरिए पूंजी नहीं जुटाई है। अतः निधियों के उपयोग के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

5. बैंक ने सूचीकरण विनियम के विनियम 34 एवं अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है और बैंक के किसी भी निदेशक को किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति किए जाने से विवर्जित अथवा अयोग्य नहीं किया गया है (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न)।

6. स्वतंत्र निदेशकों के लिए आयोजित किए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर वेब लिंक https://sbi.co.in/portal/web/corporate-governance/regulatory-disclosures के अधीन दिया गया है।

7. सूचीकरण विनियम की अनुसूची V के पैरा सी, खंड 10 (ट) के अनुसार वर्तमान सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षाओं को अदा किया गया कुल शुल्क केवल 6,11,17,156 रुपए है।

अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2019 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म दिनांक : 1 अक्तूबर 1951)
श्री मल्होत्रा को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा पुनः निदेशक निर्वाचित किया गया। वे एक सनदी लेखाकार हैं । श्री मल्होत्रा को वैश्विक बैंकिंग एवं वित्त में वरिष्ठ पदों पर 42 वर्ष का अनुभव है। जोखिम प्रबंधन, कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त एवं सूक्ष्म उद्यम ऋणान्वयन, निजी ईक्विटी उनके अनुभव के क्षेत्र हैं।

श्री भास्कर प्रामाणिक

(जन्म दिनांकः 20 मार्च 1951)
श्री प्रामाणिक को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया। वे आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग स्नातक है। श्री प्रामाणिक को भारतीय आईटी उद्योग का 45 वर्ष से अधिक का अनुभव है। बोर्ड के लिए निर्वाचित होने से पहले उन्होंने भारत में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने ओरेकल तथा सन माइक्रोसिस्टम्स के प्रबंध विदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

श्री बसंत सेठ

(जन्म दिनांक :16 फरवरी 1952)
श्री सेठ को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया। वे एक सनदी लेखाकार हैं। श्री सेठ को सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम कॉरपोरेट अभिशासन तथा प्रशासनिक मामलों सहित बैंकिंग एवं वित्त में 40 वर्ष का अनुभव है। बैंक के बोर्ड में आने से पहले वे केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। वे सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक रहे हैं। उन्होंने सिडबी तथा बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है।

श्री बी वेणुगोपाल

(जन्म दिनांक :18 मई 1959)
श्री वेणुगोपाल को 07 जून 2018 से 25 जून 2020 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया। वे केरल विश्वविद्यालय से कॉमर्स और कॉस्ट अकाउंटेंसी में स्नातक हैं। इस समय वे भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बीमा, वित्त और आईटी में 30 वर्ष से अधिक वर्ष का अनुभव है।

डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

(जन्म दिनांक : 29 मई 1946)
डॉ. गिरीश कुमार आहूजा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 06 फरवरी 2019 से एक वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुनः नामित निदेशक हैं। डॉ आहूजा चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकादमिक सदस्य हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कराधान, संयुक्त उद्यम आदि में परामर्श का 46 वर्ष का अनुभव है। प्रत्यक्ष करों का उन्हें विशेष ज्ञान है। वे वित्तीय क्षेत्र सुधारों - पूंजी बाजार कुशलता तथा संविभाग निवेश में डॉक्टरेट हैं।

डॉ. पुष्पेन्द्र राय

(जन्म दिनांक : 02 जून 1953)
डॉ. पुष्पेन्द्र राय भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 06 फरवरी 2019 से एक वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पुनः नामित निदेशक हैं। डॉ. पुष्पेन्द्र राय को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में कार्य का लगभग 38 वर्ष का अनुभव है।

वे 21 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे। इस दौरान वे नीति निर्माण, कार्यक्रम और बजट की तैयारी, कार्यान्वयन कार्यनीतियों का निर्धारण, कार्यान्वयन की निगरानी, ग्रामीण और औद्योगिक विकास एजेंसियों जैसे अनेक प्रकार के संस्थानों के स्टाफ के निष्पादन का मूल्यांकन, बिजली उत्पादन और वितरण विभाग, पेट्रोलियम कंपनियों और बौद्धिक संपदा कार्यालयों से जुड़े रहे। उन्होंने यूएनडीपी/डब्ल्यूआइपीओ के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्य, विदेशी निवेश उन्नयन परिषद् के सदस्य सचिव, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के कार्यपालक निदेशक, डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआइपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार और क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है।

तदनंतर, डॉ. राय ने वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (संयुक्त राष्ट्र संघ) में 16 वर्ष तक कार्य किया। वहाँ तकनीकी सहयोग बढ़ाने, बौद्धिक संपदा के आर्थिक पहलुओं का उन्नयन और आस्ति सृजन, विकास एजेंडा प्रक्रिया का नेतृत्व और सिंगापुर में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता जैसे अनेक कार्य संपन्न किए।

डॉ. राय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएच.डी.और हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। विश्व के विभिन्न भागों में उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए हैं।

डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

(जन्म दिनांकः 20 नवंबर 1949)
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 1 फरवरी 2018 से 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के गणित की प्रोफेसर हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित में पीएचडी डिग्री प्राप्त की है और उन्होंने बीएससी (गणित) एवं एमए (गणित) दोनों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उनका मुख्य योगदान थियोरी ऑफ डोमिनेशन इन ग्राफ एंड हाइफर ग्राफ्स, ग्राफोड़ियल कावर्स एंड पार्टिशन ग्राफ्स के क्षेत्र में है।

श्री राजीव कुमार

(जन्म दिनांक :19 फरवरी 1960)
श्री राजीव कुमार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 12 सितंबर 2017 से केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री राजीव कुमार सचिव, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में कार्यरत है।

श्री चंदन सिन्हा

(जन्म दिनांकः 15 अगस्त 1957)
श्री चंदन सिन्हा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 28 सितंबर 2016 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चंदन सिन्हा सीएएफआरएएल के अपर निदेशक हैं।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 (1) के उचित अनुपालन में 31.03.2019 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों द्वारा लेखा-परीक्षा/ हितधारक समिति (यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्योरा

क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	बैंक सहित सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या
1	श्री रजनीश कुमार	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग, मुंबई-400 006	07.10.2017/ 06.10.2020	अध्यक्षः 02
2	श्री पी.के.गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-1 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	01.11.2015/ 31.03.2020	निदेशक 02 समिति सदस्य 02
3	श्री दिनेश कुमार खारा	प्रबंध निदेशक डी-II किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006.	09.08.2016/ 08.08.2019	निदेशक 02 समिति सदस्य 02
4.	श्री अरिजित बसु	प्रबंध निदेशक डी-10 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	25.06.2018/ 31.10.2020	निदेशक 01
5.	श्रीमती अंशुला कांत	प्रबंध निदेशक डी-08 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.09.2018/ 30.09.2020	निदेशक 01 समिति सदस्य 02
6.	श्री संजीव मल्होत्रा	सनदी लेखाकार 6 मोटाभाई मेंशन, 130 महर्षि कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400020	26.06.2017/ 25.06.2020	निदेशक 01 समिति सदस्य 01
7.	श्री भास्कर प्रामाणिक	आईटी व्यवसायिक 01-पी एच ई, स्काइकोर्ट लेबरनम, सुशांत लोक, सेक्टर-28 गुरुग्राम-122002	26.06.2017/ 25.06.2020	निदेशक 03 समिति अध्यक्ष 01 समिति सदस्य 03
8.	श्री बसंत सेठ	सनदी लेखाकार फ्लैट क्र. 304, कल्पना टावर 3/16 विष्णुपुरी, कानपुर-208002	26.06.2017 / 25.06.2020	निदेशकः 03 समिति सदस्य :03
9.	श्री बी वेणुगोपाल	प्रबंध निदेशक, जीवन बीमा निगम 1, ओवल व्यू महर्षि कर्वे रोड चर्चगेट, मुंबई - 400 002	07.06.2018 / 25.06.2020	निदेशक : 02 समिति सदस्य : 03
10.	डॉ गिरीश के आहूजा	सनदी लेखाकार, मेसर्स जी.के. अहूजा एंड को., ई-6ए, एलजीएफ, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली 110 048	28.01.2016 / 05.02.2020	निदेशक : 02 समिति के अध्यक्षः02 समिति सदस्य : 01
11.	डॉ पुष्पेंद्र राय	विकास विशेषज्ञ, (भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लोक सेवक) 50, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057	28.01.2016 / 05.02.2020	निदेशक : 01 समिति के अध्यक्ष :01
12.	डॉ पूर्णिमा गुप्ता	अकादमिशियन-गणित ए-1/2 पंचशील एनक्लेव नई दिल्ली - 110017	01.02.2018 / 31.01.2021	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01
13.	श्री राजीव कुमार भारत सरकार नामिती	सचिव, (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग), जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001	12.09.2017 / अगले आदेश तक	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01
14.	श्री चंदन सिंहा भारतीय रिज़र्व बैंक की नामिती	अपर निदेशक सीएएफआरएएल, भारतीय रिज़र्व बैंक सी-8, 8 वीं मंजिल, बांद्रा- कुर्ला परिसर बांद्रा (पू) मुंबई- 400051.	28.09.2016 / अगले आदेश तक	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01

अनुलग्नक II ए

31.03.2019 को निदेशकों और बैंकों/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों द्वारा लेखा-परीक्षा/ हितधारक समिति (यों) में धारित अध्यक्षता/ सदस्यता का ब्योरा

1. श्री रजनीश कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष	समिति का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष वसूली निगरानी बोर्ड समिति - अध्यक्ष
2	एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
3	एसबीआई जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
4	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	--
5	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष	--
6	एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष	--
7	बैंकिंग निर्यात-आयात संस्थान	निदेशक	--
8	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान	सदस्य, शासी बोर्ड (गवर्निंग बोर्ड)	--
9	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे	एमआईबीएम गवर्निंग बोर्ड -सदस्य	एमआईबीएम वित्त समिति-अध्यक्ष एमआईबीएम स्थायी समिति - सदस्य
10	भारतीय बैंक संघ	उप अध्यक्ष, प्रबंधन समिति	कानूनी एवं बैंकिंग परिचालनों पर भारतीय बैंक संघ की स्थायी समिति - अध्यक्ष
11	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य	
12	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस	सदस्य/अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल	
13	मैनेजमेंट डेव्लपमेंट इंस्टीट्यूट	सदस्य, गवर्नर बोर्ड	
14	ईसीजीसी लिं.	निदेशक, गवर्नर बोर्ड	
15	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेशी व्यापार महा निदेशालय	व्यापार बोर्ड - सदस्य	
16	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	फइनैंशियल इंक्लूशन फंड (एफआईएफ) परामर्श बोर्ड - सदस्य	
17	नैश्नल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	गवर्निंग काउंसिल- सदस्य	
18	महाराष्ट्र सरकार	फिंटेक के माननीय मुख्य मंत्री के परामर्श काउंसिल - सदस्य	

2. श्री पी. के. गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/ अध्यक्ष	समिति (यों) का/के नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बड़ी राशि के मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	एसबीआई फाउंडेशन की कार्यकारी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
3	एसबीआई जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य पॉलिसीधरक सुरक्षा समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-सदस्य बैंक एश्योरेंस समिति-सदस्य
4	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	सदस्य	एनसीडीसी सामान्य परिषद -सदस्य
5	भारतीय रिज़र्व बैंक	सदस्य	एमएसएमई पर विशेषद समिति
6	भारत सरकार, पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	सदस्य	जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण पर अध्ययन समिति

3. श्री दिनेश कुमार खारा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य निदेशक समिति-अध्यक्ष मानव संसाधन समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य
3	एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	-
4	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं परिश्रमिक समिति-सदस्य मानव संसाधन समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
5	एसबीआई जेनेरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	बैंक एश्यूरेंस समिति-सदस्य लेखापरीक्षा समिति-सदस्य पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
6	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
7	एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य बोर्ड की लाभ से संबंधित समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य
8	एसबीआई फंडस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	मानव संसाधन उप-समिति-सदस्य
9	एसबीआई पेंशन फंडस प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	;
10	एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य कार्यकारी समिति-सदस्य
11	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	कार्यकारी समिति-सदस्य

4. श्री अरिजित बसु

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य

5. श्रीमती अंशुला कान्त

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति - अध्यक्ष

6. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-अध्यक्ष बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य नामांकन समिति-सदस्य
2	कोटक एएमसी	निदेशक	-
3	फेर फस्ट इन्शोरेंस लिमिटेड (श्रीलंका)	निदेशक	-

7. श्री भास्कर प्रामाणिक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-अध्यक्ष बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	सांक्या इन्फोटेक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य
3	टीसीएनएस क्लोथिंग कंपनी	निदेशक	प्रौद्योगिकी समिति-अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य

8. श्री बसंत सेठ

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-अध्यक्ष बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	रोटो पंप्स लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
3	एकांउटस स्कोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	-
4	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स)	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य सार्वजनिक हित निदेशक समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य निवेश संरक्षण निधि न्याय-सदस्य

9. श्री. बी. वेणुगोपाल

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य कार्यकारिणी समिति-सदस्य पॉलिसीधारक संरक्षण समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य शेयरधारक समिति-सदस्य
3	एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड	निदेशक	--
4	एलआईसी नेपाल लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
5	लाइफ इंशोरेंस कॉरपोरेशन ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	निदेशक	कार्यकारिणी समिति-अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य
6	नैशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड	निदेशक	--
7	एलआईसी इंटरनैशनल बीएससी (सी), बहरीन	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य

10. डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य बोर्ड की नामांकन समिति-अध्यक्ष बोर्ड की पारिश्रमिक समिति-सदस्य
2	फ्लेर पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	-
3	अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
4	देवयानी फुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	निदेशक	-
5	आर जे कॉर्प लिमिटेड	निदेशक	-

11. डॉ. पुष्पेंद्र रॉय

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति-अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य नामांकन समिति-सदस्य

12. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति- सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य

13. श्री राजीव कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य वसूली की निगरानी हेतु समिति की बोर्ड- सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति-सदस्य
2	भारतीय रिजर्व बैंक	निदेशक	-
3	नाबार्ड	निदेशक	-

14. श्री चंदन सिन्हा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति-सदस्य

(नोट : केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में वे सभी निदेशक या अन्य कोई निदेशक शामिल हैं जो सामान्यतः भारत में ऐसे किसी स्थान पर निवास करते हैं, या उस समय उपस्थित रहते हैं जहाँ एसबीआई साधारण विनियम के विनियम 46 के अनुसार ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है।

अनुलग्नक-III

31.03.2019 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्री रजनीश कुमार	500
2	श्री पी के गुप्ता	4900
3	श्री दिनेश कुमार खारा	3100
4	श्री अरिजित बसु	710
5	श्रीमती अंशुला कान्त	2000
6	श्री संजीव मल्होत्रा	18400
7	श्री भास्कर प्रामाणिक	15000
8	श्री बसंत सेठ	5000
9	श्री बी वेणुगोपाल	5000
10	डॉ. गिरीश के आहूजा	3000
11	डॉ. पुष्पेंद्र राय	0
12	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	0
13	श्री राजीव कुमार	0
14	श्री चंन्दन सिन्हा	500

अनुलग्नक IV

वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठक	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री संजीव मल्होत्रा	2,80,000.00	6,55,000.00	9,35,000.00
2	श्री भास्कर प्रामाणिक	3,20,000.00	7,90,000.00	11,10,000.00
3	श्री बसंत सेठ	3,60,000.00	6,00,000.00	9,60,000.00
4	श्री बी वेणुगोपाल	1,20,000.00	4,00,000.00	5,20,000.00
5	डॉ. गिरीश के आहूजा	1,40,000.00	1,25,000.00	2,65,000.00
6	डॉ. पुष्पेंद्र राय	3,20,000.00	6,45,000.00	9,65,000.00
7	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	3,00,000.00	4,90,000.00	7,90,000.00
8	श्री चंन्दन सिन्हा	3,60,000.00	4,70,000.00	8,30,000.00

अनुलग्नक V

बैंक की आचार संहिता (2018-19) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

प्रकटीकरण अपेक्षाएँ

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण-निवारण, प्रतिबंध एवं समाधान-वर्ष 2018-19 की स्थिति

वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	05
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	26
मामलों की कुल संख्या	31
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	22
वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	09

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार जो सेबी सर्कुलर सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 8 फरवरी 2019 के साथ पढ़ा जाए)

प्रति
सदस्य,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने भारतीय स्टेट बैंक (इसके पश्चात "बैंक" कहा गया है) पर लागू सांविधिक प्रावधानों और सुशासन व्यवहारों के उनके द्वारा अनुपालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई है कि इससे हमें कॉरपोरेट व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए और उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक द्वारा लेखापरीक्षा अवधि अर्थात 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान यहाँ इसके नीचे दी गई सूची के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उचित बोर्ड-कार्यप्रणालियों और अनुपालन-तंत्र की यहाँ इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं, ढंग और उसके अधीन व्यवस्था की गई है:

हमने बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर की गई विवरणियों तथा बैंक द्वारा 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच-पड़ताल की है:

i. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ("अधिनियम") और उनके तहत बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 ("विनियम");

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उनके तहत बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उनके तहत बनाई गई उप-विधियां;

iv. विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 और उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों जहाँ तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों का संबंध है;

v. निम्नलिखित भारतीय विनियम और दिशानिर्देश जहाँ तक भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") का संबंध है:-

क. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अर्जन) विनियम, 2011;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियम, 2015;

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014;#

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (कर्ज प्रतिभूत निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

च. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (निर्गम पंजीकार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009 # ;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 # ;

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम, 1996;

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013;

ट. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) विनियम, 1992;

ठ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंडरराइटर) विनियम, 1993;

ड़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर) विनियम, 1993;

ढ़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बैंकर्स टू ए इशू) विनियम, 1994;

ण. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993;

त. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम, 1996; तथा

थ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015.

विनियम या दिशानिर्देश, जैसा भी मामला हो समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं हो सकता है।

बैंक के लिए विशेष रूप से लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों की सूची नीचे दी गई है:

vi. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, के रूप में संशोधन।

vii. आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश ।

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 "सूचीकरण विनियम" के लिए लागू खंड के अनुपालन की जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित को छोड़कर कुछ हद तक लागू हैं:

क. बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में चौदह (14) निदेशक होते हैं, जिनमें से एक (01) कार्यकारी अध्यक्ष होता है; चार (04) प्रबंध निदेशक; चार (04) शेयरधारक निदेशक; तीन (03) अधिनियम की धारा 19 (घ) के अनुसार केंद्र सरकार (प्रमोटर) द्वारा नामित निदेशक; अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अनुसार केंद्र सरकार (प्रमोटर) द्वारा नामित एक (01) निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केंद्र सरकार (प्रमोटर) द्वारा नामित एक

(01) निदेशक अधिनियम की धारा 19 (च) बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) और धारा 19 (च) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों को केंद्रीय विनियमन और इसकी समितियों के उद्देश्य के लिए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में सूचीबद्ध करता है।

ख. बैंक की लेखा परीक्षा समिति में आठ (08) निदेशक, दो (02) कार्यकारी निदेशक, एक (01) सरकारी नामित निदेशक और पांच (05) स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। सूचीकरण विनियमों के विनियम 18 के अनुसार , ऑडिट समिति में स्वतंत्र निदेशकों के कम से कम दो-तिहाई (छह) (06) शामिल होने चाहिए।

ग. सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते, बैंक ने सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाकर्ता के संरक्षण (पीआयडीपीआय) संकल्प, 2004 के प्रावधान और केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया है। उक्त नीति को बैंक के इंट्रानेट पर उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया गया है।

घ. बैंक को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और एसबीआई के सामान्य विनियमों के तहत नियंत्रित किया जाता है, जो सभी शेयरधारकों के संकल्प के संबंध में, अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान नहीं करता है।

ङ. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2011 के दौरान पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (ई-एसबीटी) (अब बैंक में विलय) के अशोक नगर शाखा को दो शो कॉज नोटिस दिए थे, जो कथित रूप से मार्च, 2009 और अगस्त, 2010 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा प्रेषण के संबंध में की गई अनियमितताओं के संबंध में था। और बैंक ने तदनुसार प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष प्रस्तुतियां दी थीं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निर्णय प्राधिकारी ने फेमा अधिनियम 1999 की धारा 13 (1) के संदर्भ में कथित अनियमितता के लिए अपने 31 मई 2018 के आदेश के अनुसार बैंक पर रुपए 7,00,00,000/-(रुपए सात करोड़ मात्र) का जुर्माना लगाय था। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पढ़ी गई धारा 47 (क) (1) (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, 20 फरवरी, 2018 से प्रभावी स्विफ्ट लेनदेन लॉग के लिए 226 "कम तीव्रता वाली शाखाओं" में दैनिक सुलह के विलंबित क्रियान्वयन के लिए बैंक पर कुल मिलाकर ₹1,00,00,000/ - (रुपए एक करोड़ मात्र) का जुर्माना लगाया। तदनुसार कथित जुर्माने का बैंक द्वारा विधिवत भुगतान किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -

उपर्युक्त को देखते हुए बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि में केंद्रीय निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को केंद्रीय बोर्ड की बैठकों का आयोजन करने, कार्यसूची पर पर्याप्त सूचना अग्रिम रूप से भेजी जाती है और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सर्वसम्मति से निर्णय किए गए थे और कार्यविवरण की समीक्षा करते समय कोई असंतोषजनक विचार नहीं पाया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित घटनाओं/कार्यों को पूरा किया है:

i. 13 अप्रैल, 2018 को बैंक की केंद्रीय बोर्ड ('ईसीसीबी') की कार्यकारी समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में टियर 1 ('T1') बॉन्ड्स के ₹80,00,00,00,000/- (रुपए आठ हजार करोड़) के इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने की अवधि में विस्तार के लिए मंजूरी दे दी थी। इसी प्रकार बैंक ने ₹73,17,30,00,000/- (रुपए सात हजार तीन सौ सत्रह करोड़ और तीस लाख केवल), गैर-परिवर्तनीय, अप्रतिभूत, बेसल-III अनुपालित, एटीआई बॉण्ड ₹10,00,000/- (केवल दस लाख रुपए) डिबेंचर की प्रकृति में निजी प्लेसमेंट इश्यू के माध्यम से और बाद में उपरोक्त बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ सूचीबद्ध किया गया था।

ii. बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की 22 अक्तूबर 2018 की बैठक में ₹50,00,00,00,000/- (रुपए पांच हजार करोड़) अतिरिक्त टियर-II बांड के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दी थी। इसी प्रकार बैंक ने 2 नवंबर 2018 को ₹41,15,90,00,000 /- (रुपए चार हजार एक सौ पंद्रह करोड़ और नब्बे लाख केवल) गैर-परिवर्तनीय, अप्रतिभूत, बेसल-III अनुपालित, अतिरिक्त टियर-II बांड ₹10,00,000/- (केवल दस लाख रुपए) डिबेंचर की प्रकृति में निजी प्लेसमेंट इश्यू के माध्यम से और बाद में उपरोक्त बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ सूचीबद्ध किया गया था।

iii. बैंक इकाई की ईसीसीबी ने 12 दिसंबर 2018 की बैठक में 1.25 बिलियन यूएस डॉलर तक के इंटरनेशनल बॉन्ड्स नियम 144A/ Reg-S के अंतर्गत मंजूरी दी। बैंक ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से 24 जनवरी 2019 को बांड जारी किए और बॉन्ड्स सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी में सूचीबद्ध हैं।

कृते भंडारी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

एस.एन. भंडारी
पार्टनर
एफसीएस संख्या: 761; सीपी नंबर: 366

मुंबई: 10 मई, 2019

यह रिपोर्ट हमारे सम-तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जानी है, जिसे अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक 'क'

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम-तिथि को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकॉर्ड पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवालयीन रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। परीक्षण के आधार पर सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवालयीन रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा विश्वास है कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं के पालन द्वारा हम अपने अभिमत को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बही की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते भंडारी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

एसएन भंडारी
पार्टनर
एफसीएस संख्याः 761; सीपी नंबरः 366
मुंबईः 10 मई, 2019

प्रति,
भारतीय स्टेट बैंक के सदस्य,

विषयः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीगत जिम्मेदारियां एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 34 तथा अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र

हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के आधार पर तथा सेबी के विनियम 34 के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के निदेशकों से संबंधित प्रासंगिक अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ कारपोरेट मामलों का मंत्रालय/ या किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के केंद्रीय बोर्ड के किसी भी निदेशक को नियुक्त होने या उस पद पर बने रहने से वंचित अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

कृते भंडारी एंड असोसियेट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

एस.एन भंडारी
पार्टनर
एफसीएस नं. 761, सीपी नं. 366
मुंबई: 10 मई, 2019

कारपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

हम,जे.सी.भल्ला एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 001111 एन), और भारतीय स्टेट बैंक, इसका कारपोरेट केंद्र स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई, महाराष्ट्र, पिन 400021 में स्थित है, के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है,जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए सूचीकरण विनियम के विनियम 15 (2) में यथा संदर्भित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में निर्धारित की गई है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यालय तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक में उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है न ही वह उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है,जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एवं की ओर से
जे.सी. भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001111 N

राजेश सेठी
पार्टनर
मेंबरशिप नं. 085669

स्थानः मुंबई
दिनांकः10 मई, 2019

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के बारे में:

बैंक की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012-13 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है।
सेबी परिपत्र क्र. सीआईआर/सीएफडी/ सीएमडी/10/2015 दिनांक 4 नवंबर 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसार उन कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट को शामिल करना अनिवार्य है, जिन्होंने बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण (प्रति वित्त वर्ष 31 मार्च को परिकलन किया जाता है) के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में स्थान पाया है। बैंक की संवहनीयता रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट समाविष्ट है, को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर लिंक इनवेस्टर रिलेशन्स पर उपलब्ध है। कोई भी शेयरधारक जो इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमें इस पते पर लिख सकते हैं या ई-मेल कर सकते हैं: महाप्रबंधक शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड मुंबई - 400 021. ई-मेल पता : gm.snb@sbi.co.in

बैंक के नवीन संवहनीयता पहल "एसबीआई ग्रीन मैराथन" का शुभारंभ 28 अक्तूबर 2018 को मुंबई में हुआ। इसमें बैंक स्टाफ एवं सामान्य जनों सहित करीब 6500 लोगों ने हिस्सा लिया।

भारतीय स्टेट बैंक

तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,45,88
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	220021,36,33	218236,10,15
जमा राशियाँ	3	2911386,01,07	2706343,28,50
उधार राशियाँ	4	403017,11,82	362142,07,45
अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण	5	145597,29,55	167138,07,68
योग		**3680914,24,89**	**3454751,99,66**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	176932,41,75	150397,18,14
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	45557,69,40	41501,46,05
निवेश	8	967021,94,75	1060986,71,50
अग्रिम	9	2185876,91,77	1934880,18,91
अचल आस्तियाँ	10	39197,56,94	39992,25,11
अन्य आस्तियाँ	11	266327,70,28	226994,19,95
योग		**3680914,24,89**	**3454751,99,66**
आकस्मिक देयताएँ	12	1116081,45,94	1162020,69,30
वसूली के लिए बिल	-	70022,53,97	74027,90,24
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

हस्ताक्षरकर्ता:

श्रीमती अंशुला कान्त
प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्ति, जोखिम) एवं अनुपालन

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. गिरीश के. आहूजा
श्री बी. वेणुगोपाल
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री चंदन सिन्हा
श्री संजीव मल्होत्रा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री बसंत सेठ
श्री भास्कर प्रामाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: सदस्यता सं. 085669
फर्म पंजी सं. 1001111 एन

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार:सदस्यता सं.0110248
फर्म पंजी सं. 101720 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100355

कृते ओ. पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस. आर. तोतला
भागीदार: सदस्यता सं. 071774
फर्म पंजी सं. 000734सी

कृते एस. के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

संजीव कपूर
भागीदार: एम. सं.070487
फर्म पंजी सं. 00745 सी

कृते डी चक्रबर्ती एण्ड सेन
सनदी लेखाकार

डी.के. रॉय चौधरी
भागीदार: एम. सं.053087
फर्म पंजी सं. 303029 ई

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

अनिर्बान पाल
भागीदार: सदस्यता सं.214919
फर्म पंजी सं. 003089एस

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम. के. जुनेजा
भागीदार:सदस्यता सं. 013117
फर्म पंजी सं. 001135एन

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: सदस्यता सं. 024844
फर्म पंजी सं. 230448एस

कृते कर्नावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

समीर बी. दोशी
भागीदार: एम. सं.117987
फर्म पंजी सं. 104863 डब्ल्यू

कृते कलनी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भूपेन्द्र मंत्री
भागीदार: एम. सं.108170
फर्म पंजी सं. 000722 सी

कृते ब्रह्मय्या एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

के. जितेन्द्र कुमार
भागीदार: सदस्यता सं. 201825
फर्म पंजी सं. 000511एस

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत निओगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 ई

कृते के.वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: सदस्यता सं. 018159
फर्म पंजी सं. 004610 एस

कृते जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अजय कुमार अग्रवाल
भागीदार: एम. सं.17643
फर्म पंजी सं. 302082 ई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई 2019

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : 892,46,11,534 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,45,87,534 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,45,88
उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 12,10,71,350 इक्विटी शेयर (पिछला वर्ष प्रति ₹1 के 12,62,48,980 इक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 1,21,07,135 (पिछला वर्ष 1,26,24,898) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदों के रूप में हैं।		
योग	**892,46,12**	**892,45,88**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	65336,98,37		53969,83,67	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	258,66,89		11367,14,70	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			65595,65,26		**65336,98,37**
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	9391,65,88		3688,17,59	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	379,20,76		5703,48,29	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			9770,86,64		**9391,65,88**
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	79124,21,51		55423,23,36	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	37,92		23718,58,11	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	9,12,38		17,59,96	
			79115,47,05		**79124,21,51**
IV.	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	5720,58,73		4428,63,94	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1077,13,19		1482,65,84	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	66,75,03		190,71,05	
			6730,96,89		**5720,58,73**
V.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ ***				
	अथशेष	48893,23,87		38392,85,99	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	563,88,56		14888,94,48	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	76,60,48		4388,56,60	
			49380,51,95		**48893,23,87**

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
VI.	**आरक्षित पुनर्मूल्यन**				
	अथशेष	24847,98,65		31585,64,99	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन			4670,63,97	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	194,04,57		11408,30,31	
			24653,94,08		**24847,98,65**
VII.	**लाभ और हानि खाते की शेष राशि**		**(15226,05,54)**		**(15078,56,86)**
	* नोटः राजस्व एवं अन्य आरक्षितियों में शामिल है (i) एकीकरण एवं विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹5,00,00 हजार) (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ ₹13421,76,76 हजार (पिछले वर्ष ₹13421,76,76 हजार) (iii) निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष निरंक (पिछला वर्ष ₹371,84,01 हजार)				
योग			**220021,36.33**		**218236,10,15**

वर्ष के दौरान परिवर्धनों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक लि. के अधिग्रहण पर प्राप्त राशियाँ शामिल हैं।

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	**I. माँग जमाराशियाँ**		
	(i) बैंकों से	6894,62,06	5326,82,76
	(ii) अन्य से	198980,62,74	184847,05,92
	II. बचत बैंक जमाराशियाँ	1091751,97,36	1013774,47,09
	III. सावधि जमाराशियाँ		
	(i) बैंकों से	8234,15,28	15218,78,64
	(ii) अन्य से	1605524,63,63	1487176,14,09
योग		**2911386,01,07**	**2706343,28,50**
ख)	I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	2814243,42,48	2599393,43,21
	II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	97142,58,59	106949,85,29
योग		**2911386,01,07**	**2706343,28,50**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. भारत में उधार-राशियाँ					
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक			94319,00,00		94252,00,00
(ii) अन्य बैंक			260,00,00		1603,85,43
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण			27853,89,24		2411,83,26
(iv) पूंजीगत लिखत :					
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)	19152,30,00		11835,00,00		
ख) गौण ऋण	28256,73,80		32540,83,80		
		47409,03,80		**44375,83,80**	
योग		**169841,93,04**		**142643,52,49**	
II. भारत के बाहर उधार-राशियाँ					
(i) भारत के बाहर उधार राशियाँ और पुनर्वित्त			231100,53,78		217543,29,96
(ii) पूंजीगत लिखत					
नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)			2074,65,00		1955,25,00
योग		**233175,18,78**		**219498,54,96**	
कुल योग		**403017,11,82**		**362142,07,45**	
उपरोक्त I और II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं		**124028,25,70**		**106637,02,05**	

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	23875,66,31	26617,74,90
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	21735,74,61	40734,57,50
III. उपचित ब्याज	14479,87,48	16279,62,96
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2,33,15	2,80,59
V. अन्य (प्रावधान सहित) *	85503,68,00	83503,31,73
* मानक आस्तियों के लिए ₹12396,67,91 हजार का विवेकपूर्ण प्रावधान शामिल है (पिछला वर्ष ₹12499,46,35 हजार)		
योग	**145597,29,55**	**167138,07,68**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	18777,94,34	15472,42,20
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	158154,47,41	134924,75,94
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**176932,41,75**	**150397,18,14**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	87,02,70	48,59,90
	(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
	(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
	(क) बैंकों में	4608,88,73	1614,44,26
	(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग		**4695,91,43**	**1663,04,16**
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	19667,07,18	28528,09,13
	(ii) अन्य जमा खातों में	2870,14,73	1226,43,94
	(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	18324,56,06	10083,88,82
योग		**40861,77,97**	**39838,41,89**
कुल योग (I एवं II)		**45557,69,40**	**41501,46,05**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश :**			
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ		761883,12,15	848395,84,44
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-	-
	(iii) शेयर		9878,74,38	10516,69,01
	(iv) डिबेंचर और बांड		84948,36,68	77962,93,46
	(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित)		5608,00,04	5077,97,43
	vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट , कमर्शियल पेपर इत्यादि)		53388,53,85	72882,56,59
योग			**915706,77,10**	**1014836,00,93**
II.	**भारत के बाहर निवेश**			
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)		11644,84,99	10520,45,85
	(ii) विदेशों में स्थापित समनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम		4298,49,28	2712,22,30
	(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		35371,83,38	32918,02,42
योग			**51315,17,65**	**46150,70,57**
कुल योग (I एवं II)			**967021,94,75**	**1060986,71,50**
III.	**भारत में निवेश**			
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		926650,59,97	1026438,36,91
	(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		10943,82,87	11602,35,98
	(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	**योग**	**915706,77,10**	**1014836,00,93**
IV.	**भारत के बाहर निवेश**			
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		51473,39,76	46658,94,18
	(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		158,22,11	508,23,61
	(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	**योग**	**51315,17,65**	**46150,70,57**
कुल योग (III एवं IV)			**967021,94,75**	**1060986,71,50**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	80278,87,21	67613,55,55
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	776633,45,81	746252,38,11
	III. सावधि ऋण	1328964,58,75	1121014,25,25
योग		**2185876,91,77**	**1934880,18,91**
ख)	I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1582764,41,50	1505988,72,17
	II. बैंक / सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	80173,16,17	68651,16,60
	III. अप्रतिभूत	522939,34,10	360240,30,14
योग		**2185876,91,77**	**1934880,18,91**
ग)	I. भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	520729,77,60	448358,95,60
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	240295,89,39	161939,24,46
	(iii) बैंक	9174,06,50	2845,19,97
	(iv) अन्य	1114679,73,28	1023464,39,00
योग		**1884879,46,77**	**1636607,79,03**
	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	69975,74,47	77109,63,56
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	26740,94,11	14539,04,35
	(ख) सिंडीकेट ऋण	138191,25,40	120685,86,16
	(ग) अन्य	66089,51,02	85937,85,81
योग		**300997,45,00**	**298272,39,88**
कुल योग [ग (I)+ ग (II)]		**2185876,91,77**	**1934880,18,91**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	30201,53,82		35961,29,86	
	परिवर्धन :				
	वर्ष के दौरान	669,84,09		1056,24,24	
	पुनर्मूल्यांकन हेतु	-		4477,39,82	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	39,60,68		11293,40,10	
	अद्यतन मूल्यह्रास				
	लागत पर	714,18,98		614,08,31	
	पुनर्मूल्यांकन पर	497,17,97		308,66,78	
			29620,40,28		**29278,78,73**

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	30114,90,96		21856,35,33	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2404,25,97		9232,65,68	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1444,39,63		974,10,05	
	अद्यतन मूल्यह्रास	22186,23,44		20192,98,49	
			8888,53,86		**9921,92,47**
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		688,62,80		791,53,91
योग (I, II, III एवं IV)			**39197,56,94**		**39992,25,11**

वर्ष के दौरान परिवर्धनों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक लि. के अधिग्रहण पर प्राप्त राशियाँ शामिल हैं।

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i)	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
(ii)	प्रोद्भूत ब्याज	26141,97,03	25714,46,61
(iii)	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर काटा गया कर	24376,29,42	17546,11,08
(iv)	आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	10422,49,17	11368,79,19
(v)	लेखन सामग्री और स्टांप	102,14,03	107,05,92
(vi)	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	73,71	4,64,72
(vii)	अन्य *	205284,06,92	172253,12,43
	(* नाबार्ड / सिडबी / एनएचबी के पास रखे गए जमा ₹138245,29,37 हजार (पिछला वर्ष ₹95643,16,91 हजार)		
योग		266327,70,28	226994,19,95

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	43357,92,57	35153,03,00
II.	आंशतः प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	472,87,61	619,44,30
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	596621,66,74	644102,45,28
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	157186,66,27	148866,54,48
	(ख) भारत के बाहर	72425,94,84	67469,26,89
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	124194,94,04	121238,94,74
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	121821,43,87	144571,00,61
	* ₹117435,24,87 हजार डेरिवेटिव शामिल (पिछला वर्ष ₹141154,40,39 हजार)		
योग		**1116081,45,94**	**1162020,69,30**

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	242868,65,35	220499,31,56
	अन्य आय	14	36774,88,78	44600,68,71
	योग		**279643,54,13**	**265100,00,27**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	154519,77,80	145645,60,00
	परिचालन व्यय	16	69687,73,74	59943,44,64
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		54573,79,61	66058,41,00
	योग		**278781,31,15**	**271647,45,64**
III.	**लाभ**			
	निवल लाभ (वर्ष के लिए)		862,22,98	(6547,45,37)
	जोड़े: आगे लाया गया लाभ		(15078,56,86)	31,68
	सम्मामेलन पर पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों व भारतीय महिला बैंक लि. की हानि		-	(6407,68,97)
	योग		**(14216,33,88)**	**(12954,82,66)**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		258,66,89	-
	पूंजी आरक्षित निधियों को अंतरण		379,20,76	3288,87,88
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित		371,84,01	(1165,13,68)
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि		(15226,05,54)	(15078,56,86)
	योग		**(14216,33,88)**	**(12954,82,66)**
	प्रति शेयर मूल आय		₹ 0.97	₹-7.67
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 0.97	₹-7.67
	विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
	लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपरोक्त दर्शाई गई अनुसूचियाँ लाभ और हानि खाते के अभिन्न अंग हैं ।

हस्ताक्षरकर्ता:

श्रीमती अंशुला कान्त
प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्ति, जोखिम) एवं अनुपालन

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. गिरीश के. आहूजा
श्री बी. वेणुगोपाल
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री चंदन सिन्हा
श्री संजीव मल्होत्रा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री बसंत सेठ
श्री भास्कर प्रामाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: सदस्यता सं. 085669
फर्म पंजी सं. 1001111 एन

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार:सदस्यता सं.0110248
फर्म पंजी सं. 101720 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100355

कृते ओ. पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस. आर. तोतला
भागीदार: सदस्यता सं. 071774
फर्म पंजी सं. 000734सी

कृते एस. के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

संजीव कपूर
भागीदार: एम. सं.070487
फर्म पंजी सं. 00745 सी

कृते डी चक्रबर्ती एण्ड सेन
सनदी लेखाकार

डी.के. रॉय चौधरी
भागीदार: एम. सं.053087
फर्म पंजी सं. 303029 ई

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

अनिर्बान पाल
भागीदार: सदस्यता सं.214919
फर्म पंजी सं. 003089एस

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम. के. जुनेजा
भागीदार:सदस्यता सं. 013117
फर्म पंजी सं. 001135एन

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: सदस्यता सं. 024844
फर्म पंजी सं. 230448एस

कृते कर्नावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

समीर बी. दोशी
भागीदार: एम. सं.117987
फर्म पंजी सं. 104863 डब्ल्यू

कृते कलनी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भूपेन्द्र मंत्री
भागीदार: एम. सं.108170
फर्म पंजी सं. 000722 सी

कृते ब्रह्मय्या एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

के. जितेन्द्र कुमार
भागीदार: सदस्यता सं. 201825
फर्म पंजी सं. 000511एस

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत निओगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 ई

कृते के.वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: सदस्यता सं. 018159
फर्म पंजी सं. 004610 एस

कृते जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अजय कुमार अग्रवाल
भागीदार: एम. सं.17643
फर्म पंजी सं. 302082 ई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई 2019

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	161640,23,23	141363,16,78
II.	निवेशों पर आय	74406,16,37	70337,61,67
III.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1179,06,59	2249,99,69
iv.	अन्य	5643,19,16	6548,53,42
योग		**242868,65,35**	**220499,31,56**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	23303,89,22	22996,80,04
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) 1	3146,86,06	13423,34,83
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(2124,03,82)	(1120,61,02)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(34,98,24)	(30,03,00)
V.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	2155,75,29	2484,59,52
VI.	विदेश/भारत में अनुषंगियों/कंपनियों तथा/या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के रूप में अर्जित आय	348,01,18	448,51,70
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII.	विविध आय 2	9979,39,09	6398,06,64
योग		**36774,88,78**	**44600,68,71**

1 निवेशों की बिक्री पर (निवल) लाभ/(हानि) में ₹473.12 करोड़ की विशेष मदें शामिल हैं।(पिछले वर्ष 5436.17 करोड़)

2 विविध आय मे शामिल है असाधरण मदें ₹1087.43 करोड़ (पिछले वर्ष निरंक) और बट्टे खाते में की गई वसुलि ₹8344.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5333.20 करोड़)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	140272,36,59	135725,70,41
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	9838,95,98	5312,42,79
III.	अन्य	4408,45,23	4607,46,80
योग		**154519,77,80**	**145645,60,00**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	41054,70,68	33178,67,95
II.	भाड़ा, कर और बिजली खर्च	5265,65,95	5140,43,15
III.	मुद्रण और लेखन-सामग्री	498,94,99	518,13,63
IV.	विज्ञापन और प्रचार	354,05,58	358,32,54
V.	(क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	3212,30,65	2919,46,63
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	1,34,65	61,93
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	293,67,65	289,18,07
VIII.	विधि प्रभार	261,84,28	199,03,48
IX.	डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	387,01,81	506,83,11
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	904,08,56	826,93,29
XI.	बीमा	2845,44,78	2759,88,05
XII.	अन्य व्यय	14608,64,16	13245,92,81
योग		**69687,73,74**	**59943,44,64**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार :

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध-मंडल को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंध-मंडल का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/ छूट आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भवन आधार पर निर्धारण दिखाया गया है जो इनके अतिरिक्त है: (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) "पूंजी आरक्षित खाता" में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - "पट्टे" के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया गया है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के रुझान पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है:

क) सब्याज प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को निर्धारित किया गया है।

1.7 इस अवधि में एलसी / बीजी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से निर्धारित किया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर निर्धारित की गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए किए गए भुगतान/खर्च को, दी गई दलाली, कमीशन व संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को करता है तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो आरबीआई की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2. निवेश:

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)

2.2 वर्गीकरण का आधार:

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन:

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय मानागया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणीः क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:** एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर (iv) बांड एवं ऋणपत्र (v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी / आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध म उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:

क) रेपो /रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/ आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

ix. बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि होने की जानकारी मिली है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :

i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बन्धित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20 %

संदिग्ध आस्तियाँ:
-प्रतिभूत भाग

i. एक वर्ष तक - 25%
ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%
iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%

- अप्रतिभूत भाग 100%

हानिप्रद आस्तियाँ: 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुर्नसंरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार मूलधन या बकाया ब्याज की एनपीए में वसूली का समायोजन (संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत नवीन/अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाओं से बाहर नहीं) निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

क. प्रभार
ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज
ग. मूलधन

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरिवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम " में प्रतिवर्तित किया जाता है .

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन घटाकर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है: परिसर - 60 वर्ष वाहन - 5 वर्ष जमा सुरक्षा लॉकर - 20 वर्ष फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहीत आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। निवल बही मूल्य में वृद्धि पर किए गए मूल्यह्रास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से की गई है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर काटा गया है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

1. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (स्पॉट/ वायदा) दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को तुलनपत्र की तिथि लागू स्पॉट दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं स्पॉट दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजना:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बन्धित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों के स्थानीय कानूनों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. आय पर कर:

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जो तुलन-पत्र की तिथि को लागू है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंध-मंडल के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/ होना निश्चित है। आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में कैरी फॉरवर्ड तभी किया जाए जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी " प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता. ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने पर व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची- 18

लेखा-टिप्पणियां

18.1 पूंजी:

1. पूंजी अनुपात:

बेसल - II के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	अप्रयोज्य	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.38%	10.02%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.47%	2.72%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	12.85%	12.74%

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.62%	9.68%
(ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.65%	10.36%
(iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.07%	2.24%
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	12.72%	12.60%
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	57.13%	58.03%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	509,88,82,979	517,89,88,645
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	0.38	23,813.69
(viii)	अतिरिक्त टियर -1 (एटी 1) पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है		
	क) पीएनसीपीएस:	निरंक	निरंक
	ख) पीडीआई:	7,317.30	2,000.00
(ix)	उगाही गई टियर-2 पूंजी में सम्मिलित है:		
	क) ऋण पूंजी लिखत		
	ख) अधिमान शेयर पूंजी लिखत:	4,115.90	निरंक
	ज्बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/	निरंक	निरंक
	मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर		
	(आरएनसीपीएस)/मोचनीय संचयी		
	अधिमान शेयर (आरसीपीएस)		

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.न.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 के माध्यम से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित निधि और आस्थगित कर आस्तियों को सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का उपयोग किया है।

2. शेयर पूंजी

क) बैंक को विभिन्न हक विवादों या दिनांक 18.03.2018 को बंद हुए अधिकार निर्गम से संबंधित अन्य पक्षकारों के दावों के कारण रोककर रखे गए प्रति शेयर ₹1/- के 24,000 इक्विटी शेयर जारी करने के रूप में ₹0.38 करोड़ की प्रीमियम राशि सहित ₹0.38 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। रोककर रखे गए इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 31.01.2019 को किया गया।

ख) शेयर जारी करने से संबंधित व्यय ₹9.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹17.60 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते को नामे किया गया।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)

जारी आईपीडीआई जो संमिश्र टियर-I पूंजी के लिए पात्र है और बकाया आईपीडीआई का ब्योरा निम्नानुसार है:

क) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.19 को रुपए के समतुल्य	31.03.2018 को रुपए के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम - 29वीं श्रृंखला के तहत जारी अतिरिक्त टीयर-1 (एटी1) बॉण्ड -	22.09.2016	बेमियादी नॉन-काल 5 वर्ष	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2,074.65	1,955.25

यह बॉण्ड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज (एसजीएक्स) में सूचीबद्ध किए गए हैं।

ख) देशीय:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10(टियर 1) श्रृंखला I	1,000.00	14.08.2009	9.10
2.	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर-1	100.00	25.11.2009	9.10
3.	पूर्ववर्ती एसबीपी-टियर-1 श्रृंखला 1	300.00	18.01.2010	9.15
4.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 (टियर 1) श्रृंखला II	1,000.00	27.01.2010	9.05
5.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर 1, श्रृंखला XII	135.00	24.02.2010	9.20
6.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर 1, श्रृंखला XIII	200.00	20.09.2010	9.05
7.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1	2,100.00	06.09.2016	9.00
8.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला II	2,500.00	27.09.2016	8.75
9.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड2016अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला III	2,500.00	25.10.2016	8.39
10.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड2016अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला IV	2,000.00	02.08.2017	8.15
11.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1	4,021.00	04.12.2018	9.56
12.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला II	2,045.00	21.12.2018	9.37
13.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला III	1,251.30	22.03.2019	9.45
योग		**19,152.30***		

*इसमें वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बाजार से जुटाए गए ₹2,000 करोड़ शामिल हैं जिसमें से एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा किए गए ₹550 करोड़ के निवेश को आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार टियर-1 पूंजी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

4. गौण ऋण

बॉण्ड पर अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं अमोचनीय है और सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। बकाया गौण ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
1	पूर्ववर्ती एसबबीबीजे निम्न टियर II,	500.00	20.03.2012	9.02	120
	(श्रृंखला VI)		20.03.2022		
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय	2,000.00	02.01.2014	9.69	120
	(निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II)		02.01.2024		
3	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II	325.00	05.06.2009	8.39	180
	(श्रृंखला IX)		05.06.2024		
4	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II	450.00	21.08.2009	8.50	180
	(श्रृंखला X)		21.08.2024		
5	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II	475.00	08.09.2009	8.60	180
	(श्रृंखला XI)		08.09.2024		
6	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II	500.00	17.12.2014	8.55	120
	बेसल III अनुपालक		17.12.2024		
7	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर II	950.00	22.01.2015	8.29	120
	बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला I)		22.01.2025		
8	पूर्ववर्ती एसबीबीजे टियर II	200.00	20.03.2015	8.30	120
	बेसल-III - अनुपालक		20.03.2025		
9	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II	393.00	31.03.2015	8.32	120
	बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XIV)		31.03.2025		
10	एसबीआई अपरिवर्तनीय	866.92	04.11.2010	9.50	180
	(पब्लिक इश्यू) बॉण्ड 2010 (श्रृंखला - II), निम्न टियर II		04.11.2025		
11	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	4,000.00	23.12.2015	8.33	120
	(निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक		23.12.2025		
12	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II	500.00	30.12.2015	8.40	120
	बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XV)		30.12.2025		

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
13	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II	300.00	31.12.2015	8.40	120
	बेसल-III - अनुपालक		31.12.2025		
14	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II	200.00	18.01.2016	8.45	120
	बेसल-III - अनुपालक		18.01.2026		
15	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II	200.00	08.02.2016	8.45	120
	बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XVI)		08.02.2026		
16	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट)	3,000.00	18.02.2016	8.45	120
	बेसल III (टियर II बॉण्ड्स 2015-16, श्रृंखला II)		18.02.2026		
17	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू)	3,937.60	16.03.2011	9.95	180
	बॉण्ड - 2011 - रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II)		16.03.2026		
18	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू)	828.32	16.03.2011	9.45	180
	बॉण्ड - 2011 - नॉन रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II)		16.03.2026		
19	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	3,000.00	18.03.2016	8.45	120
	(निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक				
	टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला III)		18.03.2026		
20	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	500.00	21.03.2016	8.45	120
	(निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक				
	टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला IV)		21.03.2026		
21	पूर्ववर्ती एसबीटी टियर II	515.00	30.03.2016	8.45	120
	बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला I)		30.03.2026		
22	पूर्ववर्ती एसबीटी उच्च टियर II	500.00	26.03.2012	9.25	180
	(श्रृंखला III)		26.03.2027		
23	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	4,115.90	02.11.2018	8.90	120
	बेसल III - टियर II बॉण्ड 2018		02.11.2028		
योग		**28,256.74**			

18.2 निवेश

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
1.	निवेशों का मूल्य		
	i) निवेशों का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	926,650.60	10,26,438.37
	(ख) भारत से बाहर	51,473.40	46,658.94
	ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	9,094.19	9,698.21
	(ख) भारत से बाहर	158.22	508.24
	iii) पुनर्संरचित खातों के पूंजीकृत ब्याज पर देयता(एलआईसीआरए)	1,849.64	1,904.15
	iv) निवेशों का निवल मूल्य		
	(क) भारत में	915,706.77	10,14,836.01
	(ख) भारत से बाहर	51,315.18	46,150.70
2.	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
	i) वर्ष के प्रारंभ में अधिशेष	10,206.45	642.76
	ii) जोड़ें: पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबी के विलय पर किए गए प्रावधान	1,863.13	9,959.55
	iii) घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	-	16.51
	iv) घटाएं/जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(22.24)	(5.65)
	v) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	2,839.41	385.00
	vi) वर्ष की समाप्ति पर अधिशेष	9,252.41	10,206.45

टिप्पणियां :

क. गत वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक लि के अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।

ख. ₹21,219.41 करोड़ की प्रतिभूतियों (पिछले वर्ष ₹40,992.04 करोड़) को मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)/एनएससीसीएल/एमसीएक्स/एनएसईआईएल/बीएसई के पास प्रतिभूति निपटान के लिए रखा गया।

ग. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगियों एवं सहयोगियों में अतिरिक्त पूंजी लगाई अर्थात i) एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लि. ₹347.80 करोड़, ii) एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्रा.लि. ₹30.00 करोड़, iii) एसबीआई पेमेंट सर्विसिज प्रा.लि. ₹2.50 करोड़, iv) भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लि. ₹1,604.43 करोड़, v) जियो पेमेंट बैंक लि. ₹30.00 करोड़, vi) उत्कल ग्रामीण बैंक ₹63.14 करोड़, vii) मध्यांचल ग्रामीण बैंक ₹ 57.63 करोड़, viii) राजस्थान मरूधारा ग्रामीण बैंक ₹7.28 करोड़, ix) नागालैंड ग्रामीण बैंक ₹0.65 करोड़ तथा पूंजी निवेश के बाद बैंक की हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. वर्ष के दौरान बैंक ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी 4% हिस्सेदारी ₹473.12 करोड़ लाभ के साथ बेच दी है। तद्नुसार बैंक की अंशधारिता 74.00% से कम होकर 70.00% हो गई है।

ङ. बैंक निम्नलिखित विवरणानुसार आरआरबी से अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो गया है: -

(₹ करोड़ में)

आरआरबी का नाम	राशि
मालवा ग्रामीण बैंक	0.35

2. रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित) (अंकित मूल्य पर)

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2019 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रति भूतियाँ					
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ				
		-	1,31,364.16	48,101.62	1,12,793.84
		(-)	(94,252.00)	(11,859.64)	(94,252.00)
ii)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
		-	12,382.91	7,742.36	10,264.00
		(-)	(7,614.78)	(1,849.22)	(7,613.71)
रिवर्स रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ					
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ				
		-	43,507.94	5,202.46	1,963.89
		(-)	(83,636.62)	(26,858.19)	(138.94)
ii)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
		-	860.43	816.74	859.81
		(-)	(581.22)	(573.73)	(574.07)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉनएसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) की सीमा (राशि)	"निवेश ग्रेड से नीचे" वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"रेटिंग रहित" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"गैर सूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*
i	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	48,324.45 (49,524.49)	18,145.75 (25,424.36)	356.64 (414.14)	- (-)	- (-)
ii	वित्तीय संस्थाएं	67,836.16 (72,183.66)	55,738.02 (66,780.93)	- (-)	- (-)	- (250.00)
iii	बैंक	19,374.89	1,457.62	1,177.32	23.62	23.62
		(16,540.91)	(1,927.73)	(1,988.79)	(23.62)	(23.62)
iv	निजी कारपोरेट	41,791.89 (48,275.25)	23,398.59 (36,182.49)	826.18 (528.49)	341.30 (481.94)	24.70 (24.70)
v	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	9,909.36 (7,793.06)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
vi	अन्य	24,977.19 (24,304.13)	623.66 (-)	2,383.40 (991.02)	53.47 (60.07)	3.17 (-)
vii	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान, एलआईसीआरए सहित	7,075.11 (6,030.63)	- (-)	25.21 (-)	30.60 (-)	- (-)
	योग	**2,05,138.83** **(2,12,590.87)**	**99,363.64** **(1,30,315.51)**	**4,718.33** **(3,922.44)**	**387.79** **(565.63)**	**51.49** **(298.32)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/ सूची दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ख. अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	4,595.25	447.54
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	1,986.35	4,250.77
वर्ष के दौरान कमी	971.94	103.06
इतिशेष	5,609.66	4,595.25
रखे गए कुल प्रावधान	**5,209.17**	**2,452.30**

गत वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा बीएमबीएल के अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।

4. एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

5. प्रतिभूत रसीदों (एस आर) में निवेश का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर	5 वर्षों से अधिक पहले और 8 वर्षों के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से पहले जारी एसआर	कुल
i.	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	9,464.18	344.72	25.93	9,834.83
	(i) के लिए रखा गया प्रावधान	196.90	-	25.93	222.83
ii.	आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	0.74	6.07	0.34	7.15
	(ii) के लिए रखा गया प्रावधान	-	1.45	0.34	1.79
कुल (i) + (ii)		**9,464.92**	**350.79**	**26.27**	**9,841.98**

6. प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) /पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को बेचे गए एनपीए के लिए प्रतिभूत रसीदों में निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च, 2019 को प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	9,841.98	10,489.53	-	16.41	9,841.98	10,505.94
वर्ष के दौरान प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेश का बही मूल्य	16.58	5,214.56	-	-	16.58	5,214.56

18.3 डेरिवेटिव्स:

क. वायदा दर करार (एफआरए)/ ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि#	3,74,120.04	3,60,705.72
ii)	करार के अधीन प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	3,342.37	904.42
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का संकेन्द्रण	कोई महत्वपूर्ण नहीं	कोई महत्वपूर्ण नहीं
v)	विनिमय-बही का उचित मूल्य	125.32	(-) 555.68

#बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों तथा अन्य बैंकों के साथ किए गए आईआरएस/एफआरए की ₹19022.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,988.82 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार मूल्य को बही में अंकित नहीं किया गया है।

31 मार्च 2019 को वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

लिखत	प्रकृति	सं.	आनुमानिक मूलधन	आधार (बेचमार्क)	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	219	6,229.77	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	1	176.35	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	115	955.46	अन्य	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	56	33,471.30	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	22	1,075.91	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	73	19,168.46	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	204	40,973.65	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	2,709	1,29,351.55	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	2	760.70	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	2,715	1,29,224.72	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	68	3,028.50	मिफोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	81	3,622.00	मिफोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	18	3,678.13	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	24	2,403.54	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
	योग		**3,74,120.04**		

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	वर्ष के दौरान बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि	निरंक	निरंक
	क) ब्याज दर वायदे	42,099.96	54,611.66
	ख) भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति		
2	31 मार्च, 2019 को बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूलराशि	निरंक	निरंक
	क) ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
	ख) भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	लागू नहीं	लागू नहीं
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज दर की आनुमानिक मूलराशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।		

ग) डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर

(क) गुणात्मक जोखिम एक्सपोज़र

i. बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स तथा एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का लेनदेन करता है। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वायदा दर करार, कैप, फ्लोर व कॉलर शामिल हैं। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स, मुद्रा मुद्रा स्वैप, रुपया डॉलर ऑप्शन्स और क्रास मुद्रा ऑप्शन्स शामिल हैं। बैंक के ग्राहकों को इन उत्पादों का स्वैप प्रस्ताव, उनके निवेशों को हेज करने के लिए किया जाता है और बैंक ऐसे जोखिमों से सुरक्षा के लिए डेरिवेटिव्स संविदाएं निष्पादित करता है। बैंक द्वारा डेरिवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों की हेजिंग हेतु भी किया जाता है। बैंक यूएसडी/ भारतीय रुपए में भी ऑप्शन्स की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमा और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होता है, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी का मूल्य में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को होने वाली संभावित हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही डेरिवेटिव्स लेनदेन में ऋण जोखिम भी शामिल है, अर्थात यदि प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता, तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में संभावित हानि उठानी पड़ सकती है। बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरिवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लोस ट्रिगर, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 आदि) निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, बैंकिंग संबंध अवधि, सीमाएं ग्राहक उपयुक्तता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरिवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया जाता है। देयताओं को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष के लिए समुचित सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार करता है।

iii. इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की निगरानी बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) करती है। बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी करता है तथा इन जोखिमों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन-नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2017-18 की महत्वपूर्ण लेखा नीति (एसएपी): अनुसूची-17 में दिया गया है।

v. ब्याज दर स्वैप का उपयोग मुख्यतः विदेश स्थित कार्यालयों में आस्ति और देयताओं की हेजिंग के लिए किया जाता है।

vi. हेजिंग स्वैप के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले स्वैप में हमारे विदेश स्थित कार्यालयों में किए गए बैक टू बैक (दुतरफा) स्वैप किए जाते हैं। इन्हें मुख्यतः ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमा राशियों की हेजिंग हेतु किया जाता है।

vii. अधिकांश स्वैप प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ किए गए हैं।

viii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में स्वैप शामिल हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है। स्वैप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

ix. डेरिवेटिव्स सौदे केवल उन्हीं अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ किए गए जिनके लिए प्रतिपक्षी एक्सपोजर सीमाएं स्वीकृत है। इसी प्रकार, डेरिवेटिव सौदे केवल उन कॉरपोरेट के साथ किए गए जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की गई है। डेरिवेटिव लेनदेन के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को, मामले दर मामले आधार पर क्रेडिट स्वीकृति शर्तों के हिस्से के रूप में रखा जाता है। बैंक कुछ मामलों में जोखिम शमन उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है। डेरिवेटिव्स लेनदेनों के लिए संपार्श्विक आवश्यकताएं मामला दर मामला आधार पर ऋण संस्वीकृति शर्तों के साथ निर्धारित की जाती हैं। ऐसे संपार्श्विक आवश्यकताओं को नेमी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कतिपय मामलों में जोखिम न्यूनिकरण उपाय के रूप में लेन-देनों को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास है।

ख. मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र:

(₹ करोड़ में)

मद		मुद्रा डेरिवेटिव्स		ब्याज दर डेरिवेटिव्स	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I)	डेरिवेटिव्स				
	(आनुमानिक मूल राशि)				
	(क) हेजिंग के लिए	8,983.92 @	20,605.24 @	41,908.78 #	49,193.30 #
	(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	2,47,198.72	6,16,447.95	3,37,642.76	3,11,512.42
	(II) बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
	(क) आस्ति	3,555.69	5,716.35	3,365.55	592.99
	(ख) देयता	3,130.82	5,218.09	3,240.23	1,152.54
(III)	ऋण जोखिम	12,665.30	21,749.61	7,037.75	4,160.44
(IV)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*पीवी01) का संभाव्य प्रभाव				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	1.08	-0.14	150.90	-3.14
	(ख) क्रय-विक्रय डेरिवेटिव्स पर	15.83	0.98	136.08	11.62
(V)	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर -				
	अधिकतम	1.08	-	255.40	2.81
	न्यूनतम	-	-0.04	-	-
	(ख) क्रय-विक्रय पर -				
	अधिकतम	24.41	1.18	149.73	0.76
	न्यूनतम	-129.75	-	0.08	-

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों और अन्य बैंकों के साथ किए गए स्वैप की ₹245.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2870.26 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

#बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹19,022.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,988.82 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और इसलिए बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। मुद्रा डेरिवेटिव्स ₹427.12 (पिछले वर्ष ₹ शून्य) और ब्याज दर डेरिवेटिव्स शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

1. मार्च 31, 2019 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप के बीच डेरिवेटिव्स व्यापार की बकाया आनुमानिक राशि ₹19694.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5,859.08 करोड़) है और 31 मार्च 2019 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरिवेटिव्स व्यापार की राशि ₹8,929.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12,056.81 करोड़) है।

2. ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2019 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बहीमूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹45,661.89 करोड़ (पिछले वर्ष ₹45,442.82 करोड़) है।

18.4 आस्ति-गुणवत्ता

क. अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
i)	कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	3.01%	5.73%
ii)	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल)		
	(क) अथशेष	2,23,427.46	1,12,342.99
	(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (नया एनपीए)	32,738.05	1,60,303.65
	उप-योग(I)	2,56,165.51	2,72,646.64
	घटाएं:		
	(घ) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	4,794.34	4,746.09
	(ङ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	19,715.63	4,277.67
	च) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाता	5,139.76	4,537.11
	(छ) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	53,765.42	35,658.31
	उप-योग (ii)	83,415.15	49,219.18
	(च) इतिशेष(I-II)	1,72,750.36	2,23,427.46
III)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथशेष	1,10,854.70	58,277.38
	(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	27,008.89	61,478.47
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	71,968.85	8,901.15
	(घ) इतिशेष	65,894.74	1,10,854.70
IV)	निवल अनर्जक आस्तियों की प्रावधान राशि में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) अथशेष	1,12,572.76	54,065.61
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	54,844.57	98,825.17
	(घ) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	60,561.71	40,318.02
	(घ) इतिशेष	1,06,855.62	1,12,572.76

एनपीए के प्रावधानों के अथशेष एवं इतिशेष में ईसीजीसी/ सीजीएफएमयू से प्राप्त दावे शामिल है और रखी गई बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹8.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.97 करोड़) और ₹235.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.72 करोड़) है।

पिछले वर्ष की बढ़ोतरी/प्रावधानों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा बीएमबीएल के अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।

ख. आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीआर.बी.पी.बी.सी. नं .32/21.04.018/2018-19 दिनांक 01 अप्रैल 2019 के अनुसार यदि आरबीआई द्वारा मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान रिपोर्ट किए गए प्रावधान पूर्व लाभ से 10% से अधिक है तथा/या आरबीआई द्वारा अवधि विशेष के दौरान चिह्नित सकल एनपीए घोषित किए गए वृद्धिशील एनपीए से 15% अधिक है तो बैंकों को आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में किए गए विचलन का प्रकटीकण करना पड़ेगा।

तद्नुसार, चूंकि उपरोक्त सीमा में नहीं आने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विचलन की स्थिति अलग से दर्शाई नहीं गई है। * आरबीआई द्वारा नोट की गई विचलनों के कारण उपर्युक्त पूर्वप्रभावी नई एनपीए का निवल चालू प्रभाव को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में विधिवत रूप से दर्शाया गया है।

क. पुनर्संरचित खाते

(₹करोड़ में)

	पुनर्संरचना के तरीके		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
क्र. सं.	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
	विवरण											
1	1अप्रैल 2018 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	8	3	65	8	84	48	169	171	18	406
			(28)	(-)	(68)	(4)	(100)	(81)	(25)	(128)	(19)	(253)
		बकाया राशि	607.77	380.51	15,840.78	248.84	17,077.90	75.59	377.84	2,559.80	6.82	3,020.05
			(7,711.79)	(-)	(17,030.68)	(82.59)	(24,825.06)	(5,640.63)	(204.06)	(2,464.71)	(6.88)	(8,316.28)
		संबंधित प्रावधान	7.06	28.17	106.20	-	141.43	18.23	26.85	115.41	0.39	160.88
			(327.32)	(-)	(360.74)	(0.94)	(689.01)	(21.94)	(10.65)	(113.98)	(-)	(146.57)
2	चालू वित्त वर्ष में नए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.							28	4	3	35
			(23)	(4)	(18)	(6)	(51)	(288)	(436)	(2,066)	(288)	(3,078)
		बकाया राशि	68.59		95.32		163.91	42.73	42.82	27.70	0.27	113.52
			(3,453.35)	(220.71)	(8,499.62)	(186.82)	(12,360.50)	(83.44)	(188.53)	(189.35)	(5.34)	(466.66)
		संबंधित प्रावधान	0.09				0.09		3.74	0.45	0.27	4.46
			(192.47)	(20.86)	(15.30)	(0.03)	(228.66)	(27.69)	(3.80)	(3.94)	(0.39)	(35.82)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.										
			(1)	(-)	(-1)	(-)	(-)	(1)	(-)	(-1)	(-)	(-)
		बकाया राशि										
			(443.42)	(-)	(-443.42)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान										
			(6.33)	(-)	(-6.33)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है, और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-1				-1	-2				-2
			(-11)				(-11)	(-43)				(-43)
		बकाया राशि	-23.05				-23.05	-4.56				-4.56
			(-5,389.94)				(-5,389.94)	(-5,318.42)				(-5,318.42)
		संबंधित प्रावधान						-0.23				-0.23
			(-209.29)				(-209.29)	(-1.80)				(-1.80)
			-2	-2	1	3	-	-2	2	-	-	-
5	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की सं.	(-13)	(-)	(11)	(2)	(-)	(-6)	(5)	(-3)	(4)	(-)
			-332.43	-221.77	-87.04	641.24		-38.02	-38.02			-
		बकाया राशि	(-3,336.83)	(303.58)	(2,747.62)	(285.63)	(-)	(-235.87)	(125.95)	(108.16)	(1.76)	(-)
				-9.52	9.52			-0.35	0.35			
		संबंधित प्रावधान	(-36.14)	(7.65)	(28.03)	(0.47)	(-)	(-12.02)	(12.02)	(-)	(-)	(-)
			-1	-1	-22	-2	-26	-16	-32	-33	-4	-85
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	(-20)	(-1)	(-31)	(-4)	(-56)	(-273)	(-297)	(-2,019)	(-293)	(-2,882)
			-174.83	-158.74	-9612.97	-233.55	-10180.09	-29.63	-151.36	-2171.70	0.44	-2353.13
		बकाया राशि	(-2,274.02)	(-143.78)	(-11,993.72)	(-306.20)	(-14,717.72)	(-94.19)	(-140.70)	(-202.42)	(-7.16)	(-444.47)
			-6.19	-18.65	-115.72		-140.56	-7.39	-24.51	-90.98	-0.39	-123.27
		संबंधित प्रावधान	(-273.63)	(-0.34)	(-291.54)	(-1.44)	(-566.95)	(-17.58)	(0.38)	(-2.51)	(-)	(-19.71)
			4		44	9	57	28	167	142	17	354
7	31 मार्च 2019 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	(8)	(3)	(65)	(8)	(84)	(48)	(169)	(171)	(18)	(406)
			146.04		6236.10	656.53	7038.67	46.11	307.32	415.80	6.65	775.88
		बकाया राशि	(607.77)	(380.51)	(15,840.78)	(248.84)	(17,077.90)	(75.59)	(377.84)	(2,559.80)	(6.82)	(3,020.05)
			0.96				0.96	10.26	6.43	24.88	0.27	41.84
		संबंधित प्रावधान	(7.06)	(28.17)	(106.20)	(-)	(141.43)	(18.23)	(26.85)	(115.41)	(0.39)	(160.88)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके / आस्ति वर्गीकरण / विवरण		अन्य (3)					योग (1 + 2 + 3)				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
1	1 अप्रैल 2018 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	360	335	1,094	45	1,834	416	507	1,330	71	2,324
			(100)	(206)	(1,990)	(49)	(2,345)	(209)	(231)	(2,186)	(72)	(2,698)
		बकाया राशि	4,179.74	3,933.96	29,631.18	966.41	38,711.28	4,863.08	4,692.31	48,031.77	1,222.07	58,809.23
			(23,281.14)	(2,714.14)	(6,774.45)	(30.56)	(32,800.30)	(36,633.56)	(2,918.20)	(26,269.85)	(120.03)	(65,941.64)
		संबंधित प्रावधान	350.99	80.14	170.62	0.64	602.39	376.27	135.15	392.24	1.03	904.69
			(242.27)	(28.14)	(174.82)	(-)	(445.23)	(591.54)	(38.79)	(649.55)	(0.94)	(1,280.82)
2	चालू वित्त के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की सं.	7	111	291	66	475	7	139	295	69	510
			(30,726)	(6,219)	(235)	(20)	(37,200)	(31,037)	(6,659)	(2,319)	(314)	(40,329)
		बकाया राशि	9347.86	2.96	94.95	3.95	9449.72	9459.18	45.78	217.96	4.23	9725.15
			(8,757.80)	(3,097.75)	(9,145.22)	(121.52)	(21,122.29)	(12,294.58)	(3,506.99)	(17,834.19)	(313.68)	(33,949.44)
		संबंधित प्रावधान	43.41	0.47	8.02	2.26	54.16	43.49	4.21	8.47	2.53	58.70
			(236.33)	(25.15)	(93.70)	(4.23)	(359.41)	(456.49)	(49.80)	(112.94)	(4.66)	(623.89)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	7	-7		-	-	7	-7			
			(5)	(-3)	(-2)	(-)	(-)	(7)	(-3)	(-4)	(-)	(-)
		बकाया राशि	0.29	-0.29			-	0.29	-0.29			
			(656.33)	(-605.65)	(-50.68)	(-)	(-)	(1,099.75)	(-605.65)	(-494.10)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			(3.99)	(-1.04)	(-2.95)	(-)	(-)	(10.32)	(-1.04)	(-9.28)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-22				-22	-25				-25
			(-38)				(-38)	(-92)				(-92)
		बकाया राशि	-9421.29				-9421.29	-9448.90				-9448.90
			(-2,716.15)				(-2,716.15)	(-13,424.50)				(-13,424.50)
		संबंधित प्रावधान	-4.31				-4.31	-4.54				-4.54
			(-14.83)				(-14.83)	(-225.93)				(-225.93)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की सं.	-9	-1	-79	89		-13	-1	-78	92	
			(-50)	(-222)	(249)	(23)	(-)	(-69)	(-217)	(257)	(29)	(-)
		बकाया राशि	-39.38	-1256.52	-42.68	1338.58		-409.83	-1440.27	-129.72	1979.82	
			(-21,997.58)	(456.27)	(20,388.99)	(1,152.33)	(-)	(-25,570.29)	(885.80)	(23,244.77)	(1,439.72)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-1.17	-15.18	10.96	5.39		-1.52	-24.35	20.48	5.39	
			(-133.95)	(52.17)	(81.52)	(0.26)	(-)	(-182.12)	(71.84)	(109.55)	(0.73)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-43	-211	-520	-29	-803	-60	-244	-575	-35	-914
			(-30,383)	(-5,865)	(-1,378)	(-47)	(-37,673)	(-30,676)	(-6,163)	(-3,428)	(-344)	(-40,611)
		बकाया राशि	-157.41	-2650.27	-21678.71	-1505.78	-25992.17	-361.87	-2960.38	-33463.39	-1739.76	-38525.
			(-3,801.80)	(-1,728.55)	(-6,626.80)	(-338.00)	(-12,495.16)	(-6,170.02)	(-2,013.03)	(-18,822.94)	(-651.36)	(-27,657.35)
		संबंधित प्रावधान	-69.35	-64.58	-174.37	-4.24	-312.54	-82.93	-107.73	-381.07	-4.63	-576.36
			(-248.70)	(-24.28)	(-176.47)	(-3.85)	(-453.30)	(-539.91)	(-24.24)	(-470.52)	(-5.30)	(-1,039.97)
7	31 मार्च 2019 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	300	227	786	171	1484	332	394	972	197	1895
			(360)	(335)	(1,094)	(45)	(1,834)	(416)	(507)	(1,330)	(71)	(2,324)
		बकाया राशि	3909.81	29.83	8004.74	803.16	12747.54	4101.96	337.15	14656.62	1466.35	20562.08
			(4,179.74)	(3,933.96)	(29,631.18)	(966.41)	(38,711.28)	(4,863.08)	(4,692.31)	(48,031.77)	(1,222.07)	(58,809.23)
		संबंधित प्रावधान	319.57	0.85	15.23	4.05	339.70	330.77	7.29	40.11	4.32	382.49
			(85.11)	(80.14)	(170.62)	(0.64)	(336.51)	(110.39)	(135.15)	(392.24)	(1.03)	(638.81)

टिप्पणी:

1. बकाया में ₹8,263.39 करोड़ की हुई वृद्धि (पिछले वर्ष ₹11,165.38 करोड़) नई वृद्धि में सम्मिलित है।
2. ₹27360.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10,935.28 करोड़) की बंदी और ₹1,133.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9266.34 करोड़) की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
3. उच्च प्रावधान नहीं की गई मानक आस्तियाँ योग के कालम में शामिल नहीं की गयी है।
4. पिछले वर्ष में की गई नई पुनर्संरचना में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा बीएमबीएल के अधिग्रहण पर प्राप्त प्राप्यों को शामिल किया गया है।

घ. आरबीआई के परिपत्र क्रमांक डीबीआर क्र. बीपी. बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1.01.2019 के अनुसार पुनर्संरचित एमएसएमई खातों का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि
17,419	627.64

ङ. तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष	4,537.11	Nil
ii	जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	5,139.76	12,926.65
iii	उप योग (क)	9,676.87	12,926.65
iv	घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	4,537.11	8,389.54
v	31 मार्च तक इतिशेष (क - ख)	5,139.76	4,537.11

पिछले वर्ष तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक तथा बीएमबीएल के अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्य शामिल हैं।

च. आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	खातों की संख्या	47	32
ii	प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान का निवल)	2,227.88	964.72
iii	समग्र प्रतिफल	4,330.99	1,304.36
iv	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
v	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/ (हानि)#	2,103.11	339.64

*भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।

#इसमें प्रभार/(ब्याज) के रूप में जमा की गई ₹4.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ निरंक करोड़) की राशि शामिल है।

छ. प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों के कारण हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान	1,075.12	-

ज. क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	(क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	निरंक	निरंक
	(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2)	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

झ. बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

बैंक द्वारा मानक आस्तियों पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	बिक्री किए गए खातों की सं.	29	16
2)	कुल बकाया राशि	6,545.21	1,323.69
3)	प्राप्त की गई कुल प्रतिफल राशि	3,155.43	1,057.73

ञ. मानक आस्तियों पर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	12,396.68	12,499.46

ट. कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचित योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

एसडीआर लागू किये गये खातों की संख्या	31 मार्च, 2019 को बकाया राशि		31 मार्च 2019 को उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण लंबित है		31 मार्च 2019 को उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण हो गया है	
वर्गीकृत	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ठ. मौजूदा ऋण की नमनीय संरचना पर प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

अवधि	नमनीय संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	नमनीय संरचना हेतु लिए गए ऋणों की :चंऊच		नमनीय संरचना हेतु लिए गए ऋणों के एक्सपोजर भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	आवेदन पूर्व नमनीय संरचना (वर्ष)	आवेदन पश्चात नमनीय संरचना (वर्ष)
पिछला वर्ष	2	1,254.32	-	3.55 वर्ष	9.67 वर्ष
चालू वर्ष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ड. एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

बैंक द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन के निर्णय से प्रभावित खातों की संख्या	रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों की गिरवी का खंडन लंबित रहने के संदर्भ में बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों की गिरवी का खंडन होने के संदर्भ में बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ताजा शेयर जारी कर स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पित हो या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री की बकाया राशि	
वर्गीकृत	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ढ. कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावित करने का फैसला किया है	31 मार्च, 2019 को बकाया राशि		
	मानक रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ण. 31.03.2019 को अनर्जक आस्तियों (एस 4 ए) की संवहनीय संरचना के लिए योजना का प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

एस4ए प्रयुक्त खाते		बकाया कुल राशि	बकाया राशि		प्रावधानीकृत
आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या		भाग ए में	भाग बी में	
मानक खाते	4	2,603.21	1,205.35	1,397.86	608.12
एनपीए	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

18.5 व्यवसाय अनुपात:

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	6.55%	6.37%
ii.	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	0.99%	1.29%
iii.	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.49%	1.72%
iv.	आस्तियों पर आय*	0.02%	(-) 0.19%
v.	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	18.77	16.70
vi.	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	33.39	(-) 243.33

* (निवल आस्ति आधार पर)

18.6 आस्ति देयता प्रबंधन: 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	1दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से अधिक किंतु 2 मास तक	2 से अधिक किंतु 3 मास तक	3 से अधिक किंतु 6 मास तक	6 से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	20,801.66	67,397.57	38,395.92	70,124.55	1,09,112.89	1,04,290.94	2,80,613.69	5,56,965.57	5,31,671.81	3,03,630.51	8,28,380.90	29,11,386.01
	(18,801.34)	(62,884.68)	(36,410.72)	(59,039.39)	(1,02,902.64)	(95,934.27)	(2,68,120.10)	(5,02,239.16)	(5,05,095.20)	(2,82,468.59)	(7,72,447.20)	(27,06,343.29)
अग्रिम	23,338.39	13,259.37	10,239.57	38,815.39	31,390.31	33,817.93	69,805.47	1,00,265.25	10,91,890.56	2,90,220.65	4,82,834.03	21,85,876.92
	(9,505.35)	(22,201.83)	(23,146.72)	(96,137.66)	(47,241.42)	(61,224.31)	(1,17,078.25)	(2,73,529.68)	(2,87,544.39)	(2,47,962.40)	(7,49,308.18)	(19,34,880.19)
निवेश	22.36	6,432.46	2,525.26	13,582.82	8,105.72	22,921.96	25,099.70	42,890.15	1,66,758.51	1,81,538.37	4,97,144.64	9,67,021.95
	(79.71)	(1,753.94)	(7,824.29)	(7,044.03)	(41,927.02)	(29,445.22)	(33,385.93)	(55,415.07)	(164,722.92)	(174,516.31)	(5,44,872.27)	(10,60,986.71)
उधार-राशियाँ	16,679.67	89,536.61	3,684.07	20,965.35	57,773.72	20,810.07	27,681.37	34,911.01	47,258.20	28,896.05	54,821.00	4,03,017.12
	(217.95)	(84,918.90)	(38,244.45)	(19,866.70)	(23,856.81)	(23,304.46)	(25,422.91)	(30,492.51)	(44,182.98)	(23,658.96)	(47,975.44)	(3,62,142.07)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	43,190.02	3,268.05	3,451.22	10,523.17	18,236.76	16,732.11	35,576.40	41,045.46	95,815.96	83,623.23	39,988.32	3,91,450.70
	(2,410.92)	(2,875.52)	(3,525.69)	(22,501.88)	(13,481.32)	(17,334.18)	(31,977.62)	(40,927.39)	(145,715.96)	(74,935.97)	(37,041.66)	(3,92,728.11)
विदेशी मुद्रा देयताएँ	24,255.18	17,027.04	4,671.82	29,440.95	23,767.03	29,231.40	40,986.24	65,749.56	59,114.18	47,839.17	15,742.68	3,57,825.25
	(877.05)	(22,146.51)	(10,534.83)	(23,488.39)	(31,245.24)	(31,360.75)	(39,865.36)	(63,595.71)	(73,874.40)	(39,418.43)	(28,029.95)	(3,64,436.62)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, अग्रिम एवं निवेश(निवल का प्रावधान) को दर्शाते हैं
$ विदेशी मुद्रा देयताएँ, ऋण एवं जमा को दर्शाते हैं

18.7 एक्स्पोजर (ऋण-जोखिम)

बैंक आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को भी ऋण प्रदान करता है।

क. स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I	i) आवासीय बंधक	3,28,969.21	3,03,188.55
	ऋणकर्ता के कब्जे में या कब्जे में आने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूरी तरह सुरक्षित।	3,28,969.21	3,03,188.55
	जिसमें से आवासीय इकाई खरीदने/निर्माण के लिए प्रति परिवार महानगरीय क्षेत्रों (जनसख्या >= 10 लाख) में (i) 35 लाख रुपए तक व्यक्तिगत आवास ऋण (पिछला वर्ष 28 लाख रुपए) तथा अन्य केंद्रों पर 25 लाख रुपए (पिछला वर्ष 20 लाख रुपए)।	1,54,846.41	1,26,359.38
	ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) गैर- निधि आधारित सीमा भी इस एक्सपोजर में शामिल है।	38,764.19	82,807.89
	iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य		
	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर:	-	266.05
	क) आवासीय	-	266.05
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-	-
II	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	96,683.37	87,233.16
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	**4,64,416.77**	**4,73,495.65**

ख. पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	8,438.87	8,471.07
2)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर दिए गए अग्रिम	24.41	31.47
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डो या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	26.07	1,084.72
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/ परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/ इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है।	8,114.07	12,187.75
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	135.91	200.15
6)	संसाधन वृद्धि की अपेक्षा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तक (प्रमोटर) के हिस्से को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेटों को शेयरों/बॉन्डो/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण।	1.68	3.36
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण।	Nil	Nil
8)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार।	Nil	Nil
9)	शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	0.13	215.00
10)	उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोजर (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	2,185.02	1,948.56
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**18,926.16**	**24,142.08**

ग. जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार, बैंक के देशवार एक्सपोजर का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी अन्य देश में बैंक का देशगत जोखिम (निवल निधिकृत) कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है अतः यूएसए के लिए देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	निवल निधिकृत जोखिम		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	90,015.33	96,534.70	121.06	111.18
बहुत कम	53,189.73	53,321.64	Nil	Nil
कम	11,366.00	11,110.42	Nil	Nil
मध्यम	17,523.32	13,480.60	Nil	Nil
अधिक	7,126.62	4,246.28	Nil	Nil
अत्यधिक	8,314.33	8,082.38	Nil	Nil
प्रतिबंधित	1,299.06	3,964.32	Nil	Nil
कुल	**1,88,834.39**	**1,90,740.34**	**121.06**	**111.18**

घ. एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को दिए गए ऋणों में बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण

बैंक ने एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकशील जोखिम सीमा में ही

ङ. अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
क)	बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	5,22,939.34	3,60,240.30
i)	इनमें से अधिकार शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर प्रभार के प्रति देय अग्रिम बकाया	निरंक	निरंक
ii)	इन अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (उपर्युक्त (i) के अनुसार)	निरंक	निरंक

18.8 विविध

क. अर्थदंडों का प्रकटीकरण

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक ऋणी द्वारा फंड के अंतिम उपयोग की निगरानी नहीं करने के कारण बैंक पर ₹1.00 करोड़ का अर्थदंड लगाया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्विफ्ट परिचालन नियंत्रण संबंधी आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों के अनुपालन नहीं करने पर ₹1.00 करोड़ का अर्थदंड लगाया है।
- सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन (सीबीबी) द्वारा बहरीन शाखा पर 5 डील में यूएसडी पैरिटी निर्देशों के अनुपालन न करने पर ₹0.92 करोड़ (बीएचडी 50,000) का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन के समक्ष अपील दायर किया है और और सीबीबी के अंतिम निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

पिछले वर्षः

ख. एसजीएल फार्म्स की बाउंसिंग के लिए अर्थदंड

एसजीएल फार्म्स की बाउंसिंग के लिए कोई अर्थ दंड नहीं लगाया गया है।

18.9 लेखा मानकों के अनुसार आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

क. लेखा मानक - 15 "कर्मचारी हितलाभ"

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1. कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

नीचे दी गई तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में)

	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	87,786.56	67,824.90	12,872.60	7,291.02
वर्तमान सेवा लागत	1,060.57	978.19	410.51	286.07
ब्याज लागत	6,812.24	6,248.32	1,001.49	713.71
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	3,610.00
अधिग्रहण पर हस्तांतरित हुई देयता	-	16,045.22	-	2,526.13
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	6,434.95	3,338.70	(107.62)	(18.74)
प्रदत्त लाभ	(3,966.53)	(4,190.42)	(1,987.93)	(1,535.59)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,765.64)	(2,458.35)	-	-
31 मार्च 2019 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	95,362.15	87,786.56	12,189.05	12,872.60
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2018 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	85,249.60	64,560.42	9,140.76	7,281.18
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	6,615.37	5,908.09	711.15	709.95
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,391.18	4,363.79	2,359.86	226.90
अधिग्रहण पर हस्तांतरित आस्तियां	-	14,742.79	-	2,484.28
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	0.34	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,966.53)	(4,190.42)	(1,987.93)	(1,535.59)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	109.65	(135.07)	102.16	(25.96)
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	90,399.61	85,249.60	10,326.00	9,140.76
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2019 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	95,362.15	87,786.56	12,189.05	12,872.60
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	90,399.61	85,249.60	10,326.00	9,140.76
कमी/(अधिशेष)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	3,731.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	(2,707.50)
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	1,024.34
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	95,362.15	87,786.56	12,189.05	12,872.60
आस्तियाँ	90,399.61	85,249.60	10,326.00	9,140.76
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	3,731.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	(2,707.50)
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/(आस्तियाँ)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	1,024.34
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,060.57	978.19	410.51	286.07
ब्याज लागत	6,812.24	6,248.32	1,001.49	713.71

(₹ करोड़ में)

	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(6,615.37)	(5,908.09)	(711.15)	(709.95)
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	(0.34)	-	-	-
लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	2,707.50	902.50
लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	6,325.30	3,473.77	(209.78)	7.22
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत	7,582.40	4,792.19	3,198.57	1,199.55
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	6,615.37	5,908.09	711.15	709.95
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	109.65	(135.07)	102.16	(25.96)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	6,725.02	5,773.02	813.31	683.99
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	2,536.96	3,264.48	1,024.34	9.84
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	7,582.40	4,792.19	3,198.57	1,199.55
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,765.64)	(2,458.35)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
	-	1,302.43	-	41.85
नियोक्ता का अंशदान	(2,391.18)	(4,363.79)	(2,359.86)	(226.90)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	1,024.34

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं

	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**	**योजना आस्तियों का %**
आस्तियों की श्रेणी	योजना आस्तियों	का %
	योजना आस्तियों	का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	23.69%	18.78%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	31.40%	33.96%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	31.93%	23.29%
म्यूचुअल फंड	2.39%	4.09%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2.63%	15.36%
अन्य	7.96%	4.51%
योग	100.00%	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण		**पेंशन योजनाएँ**
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.79%	7.76%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.79%	7.76%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.20%	5.00%
पेंशन बढ़ोतरी दर	0.40%	0.00%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	ग्रेच्युटी योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.77%	7.78%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.77%	7.78%
वेतन बढ़ोतरी	5.20%	5.00%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

योजना में अधिशेष / कमी
ग्रेच्युटी योजना

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	7,182.35	7,332.14	7,291.02	12,872.60	12,189.05
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	7,110.25	6,879.77	7,281.18	9,140.76	10,326.00
अंतर	72.10	452.37	9.84	3,731.84	1,863.05
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	2,707.50	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	72.10	452.37	9.84	1,024.34	1,863.05

विगत (एक्सपिरियंस) समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	(24.69)	326.09	10.62	399.62	(212.11)
योजना आस्ति (हानि)/ लाभ	106.04	(43.09)	182.34	(25.96)	102.16

योजना में अधिशेष / कमी
पेंशन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	51,616.04	59,151.41	67,824.90	87,786.56	95,362.15
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	49,387.97	53,410.37	64,560.42	85,249.60	90,399.61
अंतर	2,228.07	5,741.04	3,264.48	2,536.96	4,962.54
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	2,228.07	5,741.04	3,264.48	2,536.96	4,962.54

एक्सपिरियंस समायोजन

(₹ करोड़ में)

योजना देयता पर (लाभ)/हानि	1,732.86	5,502.35	3,007.59	4,439.54	3,642.57
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	2,285.87	(162.93)	2,246.60	(135.07)	109.65

योजना आस्तियों को सरकारी प्रतिभूतियों की प्राप्ति कर्व से गृहीत बाजार बही मूल्य पर निर्धारित किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की दर को बट्टा दर के अनुरूप रखा गया है।

जैसा कि योजनागत आस्ति को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की दर को डिस्काउंट दर में गणना की गई है। बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/ निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए। इसके अनुसार चालु वर्ष में धारणाओं को संशोधित किया गया है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन ठक्ड्यूरिड देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2018 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	29,934.63	25,921.96
वर्तमान सेवा लागत	943.07	942.85
ब्याज लागत	2,475.08	2,428.48
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,330.76	1,357.28
हस्तांतरित हुई देयता	-	3,309.05
बीमांकिक हानि (लाभ)	-	25.56
प्रदत्त लाभ	(4,195.61)	(4,050.55)
31 मार्च 2019 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	30,487.93	29,934.63
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2018 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	31,502.49	26,915.23
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,475.08	2,428.48
अंशदान	2,273.83	2,300.13
अन्य कंपनियों से हस्तांतरित	-	3,723.65
प्रदत्त हितलाभ	(4,195.61)	(4,050.55)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	124.14	185.55
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	32,179.93	31,502.49
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2019 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	30,487.93	29,934.63
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	32,179.93	31,502.49
कमी/(अधिशेष)	(1,692.00)	(1,567.86)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	1,692.00	1,567.86
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	943.07	942.85
ब्याज लागत	2,475.08	2,428.48
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,475.08)	(2,428.48)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	943.07	942.85
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	943.07	942.85
नियोक्ता का अंशदान	(943.07)	(942.85)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

	भविष्य निधि
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	35.51%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.74%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	31.67%
म्यूचुअल फंड	1.46%
अन्य	6.62%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	**भविष्य निधि**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.77%	7.78%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.55%	8.65%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.20%	5.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

(क) पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या

(ख) तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii. नियत अंशदान योजना

01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्त्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19, ₹451.39 (पिछले वर्ष ₹390.00 करोड़ का अंशदान किया।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी- हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ)

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	6,242.18	4,754.10
वर्तमान सेवा लागत	259.33	208.26
ब्याज लागत	485.64	432.03
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुए देयता	-	1,188.49
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	741.53	593.08
प्रदत्त लाभ	(858.28)	(933.78)
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	6,870.40	6,242.18
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	259.33	208.26
ब्याज लागत	485.64	432.03

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	741.53	593.08
अनुसूची 16 -ठख्रस्ळ्वाझ्रड्डद्रर्श को भुगतान एवं उनके लिए ख्व्रठ्ठद्द ठ्ठक्ड में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1,486.50	1,233.37
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	6,242.18	4,754.10
उपरोक्तानुसार व्यय	1,486.50	1,233.37
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुए देयता	-	1,188.49
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(858.28)	(933.78)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	6,870.40	6,242.18

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.77%	7.78%
वेतन वृद्धि	5.20%	5.00%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

ख. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹21.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹63.95 करोड़) की राशि का प्रावधान/(अपलेखन) किया गया तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारीयोंको भुगतान एवं उनके लिए प्रवाधान" शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का विवरणः

(₹ करोड़ में)

क. सं.	**दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा छूट (नकदीकरण/उपयोग)	35.00	(10.88)
2	रुग्ण अवकाश	-	-
3	रजत जयंती अवार्ड	(1.47)	(27.87)
4	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	(4.15)	(13.23)
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	**(7.85)**	**(11.97)**
योग		**21.53**	**(63.95)**

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.77%	7.78%
वेतन वृद्धि	5.20%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

ख. लेखा मानक - 17 "खंडवार सूचना"

1. खंड अभिनिर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है:-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कारपोरेट/ थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्ट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ii. कारपोरेट/थोक बैंकिंग-

कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग-

खुदरा बैंकिंग खंड में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं, इन शाखाओं की गतिविधियों में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से संबद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

iv अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

III. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है। बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

IV. व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है। बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय #	77,651.11	78,599.78	1,20,968.24	-	2,77,219.13
	(82,020.76)	(63,280.84)	(1,11,809.55)	(-)	(2,57,111.15)
अन-आबंटित आय #					863.86
					(2,552.68)
कुल आय					2,78,082.99
					(2,59,663.83)
परिणाम (विशेष मदों से पूर्व)#	6,831.17	(-) 16,262.12	12,730.51	-	3,299.56
	(48.05)	(- 38,498.98)	(19,412.16)	(-)	(- 19,038.77)
जोडें: अतिरिक्त मदें	473.12				473.12
	(5,436.17)				(5,436.17)
परिणाम (विशेष मदों के बाद)#	7304.29	(-) 16,262.12	12,730.51	-	3,772.68
	(5,484.22)	(- 38,498.98)	(19,412.16)	(-)	(- 13,602.60)
अन-आबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #					(-) 2,165.20@
					(-1,925.64)
कर पूर्व लाभ #					1,607.48
					(-15,528.24)
कर #					745.25
					(-8,980.79)
असाधारण लाभ #					Nil
					Nil
निवल लाभ #					862.23
					(-6,547.45)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियां *	10,02,841.57	11,33,271.13	14,91,676.59	-	36,27,789.29
	(10,89,553.51)	(10,11,026.98)	(13,22,851.33)	(-)	(34,23,431.82)
अन-आबंटित आस्तियां *					53,124.96
					(31,320.18)
कुल आस्तियां *					36,80,914.25
					(34,54,752.00)
खंड देयताएं *	8,37,911.69	11,64,572.02	13,89,432.28	-	33,91,915.99
	(8,19,731.87)	(10,48,664.62)	(13,11,134.57)	(-)	(31,79,531.06)
अन-आबंटित देयताएँ*					68,084.44
					(56,092.38)
कुल देयताएँ *					34,60,000.43
					(32,35,623.44)

(कोष्ठक के आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

@ ₹1,087.3 करोड़ की असाधारण मद सहित

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय (विशेष मदों से पूर्व) #	2,63,866.57	2,48,361.36	14,216.42	11,302.47	2,78,082.99	2,59,663.83
परिणाम #	(-) 3,075.19	- 7,891.83	3,937.42	1,344.38	862.23	- 6,547.45
आस्तियाँ*	32,85,791.00	30,69,761.21	3,95,123.25	3,84,990.79	36,80,914.25	34,54,752.00
देयताएँ *	30,64,877.18	28,50,632.65	3,95,123.25	3,84,990.79	34,60,000.43	32,35,623.44

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
* 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

ग. लेखा मानक - 18 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण"

1 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
2. बैंक एसबीआई (बोत्सवाना) लिमिटेड
3. एसबीआई कनाडा बैंक
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके लिमिटेड)
6. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
7. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
8. नेपाल एसबीआई बैंक लि.

ii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.
3. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.
4. एसबीआईकैप वैंचर्स लि.
5. एसबीआईडी डीएफएचआई लिमिटेड
6. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
7. एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्रा. लि.
8. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
9. एसबीआई पेमेंटस सर्विसेज प्रा. लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
12. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
13. एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
14. 15.12.2017 से एसबीआई बिज़नस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (इसे पहले जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विस प्रा. लि. कहा जाता था) .
15. एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्यूरीटीज सर्विसेज प्रा.लि.
16. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
17. एसबीआई फाउंडेशन

iii. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.
2. एसबीआई कैप (यूके) लि.
3. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा
5. नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज़ लि.
2. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ लि.
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
8. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक
6. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
7. मेघालय ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम ग्रामीण बैंक
9. नागालैंड ग्रामीण बैंक
10. पूर्वांचल बैंक
11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक

12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17. कावेरी ग्रामीण बैंक
18. मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
2. श्री पी.के.गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
3. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ)
4. श्री बी. श्रीराम प्रबंध, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग) (30.06.2018 तक)
5. श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह एवं आईटी) (25.06.2018 से)
6. श्रीमती अंशुला कांत, प्रबंध निदेशक (तनावग्रस्त आस्ति, जोखिम एवं अनुपालन) (07.09.2018 से)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत "सरकार-नियंत्रित उद्यम" के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
31 मार्च 2019 को बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	46.09	निरंक	46.09
	(44.22)	(निरंक)	(44.22)
अन्य देयताएँ	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
बैंकों में अधिशेष	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	97.66	निरंक	97.66
	(67.66)	(निरंक)	(67.66)
गैर-निधि दायित्व (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	206.16	निरंक	206.16
	(205.68)	(निरंक)	(205.68)
अन्य देयताएँ	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
बैंकों में अधिशेष	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	97.66	निरंक	97.66
	(77.10)	(निरंक)	(77.10)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान			
ब्याज आय	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
ब्याज व्यय	निरंक	निरंक	निरंक
	(0.09)	(निरंक)	(0.09)
लाभांश से अर्जित आय	19.26	निरंक	19.26
	(29.24)	(निरंक)	(29.24)
अन्य आय	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अन्य व्यय	7.66	निरंक	7.66
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
भूमि/भवन व अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
प्रबंधन संविदाएँ	निरंक	1.32	1.32
	(निरंक)	(2.05)	(2.05)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार लेनदेन बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं।

घ) लेखा-मानक - 19 "पट्टा"

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

परिचालन पट्टे पर परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं, इन पट्टों को नवीकृत करने का विकल्प बैंक के पास है :-

(i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	136.94	163.35
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	485.41	535.88
5 वर्ष के पश्चात	110.90	246.15
योग	**733.25**	**945.38**

(ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई राशि ₹3,309.41 करोड़ (₹3,244.23 करोड़).

घ) लेखा मानक -20 "प्रति शेयर उपार्जन

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर "मूलआय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल आय को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,87,534	797,35,04,442
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	24,000	95,10,83,092
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,87,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,91,479	853,30,51,135
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,45,91,479	853,30,51,135
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	862.23	(6,547.45)
प्रति शेयर मूल आय (₹)	0.97	(7.67)
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	0.97	(7.67)
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1	1

ङ) लेखा मानक - 22 "आय पर कर का लेखांकन"

क. वर्तमान कर:-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹208.87करोड़ (पिछले वर्ष ₹673.54 करोड़ डेबिट) वर्तमान कर के रूप में क्रेडिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना, विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के लिए उपयुक्त छूट प्राप्त कर लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

ख. आस्थगित कर:-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹954.12 करोड़ आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए हैं। (पिछले वर्ष ₹9,654.33 करोड़ क्रेडिट किया गया)

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर देयता (डीटीए) ₹10,420 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹11,365.99 करोड़) रही, जिसमें 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत ₹2.33 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹2.80 करोड़) की डीटीएल तथा 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत ₹10422.49 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹11,368.79 करोड़) की 'आस्थगित कर आस्तियां' (डीटीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	5,321.84	3,454.26
अग्रिम के लिए प्रावधान	4,142.69	4,197.64
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	753.11	743.57
संचित हानि पर (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों सहित)	10,741.74	13,862.05
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	235.77	-
अचल अस्तियों पर मूल्यह्रास	29.53	-
विदेशी कार्यालयों से	277.67	317.04
योग	**21,502.35**	**22,574.56**
आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल)		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	83.36
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	6,389.76-	6,315.01
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,690.10	4,690.10
विदेशी कार्यालयों से	2.33	2.80
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	-	117.30
योग	**11,082.19**	**11,208.57**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**10,420.16**	**11,365.99**

छ. लेखा मानक-27 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

निवेशों में ₹97.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹67.66 करोड़) शामिल हैं जो संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों में बैंक के हिस्से को दर्शाता है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	सी-ऐज टेक्नोलॉजीज़ लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
2	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि	18.57 (18.57)	भारत	45%
3	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
4	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
5	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ लि.#	- (-)	बरमुडा	45%
6	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%
8	जियो पेमेंट्स बैंक	69.60 (39.60)	भारत	30%

एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग के आधार पर कम्पनी ने निवेश पर 100% प्रावधान किया है।

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

लेखांकन मानक 27 की अपेक्षा के अनुरूप, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	214.01	153.26
जमा-राशियाँ	5.50	-
उधार-राशियाँ	8.04	0.60
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	56.99	53.57
योग	**284.54**	**207.43**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	0.65	0.02
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	70.48	68.86
निवेश	90.95	49.47
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	28.53	8.91
अन्य आस्तियाँ	93.93	80.17
योग	**284.54**	**207.43**
पूँजी प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	2.63	1.28
आय		
अर्जित ब्याज	8.70	4.13
अन्य आय	188.09	184.18
योग	**196.79**	**188.31**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.20	0.23
परिचालन व्यय	120.78	119.34
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	22.95	20.24
योग	**143.93**	**139.81**
लाभ	52.86	48.50

ज. लेखा मानक - 28 'आस्तियों की क्षति'

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

झ. लेखांकन मानक-29 "प्रावधान,आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां"

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा ओपशंस, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताएँ, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ञ. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	503.16	423.34
पूर्व सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर अधिगृहीत	112.81	705.60
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	51.51	227.64
वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	39.20	398.14
इतिशेष	525.26	503.16

पिछले वर्ष के दौरान अधिग्रहण के बाद पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबीएल से प्राप्ति का योग।

18.10 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाते के व्यय शीर्ष में दिखाए गए "प्रावधान एवं आकस्मिकताएं" का विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- वर्तमान कर	491.13	673.54
- आस्थगित कर	954.12	(-) 9,654.33
- आय कर का प्रतिलेखन	(-) 700.00	-
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(-) 762.09	8,087.58
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	54,617.72	71,374.22
पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(-) 88.66	(-) 693.99
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(-) 74.55	(-) 3,603.66
अन्य प्रावधान	136.13	(-) 124.95
योग	**54,573.80**	**66,058.41**

2. अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	193.75	25.14
पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर अधिगृहीत	-	168.61
वर्ष के दौरान आहरण	-	-
इतिशेष	193.75	193.75

पिछले वर्ष के दौरान अधिग्रहण के बाद पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबीएल से प्राप्ति का योग।

3. आरक्षित निधि से आहरण

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से कोई आहरण नहीं किया गया।

4. शिकायतों की स्थिति:

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम से संबंधित शिकायतों सहित)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	79,259	46,282
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	42,21,491	21,59,700
वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	41,61,721	21,26,723
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	1,39,029	79,259

एक कार्य दिवस में निपटान किए गए शिकायतों को शामिल नहीं किया गया।

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	8	3
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	19	78
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	22	73
वर्ष के अंत तक कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	5	8

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों

को भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या ब्याज के विलम्बित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

6. चुकौती आश्वासन पत्र :

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक ने अपनी अनुषंगियों की ओर से निम्नलिखित चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए। (पिछला वर्ष ₹ निरंक)

7. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर):

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक सकल अनर्जक आस्तियाँ अनुपात हेतु 78.73 % का प्रावधान किया गया। (पिछला 66.17%)

8. बैंक-बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	951.90	714.75
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	270.86	212.57
मनु लाइफ फाइनैंसियल लि. एवं एनटीयूसी	1.20	1.05
टोकियो मैरिन एण्ड एसईई	1.63	0.32
यूनिट ट्रस्ट	0.47	0.26
एआईए सिंगापुर	0.64	0.07
योग	**1,226.70**	**929.02**

9. जमा राशियों, अग्रिम जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गणना)

क. जमा राशियों का संकेंद्रण

(₹करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	90,609.54	1,19,585.93
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	3.11	4.42%

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल ऋण राशि	2,89,222.17	1,95,211.00
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस ऋणकर्ताओं के ऋण का प्रतिशत	12.61%	7.91%

ग. ऋण -जोखिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण-जोखिम	4,47,140.43	3,65,809.00
बैंक के कुल श्रॅ-श्दूड्ढ्ळ में सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम का प्रतिशत	12.80%	12.11%

घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े चार अनर्जक आस्ति खातों का कुल ऋण-जोखिम	30,314.49	38,239.70

10. क्षेत्र-वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,99,789.60	23,335.83	11.68	1,88,502.88	20,964.77	11.12
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	97,116.64	12,545.61	12.92	99,386.61	16,020.84	16.12
3	सेवाएँ	99,232.43	9,674.48	9.75	74,363.81	7,339.66	9.87
4	वैयक्तिक ऋण	1,59,419.70	2,882.01	1.81	1,04,507.85	3,332.33	3.19
	उप-योग (क)	5,55,558.37	48,437.93	8.72	4,66,761.15	47,657.60	10.21
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	19,403.93	89.00	0.46	3,753.61	301.93	8.04
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	9,75,896.74	1,12,411.63	11.52	9,06,557.34	1,62,784.99	17.96
3	सेवाएं	2,47,541.38	8,007.30	3.23	2,20,925.77	9,264.85	4.19
4	वैयक्तिक ऋण	4,95,053.70	3,804.50	0.77	4,50,389.43	3,418.09	0.76
	उप-योग (ख)	17,37,895.75	1,24,312.43	7.15	15,81,626.15	1,75,769.86	11.11
ग	**योग (क)+(ख)**	**22,93,454.12**	**1,72,750.36**	**7.53**	**20,48,387.30**	**2,23,427.46**	**10.91**

11. विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ तथा आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	3,95,123.25	3,84,990.79
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	1,937.19	7,199.29
3.	कुल राजस्व	14,216.42	11,302.47

12. तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित की गई विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

(₹ करोड़ में)

	प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम	
	देशीय	**विदेशी**
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमएमआर अनुपालन में बैंक द्वारा रखी गई कुल जोखिम राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
4.	एमएमआर से अतिरिक्त प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित जोखिम की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i) अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) अन्य पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				

14. ऋण चूक स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता रूप में	संरक्षण विक्रेता रूप में	संरक्षण क्रेता रूप में	संरक्षण विक्रेता रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेन-देन की संख्या क) इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे ख) नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय किए गए संरक्षण की राशि क) इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे ख) नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या प्राप्त/प्रदत्त की गई क्रेडिट इवेंट क) चालू वर्ष से संबंधित ख) पिछले वर्ष (वर्षों) से संबंधित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	अब तक पिछले वर्ष दौरान सीडीएस लेनदेन से संबंधित निवल आय/लाभ (खर्च/हानि) क) अदा किया गया/प्राप्त किया गया प्रीमियम ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान : * अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल) * प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	31 मार्च को बकाया लेनदेन क) लेनदेनों की संख्या ख) संरक्षण की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन का उच्चतम बकाया क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल को) ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल को)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	27,765.01	25,469.43
ii.	शीर्ष बीस अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	27,765.01	25,469.43
iii.	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोज़र की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत	0.79%	0.84%
iv.	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की सीमाओं के उल्लंघन तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	निरंक	निरंक

16. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ़) को अंतरित की गई दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अधिशेष	2,125.62	1,081.42
जमा : पूर्व सहयोगी बैंकों व भारतीय महिला बैंक के विलय पर अधिग्रहण / वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	736.65	1,050.31
घटा: दावों की प्रतिपूर्ति के लिए डीईएएफ द्वारा वापिस की गई राशियाँ	9.61	6.11
डीईएएफ को अंतरित राशियों का इतिशेष डीईए फंड में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक तथा बीएमबीएल सेप्राप्त राशि अंतरित	2,852.66	2,125.62

डीईए फंड में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक तथा बीएमबीएल से प्राप्त राशि अंतरित

17. बचाव नहीं (अनहेड्ज) किया गया विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

'संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ' पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार, बैंक ने हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान किया।

31 मार्च 2019 के अनुसार ₹98.13 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹86.44 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए तथा ₹43.19 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹66.49 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए पूंजी आबंटन किया गया।

18. चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर):

क. स्टैण्डअलोन एलसीआर

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखें जिन्हें अत्यधिक गंभीर तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिनों की समयावधि के लिए तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदला जा सके।

एलसीआर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:-

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए) का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्वाह}}$$

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली ऐसी आस्तियाँ शामिल है जिन्हें तुरंत नकदी में बदला जा सकता है या दबाव की स्थिति में निधि प्राप्त करने के लिए जिन्हें संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को शामिल किया जाता है, अर्थात स्तर-1 तथा स्तर-2 आस्तियाँ। स्तर-1 0% मार्जिन (हेयरकट) वाली है, स्तर-2ए तथा स्टार-2बी आस्तियाँ क्रमशः 15% तथा 50% हेयरकट वाली हैं। आगामी 30 कलैंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह में से कुल प्रत्याशित नकदी बर्हिप्रवाह घटाने के बाद कुल निवल नकदी प्रवाह निकाला जाता है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों या देयताओं के प्रकारों तथा तुलन पत्र बाह्य प्रतिबद्धताओं के प्रत्याशित प्रवाह या आहरण की दर से गुणा करके की जाती है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना संविदागत प्राप्यों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों तथा कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह के कुल 75% की अधिकतम सीमा तक प्रत्याशित प्रवाह की दर से गुणा करके की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

एलसीआर घटक		मार्च 2019 तिमाही की समाप्ति पर		31 दिसंबर, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		30 सितंबर, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		30 जून, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		31 मार्च, 2018 तिमाही की समाप्ति पर	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ											
(1)	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)		6,99,153		7,30,337		7,39,148		6,93,460		6,74,894
नकदी बहिर्गमन											
(2)	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	3,23,269	16,163	3,21,119	16,056	3,06,105	15,305	3,00,005	15,000	2,78,238	13,912
	(ii) कम स्थिर जमा राशियाँ	18,50,120	1,85,012	18,22,082	1,82,208	17,90,924	1,79,092	17,59,076	1,75,908	17,51,396	1,75,140
3)	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से:										
	(i) परिचालन जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	1,208	302	928	232	759	190	930	232	63	16
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	6,35,727	3,73,978	6,07,012	3,46,204	6,11,590	3,48,024	6,00,814	3,41,376	5,56,336	3,27,440
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)	प्रतिभूत थोक निधीयन	72,120	54	68,811	2	29,820	3	21,070	0	30,025	0
(5)	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमें से:										
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	1,70,833	1,70,833	1,65,949	1,65,949	1,54,141	1,54,141	1,62,711	1,62,711	1,50,911	1,50,911
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	39,337	6,053	31,918	5,128	28,949	4,854	25,896	4,512	43,416	6,376
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	35,561	35,561	34,919	34,919	27,454	27,454	29,441	29,441	39,838	39,838
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	5,72,831	20,941	5,79,289	21,158	5,66,376	20,688	5,63,555	20,759	5,63,500	20,659
8	कुल नकदी बहिर्गमन नकदी अंतर्वाह	37,01,005	8,08,896	36,32,026	7,71,856	35,16,117	7,49,751	34,63,496	7,49,938	34,13,722	7,34,290
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहराणार्थ प्रतिवर्ती रेपों)	7,938	0	4,098	0	3,121	0	5,166	0	7,075	0
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	2,39,416	2,22,009	2,34,551	2,19,730	2,17,069	2,02,188	2,42,332	2,24,197	2,20,510	2,02,086
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	37,977	31,086	41,666	33,605	42,221	33,154	37,813	29,804	38,779	28,758
12	कुल नकदी अंतर्वाह	2,85,331	2,53,095	2,80,315	2,53,335	2,62,411	2,35,343	2,85,311	2,54,001	2,66,364	2,30,844
13	कुल एचक्यूएलए		6,99,153		7,30,337		7,39,148		6,93,460		6,74,894
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		5,55,801		5,18,522		5,14,409		4,95,937		5,03,446
15	चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)		125.79%		140.85%		143.69%		139.83%		134.05%

नोट 1: आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 में समाविष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, औसत भारित और अभारित राशि की गणना 1 जनवरी, 2017 से साधारण दैनिक औसत पर विचार करते हुए और जनवरी-मार्च 2019 तिमाही के लिए 69 डेटा बिन्दुओं को लेते हुए की जानी चाहिए।

नोट 2 : मार्च 2018 से जहां देशीय परिचालन के लिए दैनिक एलसीआर की ऑटोमेटेड गणना आरंभ की गई है वहां बैंक ने ऑफसा प्रणाली लागू की है।

एलसीआर स्थिति आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 100% की सीमा से अधिक है। बैंक की एलसीआर तीन माह (वित्त वर्ष 18-19 की चौथी तिमाही) के दैनिक औसत के आधार पर 125.79% हैं। तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए ₹6,99,153 करोड़ था, जिसमें से स्तर-1 आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 93.26% थीं। सरकारी प्रतिभूतियां स्तर 1 अस्तियों की 96.77% थी। स्तर-2ए आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 5.59% तथा स्तर-2बी आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 1.15% थीं। तुलन पत्र का आकार बढ़ जाने के कारण नकदी प्रवाह की निवल स्थिति में बढ़ोतरी हुई। अंतर्वाह तथा बहिर्प्रवाह की लगभग एक समान स्थिति के कारण डेरिवेटिव एक्सपोजर को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। तिमाही के दौरान, औसत एलसीआर के लिए यूएसडी (विदेशी मुद्रा की महत्वपूर्ण मात्रा जो बैंक के तुलन पत्र का 5% से अधिक है, 49.34% रहा।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएल) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरियाँ, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत सुविभाजित हो तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। बैंक की तरलता आवश्यकताओं के निरंतर मूल्यांकन के लिए दैनिक/मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त बैंक दैनिक संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार किया जाता है।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए अनुरक्षित करता रहा है। भली भांति विवधिकृत खुदरा जमाएँ कुल निधियन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

ख. समेकित एलसीआर

31 मार्च 2015 को जारी किए गए पूरक दिशानिर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने 1 जनवरी 2016 से समेकित स्तर पर एलसीआर लागू करना निर्धारित किया है। तदनुसार, एसबीआई समूह समेकित एलसीआर की गणना कर रहा है।

एलसीआर समूह में शामिल की गई संस्थाएं हैं: भारतीय स्टेट बैंक और आठ विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां: बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि., कोमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया), एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मारीशस) लि., पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि।

एसबीआई समूह एलसीआर 31 मार्च 2019 को 125.96% तक निकलता है जो तीन महीनों, जनवरी, फरवरी और मार्च 2019 के औसत पर आधारित है।

(₹ करोड़ में)

एलसीआर घटक		मार्च 2019 तिमाही की समाप्ति पर		31 दिसंबर, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		30 सितंबर, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		30 जून, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		31 मार्च, 2018 तिमाही की समाप्ति पर	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ											
(1)	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)		7,01,837		7,32,641		7,41,584		6,95,753		6,77,442
नकदी बहिर्गमन											
(2)	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	3,30,107	16,505	3,27,747	16,387	3,12,981	15,649	3,06,889	15,344	2,80,782	14,039
	(ii) कम स्थिर जमा राशियाँ	18,59,217	1,85,922	18,31,275	1,83,127	17,99,879	1,79,988	17,67,538	1,76,754	17,58,364	1,75,836
(3)	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से:										
	(i) परिचालन जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	1,333	333	1,048	262	888	222	1,109	277	177	44
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	6,37,579	3,75,202	6,09,736	3,48,144	6,14,172	3,49,945	6,03,745	3,43,707	5,58,884	3,29,566
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)	प्रतिभूत थोक निधीयन	72,120	54	68,811	2	29,843	27	21,070	0	30,209	184
(5)	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमें से:										
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	1,70,834	1,70,834	1,65,954	1,65,954	1,54,142	1,54,142	1,62,715	1,62,715	1,50,912	1,50,912
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	41,230	6,839	33,689	5,729	30,693	5,430	27,455	5,024	44,693	6,877
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	36,556	36,556	35,568	35,568	27,999	27,999	30,017	30,017	40,639	40,639
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	5,74,764	21,000	5,81,286	21,219	5,68,430	20,750	5,65,635	20,822	5,65,427	20,718
8	कुल नकदी बहिर्गमन	37,23,741	8,13,245	36,55,114	7,76,393	35,39,028	7,54,152	34,86,173	7,54,660	34,30,087	7,38,817
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहराणार्थ प्रतिवर्ती रेपों)	7,938	0	4,098	0	3,121	0	5,168	1	7,076	1
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	2,44,205	2,24,094	2,39,904	2,22,117	2,21,519	2,03,818	2,47,101	2,26,566	2,23,818	2,03,448
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	38,892	31,972	42,924	34,827	43,323	34,226	39,476	31,447	39,889	29,867
12	कुल नकदी अंतर्वाह	2,91,034	2,56,066	2,86,926	2,56,945	2,67,962	2,38,043	2,91,745	2,58,014	2,70,783	2,33,316
13	कुल एचक्यूएलए		7,01,837		7,32,641		7,41,584		6,95,753		6,77,442
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		5,57,179		5,19,448		5,16,109		4,96,646		5,05,501
15	चल निधि सुरक्षा अनुपात (%)		125.96%		141.04%		143.69%		140.09%		134.01%

नोट 1 : 3 महीने के मासिक औसत डेटा ओवरसीज बैंकिंग अनुषंगियों के समझे गए हैं और दैनिक औसत एसबीआई (एकल) के लिए समझा गया है।

समूह एसक्यूएलए एसएलआर निवेश के रूप में अनिवार्य सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक का प्रावधान कर रहा है। कुल निधि स्रोतों का बड़ा हिस्सा खुदरा जमा राशियों के रूप में है और ऐसी निधियां विविधता पूर्ण हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक की अल्पावधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता है।

19. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियाँ तथा किए गए प्रावधान

वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई कुल 2,616 मामलों में ₹12,387.13 करोड़ की धोखाधड़ियों (पिछला वर्ष 1,789 मामलों में ₹2532.24 करोड़) में से 581 मामलों में ₹12,310.90 करोड़ (पिछला वर्ष 539 मामलों में ₹2,359.61 करोड़) अग्रिमों को धोखाधड़ियाँ घोषित किया गया है।

20. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

21. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री के कारण हुई ₹173.37 करोड़ (पिछला वर्ष ₹9.07 करोड़) कमी को चालू वर्ष में प्रभारित किया गया है।

22. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणान्वयन प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीदारी की है :-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	राशि	
1	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	16,272.75	350.00
2	पीएसएलसी कृषि	1,223.00	100.00
3	पीएसएलसी सामान्य	33,557.50	33,485.00
4	पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान	553.00	1,664.00
	योग	**51,606.25**	**35,599.00**

31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी पीएसएलसी की बिक्री नहीं की है।

23. प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)

"अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग' पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या बीपी. बीसी. 21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च 2015 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर 2014 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 50% को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया।

24. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र संख्या डीबीआर. दिनांक 6 जून 2018 को बैंकों ने एमएसएमई उधारकर्ताओं को मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक्सपोजर्स जारी रखने की अनुमति दी है। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2019 को मानक आस्ति के रूप में 242.32 करोड़ रुपये के अग्रिमों को बनाए रखा है । परिपत्र के उपबंधों के अनुसार, बैंक ने इन खातों पर ब्याज को स्वीकार नहीं किया है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में 31 मार्च, 2019 की 12.12 करोड़ रुपए की मानक आस्ति व्यवस्था की है।

25. भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या 25 के अनुसार डीबीआर. नंबर बीपी 15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआर सं. (क) 23 जून 2017 28 अगस्त 2018 की ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले खातों के लिए बैंक दिनांक की तिथि के अनुसार क्रमश 34,554 करोड़ रुपए (कुल बकाया का 89.66%) का कुल प्रावधान कर रहा है 31 मार्च 2019 को किया गया है।

26. बैंक ने 1 नवम्बर 2017 से वेतन संशोधन के कारण बकाया वेतन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 3984.00 करोड़ रु (कुल 5643.41 करोड़ रु) का प्रावधान किया है।

27. (क) अनुसूची 14 के अंतर्गत निवेश (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) अन्य आय में भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आंशिक निवेश की बिक्री पर 473.12 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष) एसबीआई जीवन बीमा में आंशिक निवेश की बिक्री पर 5436.17 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ख) अनुसूची 14 के अंतर्गत विविध आय अन्य आय में एक व्यापार अंतरण करार के अनुसरण में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीआई पेमेंट सवसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीपीएसपीएल) को बैंक के मर्चेंट अधिग्रहण व्यवसाय (एमएबी) के अंतरण पर ₹1087.43 करोड़ रुपये शामिल हैं । दिनांक 29 सितम्बर 2018 के विचारार्थ ₹1250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो अब साकार हो गया है।

28. आरबीआई दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुरूप पहली बार चालू वर्ष के वर्गीकरण से मिलान के लिए जहाँ भी आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है, अतः पिछले वर्ष के आंकड़ें नहीं दिए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		1607,48,31	(15528,24,16)
समायोजन :			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		3212,30,65	2919,46,63
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		34,98,24	30,03,00
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)		2124,03,82	1120,61,02
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(473,12,00)	(5639,89,81)
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		54529,06,14	70680,23,69
मानक आस्तियों पर प्रावधान		(74,55,42)	(3603,66,16)
निवेशों पर मूल्यह्रास / (मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान		(762,09,23)	8087,57,43
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		136,12,79	(124,95,17)
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में किए गए निवेश से आय		(348,01,18)	(448,51,70)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज		4112,28,55	4472,04,27
		64098,50,67	61964,69,04
समायोजन :			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		205042,72,57	121022,95,24
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		37722,44,37	42629,85,28
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी		94719,11,74	(136164,12,43)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(305525,79,00)	(136597,79,56)
अन्य देयताओ में वृद्धि / (कमी)		(21247,50,61)	(2214,19,47)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(33604,14,67)	(29086,42,24)
		41205,35,07	(78445,04,14)
कर वापसी / (प्रदत्त कर)		(6577,83,79)	(6980,20,58)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**34627,51,28**	**(85425,24,72)**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(2116,29,59)	(1104,10,39)
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		473,12,00	5639,89,81
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के निवेशों से आय		348,01,18	448,51,70
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(2663,43,31)	(4104,97,78)
विलय के कारण आंशिक पात्रताओं के संबंध में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक लि. के शेयरधारकों को प्रदत्त की गई नकदी		-	(25,18)

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(3958,59,72)**	**879,08,16**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि (निवल)		(8,74,21)	23782,45,47
पूंजीगत लिखतों का निर्गम / (मोचन)		3033,20,00	(12603,22,50)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(4112,28,55)	(4472,04,27)
लाभांशों पर कर सहित प्रदत्त लाभांश		-	**(2416,26,71)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**(1087,82,76)**	**4290,91,99**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**1010,38,16**	**1291,94,79**
देशीय बैंकिंग अनुषंगियों तथा भारतीय महिला बैंक के विलय से प्राप्त नकद एवं नकद समतुल्य	**(ड.)**	**-**	**98890,28,99**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)		**30591,46,96**	**19926,99,21**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**191898,64,19**	**171971,64,98**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**222490,11,15**	**191898,64,19**
टिप्पणी :			
(1) नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति :		**31.03.2019**	**31.03.2018**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		176932,41,75	150397,18,14
बैंकों के पास जमाराशियां और मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य राशि		45557,69,40	41501,46,05
		222490,11,15	**191898,64,19**
(2) परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया।			

हस्ताक्षरकर्ता:

श्रीमती अंशुला कान्त
प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्ति, जोखिम) एवं अनुपालन

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. गिरीश के. आहूजा
श्री बी. वेणुगोपाल
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री चंदन सिन्हा
श्री संजीव मल्होत्रा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री बसंत सेठ
श्री भास्कर प्रामाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: स. क्र. 085669
फर्म पंजी सं. 001111एन

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: स. क्र. 110248
फर्म पंजी सं. 101720 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100355

कृते ओ. पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस. आर. तोतला
भागीदार: स. क्र. 071774
फर्म पंजी सं. 000734सी

कृते एस. के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

संजीव कपूर
भागीदार: स. क्र. 070487
फर्म पंजी सं. 000745सी

कृते डी चक्रबर्ती एण्ड सेन
सनदी लेखाकार

डी.के. रॉय चौधरी
भागीदार: स. क्र. 053087
फर्म पंजी सं. 303029ई

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

अनिर्बान पाल
भागीदार: स. क्र. 214919
फर्म पंजी सं. 003089एस

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम. के. जुनेजा
भागीदार: स. क्र. 013117
फर्म पंजी सं. 001135एन

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: स. क्र. 024844
फर्म पंजी सं. 230448एस

कृते कर्नावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

समीर बी. दोशी
भागीदार: स. क्र. 117987
फर्म पंजी सं. 104863डब्ल्यू

कृते कलनी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भूपेन्द्र मंत्री
भागीदार: स. क्र. 108170
फर्म पंजी सं. 000722सी

कृते ब्रह्मय्या एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

के. जितेन्द्र कुमार
भागीदार: स. क्र. 201825
फर्म पंजी सं. 000511एस

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत निओगी
भागीदार: स. क्र. 061380
फर्म पंजी. नं. 301072ई

कृते के.वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: स. क्र. 018159
फर्म पंजी सं. 004610एस

कृते जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अजय कुमार अग्रवाल
भागीदार: स. क्र. 17643
फर्म पंजी सं. 302082ई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति,

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) के संलग्न केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 के तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ - साथ अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, 16 स्थानीय प्रधान कार्यालय, 1 प्रशासनिक कार्यालय एवं व्यवसाय यूनिट, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कॉरपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), वाणिज्यिक ग्राहक समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (केन्द्रीय), केन्द्रीय लेखा कार्यालय और 42 शाखाओं की, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 14758 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की;

   iii) विदेश स्थित 38 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की।

हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में उन 8,447 शाखाओं (अन्य लेखा यूनिट सहित) की विवरणियां तथा वे जो लेखापरीक्षा के विषय नहीं थे, भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 3 प्रतिशत, जमाराशियों में 11.44 प्रतिशत, ब्याज आय में 7.35 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय में 12.80 प्रतिशत है।

हमारे अभिमत में तथा जहाँ तक हमें जानकारी है व हमें दी गई विवरणात्मक जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी बैंक द्वारा उसी ढंग से दी गई हैं जैसी उससे अपेक्षित है और यह भारत में सामान्यतया मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में बैंक की सही और उचित स्थिति;

ख) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि खाते में लाभ की सही जानकारी;

ग) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण की सही और उचित स्थिति

अभिमत का आधार

2.हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' भाग में दी गई है। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से की गई है। हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हम आश्वस्त हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं अपना अभिमत देने के लिए वे पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

3. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का समग्र केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समाधान कर लिया गया है और इनके बारे में जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (संदर्भ: वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 3 के साथ पठित अनुसूची 9) अग्रिम में बिल की खरीद और डिस्काउंट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट ऋण मांग पर प्रस्तुत तथा मियादी ऋण। इन्हें आगे बैंक/ सरकारी गारंटी एवं प्रतिभूति रहित(बही ऋण के विरुद्ध ऋण सहित) प्रतिभूति और आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	**हमारी कार्यविधि अग्रिमों का सत्यापन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आईआरएसी मानदंडों और संबंधित परिपत्रों एवं निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के संदर्भ में किया है जिसमें निम्नलिखित का भी सत्यापन किया गया:** - हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	अग्रिमों में बैंक की कुल परिसंपत्तियों का हिस्सा 59.38% है। इन पर अन्य बातों के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनमें अग्रिम वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखा नीति सं. 3 के अनुसार इन मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान की उचित व्यवस्था विद्यमान होनी चाहिए का सत्यापन भी शामिल है। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों के खाते बैंक की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में होनी चाहिए जिनसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती हो। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जानी चाहिए। इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण त्रुटि हो सकती है। लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए अग्रिमों और प्रावधानीकरण की लेखपरीक्षा काफी श्रमसाध्य कार्य है। इसके साथ साथ, केवल बैंक के वित्तीय विवरण इसके प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। साथ ही, हमारी लेखा परीक्षा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और ऋण के प्रावधानों के संतुलन पर केंद्रित है।	- मॉनीटरिंग व्यवस्था जैसे बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा व्यवस्था उपलब्ध है और यह कारगर है; हमने अग्रिमों के विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों के कारगर होने की भी जांच की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि सारभूत कार्यविधियों की प्रकृति, समय और व्याप्ति कैसी है और बैंक की मॉनीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण की टिप्पणियों का किस प्रकार अनुपालन किया जा रहा है; हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी जांच की है। हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से पत्राचार भी किया। हमने बाहरी आईटी सिस्टम विशेषज्ञों की रिपोर्टों की भी सहायता ली है विशेषकर एनपीए का पता लगाने, पहचान करने और श्रेणी निर्धारण करने तथा अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण करने एवं सीसीडीपी के माध्यम से उनके लिए प्रावधान करने हेतु सीबीएस में प्रयुक्त बिजनेस लॉजिक्स/पैरामीटर्स के संबंध में यह सहायता ली गई है।
ii	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 अनुसूची 17 के नोट 2 के वित्तीय विवरण के साथ पढ़ा जाए।) निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, सिक्योरिटी प्राप्ति और अन्य अनुमोदित सिक्योरिटी में किया गया निवेश शामिल है। निवेशों का बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 26.27% हिस्सा है। इन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनका अन्यों के साथ साथ इन निदेशों के अनुसार अर्जक और अनर्जक निवेशों के रूप में आकलन करना होता है। इसी तरह आय में किन्हें शामिल नहीं करना है और इनके प्रति कितना प्रावधान करना है, इसका भी आकलन करना होता है। उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी (टाइप) की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा/सूचना जैसे एफआईएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई, अनलिस्टिड कंपनियों आदि के वित्तीय विवरण की प्राप्ति करनी होती है। मूल्यांकन की जटिलताओं और विवेक प्रयोग तथा लेनदेनों की मात्रा और हस्तगत निवेशों की मात्रा को देखते हुए, इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों में शामिल किया गया है।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि निवेशों का भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के साथ साथ आतंरिक नीतियों एवं बैंक की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नानुसार सत्यापन किया है: क. डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण तथा सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन कितने कारगर ढंग से किया गया है, इसका सत्यापन किया। ख. इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए इनके ठीक होने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी जांच की गई। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया है कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान और अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान पर केंद्रित है।	घ. एनपीआई और आय के तदनुरूपी रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया; ङ. सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास के लिए भी प्रावधान राशि की अलग से फिर से गणना की जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की जांच की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की जांच की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का कैसे अनुपालन किया गया है।
iii	प्रावधानों का निर्धारण एवं आकस्मिक देयताएं 31 मार्च 2019 को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर तथा दूसरी पार्टियों द्वारा फाइल किए गए विभिन्न दावों सहित कुछ दावों को ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है। (अनुसूची 12, अनुसूची 18 के नोट 18.9 के साथ पढ़ा जाए।) प्रोविजनिंग के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय विवेक की आवश्यकता होती है। जहाँ आवश्यक होता है, बैंक के आकलन के सात साथ विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों का परामर्श भी लिया जाता है। तदनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई लाभ और तुलन-पत्र की स्थिति पर अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इन मामलों के परिणामों से संबंधित अनिश्चितता और कानून की व्याख्या में वस्तुपरक विवेक से उपर्युक्त क्षेत्र को हमने महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का मामला माना है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा समीक्षाधीन विषय के विश्लेषण और विधि निर्णयों/ विश्लेषणों पर केंद्रित है।	**हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में शामिल है:** क. कानूनी कार्यवाही/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना। ख. विभिन्न कर प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना और/अथवा हाल के आदेशों को पढ़ा और बैंक द्वारा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को समझा। ग. जहाँ सुसंगत हो, बैंक द्वारा प्राप्त की गई हाल ही की स्वतंत्र विधिक/कर सूचना पर विश्वास किया और उसमें वर्णित आधारों का मूल्यांकन किया। और; घ. संबंधित मामलों के विवरण प्राप्त करना, चर्चा के जरिए बैंक का मूल्यांकन और परिणाम की संभाविता तथा उन प्रकरणों के कारण संभावित परिणाम बहिर्गमन।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचना

4. अन्य सूचना तैयार करने में बैंक का निदेशक बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रकटीकरण सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें केवल बैंक के वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो हम इस लेखारीक्षा तिथि के पहले प्राप्त कर चुके हैं तथा निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमें उस तिथि के बाद प्राप्त होनी है, शामिल नहीं है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को कवर नहीं करता और हम उस पर कोई आश्वासन-निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना केवल बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो तो इस अन्य सूचना को वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

यदि हम निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना गवर्नेंस से जुड़ों को दें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस से जुड़े लोगों और प्रबंध मंडल के दायित्व

5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 की शर्तों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के नकदी प्रवाह और उसकी वित्तीय स्थिति व वित्तीय निष्पादन की सही व सटीक जानकारी प्रस्तुत करने वाले इन केवल बैंक के विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के निदेशक बोर्ड का है। इस दायित्व में यह भी शामिल है कि बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम की शर्तों के अनुसार लेखा अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया जाए, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचा जाए तथा उनका पता किया जाए, ऐसे निर्णय और आकलन किए जाएं जो औचित्यपूर्ण व विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव करें जो हम लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी व प्रस्तुति सुसंबद्ध हो जो सही एवं सटीक छवि प्रस्तुत करे और वस्तुगत गलतबयानी से परे हों, चाहे ऐसा धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंध मंडल का दायित्व है कि वह बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक बैंक का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की प्रबंध मंडल की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखना निदेशक बोर्ड की जिम्मेदारी भी है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करनेवाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य यह है कि केवल बैंक के वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखा परीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से इन केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके यूसर्स द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।
एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उसपर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी के पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना
- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील बैंक के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक सु-नाम संस्थान के रूप में नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार यूज़र संभवतः प्रभावित हो सकता है। (1) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (2) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़ों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते है।

हम, गवर्नेंस से जुड़ों को एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारे द्वारा स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा की गई है और उन्हें संबंधों तथा अन्य मामलोंकी जानकारी दें जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दें।

गवर्नेंस से जुड़ों को जिन मामलों की जानकारी दी जाए उनमें से हम चालू अवधि के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मामलों के रूप में शामिल करें इसलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते है बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य मामले

7. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल 14,796 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त बैंक के कुल अग्रिमों का ₹14,00,731.01 करोड़ और कुल ब्याज आय ₹1,06,540.62 करोड़ शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारा अभिमत विचार सापेक्ष नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 2 से 8 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं किः

क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है;

ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं;

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः

क. हमारे अभिमत में, कानून द्वारा अपेक्षित खाते की उचित पुस्तकें बैंक द्वारा रखी गई हैं, क्योंकि ऐसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी ऑडिट के उद्देश्य के लिए पर्याप्त विवरणियां हमें प्राप्त हुई हैं जिन शाखाओं में हम नहीं गए।

ख. तुलन-पत्र लाभ और हानि खाते और इस रिपोर्ट में सम्मिलित नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं।

ग. हमारे अभिमत में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से शामिल किया गया है; तथा

घ. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के इस सीमा तक अनुरूप हैं कि ये आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: स. क्र. 085669
फर्म पंजी सं. 001111एन

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: स. क्र. 110248
फर्म पंजी सं. 101720 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100355

कृते ओ. पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस. आर. तोतला
भागीदार: स. क्र. 071774
फर्म पंजी सं. 000734सी

कृते एस. के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

संजीव कपूर
भागीदार: स. क्र. 070487
फर्म पंजी सं. 000745सी

कृते डी चक्रबर्ती एण्ड सेन
सनदी लेखाकार

डी.के. रॉय चौधरी
भागीदार: स. क्र. 053087
फर्म पंजी सं. 303029ई

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

अनिर्बान पाल
भागीदार: स. क्र. 214919
फर्म पंजी सं. 003089एस

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम. के. जुनेजा
भागीदार: स. क्र. 013117
फर्म पंजी सं. 001135एन

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: स. क्र. 024844
फर्म पंजी सं. 230448एस

कृते कर्नावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

समीर बी. दोशी
भागीदार: स. क्र. 117987
फर्म पंजी सं. 104863डब्ल्यू

कृते कलनी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भूपेन्द्र मंत्री
भागीदार: स. क्र. 108170
फर्म पंजी सं. 000722सी

कृते ब्रह्मय्या एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

के. जितेन्द्र कुमार
भागीदार: स. क्र. 201825
फर्म पंजी सं. 000511एस

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत निओगी
भागीदार: स. क्र. 061380
फर्म पंजी. नं. 301072ई

कृते के.वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: स. क्र. 018159
फर्म पंजी सं. 004610एस

कृते जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अजय कुमार अग्रवाल
भागीदार: स. क्र. 17643
फर्म पंजी सं. 302082ई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई 2019

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च, 2019 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,45,88
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	233603,19,93	229429,48,68
अल्पांश हित		6036,99,13	4615,24,51
जमा राशियाँ	3	2940541,06,11	2722178,28,21
उधार राशियाँ	4	413747,66,10	369079,33,88
अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण	5	293645,68,92	290249,75,29
योग		**3888467,06,31**	**3616444,56,45**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	177362,74,09	150769,45,69
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	48149,52,30	44519,65,14
निवेश	8	1119247,76,62	1183794,24,19
अग्रिम	9	2226853,66,72	1960118,53,51
अचल आस्तियाँ	10	40703,05,26	41225,79,26
अन्य आस्तियाँ	11	276150,31,32	236016,88,66
योग		**3888467,06,31**	**3616444,56,45**
आकस्मिक देयताएँ	12	1121246,27,83	1166334,80,21
वसूली के लिए बिल		70047,22,64	74060,22,00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।

श्रीमती अंशुला कान्त
एमडी (एसएआरसी)

श्री अरिजित बसु
एमडी (सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी (जीबी एवं एस)

श्री पी के गुप्ता
एमडी (आर एवं डीबी))

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री राजेश सेठी
पार्टनर

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी : 892,46,11,534 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,45,87,534 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर) [उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 12,10,71,350 इक्विटी शेयर भी शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रति ₹1 के 12,62,48,980 इक्विटी शेयर) इन्हें 1,21,07,135 वैश्विक जमा रसीद के रूप में व्यक्त किया गया है (पिछले वर्ष 1,26,24,898)]	892,46,12	892,45,88
योग	**892,46,12**	**892,45,88**

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	65958,04,13	64753,52,12		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	386,05,90	1204,52,01		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	66344,10,03	-	65958,04,13
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ #**				
	अथशेष	9578,07,76	5246,09,99		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	379,20,76	4332,28,38		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	9957,28,52	30,61	9578,07,76
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	79124,21,51	55423,23,36		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	37,92	23718,58,11		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	9,12,38	79115,47,05	17,59,96	79124,21,51
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	6379,09,54	5073,92,01		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1143,03,70	1498,80,30		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	66,75,03	7455,38,21	193,62,77	6379,09,54

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	24847,98,65		35593,88,13	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		662,40,83	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	194,04,57	24653,94,08	11408,30,31	24847,98,65
VI	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां**				
	अथशेष	53483,27,03		54644,18,21	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन ##	1213,96,33		3264,59,39	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	291,81,33	54405,42,03	4425,50,57	53483,27,03
VII	**लाभ और हानि खाते की शेष**				
			(8328,39,99)		(9941,19,94)
योग			233603,19,93		229429,48,68

समेकन पर निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष ₹123,66,46 हजार (पिछला वर्ष ₹123,66,46 हजार)

शुद्ध समेकन समायोजन

अनुसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**माँग जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	6722,18,31	5240,84,61
		(ii) अन्य से	201073,14,59	185795,42,20
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	1102172,37,48	1019137,42,48
	III.	**सावधि जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	8235,22,81	15027,28,78
		(ii) अन्य से	1622338,12,92	1496977,30,14
योग			**2940541,06,11**	**2722178,28,21**
ख.	**I.**	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	2812134,71,07	2596232,33,79
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	128406,35,04	125945,94,42
योग			**2940541,06,11**	**2722178,28,21**

अनुसूची - 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. भारत में उधार-राशियाँ					
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक			96089,00,00		95394,09,00
(ii) अन्य बैंक			4741,05,31		4822,21,61
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण			32112,46,32		4370,23,49
(iv) पूंजीगत लिखत					
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	19152,30,00			11835,00,00	
ख) गौण ऋण एवं बांड	29153,93,90	48306,23,90		33665,66,40	45500,66,40
योग		**181248,75,53**			**150087,20,50**
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ					
(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित			229909,13,07		216974,38,38
(II) पूंजीगत लिखत					
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	2074,65,00			1955,25,00	
ख) गौण ऋण एवं बांड	515,12,50	2589,77,50		62,50,00	2017,75,00
योग		**232498,90,57**			**218992,13,38**
कुल योग (I व II)		**413747,66,10**			**369079,33,88**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ		**127177,07,29**			**108384,82,97**

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	23914,03,90	26667,07,53
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	-	-
III.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	21735,79,14	40734,57,50
IV.	उपचित ब्याज	14232,96,48	15996,01,47
V.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	4,17,10	5,38,82
VI	इंश्योरेंश व्यवसाय में पॉलिसीधारक संबंधी देयताएं	140095,62,31	115128,68,83
VII	स्टैंडर्ड आस्ति के लिए प्रावधान	12709,13,43	12717,18,97
VIII	अन्य (प्रावधान सहित)	80953,96,56	79000,82,17
योग		**293645,68,92**	**290249,75,29**

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	19144,28,44	15796,02,76
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
I. चालू खाते में	158197,60,63	134973,42,93
II. अन्य खाते में	20,85,02	-
योग	**177362,74,09**	**150769,45,69**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	971,83,35	380,85,00
(ख) अन्य जमा खातों में	1959,46,21	2275,38,97
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	4608,88,73	1613,94,26
(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग	**7540,18,29**	**4270,18,23**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	20571,96,27	29445,08,67
(ii) अन्य जमा खातों में	3205,38,56	1550,38,84
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	16831,99,18	9253,99,40
योग	**40609,34,01**	**40249,46,91**
कुल योग (I एवं II)	**48149,52,30**	**44519,65,14**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	817674,70,52	898369,89,37
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	13769,53,82	9203,62,94
(iii) शेयर	42825,92,12	36902,41,97
(iv) डिबेंचर और बांड	123765,40,08	108220,08,31
(v) सहयोगी एवं अनुषंगियां	3383,71,53	3061,30,04
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर आदि)	63880,18,56	80682,84,64
योग	**1065299,46,63**	**1136440,17,27**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरणों की भी सम्मिलित हैं)	14513,99,84	13318,89,79
(ii) सहयोगी	136,33,52	113,74,52
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर आदि)	39297,96,63	33921,42,61
योग	**53948,29,99**	**47354,06,92**
कुल योग (I एवं II)	**1119247,76,62**	**1183794,24,19**
III. भारत में निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	1076593,00,40	1148190,17,89
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	11293,53,77	11750,00,62
निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	**1065299,46,63**	**1136440,17,27**
IV. भारत के बाहर निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	54146,46,58	47900,20,34
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	198,16,59	546,13,42
निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	**53948,29,99**	**47354,06,92**
कुल योग (III एवं IV)	**1119247,76,62**	**1183794,24,19**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	81528,37,41	68767,36,05
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	799218,03,33	758550,41,15
	III. सावधि ऋण	1346107,25,98	1132800,76,31
योग		**2226853,66,72**	**1960118,53,51**
ख)	I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1603654,21,87	1515859,93,23
	II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	80289,66,46	68812,50,75
	II. अप्रतिभूत	542909,78,39	375446,09,53
योग		**2226853,66,72**	**1960118,53,51**
ग)	I. भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	520729,77,60	448358,95,60
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	240295,89,39	161939,24,46
	(iii) बैंक	9494,93,60	3280,07,87
	(iv) अन्य	1127585,24,83	1031896,41,62
योग		**1898105,85,42**	**1645474,69,55**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	69802,85,72	77109,63,56
(ii) अन्यों से प्राप्य		
(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	26741,06,57	14668,01,47
(ख) सिंडीकेट ऋण	150765,88,72	124511,75,00
(ग) अन्य	81438,00,29	98354,43,93
योग	**328747,81,30**	**314643,83,96**
कुल योग [(ग -I एवं ग - II)]	**2226853,66,72**	**1960118,53,51**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**परिसर**			
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकित परिसर	30933,23,37	42107,56,59	
	परिवर्धन:			
	-वर्ष के दौरान	707,34,92	119,06,88	
	-पुनर्मूल्यांकन के लिए	-	-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	39,60,68	11293,40,10	
	अद्यतन मूल्यह्रास			
	- लागत पर	793,71,67	666,86,16	
	- पुनर्मूल्यांकन पर	497,17,97	30310,07,97	308,66,78	29957,70,43
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**			
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पुनर्मूल्यांकन पर	31649,29,47	28512,42,79	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3018,06,52	4165,17,52	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1481,92,84	1028,30,84	
	अद्यतन मूल्यह्रास	23627,73,26	9557,69,89	21359,74,23	10289,55,24
III.	**लीज्ड आस्तियां**			
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पुनर्मूल्यांकन	120,02,20	117,38,81	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	35,64,65	6,85,52	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	57,63	4,22,13	
	अद्यतन मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	82,11,57	66,55,50	
		72,97,65	53,46,70	
	घटाएं : लीज़ समायोजन खाता	-	72,97,65	-	53,46,70
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		762,29,75		925,06,89
योग (I, II, III एवं IV)			**40703,05,26**		**41225,79,26**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	7,71,53	-
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	123,67,98	26,70,13
III.	प्रोद्भूत ब्याज	29047,16,58	28002,40,66
IV.	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	24699,95,89	17728,89,88
V.	लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	133,99,80	125,47,34
VI.	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	23,65,84	30,41,48
VII.	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	10983,19,07	11837,70,33
VIII.	नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गई जमाराशियां	138245,29,37	95643,16,91
IX.	अन्य #	72885,65,26	82622,11,93
योग		**276150,31,32**	**236016,88,66**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹1734,07,01 हजार (पिछले वर्ष ₹1734,07,01 हजार)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	43964,90,09	35546,03,53
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों/जोखिम निधि के लिए देयता	1127,87,61	619,44,30
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	597800,34,53	644808,04,15
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	157417,08,56	149282,50,36
	(ख) भारत के बाहर	72739,27,63	67762,40,06
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	124526,15,33	121900,95,22
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	123670,64,08	146415,42,59
योग		**1121246,27,83**	**1166334,80,21**
कलेक्शन बिल		**70047,22,64**	**74060,22,00**

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2019 को समेकित लाभ/हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची सं.	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	253322,14,36	228970,27,66
	अन्य आय	14	77365,21,58	77557,39,04
	योग		**330687,35,94**	**306527,66,70**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	155867,46,03	146602,98,20
	परिचालन व्यय	16	114800,30,80	96154,51,90
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		56950,51,70	67957,57,98
	योग		**327618,28,53**	**310715,08,08**
III.	**लाभ/(हानि)**			
	निवल लाभ/(हानि) वर्ष के लिए (एसोसिएट एवं आधे से कम हिस्सेदारी वाली संस्थाओं के लाभ में अंश के समायोजन से पूर्व)		3069,07,41	(4187,41,38)
	जोड़ें: एसोसिएट के लाभ में शेयर		281,47,94	438,15,98
	घटाएं: आधे से कम हिस्सेदारी वाली संस्थाओं का/की		1050,91,44	807,03,60
	समूह का निवल लाभ/(हानि)		2299,63,91	(4556,29,00)
	आगे लाया गया लाभ/(हानि)		(9941,19,94)	(4340,03,96)
	योग		**(7641,56,03)**	**(8896,32,96)**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		386,05,90	59,94,63
	अन्य निधियों का अंतरण		243,79,58	921,21,43
	वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के डिविडेंड का भुगतान (इसमें डिविडेंड पर कर भी शामिल है)		-	-
	वर्ष के दौरान डिविडेंड		-	-
	डिविडेंड पर कर		56,98,48	63,70,92
	तुलन पत्र में आगे लाया गया शेष		(8328,39,99)	(9941,19,94)
	योग		(7641,56,03)	(8896,32,96)
	प्रति शेयर मूल आय		**₹ 2.58**	**₹ (5.34)**
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹2.58	₹ (5.34)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
	लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।

श्रीमती अंशुला कान्त
एमडी (एसएआरसी)

श्री अरिजित बसु
एमडी (सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी (जीबी एवं एस)

श्री पी के गुप्ता
एमडी (आर एवं डीबी))

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री राजेश सेठी
पार्टनर

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	166124,58,30	144958,59,17
II.	निवेशों पर आय	80243,50,66	75036,61,62
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	1324,75,88	2410,75,18
IV.	अन्य	5629,29,52	6564,31,69
योग		**253322,14,36**	**228970,27,66**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	22801,37,60	22829,85,38
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)#	3933,13,61	14170,08,63
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(2124,03,82)	(1120,61,02)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों लीज़्ड आस्तियों सहित की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(32,35,82)	(30,73,27)
V.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	2209,07,07	2522,45,61
VI.	विदेश/भारत में अनुषंगियों/से लाभांश	11,71,87	15,45,97
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII.	क्रेडिट कार्ड सदस्यता/ सेवा शुल्क	3179,78,08	2126,48,67
IX.	इंश्योरेंस प्रीमियम आय (निवल)	35225,02,54	26925,87,69
X.	बट्टे खाते से की गई वसूली	8607,44,37	5522,46,46
XI.	विविध आय	3554,06,08	4596,04,92
योग		**77365,21,58**	**77557,39,04**

निवेशों की बिक्री पर (निवल) लाभ/(हानि) असाधारण मदों सहित ₹466.48 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 5036.21 करोड़)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	140920,19,82	136109,15,67
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	10103,57,61	5686,89,92
III.	अन्य	4843,68,60	4806,92,61
योग		**155867,46,03**	**146602,98,20**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	43795,01,41	35410,62,16
II.	भाड़ा, कर और लाइटिंग	5553,08,91	5392,58,19
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री	595,00,09	603,44,87
IV.	विज्ञापन और प्रचार	2360,81,37	1997,56,23
V.	(क) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (लीज्ड आस्तियों के अतिरिक्त)	3479,97,41	3094,39,40
	(ख) लीज्ड आस्ति पर मूल्यह्रास	15,91,80	10,67,70
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	9,71,04	6,53,54

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
VII. लेखा/परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	307,00,17	296,38,24
VIII.विधि प्रभार	578,53,06	501,90,13
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	568,56,57	671,28,78
X. मरम्मत और अनुरक्षण	1057,77,33	971,89,71
XI. बीमा	2860,59,09	2774,59,09
XII. क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित अन्य परिचालन व्यय	1105,59,01	1155,03,28
XIII.बीमा व्यवसाय से संबंधित अन्य परिचालन व्यय	37907,82,48	29377,17,22
XIV. अन्य व्यय	14604,91,06	13890,43,36
योग	**114800,30,80**	**96154,51,90**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार :

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी म्यूचुअल फंड्स) विनियम, 1996, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारत में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं। विदेशी संस्थाओं के मामले में विदेशी संस्थाओं पर लागू सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध-मंडल को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंध-मंडल का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते है।

ग. समेकन का आधार

1. समूह (जिसमें 29 अनुषंगियां, 8 संयुक्त उद्यम और 20 सहयोगी शामिल हैं) के वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।

ख. लेखा मानक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार सभी अंतः समूह महत्वपूर्ण बकाया/लेनदेन, अवसूल लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है, वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की ऑस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।

ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक -27 "संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना " के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।

घ. सहयोगियों में किए गए निवेश का लेखाकरण "इक्विटी पद्धति" के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण" के अनुसार किया गया है।

ङ "कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना" से संबंधित आरबीआई परिपत्र के अनुसार कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में कंपनियों में प्राप्त किए गए नियंत्रण हित पर न तो समेकन के लिए विचार किया गया है और न ही ऐसे निवेश को अनुषंगी/सहयोगी में निवेश के रूप में समझा गया है कारण कि यह नियंत्रण कार्यक्षम प्रकृति का है, भागीदार का नहीं।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षितों के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

क. जिस तिथि को अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की इक्विटी - राशि, और

ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि(इक्विटी) में अल्पांश शेयर का उतार चढ़ाव।

घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/ छूट आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भवन आधार पर निर्धारण दिखाया गया है जो इनके अतिरिक्त हैः (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि को घटाकर) "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - "पट्टे" के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया गया है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के रुझान पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

i) ब्याज सहित प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ii) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को शामिल किया गया है।

1.7 इस अवधि में एलसी / बीजी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से शामिल किया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर शामिल की गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए किए गए भुगतान/खर्च को, दी गई दलाली, कमीशन व संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से खर्च में दिखाया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है, :-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को करता है तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो आरबीआई की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

1.11 गैर-बैंकिंग इकाइयां

मर्चेण्ट बैंकिंग :

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार और सुपुर्द कार्य को पूर्ण करने के चरण के आधार पर निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी स्थानन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टांप शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल है तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियां शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्माण से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आवंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिखा गया है।

ङ. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय-वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन

क. संबंधित योजनाओं में विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय से शामिल किया गया है। उन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है। (इसमें जहां लागू हो, अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को शामिल नहीं किया गया है) और यह सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा के शर्तों के अनुसार, संविभाग प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है। निधिक गारंटी योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष के आय के रूप मे माना गया है।

घ. निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है, जिसमें वे वहन किए गए।

असीमित अवधि वाली इक्विटी सम्बद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश (एस आई पी) से संबंधित निवेशों पर प्रदान दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में रियायत वापसी अवधि के दौरान परिशोधित किया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क केवल सदस्यता ग्रहण का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में समझा गया है। अपलिखित किए गए खातों वाले ग्राहकों के संबंध में 6 महीने से अधिक और 3 वर्षों तक की अनुमानित अनिर्धारित प्राप्तियों को तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक की गत अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

घ. अन्य सभी आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों को फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता है। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एसीएफ) की गणना की गई है और अगले संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। 01 मई को एसीफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा :

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, एसोसिएटेड इकाइयों के आवंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनः प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप मे समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं : पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

घ. इक्विटि प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में वसूल हुए लाभ एवं हानियों की गणना निवल बिक्री आगम राशियों और उनकी लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, वसूल हुए लाभ एवं हानि की गणना निवल बिक्री आगम राशियों या मोचन अगाम राशियों और भारित औसत परिशोधित लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में लागत की गणना भारित औसत पद्धति से की जाती है।

ङ. प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पीआर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

च. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई सीधे अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

छ. दिए गए लाभ :

- जहां प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब से देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

ज. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

झ. **जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता :** सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमांकिक देयता की गणना बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों व विनियमों तथा परिपत्रों के अनुसार और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके

पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय का मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप ही किया जाता है कारण कि पॉलिसी धारक के खाते में पड़ी हुई जमा राशि को और खर्च पूरा करने के लिए खर्चों की पर्याप्तता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को देयता के रूप में समझा जाता है।

साधारण बीमा :

क. प्रीमियम जिसमें स्वीकृत की गई पुनर्बीमा शामिल है, को जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से बहियों में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किश्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) की सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अविध में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम के शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब लिया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्र में हिसाब में लिया गया है।

ड. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई है जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरूआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब लगाया जाता है। तुलनपत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया जाता है। पुनर्बीमा एवं सह-बीमा व्यवस्था से क्रमशः पुनर्बीमाकर्ताओं/सह- बीमाकर्ताओं से प्राप्त राशि को एक साथ दावे के अंतर्गत लिया गया है। प्रबंधन के द्वारा तुलन पत्र की तिथि को पुनर्बीमा, निस्तारण मूल्य और अन्य प्राप्तियां बकाया दावा के रूप में प्रावधान किया गया है।

छ. दावा देयताओं के संबंध में प्रावधान जो किसी लेखा वर्ष की समाप्ति के पूर्व उत्पन्न हुए होते परंतु

- जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या

- पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया गया है, (अर्थात् इस टिप्पणी के साथ सूचित किया गया है कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनईआर)।

प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीएआई की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक व्यवहार सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुक्ल की गणना संबंधित योजनाओं के तहत स्वीकृत विशिष्ट दरों पर जो प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लगाई गई है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर / वस्तू एवं सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

न्यासी परिचालन :

क. म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस की गणना संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर की गई है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहां कहीं लागू हो, को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

ख. कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस की गणना ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर की गई है। कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार की गणना ग्राहकों के साथ हुई ट्रस्टीशिप संविदाओं/ करारों के अनुसार की गई है / प्रोद्भूत हुई है।

ग. ऑनलाइन "वसीयतनामा" सेवाओं से प्राप्त आय की गणना तब की जाती है जब शुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसी आय की निश्चित गणना इस समय ऐसे अधिकार प्राप्त होने पर की जाती है।

आंतरिक संरचना और सुविधा प्रबंधन :
उक्त संविदागत कार्य जब भी वेंडर को दिया जाता है और वेडंर द्वारा कार्य तय करार के अनुसार पूरा किया जाता है तो प्रबंधन से प्राप्त आय और परामर्श फीस को हिसाब में लिया जाता है।

व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय:

क. छूट, जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर, प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने के आधार पर आय की गणना जाती है और सेवाओं के पूरा किए जाने आय को हिसाब में लिया है।

ख. पीओएस स्थापित करने पर होने वाली आय या तो सेवा देने की अवधि के दौरान या तय की गई दरों और शर्तों में निर्दिष्ट के अनुसार अवधि के दौरान संसाधित लेनदेन की संख्या के आधार पर हिसाब में लिय जाता है।

ग. आय प्राप्त लेकिन रखरखाव तैनाती अनुबंध के खाते द्वारा अर्जित नहीं मानी जाती है। आय को आस्थगित किया और देनदारियों में शामिल तब माना जाता जब तक कि आय मान्यता मानदंड पूरा नहीं किया जाता है। अर्जित आय, लेकिन बिल नहीं की गयी का अर्थ है किए गए कार्य पर प्राप्त आय, लेकिन अनुबंध की शर्तों के आधार पर बाद की अवधि में बिल की गई मानी जाती है ।

घ. मर्चेंट एक्वायरिंग की सेवाएं प्रदान करने की आय को पूरी लागत और ऐसी लागतों की बढ़ी हुई लागत के रूप में दर्शाया जाता है।

ङ आय उस सीमा तक मान्य है बशर्ते है की आर्थिक लाभ होगा और आय को ठीक से मापा जा सकता है

2. निवेश:

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)

2.2 वर्गीकरण का आधार:

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्यांकन:

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. निवेश की लागत का निर्धारण, समूह की संस्थाओं द्वारा "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं एसबीआई द्वारा 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है तथा समूह की अन्य संस्थाओ द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के तहत किया गया है।

ii एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. **"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी:** "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर आईसीएआई के लेखा मानक 23 के अनुरूप मूल्यांकित किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:** एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं ऋणपत्र) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी / आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख. इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग. यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ. उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ. ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. **रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:**

क. रेपो /रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/ आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

ख. बीमा व्यवसाय :

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में, निवेश बीमा अधिनियम, 1938, आईआर डीएआई (निवेश) विनियम, 2016, कंपनी और आईआरडीए (बीमा कपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण) विनियम, 2002, कंपनी का निवेश नीति और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा तथा निर्गमित विभिन्न अन्य परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर प्रीमियम के परिशोधन या डिस्काउंट की अभिवृद्धि के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रुमेंट्स और प्रेफ्रेन्स शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एनएसई' पर बाजार बंद होने के समय शामिल किया जाता है। यदि एनएसई का बाजार बंद होने का मूल्य उपलब्ध न हो तो द्वितीयक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') के बंद होने के मूल्य को शामिल किया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, इक्विटी संबंधित लिखतों और अधिमान शेयरों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उपर्युक्तानुसार इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार किया जाता है।

शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिविर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ ''आय और अन्य आरक्षितियां (अनुसूची 2)'' में और ''बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)'' क्रमशः तुलनपत्र में लिए गए हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है एक वर्ष से कम परिपक्वत अवधी वाली सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों परिपक्वता पर प्रतिफल आधार पर किया जाता है यदि प्रतिफल का मूल्य क्रिसिल द्वारा प्रदत उस बाजार मूल्य का उपयोग किया जाता है जो प्रतिभूति को अल्पवादी के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले दिनका होता हैं। यदि प्रतिभूति उसकी अल्पावादी के दौरान खरीदी जाती है तो परिपक्वता पर प्रतिफल पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत का मूल्यांकन किया जाता है। अगर प्रतिभूति में ऑप्शन हो तो प्रारंभिक कॉल ऑप्शन/ पुट ऑप्शन की तिथि को परिपक्वता तिथि के रूप में लिया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन या परिपक्वता आधार पर बट्टा की दशा में मुद्रा बाजार प्रतिभूति को ऐतिहासिक दर पर मूल्य अंकित किया जाता है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य पर किया गया है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नीति के अनुसार किया जाता है जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँः

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया हैः

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि होने की जानकारी मिली है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :

i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान

ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बन्धित प्रतिभूति-रहित जोखिम - 20%

संदिग्ध आस्तियाँ:

- प्रतिभूत भाग

i. एक वर्ष तक - 25%

ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%

iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%

- अप्रतिभूत भाग 100%

हानिप्रद आस्तियाँ : 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुनर्संरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है।

उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार मूलधन या बकाया ब्याज की एनपीए में वसूली का समायोजन (संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत नवीन/अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाओं से बाहर नहीं) निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

क. प्रभार

ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

ग. मूलधन

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम " में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन घटाकर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 घरेलू परिचालन के संदर्भ में मूल्यह्रास की दर और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति निम्नलिखित है:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है: परिसर - 60 वर्ष; वाहन - 5 वर्ष; सुरक्षित जमा लॉकर - 20 वर्ष; फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहीत आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। निवल बही मूल्य में वृद्धि पर किए गए मूल्यह्रास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से की गई है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर काटा गया है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (स्पॉट/ वायदा) दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को तुलनपत्र की तिथि लागू स्पॉट दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं स्पॉट दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. एसबीआई एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। एसबीआई निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नियत कर्मचारी हित लाभ योजना भविष्य निधि में अंशदान करता है। भविष्य निधि का प्रबंधन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। अवधि के दौरान दिए गए या देय अंशदान लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसके लिए कर्मचारी ने संबंधित सेवा ली है। साथ ही स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा प्रति वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है और सांविधिक दर से देयता की तुलना में अंशदान के लिए देय ब्याज की कमियों की पहचान (यदि कोई हो) करता है।

ख. समूह अलग से ग्रेच्युटी योजना परिचालित करता है जिसके नियत हितलाभ हैं। समूह सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

ग. एसबीआई सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

घ. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बन्धित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

113 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों के स्थानीय कानूनों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. आय पर कर:

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो "आय पर कर लेखा" से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जो तुलन-पत्र की तिथि को लागू है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंध-मंडल के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/ होना निश्चित है। आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में कैरी फॉरवर्ड तभी किया जाए जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर पर खर्च मुख्य एवं अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा कर पर खर्च का लागू विनियमों के अनुरूप कुल योग है।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों का प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी " प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है।

इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 एसबीआई के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

एसबीआई अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। एसबीआई इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। एसबीआई सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने पर व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची 18

लेखा-टिप्पणियां

1. उन अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 29 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 20 एसोसिएट्स 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित जो वर्ष के दौरान विलय /एक्जिट की संबंधित तिथियों तक/ से (जो भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य संस्था के साथ-साथ समूह का गठन) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में शामिल किया गया है, वे हैं

क. अनुषंगियां :

			समूह की हिस्सेदारी (%)	
क्र. सं.	**अनुषंगी का नाम**	**निगमन-देश**	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	100.00	100.00
2)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	100.00	100.00
3)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	100.00	100.00
4)	एसबीआई कैप वेंचर्स लि.	भारत	100.00	100.00
5)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	100.00	100.00
6)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
7)	एसबीआई डीएचएफआई लि.	भारत	72.17	72.17
8)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	86.18	86.18
9)	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	भारत	100.00	100.00
11)	एसबीआई पेमेंट सर्विसज प्रा.लि. @	भारत	74.00	100.00
12)	एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.	भारत	92.60	92.60
13)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	62.10	62.10
14)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड @	भारत	70.00	74.00
15)	एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड @	भारत	74.00	74.00
16)	एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड @	भारत	74.00	74.00

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
17)	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्वि. प्रा.लि.@	भारत	65.00	65.00
18)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
19)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड @	मॉरीशस	63.00	63.00
20)	कमर्शियल इंडो बैंक एलआईसी, मास्को @	रूस	60.00	60.00
21)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	100.00	100.00
22)	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	100.00	100.00
23)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	अमेरिका	100.00	100.00
24)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	100.00	-
25)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राज़ील	100.00	100.00
26)	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरीशस	96.60	96.60
27)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
28)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.00	55.00
29)	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00

@ उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो शेयरधारकों के समझौते के संदर्भ में संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं हैं। हालाँकि, इन्हें एएस21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार सहायक कंपनियों के रूप में समेकित किया गया है क्योंकि इन कंपनियों में एसबीआई की हिस्सेदारी 50% से अधिक है।

ख. संयुक्त उद्यम :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी - ऐज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	49.00	49.00
2)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लि.	भारत	45.00	45.00
3)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
4)	मैक्वेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लिमिटेड	सिंगापुर	45.00	45.00
5)	मैक्वेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड	बेरमुडा	45.00	45.00
6)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
7)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
8)	जियो पेमेंट्स बैंक लि.	भारत	30.00	30.00

ग. सहयोगी:

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	पूर्वांचल बैंक	भारत	35.00	35.00

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
11)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	26.27
16)	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
17)	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	31.50
18)	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
19)	दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	20.05	24.42
20)	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00

क) अप्रैल 2018 के महीने में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि. (एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है। एसबीआई ने ₹1,604.43 करोड़ के समान जीबीपी 17.50 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि में चुकता पूंजी के रूप में ले आई।

ख) मई 2018 के महीने में एसबीआई ने जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम) में ₹30 करोड़ लगाए। जियो पेमेंट बैंक में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी पूर्ववत बनी हुई है।

ग) अगस्त 2018 में एसबीआई ने एसबीआई काड्र्स और पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एक सहायक) में ₹347.80 करोड़ लगाए। एसबीआई काड्र्स और पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी पूर्ववत बनी हुई है।

घ) अगस्त 2018 में एसबीआई ने एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एक सहायक) में ₹2.50 करोड़ लगाए।

एसबीआई ने अपने मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस (एमएबी) को एसबीआईपीएसपीएल को 29 सितंबर 2018 में हुए एक व्यापार हस्तांतरण समझौते के अनुसार ₹1,250 करोड़ हस्थांतरित किए हैं जो एसबीआई के द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं।

जनवरी 2019 के महीने में एसबीआईपीएसपीएल ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 15,81,082 इक्विटी शेयर ₹9,819.86 प्रति शेयर ₹9,809.86 प्रति शेयर प्रीमियम सहित हिताची पेमेंट्स सर्विस प्राइवेट लि. को जारी किए। परिणामस्वरूप एसबीआईपीएसपीएल में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी 100% से घटकर 74.00% हो गई है।

ङ) सितंबर 2018 के महीने में एसबीआई ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एक सहायक) में अपनी 4.00% हिस्सेदारी बेच दी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी 74.00% से घटकर 70.00% हो गई है।

च) दिसंबर 2018 में एसबीआई ने एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में ₹30 करोड़ लगाए। एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी समान है।

छ) फरवरी 2019 में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि (एक सहायक) ने एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) में ₹10.70 करोड़ लगाए। एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी समान है।

ज) वर्ष के दौरान एसबीआई ने इसके द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) में अतिरिक्त पूंजी लगाएः -

(₹करोड़ में)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि
उत्कल ग्रामीण बैंक	63.14
मध्यांचल ग्रामीण बैंक	57.63
राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	7.28
नागालैंड ग्रामीण बैंक	0.65
योग	**128.70**

एसबीआई समूह का हिस्सा इस पूंजी निवेश के बाद भी समान है।

झ. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित एसबीआई प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित आरआरबी का समामेलन हुआ।

आरआरबी के समामेलन का ब्योरा, जहां ट्रांसफर किए गए आरआरबी को एसबीआई द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है, नीचे दिए गए हैं: -

	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का नाम	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का प्रायोजक बैंक	समामेलन के बाद आरआरबी का नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक का नाम	समामेलन की प्रभावी तिथि
1.	पंजाब ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक			
	मालवा ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	पंजाब ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	1 जनवरी 2019
	सतलज ग्रामीण बैंक	पंजाब और सिंध बैंक			
2.	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक			
	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	1 अप्रैल 2019
3.	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1 अप्रैल 2019
	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक			
	आरआरबी के समामेलन का ब्योरा, जहां ट्रांसफर किए गए आरआरबी एसबीआई द्वारा प्रायोजित हैं:-				
1	झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	झारखंड	भारतीय स्टेट बैंक	1 अप्रैल 2019
	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	राज्य ग्रामीण बैंक		

ञ) एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड एसबीआई की एक सहायक कंपनी है जिसमें एसबीआई की हिस्सेदारी 25.05% है वह लिक्वीडेशन के अधीन है और इसलिए, लेखा परीक्षा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी में समेकन के लिए शामिल नहीं किया जा रहा है।

ट) चूंकि एसबीआई फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी कंपनी है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 (2) के तहत शामिल), उस पर लेखांकन मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

1.2 समूह के वित्तीय वर्ष 2018-19 के समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी (एसबीआई कनाडा बैंक) और तीन सहयोगियों (बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड और दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनके परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

2. शेयर पूंजी:

क) भारतीय स्टेट बैंक ने ₹0.38 करोड़ की आवेदन राशि ₹0.38 करोड़ प्रीमियम सहित ₹1 के इक्विटी शेयर पर 24,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्राप्त किए जो विभिन्न प्रकार के टाइटल के विवाद या 18.03.2008 को बंद राइट इश्यू के विवाद के कारण रोककर रखा गया था। रोककर रखे गए इक्विटी शेयर 31.01.2019 को आबंटित किए गए।

ख) शेयर जारी करने के व्यय के संबंध में ₹9.12 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹17.60 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते में डेबिट किए गए।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 लेखा मानक- 15 "कर्मचारी हितलाभ":

3.1.1 नियत हितलाभ योजनाएं

3.1.1.1 पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना

नीचे दी गई तालिका लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	87,786.56	83,870.13	13,025.81	9,929.61
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए समायोजन *	-	-	-	8.70
वर्तमान सेवा लागत	1,060.57	978.19	430.32	302.75
ब्याज लागत	6,812.24	6,248.32	1,012.43	722.05
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	3,614.64
देयता / अधिग्रहण में हस्तांतरित	-	-	-	1.20
बीमांकिक हानि / (लाभ)	6,434.95	3,338.70	(89.76)	(9.83)
प्रदत्त लाभ	(3,966.53)	(4,190.43)	(2,000.50)	(1,543.31)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,765.64)	(2,458.35)	-	-
31 मार्च 2019 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	95,362.15	87,786.56	12,378.30	13,025.81
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2018 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	85,249.60	79,303.20	9,263.16	9,863.77
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए समायोजन *	-	-	-	6.21
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	6,615.37	5,908.09	721.37	717.37
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,391.18	4,363.81	2,404.93	243.49
आस्तियों का अधिग्रहण / अधिग्रहण में स्थानांतरित किया गया	-	-	-	2.01
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	0.34	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,966.53)	(4,190.43)	(2,000.50)	(1,543.32)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	109.65	(135.07)	104.50	(26.37)
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	90,399.61	85,249.60	10,493.46	9,263.16
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2019 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	95,362.15	87,786.56	12,378.30	13,025.81
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	90,399.61	85,249.60	10,493.46	9,263.16
कमी/(अधिशेष)	4,962.54	2,536.96	1,884.84	3,762.65
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	(2,707.50)
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	**4,962.54**	**2,536.96**	**1,884.84**	**1,055.15**
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि				
देयताएं	95,362.15	87,786.56	12,378.30	13,025.81
संपत्ति	90,399.61	85,249.60	10,493.46	9,263.16
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त नेट लायबिलिटी / (एसेट)	4,962.54	2,536.96	1,884.84	3,762.64
गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	(2,707.50)
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	**4,962.54**	**2,536.96**	**1,884.84**	**1,055.15**
शुद्ध लागत लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है				
वर्तमान सेवा लागत	1,060.57	978.19	430.32	302.75

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ब्याज लागत	6,812.24	6,248.32	1,012.43	722.05
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(6,615.37)	(5,908.09)	(721.37)	(717.37)
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	(0.34)	-	-	-
विगत सेवा लागत (परिशोधित) मान्यता प्राप्त	-	-	-	0.05
लेखे में लिया गया विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	2,707.50	907.09
वर्ष के दौरान लेखे में शामिल शुद्ध बीमांकिक हानि /लाभ	6,325.30	3,473.77	(194.26)	16.54
अनुसूची 16 में शामिल परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान"	**7,582.40**	**4,792.19**	**3,234.62**	**1,231.11**
योजनागत आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का सामंजस्य				
योजनागत आस्ति पर अपेक्षित लाभ	6,615.37	5,908.09	721.37	717.37
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	109.65	(135.07)	104.50	(26.37)
योजना आस्ति पर वास्तविक लाभ	6,725.02	5773.02	825.87	691.00
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	**2,536.96**	**4,566.93**	**1,055.15**	**65.84**
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रा.लि.*- के लिए समायोजन	-	-	-	2.50
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	7,582.40	4,792.19	3,234.62	1231.11
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,765.64)	(2,458.35)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
शुद्ध देयता/ (आस्ति) हस्थांतरित	-	-	-	(0.81)
नियोक्ता का अंशदान	(2,391.18)	(4,363.81)	(2,404.93)	(243.49)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	**4,962.54**	**2,536.96**	**1,884.84**	**1,055.15**

* एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में समेकन की पद्धति में परिवर्तन के कारण समायोजन कुल व्यवसाय समेकन की तुलना में यथानुपातिक व्यवसाय समेकन के आधार पर किया गया है।

31 मार्च, 2019 तक ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का%	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों%
केंद्र सरकार की प्रतिभूति	23.69%	18.49%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	31.40%	33.42%
डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट सिक्योरिटीज और बैंक डिपॉजिट्स	31.93%	22.92%
म्यूचुअल फंड्स	2.39%	4.02%
बीमाकर्ता प्रबंधित फंड	2.63%	16.71%
अन्य लोग	7.96%	4.44%
योग	**100.00%**	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	पेंशन योजनाएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.79%	7.76%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.79%	7.76%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.20%	5.00%
पेंशन वृद्धि दर	0.40%	-
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

विवरण	ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.77%	7.78%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.77%	7.78%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.20%	5.00%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

भारतीय स्टेट बैंक के मामले में चूँकि योजनागत आस्ति को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की दर को डिस्काउंट दर में गणना की गई है।

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए।

3.1.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन "शून्य" देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2018 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	30,298.65	26,221.36
वर्तमान सेवा लागत	965.04	961.65
ब्याज लागत	2507.55	2,455.58

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1377.59	1,396.25
हस्तांतरित हुई देयता	-	3,309.05
बीमांकिक हानि (लाभ)	-	25.56
प्रदत्त लाभ	(4220.11)	(4,070.79)
31 मार्च 2019 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	**30,928.72**	**30,298.66**
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2018 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	31,874.25	27,221.93
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,507.55	2,455.58
अंशदान	2,342.63	2,357.90
अन्य कंपनियों से हस्तांतरित	-	3,723.65
प्रदत्त हितलाभ	(4220.11)	(4,070.79)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	126.22	185.98
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**32,630.54**	**31,874.25**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2019 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	30,928.72	30,298.66
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	32,630.54	31,874.25
कमी/(अधिशेष)	(1,701.82)	(1,575.59)

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	1,701.82	1,575.59
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	965.04	961.65
ब्याज लागत	2,507.55	2,455.58
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	-2,507.55	(2,455.58)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	965.04	961.65
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	965.04	961.65
नियोक्ता का अंशदान	(965.04)	(961.65)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	35.34%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.83%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	31.74%
म्यूचुअल फंड	1.44%
अन्य	6.65%
योग	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.77%	7.78%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.55%	8.65%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.20%	5.00%

i) एसबीआई कर्मचारी भविष्यनिधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी:

क. पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक: या

ख. तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की भविष्य निधि जिसका प्रबंध एक न्यास द्वारा किया जाता है, के नियमों में यह दिया गया है कि यदि न्यास बोर्ड इस कारण से कि निवेश पर आय कम हुई है या अन्य किसी कारण से उस दर से ब्याज अदा करने में असमर्थ हैं जो दर कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के लिए घोषित की जाती है तब कम पड़ने वाली राशि की पूर्ति इस कंपनी द्वारा की जाएगी।

3.1.2 नियत अंशदान योजना

3.1.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह (नोट 3.1.1.2 में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर) द्वारा भविष्य निधि योजना के लिए ₹32.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹28.59 करोड़) की राशि अंशदान की गई है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारी को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

3.1.2.2 नियत अंशदान पेंशन योजना

अगस्त 1, 2010 या उसके बाद एसबीआई की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एसबीआई ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंध नई पेंशन योजना एनपीएस न्यास द्वारा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वर्ष के दौरान ₹451.39 करोड़ का अंशदान किया (पिछले वर्ष ₹390 करोड़) था।

3.1.2.3 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	6,248.59	4,760.18
वर्तमान सेवा लागत	261.33	210.19
ब्याज लागत	485.98	432.32
देयता में हस्तांतरित / अधिग्रहण	-	1,188.49
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	741.84	593.93

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
प्रदत्त लाभ	(861.10)	(936.51)
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	6,876.64	6,248.59
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	261.33	210.19
ब्याज लागत	485.98	432.32
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	741.84	593.93
अनुसूची 16 -"कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1489.15	1,236.44
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	6,248.59	4,760.17
उपरोक्तानुसार व्यय	1,489.15	1,236.44
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुई देयता	-	1,188.49
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(861.10)	(936.51)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**6,876.64**	**6,248.59**

प्रमुख बीमांकिक अनुमान :

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.77%	7.78%
वेतन वृद्धि	5.20%	5.00%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश) (उपर्युक्त तालिका में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर)

सेवानिवृत्ति पर किए जाने वाले अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए समूह द्वारा ₹30.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष ₹36.17 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में कर्मचारियों को 'भुगतान एवं उसके लिए प्रावधान शीर्ष' में शामिल किया गया है।

3.2.3.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹38.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-) 38.69 करोड़) की राशि का प्रावधान/(अपलेखन) किया गया तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	35.80	(4.20)
2	रुग्ण अवकाश	2.11	3.35
3	रजत जयंती / दीर्घावधि सेवा अवार्ड	12.64	(12.64)
4	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	(4.15)	(13.23)
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(7.85)	(11.97)
	योग	**38.55**	**(38.69)**

3.1.3 उपर्युक्त सूचीबद्ध कर्मचारी हित लाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के संबंध में है। विदेश स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को उक्त योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है।

3.2 लेखा मानक - 17 'खंडवार सूचना'

3.2.1. खंड अभिनिर्धारण

ए) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है:-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्सट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

क. **ट्रेजरी-** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ख. **कॉरपोरेट/थोकबैंकिंग-** कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉरपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग. **खुदरा बैंकिंग-** खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, इन शाखाओं की गतिविधियों में संबद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

घ. **बीमा व्यवसाय** - बीमा व्यवसाय खंड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ. **अन्य बैंकिंग व्यवसाय** - उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। इस खंड में भी समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

बी. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

क) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ख) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

ग. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मूलतः प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं ट्रेजरी खंड, खुदरा बैंकिंग खंड से ही निधियां प्राप्त करते हैं। बाजार संबद्ध निधि अंतरण मूल्यन (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है, इसके अंतर्गत निधीयन केंद्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। निधीयन केंद्र व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाओं और उधारियों के रूप में उगाही गई निधियों को कल्पित (नोशनल) रूप से खरीदता है तथा आस्ति सृजन में लगी वसाय इकाइयों को कल्पित विक्रय करता है।

घ. आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है।

ऐसी आय, व्यय, सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जो समग्रतः उद्यम से संबंधित होती है और जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

3.2.2. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड) (₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय (विशेष मदों से पूर्व)	77,713.33	80,139.68	1,21,250.27	43,417.32	11,643.14	3,34,163.74
	(82,163.87)	(64,365.45)	(1,11,963.61)	(34,088.37)	(8,637.67)	(3,01,218.97)
गैर-आबंटित आय						903.54
						(2,571.02)
घटाएं: अंतरखंडीय आय						4,846.40
						(2,298.53)
कुल आय						3,30,220.88
						(3,01,491.46)
परिणाम(विशेष मदों से पूर्व)	6,593.12	-15,889.35	12,837.52	2,114.81	2,290.57	7,946.67
	(-16.83)	(-38,316.71)	(19,464.25)	(1,832.28)	(1,680.23)	(-15,356.78)
जोड़ें: विशेष मदें	466.48					466.48
	(5,036.21)					(5,036.21)
परिणाम (विशेष मदों के पश्चात्)	7,059.60	-15,889.35	12,837.52	2,114.81	2,290.57	8,413.15
	(5,019.38)	(-38,316.71)	(19,464.25)	(1,832.28)	(1,680.23)	(-10,320.57)
गैर-आबंटित आय (+)/व्यय(-) निवल						-3,192.67
						(-1,924.34)
कर पूर्व लाभ/ (हानि)						5,220.48
						(-12,244.91)
कर						2,151.41
						(-8,057.50)
असाधारण लाभ						0.00
						(0.00)
सहयोगियों के लाभ में हिस्से से पूर्व निवल लाभ/(हानि) और अल्पांश हित						3,069.07
						(-4,187.41)
जोड़ें: सहयोगियों के लाभ में हिस्सा						281.48
						(438.16)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
घटाएं: अल्पांश हित						1,050.91
						(807.04)
समूह के लिए निवल लाभ/ हानि						2,299.64
						(-4,556.29)
अन्य सूचना:						
खंड आस्तियां	10,00,105.22	11,54,958.34	14,93,139.12	1,53,355.50	33,271.01	38,34,829.19
	(10,85,909.92)	(10,24,506.47)	(13,19,933.76)	(1,27,110.66)	(27,548.89)	(35,85,009.70)
गैर आबंटित आस्तियां						53,637.87
						(31,434.87)
कुल आस्तियां						38,88,467.06
						(36,16,444.57)
खंड देयताएं	8,28,452.00	11,77,656.01	14,04,930.51	1,43,955.29	24,650.44	35,79,644.25
	(8,10,044.02)	(10,63,520.41)	(13,11,488.36)	(1,19,108.58)	(21,136.24)	(33,25,297.61)
गैर आबंटित देयताएं						74,327.15
						(60,825.01)
कुल देयताएं						36,53,971.40
						(33,86,122.62)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय परिचालन	विदेशी परिचालन	कुल
आय (विशेष मदों से पूर्व)	3,13,646.59	16,574.29	3,30,220.88
	(2,88,659.53)	(12,831.93)	(3,01,491.46)
निवल लाभ / हानि	(2,151.64)	4,451.28	2,299.64
	(-6,162.65	(1,606.36)	(-4,556.29)
आस्तियाँ	34,50,717.84	4,37,749.22	38,88,467.06
	(32,04,207.99)	(4,12,236.58)	(36,16,444.57)
देयताएँ	32,22,555.73	4,31,415.67	36,53,971.40
	(29,78,279.99)	(4,07,842.63)	(33,86,122.62)

(i) आय/ व्यय संपूर्ण वर्ष के लिए है। आस्तियां/ देयताएं 31 मार्च 2019 के लिए हैं।

(ii) कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.3 लेखा मानक - 18 "संबंधित पक्षों का प्रकटन"

3.3.1 समूह के संबंधित पक्ष

क. संयुक्त उद्यम:

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज लि.
2. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
8. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ख. सहयोगी :

i.) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक
6. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
7. मेघालय ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम ग्रामीण बैंक
9. नागालैंड ग्रामीण बैंक
10. पूर्वांचल बैंक
11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17. कावेरी ग्रामीण बैंक
18. मालवा ग्रामीण बैंक (31.12.2018 तक)

ii. अन्य

19 दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

20 बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

21 एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

ग. एसबीआई के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
2. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियाँ)
3. श्री पी.के.गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
4. श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग) (29.06.2018 तक)
5. श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह एवं आईटी) (25.06.2018 से)
6. श्रीमती अंशुला कांत, प्रबंध निदेशक (तनावग्रस्त आस्तियां, जोखिम एवं अनुपालन) (07.09.2018 से)

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए:

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ''सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम'' के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3.3.3 लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
वर्ष 2018-19 के दौरान लेन-देन			
ब्याज आय	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज व्यय	- (0.09)	- (-)	- (0.09)
लाभांश से अर्जित आय	19.26 (29.24)	- (-)	19.26 (29.24)
अन्य व्यय	0.10 (0.17)	- (-)	0.10 (0.17)
अन्य आय	0.36 (12.31)	- (-)	0.36 (12.31)
प्रबंधन संविदा	- (-)	1.32 (2.05)	1.32 (2.05)
मार्च 31, 2019 को बकाया			
देय राशियां			
जमा	47.18 (44.75)	- (-)	47.18 (44.75)
अन्य देयताएं	0.29 (1.19)	- (-)	0.29 (1.19)
प्राप्य राशियां			
बैंकों में अधिशेष	- (-)	- (-)	- (-)
निवेश	97.66 (67.66)	- (-)	97.66 (67.66)
अग्रिम	- (-)	- (-)	- (-)
अन्य आस्तियां	0.08 (0.07)	(-)	0.08 (0.07)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	- (-)	- (-)	- (-)
जमा	207.32 (206.21)	(-)	207.32 (206.21)
अन्य देयताएं	0.29 (119.61)	- (-)	0.29 (119.61)
बैंक में अधिशेष	- (-)	- (-)	- (-)
अग्रिम	- (0.62)	- (-)	- (0.62)
निवेश	97.66 (77.10)	- (-)	97.66 (77.10)
अन्य आस्तियां	0.08 (0.07)	- (-)	0.08 (0.07)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

वर्ष के दौरान अन्य पक्ष से संबंधित लेनदेनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।

3.4 लेखा मानक -19 "पट्टे":

3.4.1 वित्तीय पट्टा

01 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद वित्तीय पट्टे पर ली गई आस्तियाः वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	24.58	17.26
1 से 5 वर्ष	65.08	56.06
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**89.66**	**73.32**
ब्याज लागत देय राशियां		
1 वर्ष से कम	6.03	4.77
1 से 5 वर्ष	7.89	13.19
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**13.92**	**17.96**

न्यूनतम पट्टा भुगतान देय राशियों का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष से कम	18.55	12.49
1 से 5 वर्ष	57.19	42.87
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**75.74**	**55.36**

3.4.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की जानकारी नीचे प्रस्तुत है:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ निवास शामिल हैं, जो समूह इकाइयों के विकल्प पर नवीकरण योग्य हैं। रद्द होने योग्य नहीं परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता नीचे प्रस्तुत की गई है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	188.39	208.53
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	558.54	613.72
5 वर्ष के पश्चात	120.46	252.46
योग	**867.39**	**1,074.71**

इस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि ₹3,522.61 करोड़ (पिछले वर्ष 3,440.01 करोड़).

3.5 लेखा मानक-20 'प्रति शेयर उपार्जन'

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर "मूल आय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात समेकित (आधी हिस्सेदारी वाली संस्थाओं को छोड़कर) निवल लाभ/(हानि) बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण मूल एवं कम किया हुआ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,87,534	797,35,04,442
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	24,000	95,10,83,092
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,87,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,91,479	853,30,51,135
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,45,91,479	853,30,51,135
निवल लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	2,299.64	(4,556.29)
प्रति शेयर मूल आय (₹)	2.58	(5.34)
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	2.58	(5.34)
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

3.6 लेखा मानक- 22 'आय पर कर का लेखांकन'

i) वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹878.16 करोड़ आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए गए हैं। (पिछले वर्ष ₹9,804.79 करोड़ क्रेडिट किया गया)

ii) आस्थगित कर की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	5,363.60	3,486.07
अग्रिमों के लिए प्रावधान	4,404.39	4,415.43
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	753.11	743.57
बट्टे का परिशोधन संचित हानि पर	10,863.94	13,889.32
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	235.77	-
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	50.00	14.91
डीटीए एसबीआई विदेशी कार्यालयों से	277.68	317.04
अन्य	220.38	207.56
योग	**22,168.87**	**23,073.90**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	99.44	89.71
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	6,389.76	6,315.01
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,690.10	4,690.10
डीटीएल एसबीआई विदेशी कार्यालयों से	2.33	2.80
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि		117.30

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
अन्य	8.22	26.66
योग	**11,189.85**	**11,241.58**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**10,979.02**	**11,832.32**

3.7 लेखा मानक -28 "आस्तियों की क्षति"

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

3.8 लेखा मानक - 29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां'

- **लाभ एवं हानि खाते में शामिल किए गए प्रावधान और आकस्मिक देयताओं का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए "प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं" का विश्लेषण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान हेतु प्रावधान		
	- वर्तमान कर	1,982.02	1,758.40
	- आस्थगित कर	878.16	(9,804.79)
	- आय कर का प्रतिलेखन	(708.77)	(11.11)
ख)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	55,343.42	72,217.65
ग)	पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(89.85)	(691.67)
घ)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	20.51	(3,584.56)
ङ)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(606.00)	8,177.30
च)	अन्य प्रावधान	131.03	(103.65)
	योग	**56,950.52**	**67,957.58**

(कोष्ठ के आंकड़े ऋण दर्शाते हैं)

- **अस्थिर प्रावधान:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक शेष	193.75	193.75
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण	-	-
घ)	**इतिशेष**	**193.75**	**193.75**

- **आकस्मिक देयताओं के विवरण (लेखा मानक-29):**

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक एवं उसके संघटक विभिन्न कार्यवाहियों के पक्ष होते हैं। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयता	यह मद, अंशतः चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	समूह अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती हैं। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में समूह, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः समूह की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा ऑप्शंस, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताएँ, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, एसबीआई द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत एसबीआई की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

- **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक शेष	526.29	1,026.38
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	113.95	127.43
ग)	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	66.22	227.72
घ)	वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	39.27	399.80
ङ)	इतिशेष	**534.75**	**526.29**

4 समूह इकाइयों के बीच अंतर-बैंक/कंपनी शेषों का सतत आधार पर समाधान किया जा रहा है। चालू वर्ष में लाभ एवं हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

5 **प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)**

"अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के उपयोग' पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या बीपी. बीसी. 21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च 2015 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर 2014 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 50 प्रतिशत को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान एसबीआई ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया।

6 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिपत्र संख्या डीबीआर. बीपी.बीसी. 108/21.04.048/2017-18 दिनांक 6 जून 2018 को बैंकों को एमएसएमई उधारकर्ताओं को मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक्सपोजर्स जारी रखने की अनुमति दी गई। तदनुसार, एसबीआई ने 31 मार्च, 2019 को मानक आस्ति के रूप में ₹242.32 करोड़ के अग्रिमों को बनाए रखा है । परिपत्र के उपबंधों के अनुसार, एसबीआई ने इन खातों पर ब्याज को स्वीकार नहीं किया है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में 31 मार्च, 2019 की ₹12.12 करोड़ की मानक आस्ति व्यवस्था की है।

7 भारतीय रिज़र्व बैंक के 23.06.2017 के पत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी 15199/21.04.048/2016-17 और दिनांक 28 अगस्त 2017 के पत्र सं. डीबीआर. बीपी. 1906/21.04.048 / 2017-18 के अनुसार ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च 2019 को क्रमशः ₹34,554 करोड़ (कुल बकाया का 89.66%) का कुल प्रावधान 31 मार्च 2019 को किया है।

8 एसबीआई ने 1 नवम्बर 2017 से वेतन संशोधन के कारण बकाया वेतन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹3984.00 करोड़ (कुल ₹5643.41 करोड़) का प्रावधान किया है।

9 अनुसूची 14 के अंतर्गत निवेश (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) अन्य आय में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आंशिक निवेश की बिक्री पर ₹446.48 करोड़ (पिछले वर्ष एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आंशिक निवेश की बिक्री पर ₹5036.21 करोड़) शामिल हैं।

10 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संबंध में:

क. आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के तहत आदेश संख्या आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/मिस/228/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 के अनुसार मास्टर पॉलिसी धारकों को प्रदत्त प्रशासनिक प्रभार की ₹84.32 करोड़ राशि (पिछले वर्ष ₹84.32 करोड़) संवितरित करने का आदेश जारी किया है। इस कंपनी ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी अर्थात वित्त मंत्रालय भारत सरकार और प्रतिभूति अपील अधिकरण के पास अपील दायर की है जिसने मामले को 04 नवंबर 2015 को पुनः आईआरडीए को भेजा है। आगे आईआरडीए ने दिनांक 5 अक्तूबर 2012 को जारी निर्देशों को दोहराते हुए दिनांक 11 जनवरी 2017 को फिर से निर्देश जारी किए हैं। इस कंपनी ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी अर्थात वित्त मंत्रालय भारत सरकार और प्रतिभूति अपील अधिकरण के पास अपील दायर की है।

ख. आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के तहत कॉरपोरेट एजेंट को प्रदत्त अतिरिक्त कमीशन की ₹275.29 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹275.29 करोड़) क्रमशः सदस्यों या लाभार्थियों को अपने पत्रांक आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/मिस/083/03/2014 दिनांक 11 मार्च 2014 के द्वारा वापस करने के निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी अर्थात वित्त मंत्रालय भारत सरकार और प्रतिभूति अपील अधिकरण के पास अपील दायर की है।

अंतिम आदेश अभी प्राप्त होने बाकी हैं इसलिए उक्त राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

11 एसबीआई द्वारा अनुपालन की गई लेखा नीति के अनुसार लाइफ और जनरल इंश्योरेंस अनुषंगियों में किए गए निवेशों का फिर से उल्लेख करने के बजाय इन्हें आईआरडीए (निवेश) विनियमन, 2016 के अनुसार लेखे में लिया गया है। 31 मार्च, 2019 को बीमा अनुषंगियों के कुल निवेशों का लगभग 12.74% (पिछले वर्ष 9.87%) भाग है।

12 आरबीआई परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के अनुसार मोचनीय अधिमानी शेयरों (यदि कोई हों) को देयताओं और उन पर देय कूपन को ब्याज के रूप में समझा गया है।

13 वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य वर्गीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और इसी प्रकार ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं है आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।

14 आरबीआई दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुरूप पहली बार चालू वर्ष के वर्गीकरण से मिलान के लिए जहाँ भी आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है, अतः पिछले वर्ष के आंकड़ें नहीं दिए गए हैं।

श्रीमती अंशुला कान्त
एमडी (एसएआरसी)

श्री अरिजित बसु
एमडी (सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी (जीबी एवं एस)

श्री पी के गुप्ता
एमडी (आर एवं डीबी))

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री राजेश सेठी
पार्टनर

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) (सहयोगियों के लाभ का हिस्सा सहित परंतु अल्पांश हित को घटाकर)		4451,05,72	(12613,79,21)
समायोजन:			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास		3495,89,21	3105,07,10
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		32,35,82	30,73,27
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल))		2124,03,82	1120,61,02
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(466,47,81)	(5134,30,14)
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		55253,57,08	71525,98,80
मानक आस्तियों पर प्रावधान		20,50,53	(3584,56,16)
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		(606,00,24)	8177,30,33
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		131,02,52	(103,64,78)
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा		(281,47,94)	(438,15,98)
सहयोगियों से लाभांश		(11,71,87)	(15,45,97)
पूंजी लिखतों पर ब्याज		4222,27,24	4554,43,06
		68365,04,08	**66624,21,34**
परिवर्तन:			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		218362,77,89	121391,84,57
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		41290,72,22	44832,14,90
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी		63373,44,50	(164770,34,41)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(321988,70,29)	(134190,21,63)
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)		4182,31,31	(111,91,71)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(35854,36,00)	(22273,22,00)
		37731,23,71	**(88497,48,94)**
कर वापसी / (प्रदत्त कर)		(8175,23,21)	(8010,41,70)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**29556,00,50**	**(96507,90,64)**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(63,52,57)	104,83,55
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		466,47,81	5134,30,14
सहयोगियों से लाभांश		11,71,39	15,45,97
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में (वृद्धि) / कमी		(3005,51,02)	6601,82,54
समेकन पर साख में (वृद्धि) / कमी		**1734,07,01**	**(790,65,51)**
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(856,77,38)**	**11065,76,69**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
(27 मार्च 2018 को जारी एवं आबंटित शेयरों पर व्यय/ जारी करने के व्ययों को घटाकर इक्विटी शेयरों के निर्गम से प्राप्त राशि)		(8,74,22)	23782,45,47

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
पूंजीगत लिखतों का निर्गम / मोचन		3377,60,00	(12118,47,50)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		(4222,27,24)	(4554,43,06)
प्रदत्त लाभांश पर कर सहित		,,0	(2416,26,71)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदत्त लाभांश		(120,69,39)	(143,58,57)
अल्पांश हितों में वृद्धि / (कमी)		1421,74,62	997,46,74
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**447,63,77**	**5547,16,37**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**1076,28,67**	**1305,17,53**
भारतीय महिला बैंक के विलयन से प्राप्त नकदी एवं नकदी समतुल्य	**(ङ)**	**-**	**681,75,35**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)		**30223,15,56**	**(77908,04,70)**
1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**195289,10,83**	**273197,15,53**
अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**225512,26,39**	**195289,10,83**
नोट:			
1) नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति:		**31.03.2019**	**31.03.2018**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		177362,74,09	150769,45,69
बैंकों के पास जमाराशियां और मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य : शेष		48149,52,30	44519,65,14
योग		**225512,26,39**	**195289,10,83**
2) परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा रिपोर्ट किया गया।			

श्रीमती अंशुला कान्त
एमडी (एसएआरसी)

श्री अरिजित बसु
एमडी (सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी (जीबी एवं एस)

श्री पी के गुप्ता
एमडी (आर एवं डीबी))

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री राजेश सेठी
पार्टनर

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मैडम कामा रोड, मुंबई

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 के समेकित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि खाते तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं समेकित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ - साथ अन्य विवरणात्मक सूचना जिसमें शामिल है:

   क) बैंक के लेखा परीक्षित परिणाम जिसे हमारे साथ-साथ केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा समीक्षा की गई है;

   ख) 28 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 17 सहयोगियों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा की गई है (15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित); और

   ग) 1 अनुषंगी और 3 एसोशिएट (2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)

   उपरोक्त इकाइयों को बैंक 'समूह' के संदर्भ में लिया गया है।

   हमारी अभिमत में और हमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विचार के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सहायक और सहयोगियों के अन्य वित्तीय जानकारी के रूप में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरण भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप हैं और जो

   क) 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र में समूह की सही और उचित स्थिति;

   ख) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ व हानि खाते में लाभ की सही जानकारी;

   ग) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरण की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' भाग में दी गई है। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से की गई है। हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हम आश्वस्त हैं कि हमने अपना अभिमत देने के लिए जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

3. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का समग्र समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समाधान कर लिया गया है और इनके बारे में जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों (अनुसूची 9 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 3 के साथ पढ़ी जाए) के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान। अग्रिमों में खरीदे गए और भुनाए गए बिल, कैश क्रेडिट्स, मांग पर चुकौती योग्य ओवरड्राफ्ट ऋण और सावधि ऋण सम्मिलित हैं। इन्हें आगे मूर्त परिसंपत्तियों (बही ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित), बैंक/सरकार की गारंटियों द्वारा प्रत्याभूत और अप्रतिभूत अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अग्रिमों में बैंक की कुल परिसंपत्तियों का हिस्सा 59.38% है। इन पर अन्य बातों के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसी) मानदंड तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनमें अग्रिम वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखा नीति सं. 3 के अनुसार इन मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में की उचित व्यवस्था स्थापित करना शामिल होता है। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों के खाते बैंक की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में रखता है जिनसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती हो। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जाती है। इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है। लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए यह समेकित वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। तदनुसार, इनमें दी गई जानकारी के महत्व को देखते हुए हमारी लेखापरीक्षा अग्रिमों से संबंधित आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर केंद्रित रही है।	हमारी अग्रिमों की लेखापरीक्षा कार्यविधि में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों और अन्य संबंधित परिपत्रों/निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के संदर्भानुसार निम्नलिखित की परीक्षा भी की गई है: - हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता; - मॉनीटरिंग व्यवस्थाओं जैसे बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा व्यवस्था की उपलब्धता और प्रभावशीलता; हमने अग्रिमों के विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की भी परीक्षा की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि सारभूत कार्यविधियों की प्रकृति, समय और व्याप्ति कैसी है और बैंक की मॉनीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण की टिप्पणियों का किस प्रकार अनुपालन किया जा रहा है; हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी परीक्षा की है। हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से चर्चा की है। हमने बाहरी आईटी सिस्टम विशेषज्ञों की रिपोर्टों की भी सहायता ली है विशेषकर एनपीए का पता लगाने, पहचान करने और श्रेणी निर्धारण करने तथा अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण करने एवं उनके लिए प्रावधान करने हेतु सीबीएस में प्रयुक्त बिजनेस लॉजिक्स/पैरामीटर्स के संबंध में।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
ii	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 2 के साथ पढ़ी जाए) निवेशों में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। निवेशों का बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 26.27% हिस्सा है। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इन निदेशों में अन्यों के साथ साथ निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक निवेशों की पहचान, तदनुरूपी आय का गैर निर्धारण तथा उनके लिए प्रावधान करने को भी शामिल किया गया है। उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी (टाइप) की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार करना होता है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा/सूचना जैसे एफआईएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई, अनलिस्टिड कंपनियों आदि के वित्तीय विवरण की प्राप्ति शामिल है। मूल्यांकन की जटिलताओं और विवेक प्रयोग तथा लेनदेनों की मात्रा और हस्तगत निवेशों की मात्रा और नियामक के इस पर फोकस को देखते हुए, इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों में शामिल किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही।	हमारी निवेशों की लेखापरीक्षा कार्यविधि में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/ निदेशों का डिजाइन की समीक्षा, परीक्षा, आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास का संदर्भ लेना शामिल है। विशेषकर: क. हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के संबद्ध दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का मूल्यांकन किया और उसे समझा; ख. हमने इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए, हमने इनके ठीक होने और भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी परीक्षा की। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए; घ. हमने एनपीआई और आय के तदनुरूपी रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; ङ. हमने सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियां अपनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास की राशि की भी अलग से फिर से गणना की है। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की परीक्षा की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. हमने निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की परीक्षा की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति का पता लगाया जा सके।
iii	प्रावधानों एवं आकस्मिक देयताओं का कतिपय कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में निर्धारण, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर तथा दूसरी पार्टियों द्वारा फाइल किए गए विभिन्न दावों सहित कुछ दावों को ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न करना (अनुसूची 12 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की टिप्पणी 18.9 के साथ पढ़ी जाए): प्रोविजनिंग के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय विवेक की आवश्यकता होती है। जहाँ आवश्यक समझा गया, बैंक के आकलन के साथ साथ विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों का परामर्श भी लिया जाता है। तदनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई लाभ और तुलन-पत्र की स्थिति पर अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हमने उपर्युक्त विषय को इन मामलों के परिणामों की अनिश्चितता और कानून की व्याख्या में विवेक प्रयोग को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का मामला माना है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा संबंधित मामलों के तथ्यों के विश्लेषण और कानूनी निर्णयों/ व्याख्या पर केंद्रित रही।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल रहे:- क. कानूनी कार्यवाही/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना। ख. हाल के आदेशों और/या विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त सूचना और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की परीक्षा। ग. संबंधित मामलों में स्वतंत्र विधिक/कर संसूचना में प्रस्तुत आधारों के संदर्भ में गुण-दोषों का मूल्यांकन। और; घ. संबंधित मामलों में चर्चा की, विवरण प्राप्त कर बैंक की मंशाओं और परिणाम की संभाविता तथा उन प्रकरणों के कारण संभावित परिणाम बहिर्गमन की समीक्षा और मूल्यांकन का विश्लेषण।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अतिरिक्त सूचना

4. अन्य सूचना तैयार करने में बैंक का निदेशक बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सम्मिलित हैं, (लेकिन इसमें समेकित बैंक के वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जारी करने के समय प्राप्त किया जाएगा और निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमें उस तिथि के बाद प्राप्त होनी है।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना और बासेल III प्रकटीकरण को कवर नहीं करता और हम उस पर कोई आश्वासन-निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो तो इस अन्य सूचना को वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

यदि हम बैंक की निदेशक रिपोर्ट अनुलग्नकों सहित पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को दें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस से जुड़ें लोगों और प्रबंध मंडल के दायित्व

5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक 23 "एसोशिएट में निवेश के समेकित वित्तीय विवरण" तथा लेखा मानक 27 "संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" सहित भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 की शर्तों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के नकदी प्रवाह और उसकी वित्तीय स्थिति व वित्तीय निष्पादन की सही व सटीक जानकारी प्रस्तुत करने वाले इन केवल बैंक के विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के निदेशक बोर्ड का है। इस दायित्व में यह भी शामिल है कि बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम की शर्तों के अनुसार लेखा अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया जाए, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचा जाए तथा उनका पता किया जाए, ऐसे निर्णय और आकलन किए जाएं जो औचित्यपूर्ण व विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव करें जो हम लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी व प्रस्तुति सुसंबद्ध हो जो सही एवं सटीक छवि प्रस्तुत करे और वस्तुगत गलतबयानी से परे हों, चाहे ऐसा धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय संबंधित प्रबंधन का दायित्व है कि वह संबंधित समूह को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक समूह का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की प्रबंध मंडल की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

ऐसे प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखना है।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करनेवाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य यह है कि बैंक के समेकित वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखा परीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से इन बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके यूसर्स द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उस पर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी की पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील समूह की संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, समूह की संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार यूज़र संभवतः प्रभावित हो सकता है। (1) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (2) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते है।

हम, गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारे द्वारा स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा की गई है और उन्हें संबंधों तथा अन्य मामलोंकी जानकारी दें जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दें।

गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को जिन मामलों की जानकारी दी जाए उनमें से हम चालू अवधि के बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मामलों के रूप में शामिल करें इसलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते है बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य मामले

7. हमने समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया है:

क) हमने 13 संयुक्त लेखापरीक्षकों सहित समेकित वित्तीय विवरण में शामिल 14,796 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमें 31 मार्च 2019 को समाप्त बैंक के कुल अग्रिमों का ₹14,00,731.01 करोड़ और कुल ब्याज आय ₹1,06,540.62 करोड़ शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख) हमने 28 (अट्ठाइस), 8 (आठ) संयुक्त उद्यम अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2019 को ₹2,25,286 करोड़ की कुल आस्ति, कुल राजस्व ₹57,143 करोड़ और शुद्ध बाह्य नकदी प्रवाह ₹ 921 करोड़ शामिल है वर्ष के लिए उस तारीख को समाप्त हो गया, जैसा कि समेकित वित्तीय वक्तव्यों में माना जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में समूह के 17 (सत्रह) सहयोगियों के ₹241 करोड़ के शुद्ध लाभ की हिस्सेदारी भी शामिल है जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारा अभिमत जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ग) हमने 1 (एक) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2019 को ₹5766 करोड़ की कुल संपत्ति को दर्शाते हैं तथा कुल राजस्व ₹238 करोड़ और ₹39 करोड़ शुद्ध नकदी आंतरिक प्रवाह की राशि वर्ष के लिए समाप्त उस तारीख को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। 3 (तीन) सहयोगियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2019 को समूह का ₹41 करोड़ शुद्ध लाभ भी शामिल है जिसकी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारा अभिमत जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमारा विचार समेकित वित्तीय वक्तव्यों के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

8. समूह की सहायक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और रिपोर्ट नहीं की गई उपचयित देयताओं (आईबीएनआर) और दावे जो उपचयित नहीं हैं और रिपोर्ट भी नहीं किए गए (आईबीएनईआर) के बीमांकक मूल्यांकन की जिम्मेदारी कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकक की है (नियुक्त बीमांकक)। 31 मार्च 2019 तक सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और ऐसी पॉलिसी जिनके प्रीमियम नहीं प्राप्त हो रहा है किंतु जिसकी देयता है उसे नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया गया है इस तरह के मूल्यांकन के लिए भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ("आईआरडीए"/"प्राधिकरण") और भारत के एक्चुएरी संस्थान के साथ सहमति में जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार है। सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और ऐसी पॉलिसी जिनके प्रीमियम नहीं प्राप्त हो रहा है के संबंध में हम इस संबंध में नियुक्त किए गए बीमांकक के प्रमाणपत्र पर भरोसा करते हैं अपना अभिमत बनाने के लिए इन पर ही भरोसा करते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 8 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:

क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है;

ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं; तथा

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं 001111N

(राजेश सेठी)
पार्टनर
सदस्यता सं. 085669

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

डीएफ-1 : लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर बासेल III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/दिशानिर्देश नोट शामिल होते हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क. समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए समेकन हेतु विचार किया गया।

निम्नलिखित अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	एसबीआई कैप (यूके) लिमिटेड	यू के	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड	मारिशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
16	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलीफोर्निया)	यूएसए	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
17	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन किसी एक विषय के आधार पर किया गया हो, तो कारण बताएं
18	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई (मारिशस) लिमिटेड	मारिशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया	इंडोनेशिया	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
26	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर वित्तीय अनुषंगीः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
27	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
28	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
29	जीई कैपिटल बिजिनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा विनियामक समेकन का विषय नहीं है
30	सी-एज टेक्नोलजीस लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम : नियंत्रक द्वारा विनियामक समेकन का विषय नहीं है
31	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम : नियंत्रक द्वारा विनियामक समेकन का विषय नहीं है
32	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एसएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा विनियामक समेकन का विषय नहीं है
33	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा विनियामक समेकन का विषय नहीं है
34	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	बेरमुडा	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन किसी एक विषय के आधार पर किया गया हो, तो कारण बताएं
35	ओमन इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड-मेनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
36	ओमन इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड-मेनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
37	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
38	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
39	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
40	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
41	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
42	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
43	लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
44	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
45	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
46	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
47	पूर्वांचल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
48	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन किसी एक विषय के आधार पर किया गया हो, तो कारण बताएं
49	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
50	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
51	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
52	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
53	तेलंगाणा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
54	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
55	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
56	द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
57	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं

ख. समूह की उन संस्थाओं की 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार सूची, जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलनपत्र ईक्विटी (जैसे कि विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलनपत्र आस्तियां (जैसे कि विधिक संस्था के तुलनपत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	एक अलाभकारी कंपनी जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर ध्यान दे सके	15.57	99.72%		15.62
2	एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड	भारत	परिसमापन के अधीन	लागू नहीं	25.05%		लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. नियंत्रक समेकन में शामिल संस्थाओं की 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	मर्चेन्ट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएँ	1,417.44	1,464.72
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोकिंग एवं इसकी सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	274.81	626.70
3	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	90.96	105.12
4	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	वेंचर कैपिटल फंड के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी	60.55	63.13
5	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन सलाहकार सेवाएँ	59.24	59.81
6	एसबीआई कैप (यूके) लिमिटेड	यूके	कॉरपोरेट वित्त की व्यवस्था करना और सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना	1.91	2.06
7	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथिमिक विक्रेता	953.19	7,206.09
8	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	30.24	30.27
9	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	फ़ैक्टरिंग सेवाएँ	325.93	1,302.75
10	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एनपीएस ट्रस्ट को उन्हें आबंटित आस्तियों का प्रबंधन	38.39	39.00
11	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	पेमेंट सोल्युशन सर्विसेस	1,509.95	1,584.55
12	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	1,314.66	1,565.80
13	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट (इन्टरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड	मॉरिशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	2.03	2.96
14	एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	2,856.19	19,257.82
15	एसबीआई - एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	कस्टडी एवं फंड एकाउंटिंग सेवाएँ	159.91	167.91
16	एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड	भारत	कार्ड प्रोसेसिंग एवं अन्य सेवाएँ	401.38	604.60
17	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	945.08	5,458.48
18	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	779.22	5,766.39
19	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	205.46	498.76
20	एसबीआई (मॉरिशस) लिमिटेड	मारिशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,037.08	6,235.40
21	पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया	इन्डोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	694.08	2,458.21
22	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	843.77	7,311.49
23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	बैंकिंग सेवाएँ	1,658.39	14,512.00
24	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएँ	73.85	279.38
25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	प्रतिनिधि कार्यालय सेवाएँ	1.46	1.53
26	नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	मर्चेन्ट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएँ	13.51	13.73

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो नियंत्रक समेकन के क्षेत्र में शामिल नहीं है, अर्थात जो घटा दी गई है :

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम, जहां निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलनपत्र ईक्विटी (जैसे कि विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
निरंक				

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन कुल हितों की सकल राशि, (अर्थात वर्तमान बही मूल्य)जो जोखिम भारित है :

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम, जहां निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलनपत्र ईक्विटी (जैसे कि विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
निरंक				

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध अथवा बाधा:

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई कैलीफोर्निया	विनियमों के अनुसार मूल बैंक को पूंजी हस्तांतरित करने का एक मात्र माध्यम लाभांश का भुगतान अथवा शेयरों का बाइबैक अथवा मूल बैंक को पूंजी का प्रत्यावर्तन है।
एसबीआई कनाडा	मूल बैंक को किसी भी प्रकार की पूंजी (ईक्विटी अथवा ऋण) हस्तांतरित करने से पूर्व नियामक की पूर्व अनुमति।
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बैंक ऑफ बोत्सवाना की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैंकिंग समूह/समूह कंपनी में नियामक पूंजी का हस्तांतरण अनुमत है। बैंक द्वारा आज की तिथि में पूंजी के रखरखाव के लिए बोर्ड द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षक के प्रमाणपत्र से इसे अनुमोदित करवाना चाहिए।
एसबीआई मॉरिशस लिमिटेड	मूल बैंक सहित शेयरधारकों को लौटा दी जानी वाली बैंक की पूंजी कम करने पर विनियामक प्रतिबंध हैं। पूंजी में कोई भी कमी या तो लाभांश के भुगतान या वर्णित पूँजी में कमी करके जैसा कि बैंकिंग अधिनियम एवं मॉरिशस के कंपनी अधिनियम में दिया गया है, के माध्यम से ही हो सकते है। भुगतान की जानी वाली राशि, एसबीआईएमएल के पार्याप्त पूँजी धारण और तरलता अनुपात की विनियामक आवश्यकताओं के अधीन है।
	(क) जब तक पूँजी के रूप में बताई गई राशि अथवा समनुदेशित पूँजी की राशि अथवा 200 मिलियन रुपयों के बराबर की राशि को बैंक द्वारा मारिशस में बनाए रखा नहीं जाता, तब तक केंद्रीय बैंक उसे कोई भी लाइसेन्स नहीं देगा अथवा बैंक बैंकिंग लाइसेन्स रख नहीं सकता।
	(ख) प्रत्येक बैंक 10 प्रतिशत अथवा बैंक की जोखिम आस्तियों एवं अन्य प्रकार की जोखिमों के मामले में केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतर अनुपात में मारिशस में पूँजी बनाए रखेगा।
बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया	बैंक को बुक II बैंक के साथ साथ विदेशी विनिमय बैंक के रूप में परिचालन करने के योग्य बनने के लिए न्यूनतम विनियामक पूँजी रखना होगा। तथापि पर्याप्त लाभ कमाने के बाद लाभांश के रूप में निधियों के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी।
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल के कानून के अंतर्गत कंपनी की आस्तियां एवं देयताएँ विशेष और गैर-हस्तांतरणीय होती हैं। इसीलिए बैंकिंग समूह के भीतर निधियों अथवा विनियामक पूँजी का हस्तांतरण संभव नहीं है।
सीआईबीएल	बैंकिंग समूह के भीतर निधियों अथवा विनियामक पूँजी के हस्तांतरण पर कोई भी प्रतिबंध अथवा बाधाएँ नहीं हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूँजी होने पर एसबीआई यूके बोर्ड तथा विनियामक पीआरए के अनुमोदन से अतिरिक्त पूँजी मूल बैंक को (लाभांश अथवा कम की गई पूँजी के द्वारा) वापस की जा सकती है। तथापि एसबीआई (यूके) लिमिटेड विनियामक व्यवसाय आयोजना में पीआरए के प्रति प्रतिबद्ध है कि वह अनुषंगी के विकास और उसकी पूंजीगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्यावधि में पूँजी कम नहीं करेगा अथवा लाभांश घोषित नहीं करेगा।

तालिका डीएफ-2

पूँजी पर्याप्तता
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूँजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन।	• भारतीय रिज़र्व बैंक की नए पूँजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक एवं उसकी बैंकिंग अनुषंगियाँ वार्षिक आधार पर आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया अपनाती है। इस आईसीएएपी में पूँजी आयोजन प्रक्रिया का पूरा ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित के जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूँजी आवश्यकता एवं तनाव परीक्षण के साथ मूल्यांकन किया जाता है : • ऋण जोखिम • परिचालन जोखिम • चलनिधि जोखिम • अनुपालन जोखिम • पेंशन निधि दायित्व जोखिम • प्रतिष्ठा जोखिम • ऋण जोखिम न्यूनीकरण से शेष जोखिम • बीमा व्यवसाय संबंधी जोखिम • साइबर जोखिम • बाजार जोखिम • ऋण संकेन्द्रण जोखिम • बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम • देश जोखिम • हामीदारी जोखिम • कार्यनीतिक जोखिम • मॉडल जोखिम • संक्रामक जोखिम • प्रतिभा जोखिम • भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में अनुमानित निवेश भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके अनुषंगियों (देशी/विदेशी) के अग्रिमों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण वार्षिक आधार पर अथवा जरूरत के अनुसार उससे अधिक बार किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक एवं स्टेट बैंक समूह के लिए अलग अलग किया जाता है। • बैंक एवं समूह का सीआरएआर 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि के लिए विनियामक सीएआर से अधिक होने की संभावना है। तथापि पर्याप्त पूंजी बनाए रखने के लिए बैंक के पास ईक्विटी के अलावा जब कभी भी जरूरत होने पर अधीनस्थ ऋण, शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस), मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस), मोचनीय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस), शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई) एवं शाश्वत असंचयी अधिमान शेयर द्वारा अपने पूंजी संसाधन बढ़ाने का विकल्प होगा। • विदेशी अनुषंगियों की कार्यनीतिक पूंजी आयोजन में आस्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी का निर्धारण तथा विभिन्न स्थानीय विनियामक एवं विवेकपूर्ण मानदंडों की पूर्ति के लिए अपेक्षित पूंजी शामिल होती है। आस्तियों के संवर्धित स्तर को सहायता देने तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए सीईटी 1/एटी 1/टियर 2 की पूंजी जुटाने की वैयक्तिक अनुषंगियों की क्षमता के बारे में संतुष्ट होने के बाद संवृद्धि आयोजना का अनुमोदन मूल बैंक द्वारा किया जाएगा।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यता:	
	• मानक पद्धति के लिए पूंजी की आवश्यकता	₹ 1,43,298.45 करोड़
	• निवेश का प्रतिभूतिकरण	₹ निरंक
		.....
		कुल ₹1,43,298.45 करोड़
(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता :	
	• मानक अवधि पद्धति ;	₹ 11,328.79 करोड़
	- ब्याज दर जोखिम	₹ 188.60 करोड़
	- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	₹ 4,881.52 करोड़
		.....
	- ईक्विटी जोखिम	**कुल ₹16,398.91 करोड़**
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता :	
	• मूल संकेतक पद्धति	₹ 18,988.48 करोड़
	• मानक पद्धति (यदि लागू हो)	.....
		कुल ₹18,988.48 करोड़

(ङ) ईक्विटी साझा 1, श्रेणी 1 एवं कुल पूंजी अनुपात:
- शीर्ष समेकित समूह के लिए तथा
- बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)

31.03.2019 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात

	सीईटी 1 (%)	श्रेणी 1 (%)	कुल (%)
एसबीआई समूह	9.78	10.78	12.83
भारतीय स्टेट बैंक	9.62	10.65	12.72
एसबीआई (मारीशस) लिमिटेड	23.30	23.30	24.20
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	14.88	14.88	16.84
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलीफोर्निया)	16.64	16.64	17.67
कामर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मास्को	36.70	36.70	36.70
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	29.89	29.89	30.68
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	13.20	13.20	14.79
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	24.95	24.95	26.11
एसबीआई (यूके) लिमिटेड	13.82	13.82	17.60

डीएफ-3 : ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

- **पिछले बकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)**

अनर्जक आस्तियां

(i) किसी भी आस्ति से जब बैंक के लिए आय अर्जित होना बंद हो जाती है, तब वह अनर्जक आस्ति बन जाती है। 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहां मीयादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूल राशि का किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता हो।

(ii) कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है

(iii) खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है

(iv) अन्य प्रकार के खातों में प्राप्त होने वाली राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है

(v) अल्पावधि फसलों के लिए संस्वीकृत किसी ऋण को तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फ़सली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दीर्घावधि फसलों के लिए संस्वीकृत किसी ऋण को तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फ़सली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और

(vi) किसी खाते को एनपीए के रूप में तब वर्गीकृत किया जाएगा, जब किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

(vii) प्रतिभूतिकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के 1 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के संबंध में चलनिधि की राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया हो।

(viii) डेरिवेटिव्स लेनदेनों के संबंध में, डेरिवेटिव संविदा के बाजार मूल्य की अनुकूलता का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्त राशियाँ भुगतान के लिए निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अप्रदत्त रहती हो।

'अनियमित श्रेणी' स्थिति

किसी खाते को उस स्थिति में 'अनियमित' माना जाता है, जब बकाया राशि लगातार संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से ज्यादा रहती हो।
उन मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, पर बैंक के तुलनपत्र की तारीख तक लगातार 90 दिनों के लिए कोई जमा नहीं हो अथवा जहां उसी अवधि के दौरान नामे की गई ब्याज के लिए जमा पर्याप्त न हो तो, ऐसे खातों को 'अनियमित' माना जाता है।

'अतिदेय'

किसी भी ऋण सुविधा के तहत ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई भी राशि तब 'अतिदेय' मानी जाती है, जब वह बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा न की गई हो।

- **तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान**

तनाव की शीघ्र पहचान एवं रिपोर्टिंग :
निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) के रूप में तनावग्रस्त आस्तियों का वर्गीकरण करते हुए चूक* होने के तुरंत बाद ऋण खातों में निहित तनाव की पहचान करना :

एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार-मूलधन अथवा ब्याज अथवा अन्य कोई राशि का भुगतान जो पूर्णतया अथवा अंशतया बकाया हो
एसएमए-0	1-30 दिन
एसएमए-1	31-60 दिन
एसएमए-2	61-90 दिन

* ऋण की किस्त की पूर्ण अथवा आंशिक राशि जब बकाया और देय हो तथा ऋणी अथवा कॉरपोरेट ऋणी द्वारा वह अदा न की जाती हो, तब 'चूक' मानी जाएगी। कैश क्रेडिट जैसी परिक्रामी सुविधाओं के मामले में संस्वीकृत सीमा अथवा आहरण अधिकार इनमें से जो भी कम हो, से अधिक राशि 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए लगातार बकाया होने की स्थिति में उपर्युक्त पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के उसे चूक माना जाएगा।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

बैंक में एकीकृत ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम कम करने एवं सांपार्श्विक प्रबंधन की नीति विद्यमान है, जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। कुछ वर्षों से इससे संबन्धित नीति एवं कार्यविधियों में उभरती संकल्पनाओं एवं वास्तविक अनुभव के परिणामस्वरूप सुधार किया गया है। नीति एवं कार्यविधियों को बासेल-II एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, मापन, निगरानी एवं नियंत्रण सम्मिलित है।

ऋण जोखिम की पहचान एवं निर्धारण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

(i) प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने के लिए विभिन्न जोखिमों को ध्यान में लेते हुए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडल तैयार और परिष्कृत करना। इन जोखिमों को मोटे तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से हर एक का अलग-अलग स्कोर तैयार किया जाता है।

(ii) औद्योगिक अनुसंधान करना, जिससे बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों के पोर्टफोलियो को संभालने के लिए नीतिगत उपचार सुझाए जाएँ और मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए जाए। यह कार्य समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य परामर्शक दृष्टिकोण जारी कर किया जाए।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम के सभी घटकों यथा चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम आदि की गणना की जाती है।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में जोखिम सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। एकल ऋणी, ऋणी समूह और उद्योगों को दिए गए ऋणों में समुचित विविधता लाना इस सीमा-निर्धारण का उद्देश्य है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के केन्द्रीकरण से बचने के लिए वैयक्तिक कंपनियों, समूह कंपनियो, बैंकों, वैयक्तिक ऋणियों, गैर-कॉरपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार, भू-संपदा, संवेदनशील पण्यों आदि के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों से संबन्धित आंतरिक दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं, जिससे जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

बैंक में ऋण नीति विद्यमान है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविभाग के अंदर आस्तियों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो। साथ ही साथ इसका उद्देश्य लचीलेपन और नवोन्मेष के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ते हुए ऋण की मूलभूत बातें, मूल्यांकन निपुणताएँ, दस्तावेजी मानक और संस्थात्मक चिंता एवं कार्यनीतियों के प्रति जागरूकता से संबन्धित समान दृष्टिकोण स्थापित करके संविभाग स्तर पर आस्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना भी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं यथा मूल्यांकन, कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग एवं निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा एवं नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी आदि के लिए प्रक्रियाएँ और नियंत्रण बैंक में विद्यमान हैं। ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली भी बैंक में मौजूद है। ₹ 10 करोड़ और इससे अधिक की जोखिम वाले वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाना इस प्रणाली का उद्देश्य है। ऋण लेखा-परीक्षा में ऋण मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर किए गए निर्णयों की लेखा-परीक्षा की जाती है। मंजूरी पूर्व की प्रक्रियाओं और मंजूरी के बाद की स्थिति दोनों की लेखा-परीक्षा की जाती है। ऋण लेखा-परीक्षा में जोखिमों की पहचान की जाती है और उन्हें कम करने के उपाय भी सुझाए जाते हैं।

डीएफ-3: दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार मात्रात्मक प्रकटीकरण (बीमा इकाइयां, संयुक्त उद्यम एवं गैर-वित्तीय इकाइयों को छोड़कर)

सामान्य प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

	मात्रात्मक प्रकटीकरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
ख	ऋण जोखिम की कुल राशि	2334946.70	409149.70	2744096.40
ग	जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण : एफबी/एनएफबी			
	विदेशी	335714.97	45173.33	380888.30
	देशीय	1999231.73	363976.37	2363208.10
घ	जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर-निधि आधारित का अलग-अलग	कृपया तालिका 'क' देखें		
ङ	आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण	कृपया तालिका 'ख' देखें।		
च	अनर्जक आस्तियों की राशि (कुल) अर्थात (i से v का योग)			173588.54
	i. अव मानक			26136.88
	ii. संदिग्ध 1			34797.74
	iii. संदिग्ध 2			78115.25
	iv. संदिग्ध 3			25071.59
	v. हानिप्रद			9467.08
छ	निवल अनर्जक आस्तियां			66044.07
ज	अनर्जक आस्ति अनुपात			
	i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			7.43%
	ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			2.97%
झ	अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (कुल)			
	i) प्रारम्भिक शेष			225104.51
	ii) वृद्धि			33730.19
	iii) कमी			85245.11
	iv) अंतिम शेष			173589.59
ञ	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
	i) प्रारम्भिक शेष			113581.21
	ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			55712.38
	iii) अपलेखन			61663.24
	iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			85.88
	v) अंतिम शेष			107544.47
ट	अनर्जक निवेशों की राशि			5738.38
ठ	अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			4288.77
ड	निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
	प्रारम्भिक शेष			10206.44
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			567.61
	जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन समायोजन			-
	अपलेखन			228.88
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			879.04
	अंतिम शेष			9666.13
ढ	बड़े उद्योग या प्रति पक्ष प्रकार द्वारा			
	एनपीए की राशि और यदि उपलब्ध हो, तो पिछला बकाया ऋण का विवरण अलग से दें ,			100306.83
	निर्दिष्ट एवं समान्य प्रावधान; और			-
	चालू अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्रावधान और अपलिखित राशि			-
ण	एनपीए की राशि और पिछले बकाया ऋण, जिनके लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र वार अलग-अलग प्रावधान			-
	प्रावधान			-

तालिका- क : डीएफ (डी) दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार एक्सपोजरों का औद्योगिक वितरण

(₹ करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)
		मानक	अनर्जक आस्ति	कुल	
1	कोयला	1907.78	399.00	2306.78	2102.25
2	खदान	4305.05	111.37	4416.42	1553.53
3	लोह एवं इस्पात	65632.86	25837.06	91469.92	27892.95
4	धातु उत्पाद	32144.68	2343.90	34488.58	9459.96
5	सभी अभियांत्रिकी	31547.12	11291.34	42836.46	76561.99
5.1	जिसमें से इलेक्ट्रानिक	4645.90	4414.68	9060.58	2687.67
6	बिजली	9903.46	0.00	9903.46	0.00
7	सूती वस्त्र	22890.53	5439.76	28330.29	1708.79
8	जूट वस्त्र	383.52	40.07	423.59	31.20
9	अन्य वस्त्र	11805.28	2504.97	14310.25	1756.97
10	चीनी	7477.27	1028.46	8505.73	1017.48
11	चाय	583.70	144.25	727.95	32.84
12	खाद्य प्रसंस्करण	48429.45	6530.22	54959.67	2572.64
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	3409.91	2376.55	5786.46	2484.95
14	तंबाकू/तंबाकू उत्पाद	717.83	22.21	740.04	151.62
15	कागज/कागज उत्पाद	4140.04	641.66	4781.70	1153.22
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	7707.68	548.99	8256.67	2650.89
17	रसायन/रंग/रोगन आदि	99608.43	3994.46	103602.89	61887.83
17.1	जिसमें से उर्वरक	15984.54	995.21	16979.75	7252.59
17.2	जिसमें से पेट्रोरसायन	61932.02	354.11	62286.13	45975.01
17.3	जिसमें से दवाइयाँ एवं औषधियाँ	12312.33	1339.36	13651.69	2064.27
18	सीमेंट	14072.39	1053.22	15125.61	4037.54
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2294.91	334.55	2629.46	338.64
20	रत्न एवं आभूषण	12408.40	797.59	13205.99	1636.70
21	निर्माण	29085.88	1355.17	30441.05	7999.57
22	पेट्रोलियम	34484.34	2057.61	36541.95	21939.04
23	आटोमोबाइल/एवं ट्रक	12336.59	3592.43	15929.02	6600.94
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1811.28	58.83	1870.11	1071.71
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	314266.93	47691.13	361958.06	82934.01
25.1	जिसमें से बिजली	178655.83	25346.00	204001.83	25317.46
25.2	जिसमें से दूरसंचार	18736.29	7608.62	26344.91	9273.60
25.3	जिसमें से मार्ग एवं बन्दरगाह	46484.91	8292.02	54776.93	24547.41
26	अन्य उद्योग	302681.32	20810.02	323491.34	47620.91
27	एनबीएफसी एवं शेयरों की खरीद-फरोख्त	344702.64	11608.73	356311.36	18143.94
28	शेष अग्रिम	740618.90	20974.99	761593.89	23807.59
	योग	**2161358.16**	**173588.54**	**2334946.70**	**409149.70**

तालिका - ख

डीएफ-3 (ई) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2019* की स्थिति के अनुसार आस्तियों की शेष संविदागत परिपक्वता

(₹ करोड़ में)

	अंतर्वाह	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	19001.21	3.94	0.00	0.32	3.36	0.77	1.81	2.05	2.00	2.50	5.23	19023.19
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	43277.09	2070.49	1100.77	1595.48	2068.17	1717.89	4300.45	25534.82	28427.37	12679.99	₹35424.43	158196.95
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	29340.97	2531.00	2948.38	5287.83	3037.40	3116.30	1793.84	434.64	1040.26	1113.38	66.37	50710.37
4	निवेश	6092.05	6552.79	2574.97	13757.30	9146.71	23875.10	25971.20	43994.61	169072.43	184035.77	499171.60	984244.53
5	अग्रिम	24024.60	15136.74	13500.93	43620.82	35227.95	36887.02	75150.16	104282.37	1100046.57	296182.95	490588.07	2234648.18
6	अचल आस्तियां	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	19.88	39591.15	39651.72
7	अन्य आस्तियां	33503.77	23289.39	24349.47	22521.90	19541.72	18570.38	26265.81	21854.28	21136.98	20909.13	36926.20	268869.04
	कुल	**155274.52**	**49584.35**	**44474.52**	**86783.65**	**69025.31**	**84167.46**	**133483.27**	**196102.77**	**1319731.47**	**514943.60**	**1101773.05**	**3755343.98**

*टिप्पणियां :

i) बीमा संस्थाएं, गैर-वित्तीय संस्थाएं, संयुक्त उद्यम, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंतः-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

ii) निवेश में अनर्जक निवेश शामिल है और अग्रिमों में अनर्जक अग्रिम शामिल हैं।

iii) उक्त बकेटिंग संरचना में तालिका 23 मार्च, 2016 के आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर संशोधन किया गया है।

डीएफ-4: ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों के प्रकटीकरण

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटन

- **प्रयुक्त क्रेडिट एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों, तो उनके कारण भी**

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसीयूआईटीई रेटिंग्स एवं रिसर्च तथा इन्फोमेरिक्स (देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) एवं फिच, मूडीज व एसएंडपी (अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है, जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

- **ऋण जोखिम के प्रकार, जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लाई गई**

(i) एक वर्ष या उससे कम अथवा बराबर की संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शॉर्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि पर विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- **पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण**

बैंक की बाह्य रेटिंग प्रयोज्यता रूपरेखा की प्रमुख अवधारणाएँ निम्नानुसार हैं:

- विशेष रूप से बैंक की क्रमशः दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन जोखिमों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित की गई सभी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन रेटिंगों पर बैंक द्वारा एक मुद्दा विशिष्ट रेटिंग्स के रूप में विचार किया जा सकता है।
- विदेशी राष्ट्रिक एवं विदेशी बैंक जोखिम जोखिम भारित होती हैं, जो जारीकर्ता के लिए निर्धारित की गई उनकी रेटिंग्स पर आधारित होती है।
- बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सुविधा/ऋणी की बाह्य रेटिंग की पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा समीक्षा की गई है और इसकी प्रयोज्यता की तिथि को यह लागू है।
- जहां विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा किसी संस्था को बहुविध जारीकर्ता रेटिंग्स दी जाती है, वहाँ दो रेटिंग्स होने पर संबसे कम रेटिंग और जहां तीन या उससे ज्यादा रेटिंग होने पर दूसरी कम रेटिंग का उपयोग दी गई सुविधा के लिए किया जाता है।

निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लाँग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक/प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्र के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
- उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड ऋण की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के आनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2019 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

ख)	जोखिम को कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं गैर-श्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियाँ		राशि
		100% से कम जोखिम भार	1869877.19
		100% जोखिम भार	449622.71
		100% से अधिक जोखिम भार	424596.50
		घटाई गई	**0.00**
		योग	**2744096.40**

डीएफ-5: ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- तुलन पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ तथा बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है। तुलन पत्र की निवलीकरण जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है :

जहाँ बैंक,

क. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है; तथा

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;

ग. निवलीकरण के आधार पर संबन्धित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमाराशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ**

  बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक एकीकृत नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन, पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण इस नीति के भाग ख में स्पष्ट किया गया है।

  इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

  इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपर्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है :

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण

(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक

(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया

(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन

(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएँ

(vi) विदेशी रेटिंग

(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा

(viii) बीमा

(ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी

(x) सामान्य दिशानिर्देश

- **बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ ली गई हैं, उनका ब्योरा**

देश की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है;

नकदी अथवा नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियाँ/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)

स्वर्ण

केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ

ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ जिन्हें अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी या बेहतर/पीआर 3/पी3/एफ3/ए3 रेटिंग प्राप्त

- **प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण-पात्रता**

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करता है :

- सरकार, सरकारी संस्थाएं (बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (आईएमएफ), यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी करोपोरेशन (ईसीजीसी) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई), सरकारी उपक्रम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी जिनका जोखिम भार प्रतिपक्ष की तुलना में कम हो।
- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबंद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गतांतियों में भी) हिस्सेदारी है।

जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋण) के बारे में जानकारी :

बैंक में आस्ति-संविभाग भलीभाँति विविधीकृत है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ प्राप्त की गई हैं:

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ
- सरकार और अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियाँ
- प्रतिपक्ष की अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

(ख)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहां लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के बाद) जो कटौतियाँ लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया जाता है।	127848.29
(ग)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहां लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के बाद) जो गारंटियों/क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)।	55317.05

डीएफ-6: प्रतिभूतीकरण जोखिम : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(क)	**प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा का विवेचन भी शामिल है:**	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक
	प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप;	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा अदा की गई विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ (उदाहरण के लिए प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, विनिमय प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता#) और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता की सीमा;	लागू नहीं
	@ संबन्धित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो।	
	# कोई बैंक गारंटियों, ऋण डेरिवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो, के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	
	प्रतिभूतिकरण निवेशों के ऋण एवं बाजार जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन विद्यमान है (उदाहरण के लिए संबन्धित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रतिभूति निवेशों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, जैसाकि एनसीएएफ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में बताया गया है)	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबन्धित बैंक की नीति का वर्णन नीचे किया गया है;	लागू नहीं
(ख)	**प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :**	
	क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियाँ और प्रमुख पूर्वानुमान	लागू नहीं
	पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख धारणाओं में हुए परिवर्तनों और परिवार्ताओं का प्रभाव;	लागू नहीं

	तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियाँ जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं
(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ)	ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से चालू अवधि के दौरान हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबन्धित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।	निरंक
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जानी वाली आस्तियों की राशि	निरंक
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि।	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियाँ जिन्हें लेखों शामिल नहीं किया गया है।	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
(ञ)	यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबन्धित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर 1 पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)।	निरंक
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : ट्रेडिंग बुक	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि, जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	निरंक
	तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है। तथा	निरंक
	तुलन पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जो निम्नलिखित के लिए यथावत बनाई रखी गई या खरीदी गई;	निरंक
	कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाई रखी गई या खरीदी गई	निरंक
	प्रतिभूतिकरण जोखिम, जिनके लिए विशिष्ट जोखिम को अलग अलग जोखिम भारित श्रेणियों में विभाजित किया गया हो;	निरंक
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	प्रतिभूतिकरण ढांचे के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएँ-अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण	निरंक
	टियर-I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)	निरंक

डीएफ-7 शेयर/बांड क्रय-विक्रय में बाजार जोखिम

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

(1) बैंक बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना करने हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का अनुपालन करता है।

(2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन विभाग के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) खोले गए हैं।

(3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

(4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है:

क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

ख) बाजार जोखिम सीमाओं की समीक्षा

ग) निवेश नीति

घ) ट्रेडिंग नीति

ङ) दवाब परीक्षण नीति

(5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।

(6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिंदु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

(7) बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमा (दिन/रात), हानि नियंत्रण सीमा, सकल अंतराल सीमा, वैयक्तिक अंतराल सीमा की निगरानी की जाती है और कोई अपवाद हो तो ये बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

(8) मूल्य जोखिम की गणना प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम का पश्च-परीक्षण प्रतिदिन किया जाता है। मूल्य जोखिम के अनुपूरक के रूप में दबाव परीक्षण तिमाही अंतराल पर किया जाता है। इनके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

(9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश संविभाग की जोखिम निगरानी करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रण सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

(10) बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंक ने आंतरिक मॉडल पद्धति के नाम से उन्नत पद्धति अपनाने का निर्णय किया है और इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बाजार जोखिम पर पूंजी अपेक्षा

बैंक बाजार जोखिम पर मानकीकृत माप विधियों के अनुसार पूंजी प्रभार बनाए रखता है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2019
ब्याज दर जोखिम (डेरिवेटिव्स सहित)	11,328.79
ईक्विटी स्थिति जोखिम	4,881.52
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	188.60
कुल	**16,398.91**

डीएफ-8 परिचालन जोखिम

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने-अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। एसबीआई में मुख्य जोखिम अधिकारी एमडी (तनावग्रस्त आस्तियां जोखिम एवं अनुषंगियां) को रिपोर्ट करता है।
- अन्य समूह इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का निपटान व्यवसाय मॉडल और संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के साथ समग्र नियंत्रण वाले उनके नियंत्रकों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

ख. भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

देशीय बैंकिंग इकाइयां (एसबीआई)

एसबीआई में निम्नलिखित नीतियां, रूपरेखा दस्तावेज और मैनुअल लागू/ उपलब्ध हैं:

नीतियां एवं ढ़ांचागत दस्तावेज

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है, जिसका उद्देश्य परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना है,
- आंकड़ा नुकसान प्रबंधन
- बाहरी नुकसान आंकड़ा प्रबंधन नीति
- आईएस नीति
- आईटी नीति
- साइबर सुरक्षा नीति
- समूह साइबर सुरक्षा नीति
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी (बीसीपी) नीति
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) नीति
- अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल)/ आतंकवाद वित्तीयन निवारक उपाय नीति
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति
- बीमा नीति
- परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता (एसबीआई) दस्तावेज
- पूंजी परिकलन ढांचागत दस्तावेज

मैनुअल

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- आंकड़ा नुकसान प्रबंधन मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) मैनुअल
- बाह्य नुकसान आंकड़ा मैनुअल

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां और मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ अन्य विद्यमान नीतियां हैं- आपदा रिकवरी योजना/ व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, निअर मिस इवेंट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि।

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग इकाइयां (एसबीआई)

उच्चस्तरीय आकलन पद्धति (साथ-साथ उपयोग)

- जोखिम संस्कृति एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में मंडलों में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति तथा व्यवसाय एवं सहयोग समूह (आरएमसी-एनबीजी, आरएमसी-आइबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी - सीबीजी, आरएमसी - एमसीजी, आरएमसी-एसएएमजी एवं आरएमसी-आईटी) विद्यमान हैं।
- परिचालन जोखिमों से आंतरिक एवं बाह्य नुकसान के लिए एक व्यापक डेटा आधार बेसल निर्धारित 8 व्यवसाय लाइन और 7 प्रकार के नुकसान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह एएमए प्रक्रिया का भाग है। शाखाओं, संसाधन केंद्रों और कार्यालयों से नुकसान डेटा, जिसमें नुकसान होते होते बची घटनाओं का डेटा भी शामिल है, मंगाने के लिए एक्सल आधारित एक टेंपलेट तैयार किया गया है, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व-निर्धारण कार्य को कार्यशालाओं के माध्यम से करने के लिए एक्सेल आधारित टेंपलेट प्रारंभ किया गया है, जिसमें निहित जोखिम तथा अवशिष्ट जोखिम जानने, वर्तमान नियंत्रण परिवेश की प्रभाविता जानने और मूल्यांकन करने और जोखिम स्तरों के वर्णन के लिए हीट मैप्स का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष के दौरान आरसीएसए कवायद में मुख्य शाखाओं/ संसाधन केंद्रों ने हिस्सा लिया। आरसीएसए कवायद से सामने आए शीर्ष जोखिमों को कम करने की योजना पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।
- समस्त व्यवसाय और सहायता समूहों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक प्रारंभिक और निगरानी तंत्र के साथ चयनित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति इन संकेतकों को लागू करने में हुई प्रगति की तिमाही अंतराल पर समीक्षा करती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 प्रमुख संकेतकों का निर्धारण किया गया है।
- बैंक समय-समय पर एएमए प्रयोग परीक्षण भी करते हैं।
- बेसल II में निर्धारित उच्च स्तरीय आकलन पद्धति (एएमए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम की गणना और निगरानी के लिए आवश्यक विकसित आंतरिक प्रणालियां विद्यमान हैं।
- एएमए के साथ-साथ उपयोग के लिए बैंक को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। तथापि बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल III हाल ही में संरचना में किए गए संशोधन के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एएमए पूंजी समेकन की प्रस्तुति को समाप्त करने की सूचना दी है।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिम प्रबंधन नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- बैंक द्वारा अनुदेशावलियां (सामान्य अनुदेश मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम मैनुअल) जारी की गई हैं, जिसमें बैंक के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब-कार्डों, ई-परिपत्रों, ई-लर्निंग पाठों, मोबाइल नगेट्स और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए जाते हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित अपडेट किए गए मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण-बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम की जानकारी शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों से इतर संभावित परिचालन जोखिम वोले मामलों के लिए बैंक द्वारा बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं, जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- किसी भी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता तथा महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं को दुबारा प्रारंभ करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति और मैनुअल बैंक में विद्यमान है।
- छुट्टी नीति का कड़ाई से कार्यान्वयन।
- सभी कार्यालयों में जोखिम जागरूकता कार्यशाला (आरएडबल्यू) का आयोजन।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयों में प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

- धोखाधड़ियों पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।
- निवारक सतर्कता और पर्दाफासी की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में स्थापित की गई हैं।
- आरसीएसए/ आरएडबल्यू से सामने आई महत्वपूर्ण जोखिमों, परिदृष्य विश्लेषण और लॉस डेटा/ नियर मिस इवेंट्स के विश्लेषण के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है और निरंतर आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों का औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति (एएमए) अपनाई गई है। बीमा कंपनियां इसका अपवाद है। एएमए के तहत बैंक की पूंजी की गणना एएमए के साथ-साथ उपयोग के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भी की गई है।

डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम:

आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरों का बैंक पर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुलनपत्र आस्ति संवेदी है या देयता संवेदी।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह ब्याज जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में एक समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर अवधि अंतर विश्लेषण के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता के जरिए ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। ईक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है :

ब्याज दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूंजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
ईक्विटी ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 2% परिवर्तन के साथ) - केवल बैंकिंग बही	20%

1.4 बाजार दर जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूंजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूंजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति एवं देयताओं दोनों की दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय (एनआईआई)पर प्रभाव	6,014.47

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीआई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव
आस्तियों एवं देयताओं दोनों की ब्याज दर में 200 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य (एमवीआई) पर प्रभाव	31,084.48
आस्तियों एवं देयताओं दोनों को ब्याज दर में 100 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य (एमवीआई) पर प्रभाव	15,542.24

डीएफ-10: 31.03.2019 को काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा देशीय बैंकों, विदेशी बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों, प्राथमिक व्यापारियों, लघु वित्त बैंकों तथा भुगतान बैंकों को काउंटर पार्टी जोखिम की सीमा राशि निर्धारित करने के लिए स्कोरिंग मॉडलों का उपयोग किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक के सभी व्यवसाय इकाइयां यथा सीएजी, सीसीजी, आरएंडडीबी, ग्लोबल मार्केट्स और आईबीजी को जोखिम सीमा का आबंटन करता है, जिसका इन इकाइयों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न परिचालन इकाइयों के बीच आपस में आबंटन किया जाता है।

संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्गीकरण एवं पहचान

बैंक आंतरिक संस्वीकृति तथा/या विनियामक पूंजीगत छूट प्रयोजनों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की स्वीकृति, पहचान तथा मूल्य निर्धारण तभी करेगा जब निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति की जाएगी :

- सभी प्रासंगिक अधिकार क्षेत्रों में, संपार्श्विक प्रतिभूति को लागू करने में विधिक सुनिश्चितता तथा प्रभावकारिता है।
- ऋण एवं संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी दस्तावेजों के सभी संविदात्मक एवं सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति की गई है।
- उक्त संपार्श्विक (प्रथम विधिक ऋण-भार के अलावा दूसरी/गौण या सममात्रा ऋण-भार) के लिए बैंक ने विधिक स्वामित्व प्राप्त कर लिया है।
- जिस विधिक प्रणाली से संपार्श्विक प्रतिभूति को गिरवी रखा जाता है या अंतरित किया जाता है, से काउंटर पार्टी या अन्य पक्ष द्वारा चूक करने, दिवालियापन की स्थिति में उसकी समय पर परिसमापन करने या कब्जे में लेने का अधिकार बैंक को होगा।
- संपार्श्विक प्रतिभूति की समय पर परिसमापन हेतु बैंक के पास स्पष्ट और सुदृढ़ कार्यविधि उपलब्ध है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि काउंटर पार्टी द्वारा चूक की घोषणा करने की विधिक शर्तें तथा संपार्श्विक प्रतिभूति का परिसमापन तत्काल हो सके।

आंतरिक रेटिंग आधारित पूंजी की पात्रता हेतु की गणना के लिए संपार्श्विकों का भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक रेटिंग आधारित दिशा-निर्देशों में बताए गए परिचालनगत मानदंडों की पूर्ति करना अनिवार्य है।

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण समाधान के पूर्व उससे डेरिवेटिव्स लेनदेन की काउंटरपार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम को काउंटरपार्टी ऋण जोखिम कहा जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋणसीमाएं अनुमोदित की गई हैं। बैंकों की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंडों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडेलों का उपयोग करके किया गया है। कॉरपोरेटों की डेरिवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ किया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

आनुमानिक तथा वर्तमान ऋण जोखिम का संवितरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
(₹ करोड़ में)	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
क) ब्याज दर पर विनिमय	114,421.06	790.47
ख) क्रॉस करेंसी विनिमय	56,468.29	1,415.50
ग) करेंसी ऑप्शन्स	29,380.72	140.17
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएं	177,240.57	2,461.06
ङ) करेंसी फ्यूचर्स	-	-
च) फारवर्ड रेट करार	200.89	-
छ) अन्य (कृपया प्रोडेक्ट का नाम स्पष्ट करें)	-	-
योग	**377,711.53**	**4,807.20**
ऋण डेरिवेटिव लेनदेन	**निरंक**	

डीएफ -11: पूंजी के घटक

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार

बेसल-III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट का 31 मार्च 2017 से उपयोग किया जा रहा है

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
1	सीधे जारी की गई अहर्ता-प्राप्त पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	80007.93	ए1 + बी3
2	प्रतिधारित उपार्जन	114355.05	बी1 + बी2 + बी7 + बी8 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिज़र्व)	16685.46	बी5 * 75% + बी6 * 45%
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर ही लागू)		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझा शेयर पूंजी और अन्य पक्षों द्वारा (राशि ग्रुप सी ई टी1 में अनुपात)	1025.92	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	212074.36	
	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	1734.07	डी
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता घटाकर)	775.73	
10	आस्थगित कर आस्तियां	10863.94	
11	कैश फ्लो हेज रिज़र्व		
12	संभावित हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि		

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. (तालिका डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
15	नियत लाभ पेन्शन फंड निवल आस्तियां		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी में से पहले कम न किए गए हों तो)	85.45	
17	साझा इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिताएं	431.20	
18	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं और जहाँ पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
19	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहरल हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	27.53	
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
21	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियां (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि		
23	जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि का निवेश		
24	जिसमें : बंधक शोधन अधिकार		
25	जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियां		
26	राष्ट्रीय विशेष विनायमक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1703.18	
26क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	1385.68	
26ख	जिसमें : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	317.50	
26ग	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई		
26घ	जिसमें :अपरिशोधित पेन्शन निधि व्यय		
27	कटौतियां करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
28	साझा टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	15621.10	
29	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	196453.26	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : इंस्ट्रूमेंट्स			
30	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रूमेंट और संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	18491.95	
31	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)		
32	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण इंस्ट्रुमेंट)	18491.95	
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम होने वाले सीधे जारी किए गए पूंजीगत इंस्ट्रुमेंट	2039.29	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रुमेंट (और सीईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि ग्रुप एटी1 में अनुमत)	192.36	
35	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं	20723.60	
36	**विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रुमेंट में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रुमेंट में पारस्परिक प्रति-धारिताएं	639.40	
39	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्र्य की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. (तालिका डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
40	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)	0.00	
41क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
41ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी		
42	कटौतियां करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	639.40	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	20084.20	
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)**	216537.46	
टियर 2 पूंजी : इंस्ट्रुमेंट्स और प्रावधान			
46	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 2 इंस्ट्रुमेंट और संबंधित स्टॉक आधिक्य	19973.90	
47	सीधे जारी किए गए पूंजीगत इंस्ट्रुमेंट, जो टियर 2 से कम होने वाले हैं	7582.84	
48	टियर 2 इंस्ट्रुमेंट (और सीईटी1 और एटी1 इंस्ट्रुमेंट (और सीईटी 1 और एटी 1 इंस्ट्रुमेंट जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	873.89	
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी इंस्ट्रुमेंट जो कम होने वाले हैं		
50	**प्रावधान**	12739.78	
51	**विनियामक समायोजनो के पूर्व टियर 2 पूंजी**	41170.41	
टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर 2 इंस्ट्रुमेंट में निवेश	88.01	
53	टियर 2 इंस्ट्रुमेंट में पारस्परिक प्रति-धारिताएं		
54	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय शेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)	0.00	
56क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश		
56ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी		
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	88.01	
58	**टियर 2 पूंजी (टी2)**	41082.40	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)**	257619.86	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)**	2008174.47	
60क	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	1592205.01	
60ख	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	204986.40	
60ग	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	210983.06	
पूंजी अनुपात और बफर्स			
61	साझा इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.78	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.78	
63	कुल पूंजी(जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.83	

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. (तालिका डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
64	संस्था विशेष सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के रूप में अभिव्यक्त)	7.825	
65	जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	1.875	
66	जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.00	
67	जिसमें : जी-एसआईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.45	
68	सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझा टियर 1 इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	4.28	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय साझा इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	5.50	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	7.00	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी आवश्यकता अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	9.00	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियां (जोखिम भार के पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी से छोटी राशि के निवेश		
73	वित्तीय संस्थाओं के साझा स्टॉक में बड़ी राशि के निवेश	797.46	
74	बंधक शोधन अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)		
75	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता घटाकर)	753.16	
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं			
76	मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों को टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	12739.78	
77	मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	19902.56	
78	आंतरिक श्रेणी निर्धारण पद्धति के अधीन ऋण जोखिमों को टियर 2 में शामिल करने से संबंधित पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0.00	
79	आंतरिक श्रेणी निर्धारण पद्धति के अधीन टियर 2 के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	0.00	
पूंजी इन्स्ट्रुमेंट जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	सीईटी 1 इंस्ट्रुमेंट्स की उच्चतम सीमा जो फेज आउट के अधीन है	0.00	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 इंस्ट्रुमेंट्स में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	0.00	
82	एटी 1 इंस्ट्रुमेंट्स की वर्तमान उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	30%	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
84	टी 2 इस्ट्रुमेंट्स की उच्चतम सीमा तो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	30%	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		

टेम्प्लेट के नोट

(₹ करोड़ में)

टेम्प्लेट का पंक्ति क्रमांक	विवरण	
10	संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां संचित हानियों के साथ	10863.94
	आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता घटाकर	753.16
	योग जैसे पंक्ति 10 में दर्शाया गया है	10863.94
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवशों को पूंजी में से पूर्णतया नहीं घटाया गया है और इसके बजाय कटौती की 10% की प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत गणना में शामिल किया गया है, तो इस कारण बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00
	जिसमें : साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें : अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें : टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेशों को नहीं घटाया गया है और इसलिए जोखिम भारित है:	0.00
	(i) साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0.00
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	12739.78
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यन रिजर्व्स	0.00
	पंक्ति 50 का योग	12739.78

बी 7: आय और अन्य रिजर्व एकीकरण एवं विकास निधि (₹ 5 करोड़)

डीएफ-12: 31.03.2019 को पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएं

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
ए	**पूंजी एवं देयताएं**			
i	**प्रदत्त पूंजी -**	892.46	892.46	ए
	जिनमें : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	892.46	892.46	ए1
	जिनमें : एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	ए2
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	2,33,603.20	2,25,956.22	बी
	जिनमें : सांविधिक आरक्षितियां	66,344.10	66,344.10	बी 1
	जिनमें : पूंजी आरक्षितियां	9,957.29	9,957.29	बी 2
	जिनमें : शेयर प्रीमियम	79,115.47	79,115.47	बी 3
	जिसमें से : निवेश आरक्षितियां	371.84	371.84	बी 4
	जिनमें : विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षितियां	7,455.38	7,454.92	बी 5
	जिनमें : पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां	24,653.94	24,653.94	बी 6
	जिनमें :राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां	54,033.58	50,692.58	बी 7
	जिनमें : लाभ-हानि खाते में बकाया	(8,328.40)	(12,633.92)	बी 8
	अल्प मदों पर ब्याज	6,036.99	2,615.31	
	कुल पूंजी	**2,40,532.65**	**2,29,463.99**	

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	संदर्भ संख्या
ii	**जमाराशियां**	29,40,541.06	29,41,936.76	
	जिनमें : बैंकों में जमाराशियां	14,957.41	14,957.41	
	जिनमें : ग्राहकों की जमाराशियां	29,25,583.65	29,26,979.35	
	जिनमें : अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)			
iii	**उधार**	4,13,747.66	4,13,739.79	
	जिनमें : भा.रि.बैंक से	96,089.00	96,089.00	
	जिनमें: बैंकों से	1,61,212.56	1,61,212.56	
	जिनमें अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	1,05,550.09	1,05,542.05	
	जिनमें: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	50,896.01	50,896.18	
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	2,93,645.69	1,49,858.99	
	जिनमें : डीटीएल से प्राप्त गुडविल			
	जिनमें: अमूर्त आस्तियों से संबंधित गुडविल			
	कुल	**38,88,467.06**	**37,34,999.53**	
बी	**आस्तियां**			
i	नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष	1,77,362.74	1,77,209.89	
	बैंकों के पास जमाशेष एवं मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	48,149.52	46,304.01	
ii	**निवेश**	11,19,247.77	9,74,465.94	
	जिनमें: सरकारी प्रतिभूतियां	8,32,188.70	7,81,461.29	
	जिनमें: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	14,170.88	401.34	
	जिनमें : शेयर	42,840.46	9,903.40	
	जिनमें : डिबेंचर एवं बांड	1,62,428.16	1,25,924.27	
	जिनमें: अनुषंगियां / संयुक्त उपक्रम / सहयोगी कंपनियां	3,520.05	2,234.31	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूच्युअल फंड्स)	64,099.52	54,541.33	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	22,26,853.67	22,26,680.65	
	जिनमें: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	79,297.79	79,271.54	
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	21,47,555.88	21,47,409.11	
iv	अचल आस्तियां	40,703.05	39,976.90	
v	अन्य आस्तियां	2,74,416.24	2,68,628.07	
	जिनमें: गुडविल	-	-	
	जिनमें: अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर को छोड़कर)	775.73	775.73	
	जिनमें: आस्थगित कर आस्तियां	10,983.19	10,938.74	सी
vi	**समेकन पर गुडविल**	1,734.07	1,734.07	डी
vii	**लाभ-हानि खाते में नामे शेष**	-	-	
	कुल आस्तियां	**38,88,467.06**	**37,34,999.53**	

	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1): लिखत एवं आरक्षितियां	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	संदर्भ संख्या (डीएफ - 12 के संदर्भ में :स्टेप 2)
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी सामान्य शेयर पूंजी(तथा गैर-संयुक्त स्टाक कंपनियों के समरूपी) तथा संबंधित स्टाक अधिशेष हेतु पात्र	80007.93	ए1 + बी 3
2	रखी गई आय	114355.05	बी1 + बी2 + बी7 + बी 8 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियां)	16685.46	बी5 * 75% + बी6 * 45%
4	प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी बशर्ते कि सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से हटाया जाएगा (केवल गैर-संयुक्त स्टाक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष के पास सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी समूह 1में दर्शाई गई राशि)	1025.92	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	212074.36	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर देयताओं के बाद)	1734.07	डी

ख7: आय एवं आरक्षितियों को इंटिग्रेशन एंड डेवलोपमेंट फंड (₹ 5 करोड़) के बाद लिया गया है तथा पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ व हानि खाते में शेष (₹ 4,818.18 करोड़)

डीएफ 16 - इक्विटी: बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
i	इक्विटी जोखिम के संदर्भ में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्नलिखित सहित:	
	• ऐसी धारिताएं जिनसे पूंजीगत लाभ होने की संभावना है और संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई धारिताओं के बीच अंतर;	सहयोगी, अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एचटीएम श्रेणी के सभी इक्विटि निवेश किए जाते है। ये कार्यनीतिक स्वरूप के होते है।
	• बैंकिंग बही में इक्विटि धारिता के मूल्यांकन और लेखा से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा । इनमें लेखा हेतु उपयोग किए गए तकनीकों तथा मूल्यांकन विधियां शामिल है, जिसमें मुख्य परिकल्पना तथा मूल्यांकन पर असर डालने वाली प्रथाओं तथा इनमें की गई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी है।	एचटीएम श्रेणी के तहत रखी गई प्रतिभूतियों की लेखाविधि तथा मूल्यांकन नीति को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची 17 के पैरा सी-2 के अंतर्गत दिया गया है।

	मात्रात्मक प्रकटीकरण			(₹ करोड़ में)
1	निवेशों के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य तथा उन निवेशों के उचित मूल्य: कोट किए गए प्रतिभूतियों के लिए, एक तुलनात्मक दृश्य, जनता को कोट किए गए मूल्य जहां पर शेयर का भाव, उचित मूल्य से वस्तुत: भिन्न है।			494.01
2	निवेश के प्रकार एवं स्वरूप, राशि सहित जिनका निम्नानुसार वर्गीकरण किया जा सकता है:			
	विवरण	**प्रकार**	**बही मूल्य (करोड़ में)**	
	सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जानेवाले शेयर			621.00
	निजी रूप से धारित	अनुषंगियां		4990.15
		सहयोगी, अनुषंगियां और संयुक्त उपक्रम		
3	संदर्भाधीन अवधि के दौरान बिक्री एवं परिसमापन से प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)			484.29 (लाभ)
4	न वसूल किया गया लाभ (हानियां)[13]			-6.89
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यन लाभ (हानियां)[14]			निरंक
6	टियर 1 तथा/अथवा टियर 2 पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त अन्य कोई भी राशि			-1.43
7	बैंक की पद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहन द्वारा खंडित पूंजी, समग्र राशियां एवं उन इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षण अंतरण अथवा विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते हैं।			0.06

डीएफ-16: 31.03.2019 को इक्विटीज-बैंकिंग बही स्थितियों के लिए

[13] न वसूल किया गया लाभ (हानियां) तुलन पत्र में स्वीकृत पर लाभ व हानि खाते के माध्यम से नही।

[14] न वसूल किया गया लाभ (हानियां) न तुलन पत्र के माध्यम से या लाभ व हानि खाते के माध्यम से स्वीकृत।

डीएफ-17: लेखा आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर के मापन की तुलना का सार

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

	मद	(₹ मिलियन में)
1	**प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां**	38884670.60
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संसथाओं में निवेश के लिए समायोजन जिनका लेखांकन प्रयोजन से समेकित किया जाता है, परंतु इसे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर किया जाता है।	-1534675.30
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के परिणामस्वरूप तुलनपत्र में हिसाब में ली गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन पर इन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर में शामिल नहीं किया जाता है।	0
4	डेरिवेटिव्स वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	332117.97
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (अर्थात रेपो एवं इसी प्रकार के प्रतिभूतिकृत ऋण) के लिए समायोजन	6317.41
6	तुलन पत्र इतर मदों (अर्थात तुलनपत्र इतर निवेशों के ऋण बराबर राशियों में अंतरण) के लिए समायोजन	3717918.00
7	अन्य समायोजन	-162604.90
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	41243743.78

डीएफ-18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

	मद	(₹ मिलियन में)
	तुलन पत्र निवेशों पर	
1	तुलन पत्र मदें (डेरिवेटिव्स और एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्शिक सहित)	37349995.30
2	(बेसल III, टियर 1 की पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्ति राशियां)	-162604.90
3	**कुल तुलन पत्र निवेश (डेरिवेटिव्स और एसएफटी को छोड़कर) (लाइन 1 और 2 का योग)**	37187390.40
	डेरिवेटिव्स निवेश	
4	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित रिप्लेसमेंट लागत (अर्थात पात्र नकद अंतर मार्जिन का निवल)	126206.31
5	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड-आन राशियां	205911.66
6	दिए गए डेरिवेटिव्स संपार्श्विक जहां परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलन पत्र आस्तियों से घटाया गया, का कुल	0
7	(डेरिवेटिव्स लेनदेनों में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कटौती)	0
8	(क्लाइंट क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण डेरिवेटिव्स की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	0
10	(लिखित ऋण डेरिवेटिव्स के लिए समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट एवं एड़-ऑन कटौतियाँ)	0
11	**कुल डेरिवेटिव्स निवेश (लाइन 4 से 10 का योग)**	332117.97
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश	
12	विक्रय लेखांकन लेनदेनों के लिए समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (निवस को हिसाब में लिए बिना)	6317.41
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के देय नकद एवं प्रात्य नकद की निवल राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर निवेश	0
15	एजेंट लेनदेन निवेश	0
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश (लाइन 12 से 15 का योग)**	6317.41
	अन्य तुलनपत्र इतर निवेश	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलनपत्र इतर निवेश	14348303.00
18	(ऋण बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-10630385.00
19	**तुलन पत्र इतर मदें (लाइन 17 से 18 का योग)**	3717918.00
	पूंजी एवं कुल जोखिम	
20	**टियर 1 पूंजी**	2165374.60
21	**कुल निवेश (लाइन 3,11,16 एवं 19 का योग)**	41243743.78
	लीवरेज अनुपात	
22	बेसल III लीवरेज अनुपात (%)	5.25

डीएफ- समूह जोखिम: समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की कंपनियों के संबंध में * विदेश स्थित बैंकिंग कंपनियां, देश में स्थित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियां	
सामान्य विवरण	
कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाएं	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएं अपनाई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएं	समूह की सभी कंपनियां प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाती हैं/ अनुपालन करती हैं।
समूह के भीतर किए जानेवाले लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जानेवाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए गए हैं चाहे उनकी वाणिज्यिक शर्तें हों या प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान जैसे मामले।
विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि साझे विपणन, ब्रांडिंग में समूह की कंपनियों को एसबीआई का अव्यक्त समर्थन है।
वित्तीय सहायता का ब्योरा,# यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/ न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं:

क. समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख. समूह की इकाईयों को जिस स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

ग. समूह के भीतर हरकंपनी की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

घ. पूंजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ङ 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना जिसके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

* सम्मिलित कंपनियां:

बैंकिंग - विदेश में स्थित	गैर - बैंकिंग
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लि.
एसबीआई (मॉरीशस) लि.	एसबीआई डीएफ़एचआई लि.
पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई फंड्ज मैनेजमेंट प्राइवेट लि .
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	एसबीआई जनरल इन्शुरेंस कंपनी लि.
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लि.	एसबीआई लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लि.
	एसबीआई पेंशन फंड्ज प्राइवेट लि.
	एसबीआई -एसजी ग्लोबल सेक्यूरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.

31 मार्च 2019 को ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट http://www.sbi.co.in पर corporate-governance के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं।

एक ग्रीन पहल

प्रिय शेयरधारक,

कॉरपोरेट अभिशासन में ग्रीन पहल

सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हम उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिनके ई-मेल पते हमारे पास उपलब्ध हैं।

आपका बैंक चाहता है कि इस ''ग्रीन पहल'' में आप भी बैंक के साथ सहभागिता करें, जिससे कि बैंक आपको इलेक्ट्रॉनिक ढंग से, अर्थात ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट व अन्य सूचनाएं भेज सके। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा अपितु सूचनाएं भी शीघ्र भेजी जा सकेंगी और सूचनाएं भेजने में होने वाली देरी व नुकसान से बचा जा सकेगा। यदि आपके पास शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपनी ई-मेल आईडी को अद्यतन करके इस पहल में हमारे साथ जुड़ें। कागजी स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी अद्यतन सूचना/परिवर्तन sbi.igr@alankit.com ई-मेल के माध्यम से रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स अंलकित एसाइन्मेट्स लि. के पास भेज दें।

यद्यपि आप में से अधिकांश शेयरधारकों के पास अधिकांश डीमैट शेयर ही हैं, फिर भी कुछ शेयरधारकों के पास अभी भी कागजी स्वरूप वाले शेयर हैं। आपके पास रखे हुए कागजी स्वरूप वाले शेयरों को आसानी से डीमैट स्वरूप में बदला जा सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में। शेयरों को डीमैट बनाने के फायदें निम्नलिखित हैं :

- प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण / प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं
- कागजी स्वरूप में प्रतिभूतियां रखने से जुड़ी हुई जोखिमों में कमी, जैसे शेयरों का चोरी होना, आग, रख-रखाव में लापरवाही आदि के कारण शेयरों का नुकसान।
- डीपी के पास दर्ज पते में परिवर्तन करने से उन सभी कंपनियों के पास दर्ज आपके पते में इलेक्ट्रानिक ढंग से अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, जिन कंपनियों की प्रतिभूतियों में आपने निवेश कर रखा है जिससे उन प्रत्येक कंपनियों के साथ अलग से पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है, जिससे कंपनियों के साथ पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- इक्विटी, ऋण लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को एक खाते में ही रखा जाता है।
- बोनस/विभाजन/समेकन/विलय आदि के मामले में डीमैट खाते में शेयर अपने आप जमा हो जाते हैं।

यदि आपके पास कागजी स्वरूप में शेयर हैं, तो कृपया डीमैट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद की किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (जैसे एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लिमिटेड से टोल फ्री नंबर 1800223345, ई-मेल helpdesk@sbicapsec.com) से संपर्क करें। डीमैट आवेदन फॉर्म (डीआरएफ) भरकर और उसके साथ संबंधित शेयर प्रमाणपत्र लगाकर उसे अपनी डीपी के पास भेज दें, जिससे आपके शेयरों को डीमैट में बदला जा सके। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बदल कर स्वतः ही आपके डीमैट खाते में जमा कर दिया जाएगा।

यदि आप लाभांश चेक के रूप में लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बैंक खाते का ब्योरा डीपी/आरटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास प्रस्तुत कर दें/अद्यतन करा लें जिससे लाभांश की राशि सीधे आपके खाते में जमा की जा सके।

हमें विश्वास है कि आपके बैंक द्वारा शुरू की गई इस ''ग्रीन पहल'' का आप सम्मान करेंगे और हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

शेयरधारकों का ध्यान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38ए की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010 में दिनांक 15.09.2010 से शामिल किया गया है। उक्त धारा के अनुसार, स्टेट बैंक द्वारा घोषित लाभांश को उसकी घोषणा की तिथि से 30 दिन के अंदर किसी शेयरधारक को प्रदत्त नहीं किया गया हो, या जिसके लिए पात्र शेयरधारक द्वारा दावा नहीं किया गया हो, "अप्रदत्त लाभांश खाता" नामक एक विशेष खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संशोधन के पूर्व की अवधि की सभी अप्रदत्त लाभांश राशि को उक्त "अप्रदत्त लाभांश खाते" में पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। स्टेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते में यथा उपर्युक्त ट्रांसफर की गई कोई भी राशि ट्रांसफर की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावाकृत रहती है, तो उसे बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बाद में उसका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट किए गए ढंग एवं प्रयोजन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी शेयरधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें देय होने वाले लाभांश का उन्होंने तुरंत दावा कर लिया है।

भारतीय स्टेट बैंक

प्रॉक्सी फार्म

फोलियो क्र. _____

डीपी/ग्राहक आई.डी. क्र._____

मैं/हम,_____

निवासी _____

बैंक के कॉरपोरेट केंद्र में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के _____

शेयर/ शेयरों का धारक हूँ/शेयरों के धारक हैं और एतदद्वारा _____

_____ निवासी _____ को (या उसकी

अनुपस्थिति में _____ निवासी _____ को)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की _____ में दिनांक _____

को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

दिनांकित_____ के _____ दिवस को

₹ 1 का रसीदी टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथास्थिति उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारणवश अपना नाम न लिख सकता हो तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसके अंगूठे का निशान है, जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्रॉक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी, कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक/स्थनीय बोर्ड का सदस्य/भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टांपित न हो और उसे मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, कारपोरेट केंद्र या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, 14 वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन प्वॉइंट, मुंबई-400 021 को प्रॉक्सी फार्म, मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा उपस्थिति पर्ची

दिनांक : | | | | | | | | |

फोलियो क्र: | | | | | | | | |

डी.पी./ग्राहक आई.डी क्र: | | | | | | | | | | | | | | | | |

शेयरधारक/प्रथम धारक का पूरा नाम: _____

(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे/डी.पी. रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता : _____ पिन | | | | | | |

कुल धारित शेयरों की संख्या : | | | | | | | | |

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक (धारित शेयर कागजी स्वरूप में होने पर) | | | | | | | | से | | | | | | | | तक

क्या भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम आर. 31* के अनुसार मत देने का अधिकार है: हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो मतों की संख्या, जिनके लिए वह अधिकृत है (मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में):

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप में							
प्रॉक्सी के रूप में							
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में							
योग							

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

सील/मोहर:

नोट:

I. भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों/प्रभाग प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

II. यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारक है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टांप के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।

III. वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।

IV. शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभा स्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाण जैसे-पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

*विनियम 31-मतदान के अधिकारों का निर्धारण:

I. अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधान के अध्यधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो महासभा की तारीख से तीन महीनों पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, को उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

II. प्रत्येक शेयरधारक जो केंद्र सरकार से भिन्न है और कंपनी नहीं है, जिसे उपर्युक्तानुसार मत देने का अधिकार है और जो व्यक्तिशः अथवा प्रॉक्सी अथवा कंपनी होने के कारण प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है, को हाथ दिखाकर मत देने अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

III. केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को हाथ दिखाने पर एक मत अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

शेयरधारक (कों) के उपयोग के लिए

मेसर्स अंलकित एसाइन्मेंट्स लि.
यूनिट:भारतीय स्टेट बैंक
अलंकित हाइटस, 205-208, अनारकली कांप्लेक्स,
ई/7, झंडेवाला एक्सटेंशन,
नई दिल्ली- 110 055

टेलिफोन नं. 011 - 4254 1234 / 7290071335

निवेशक द्वारा क्रेडिट क्लियरिंग व्यवस्था के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भुगतान प्राप्त करने का विकल्प देने के लिए

1. निवेशक का नाम (i) _____
   (ii) _____
   (iii) _____
2. वर्तमान पता _____
   _____
   _____
   पिन: _____
   टेलि.नं. और मोबाइल नं _____
   (भविष्य में पत्राचार और ई-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए)
3. फोलियो नं _____ (केवल कागजी स्वरूप वाले शेयरों के मामले में)
4. पीएफ सूचकांक: _____
   (केवल एसबीआई के उन कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए जिनके पास एसबीआई के शेयर हैं)
5. बैंक खाते का ब्योरा
   क. बैंक का नाम: _____
   ख. शाखा का नाम: _____
   (पूरा पता)
   _____
   पिन: _____
   ग. बैंक शाखा का 9 अंकों का एमआईसीआर कोड
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
   (जैसे बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक में दिया गया है)
   घ. खाते का प्रकार: .....
   (बचत बैंक खाता (कोड 10) या चालू खाता (कोड 11) या कैश क्रेडिट (कोड 13)
   ङ. खाता सं. (जैसे चेकबुक में दी गई है)। कृपया एक कोरा "रद्द" चेक या उसकी फोटो प्रति संलग्न करें)
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया ब्योरा ठीक और पूरा है। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब होता है या यह पूरा नहीं हो पाता है तो भारतीय स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

स्थान:

दिनांक: (प्रथम धारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य:

1. इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट) में शेयरधारिता वाले शेयरधारक (कों) से अनुरोध है कि वे ऊपर दिया गया समस्त ब्योरा अपने डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी के साथ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को सूचित कर दे (दें)।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कागज रूप में धारित शेयरों को डीमैट खाते में लाने के लिए विकल्प दें।
3. शेयरधारकों/बांडधारकों से अनुरोध है कि वे नामांकन सुविधा का लाभ उठाएँ।
4. नामांकन फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर इन्वेस्टर रिलेशन्स/शेयरधारक सूचना नामांकन फॉर्म लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।
5. नवीनतम जानकारी के लिए www.sbi.co.in इन्वेस्टर रिलेशन्स/शेयरधारक सूचना देखें।

SBI

सभी एसबीआई शेयरधारकों से अपील

भौतिक रूप में एसबीआई के इक्विटी शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण अद्यतन करें और इसे हमारे आरटीए को पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से प्रस्तुत करें -

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (AAL), अलंकित हाइट्स, 3 ई / 7, झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055,
फोन -7290071335, e-mail-sbi.igr@alankit.com

मैं/ हम एएएल, एसबीआई के आरटीए से अनुरोध करते हैं कि मेरे/ हमारे शेयर फोलियो नं. में निम्नलिखित विवरण अद्यतन करें।			
सामान्य जानकारी:			
पहले धारक का नाम: *			
संयुक्त 1			
संयुक्त 2			
पिन कोड नंबर के साथ पता: *			
फोलियो नंबर *			
	पहला धारक	दूसरा धारक	तीसरा धारक
आयकर पैन *			
आधार नं.			
प्रथम धारक का मोबाईल नं.*			
प्रथम धारक का ई-मेल आईडी *			
प्रथम धारक का बैंक विवरण			
बैंक का नाम: *			
बैंक शाखा का पता:			
खाता संख्या * (जैसा चेक में प्रदर्शित है):			
बैंक खाते का प्रकार (बचत/चालू/ एनआरई / एनआरओ): *			
आईएफएससी IFSC (11 अंक): *			
एमआइसीआर MICR (9 अंक) (जैसा चेक में प्रदर्शित है): *			

बैंक विवरण के सत्यापन के लिए पैन, आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति और कैंसिल किया गया चेक (वर्तमान में सक्रिय खाते का) बैंक द्वारा सत्यापित पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर प्रथम धारक के नाम के साथ संलग्न है।

* अनिवार्य क्षेत्र (नोट: सभी संलग्नक अनिवार्य हैं)

मैं / हम इसके द्वारा घोषित करते हैं कि यहाँ दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं।

हस्ताक्षर:

----------	----------	----------
First Holder	Second Holder	Third Holder

दिनांक:

स्थान :

नो': प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखना उपद्रवियों के दुरुपयोग सहित, चोरी, क'ने-फ'ने, विस्थापन के कारण नुकसान उच जोखिम एचट च:च हुआ है। एचअचएचट महत्वपूर्ण बात यह है कि सेबी ने आदेश दिया है कि प्रतिभूतियों का हस्तांतरण नहीं किया ज्चच सकता जबतक कि दिनांक 01.04.2019 एचट डिपोजि'री फॉर्म में अभौतिक रूप एचट न रखा जाए। हमारा e-Mail IDढ investor.complaints@sbi.co.in है।

डीमै' फॉर्म में ऊचटँच: रखने उचचआचट शेयरधारकों एचट अनुरोध है कि उचट अपने निर्देशांक को अद्यतन करें ज्चठएचट केवाईसी, खाता संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं. आदि अपने संबंधित डिपॉजि'री पार्ि'सिपें' (DP) सहित, यदि हाल ही में न किया गया हो। इससे हम आपको बेहतर एचटउचच दे पाएंगे।

वार्षिक महासभा स्थल तक पहुँचने का मार्ग

स्थल:"एसबीआई सभागार", स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट,
मुंबई-400021 (महाराष्ट्र)
चर्चगेट स्टेशन से दूरी : 0.95 किलोमीटर
छत्रपति शिवाजी स्टेशन से दूरी : 2.20 किलोमीटर

नोट:

NOW WITHDRAW MONEY WITHOUT AN ATM CARD !

TO LOCATE A YONO CASH POINT,
LOOK FOR THE SIGN BELOW.

yono SBI **YONO CASH**

WHY YONO CASH IS SAFE:

- Transact Via Dynamic Pin
- No Skimming
- No Card Trapping
- No Shoulder Surfing
- No Lost Card/Pin

Yono cash service is currently enabled only at select SBI ATMs | Download & Register now | sbiyono.sbi

स्टेट बैंक भवन, कॉरपोरेट केन्द्र, मादाम कामा रोड, मुम्बई
महाराष्ट्र - 400 021, भारत